निदेशक मण्डल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 246वीं बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2018

विषय सूची

मद सं0	विषय
246/1	परिषद की 245वीं बैठक दिनांक 14 मई, 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।
246/2	परिषद की 245वीं बैठक दिनांक 14 मई, 2018 की अनुपालन आख्या।

प्रशासन अनुभाग

246/3	सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के सम्बन्ध में।
246/4	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।
246/5	सम्पत्ति प्रबन्धक के सीधी भर्ती के रिक्त 11 पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती कराये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
246/6	वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन।
246/7	वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

अनुशासनिक अनुभाग

246/8	परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं ऐसे कार्मिकों, जिनकी नियुक्ति प्राधिकारी मा0 परिषद है, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय जॉच संस्थित किये जाने के सम्बन्ध में।
246/9	परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में निर्माणाधीन शिखर एन्क्लेव के निर्माण कार्य अपूर्ण/मानक के अनुरूप न होने तथा लिफ्ट की आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में अन्तर्ग्रस्त सेवानिवृत्त अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में।
246/10	वसुन्धरा एन्क्लेव गाजियाबाद के सेक्टर–8 में निर्माणाधीन 33/11 के0वी0 सब स्टेशन हेतु आवश्यक 10 एम0वी0ए0 क्षमता के 02 नग 33/11 के0वी0 पावर ट्रान्सफार्मर्स की आपूर्ति के संबंध में की गई लापरवाही/अनियमितता के दृष्टिगत अधीक्षण अभियंता एवं सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता के विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में।
246/11	श्री बनवारी लाल शर्मा, तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

भूमि अर्जन अनुभाग

246/12	परिषद की लखनऊ–गोरखपुर बाईपास मार्ग योजना सं0–1 व 2 फैजाबाद के सम्बन्ध में।
246/13	जनपद–हरदोई में यू0पी0 शुगरकेन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 की हरदोई स्थित शुगर फैक्ट्री की रिक्त भूमि क्रय करने के संबंध में।
246/14	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–हैवतमऊ मवइया के खसरा संख्या–2613 की भूमि के सम्बन्ध में।
246/15	वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–1, लखनऊ में स्थित ग्राम–हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या–2218 की 120.00 वर्गमी0 भूमि पर श्री रामखेलावन द्वारा किये गये अवैध निर्माणा को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि की देयता में समायोजित करके भूखण्ड संख्या–4बी/70 सशर्त आवंटन के संबंध में।

अभियन्त्रण अनुभाग

246/16	परिषद में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य अभियन्ता के अनुमति से रु0 10.00लाख तक की निविदाओं को ई–टेण्डरिंग प्रणाली से छूट दिये जाने का प्रस्ताव।
246/17	पुराने वेतनमान के ग्रेड वेतन रु0 7600 व रु0 8700 के अधिकारियों को लखनऊ–गाजियाबाद की यात्रा वायुयान से करने की अनुमति के संबंध में।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

246/18	औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ0ए0आर0) का पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2011 एवं 2016) में प्रस्तावित संशोधन को परिषद बोर्ड में अंगीकार करने के सम्बन्ध में।
246/19	श्री करन महाना, निदेशक, के0वी0एस0 इन्फ्रास्ट्राक्चर्स, प्रा0लि0 के पी0डब्ल्यू0डी0 हाउसिंग सोसाइटी, केशपुरम् योजना सं0-1, कानपुर में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 : GH/Ar-41/7B, 10, 11 को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।
246/20	भवन सं0-सी0 651 इंदिरानगर लखनऊ का भू उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।
246/21	आवासीय सम्पत्तियों में तलो की अनुमन्यता में स्पष्टता के सम्बन्ध में।
246/22	भूखण्ड संख्या-सी-678, प्रहलादपुरी योजना, (नगेहटा रोड़) हरदोई का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

विधि अनुभाग

246/23	अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 82 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

वित्त एवं लेखाभाग

246/24	सिद्धार्थ विहार, ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव के SFS के 216 नग भवन में GST के सम्बन्ध में।
246/25	आयकर अधिनियम 1961 की धारा-10 के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा वांछित फार्म-10 दाखिल किये जाने हेतु अधिकृत करने के संबंध में।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

246/26	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में स्व वित्त पोषित योजना 2013 के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव में निर्मित 2016 नग भवनों के आवंटियों को परियोजना के मूल्य वृद्धि के संबंध में।
246/27	जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ में निर्मित फ्लैट्स के आवंटियों का दण्डब्याज/विलम्ब शुल्क शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

समन्वय अनुभाग

246/28	परिषद के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।
246/29	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।

246/3
मद संख्या ....
प्रशासन अनुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः– सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अभियन्ता सेवा (अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) विनियम–1977(यथासंशोधित) के भाग–3 के विनियम–5 में अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति के श्रोत के सम्बन्ध में तथा उक्त विनियमावली के भाग–4 के विनियम–8 में नियुक्ति के आधार के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख है:–

PART-III-SOURCES OF APPOINTMENT

5- Appointment to the post of Executive Engineers and their equivalent posts, as may be specified by the Board, in the cadre of the service. shall be made by promotion in the manner laid down in part IV of these regulations from amongst permanent Assistant Engineers who have:-

a) completed not less than 5 years service, and.

b) passed such professional and languages Examination as may be prescribed by the Board.

c) should have worked as Assistant Engineer for two years at a nonfield job (i.e. Design Division, Head Quarter, Quality Control etc.) .

Provided that temporary Assistant Engineer may have put in 5 years approved service as such and may otherwise be eligible for promotion under clauses (a) and (b) and (c) above may also be considered for promotion against temporary and officiating vacancies.

PART-IV-PROCEDURE FOR SELECTION FOR PROMOTION.

8- CRITERION FOR PROMOTION

The selection for promotion shall be based on seniority subject to rejection of unfit candidates .

2. उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा निर्धारित स्टाफ स्ट्रेन्थ के अनुसार परिषद में अधिशासी अभियन्ता के कुल 52 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से अधिशासी अभियन्ता(सिविल) के 49 पद तथा अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के 03 पद "ईयरमार्क" हैं।

3. भर्ती वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में रिक्त हुए/रिक्त होने वाले अधिशासी अभियन्ता(सिविल)/(विद्युत/यांत्रिक) के सम्भावित पदों पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 02.08.2018 को चयन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें विनियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वरिष्ठता क्रम में सहायक अभियन्ताओं के नामों पर विचार किया गया तथा समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए सहायक अभियन्ताओं की एक चयन सूची तैयार की गई। दिनांक 02.08.2018 को हुई चयन समिति की उक्त बैठक में तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित सहायक अभियन्ता(सिविल) सर्वश्री मुकेश यादव, अरविन्द कुमार, आनन्दवीर सिंह, श्री प्रमोद कुमार सिंह, कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव, दीप कुमार गुप्ता, पंकज कुमार पाल एवं प्रदीप कुमार द्वारा 02 वर्ष की "नान फील्ड जाब" की अवधि पूर्ण नहीं की गई है। अतः चयन समिति द्वारा उक्त सहायक अभियन्ताओं को उनकी "नान फील्ड जाब" की अपूर्ण अवधि को मा0 परिषद द्वारा शिथिल किए जाने की स्थिति में प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाए जाने की संस्तुति की गई। दिनांक 02.08.2018 को हुई चयन समिति की उक्त बैठक में चयन समिति द्वारा श्री कौशल किशोर, सहायक अभियन्ता(सिविल), श्री प्रदीप कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता(सिविल) एवं श्री हरीश कुमार चावला, सहायक अभियन्ता(सिविल) के विरूद्ध विभागीय

जाँच गठित होने के दृष्टिगत, शासनादेश सं0 13/21/89–का–1–1997 दिनांक 25.08.1997 के प्राविधानों के दृष्टिगत, अधिशासी अभियन्ता(सिविल) का एक–एक पद सुरक्षित रखते हुए उनके सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों को बन्द लिफाफे में रखे जाने की संस्तुति की गई है। उल्लेखनीय है कि श्री कौशल किशोर, सहायक अभियन्ता(सिविल), श्री प्रदीप कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता(सिविल) एवं श्री हरीश कुमार वाधवा, सहायक अभियन्ता(सिविल) द्वारा भी 02 वर्ष की "नान फील्ड जाब" की अवधि पूर्ण नही की गई है।

4. परिषद कार्यहित में, श्री मुकेश यादव, सहायक अभियन्ता(सिविल) एवं श्री अरविन्द कुमार, सहायक अभियन्ता(सिविल) को उनकी "नान फील्ड जाब" की अपूर्ण अवधि को मा0 परिषद द्वारा शिथिल किए जाने की प्रत्याशा में, कार्यालय आदेश सं0–2642/प्रशा0–एक–एम–139(भाग–4) दिनांक 13.08.2018 एवं कार्यालय आदेश सं0–2644/प्रशा0–एक–एम–139(भाग–4) दिनांक 13.08.2018 द्वारा अधिशासी अभियन्ता(सिविल) के रिक्त पद के सापेक्ष प्रोन्नति प्रदान की जा चुकी है।

5. ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अभियन्ता सेवा (अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) विनियम–1977(यथासंशोधित) के भाग–7 के विनियम–28(2) में निम्नलिखित प्राविधान है:–

"When, in the opinion of the Board or under the general or specific orders of the State Government it becomes necessary to do so. the Board may make any appointment or appointments to the Service otherwise than in accordance with these regulations, or in partial relaxation of any or some of the regulations and in case of any appointment which is not in strict accord with these regulations, the Board shall be deemed to have made the appointment(s) in relaxation of these regulations."

6. उल्लेखनीय है कि सहायक अभियन्ता(सिविल) सर्वश्री मुकेश यादव, अरविन्द कुमार, आनन्दवीर सिंह, श्री प्रमोद कुमार सिंह, कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव, दीप कुमार गुप्ता, पंकज कुमार पाल एवं प्रदीप कुमार की "नान फील्ड जाब" की 02 वर्ष की अवधि अपूर्ण है। अतः दिनांक 02.08.2018 को हुई चयन समिति की बैठक में तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित सहायक अभियन्ता(सिविल) सर्वश्री मुकेश यादव, अरविन्द कुमार, आनन्दवीर सिंह, श्री प्रमोद कुमार सिंह, कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव, दीप कुमार गुप्ता, पंकज कुमार पाल एवं प्रदीप कुमार तथा बन्द लिफाफे की प्रक्रिया से आच्छादित सहायक अभियन्ता(सिविल) सर्वश्री कौशल किशोर, प्रदीप कुमार वर्मा एवं हरीश कुमार वाधवा की "नान फील्ड जाब" की उक्त अपूर्ण अवधि को शिथिल किए जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव मा0 परिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(नीलम) उप आवास आयुक्त(प्रशासन)	23.8.18 (महेन्द्र कुमार) अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	(अजय चौहान) आवास आयुक्त

246/4

मद संख्या 4

प्रशासन अनुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः– अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।

भर्ती वर्ष 2018–19 में रिक्त होने वाले अधीक्षण अभियन्ता(सिविल) के 04 पदों के सापेक्ष प्रोन्नति पर विचार किये जाने हेतु दिनाँक 02.08.2018 को हुई चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सर्विस आफ इन्जीनियर्स (एप्वाइन्टमेन्ट एण्ड कंडीशन्स आफ सर्विस आफ सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर्स) रेगुलेशन्स–1977 में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु निम्न प्राविधान है:–

PART-III-SOURCES OF APPOINTMENT

5. SOURCES OF APPOINTMENT

Appointment to the post of Superintending Engineers and other equivalent posts, as may be specified by the Board, in the cadre of the service, shall be made by promotion in the manner laid down in part IV of these Regulations from amongst permanent Executive Engineers who have,

(a) Completed not less than 05 years service, as Executive Engineer.

(b) Passed such professional and languages Examination as may be prescribed by the Board

(c) Should have worked as Executive Engineer for two years at a non-field job (i.e. Design Division, Head Quarter, Quality Control etc.).

Provided that temporary Executive Engineer who have put in 05 years approved service as such and may otherwise be eligible for promotion under clauses (a) and (b) and (c) may also be considered for promotion against temporary and officiating vacancies.

PART-IV-PROCEDURE FOR SELECTION FOR PROMOTION.

8. CRITERION FOR PROMOTION

The selection for promotion shall be based on seniority subject to rejection of unfit candidates

13. APPOINTING AUTHORITY

The appointing authority of the members of the service shall be the Board.

2. शासन द्वारा निर्धारित स्टाफ स्ट्रेन्थ के अनुसार परिषद में अधीक्षण अभियन्ता के कुल 09 पद स्वीकृत हैं जिसमें से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 08 पद एवं अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) का 01 पद परिषद द्वारा ''ईयरमार्क'' है।

3. भर्ती वर्ष 2018–19 में रिक्त होने वाले अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 02.08.2018 को चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें विनियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत, वरिष्ठता क्रम में अधिशासी अभियन्ताओं के नामों पर विचार किया गया तथा समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये अधिशासी अभियन्ताओं की एक चयन सूची तैयार की गयी। दिनांक 02.08.2018 को हुई चयन समिति की उक्त बैठक में तैयार की गयी चयन सूची में सम्मिलित श्री राम लखन यादव, अधिशासी अभियन्ता(सिविल) एवं श्री श्यामा चरण राय, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) द्वारा 02 वर्ष की ''नान फील्ड जाब'' की अवधि पूर्ण नहीं की गयी है। अतः चयन समिति द्वारा सम्मिलित श्री राम लखन यादव, अधिशासी अभियन्ता(सिविल) एवं श्री श्यामा चरण राय, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को उनकी ''नान फील्ड जाब'' की अपूर्ण अवधि को माननीय परिषद द्वारा शिथिल किये जाने की स्थिति में प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने की संस्तुति की गयी।

4. चूंकि अधीक्षण अभियन्ता पद के नियुक्ति प्राधिकारी मा0 परिषद है, अतः अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 02.08.2018 को हुई चयन समिति की उक्त बैठक के कार्यवृत्त पर नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में मा0 परिषद का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

5. ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, सर्विस आफ इन्जीनियर्स (एप्वाइन्टमेन्ट एण्ड कंडीशन्स आफ सर्विस आफ सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर्स) रेगूलेशन्स-1977 के भाग-7 के विनियम-28(2) में निम्नलिखित प्राविधान है :-

"When, in the opinion of the board or under the general or specific orders of the State Government it appears necessary to do so, the Board may make any appointment or appointments to the Service otherwise than in accordance with these regulations or in partial relaxation of any or some of the regulations and in case of any appointment which is not in strict accord with these regulation the Board shall be deemed to have made the appointment(s) in relaxation to these regulations."

6. उल्लेखनीय है कि श्री राम लखन यादव, अधिशासी अभियन्ता(सिविल) एवं श्री श्यामा चरण राय, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की 02 वर्ष की ''नान फील्ड जाब'' की अवधि अपूर्ण है।

7. अतः निम्न प्रस्ताव मा0 परिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-

1. भर्ती वर्ष 2018-19 में रिक्त होने वाले अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 04 पदों पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 02.08.2018 को हुई चयन समिति की उक्त बैठक का कार्यवृत्त (परिशिष्ट-1) नियुक्ति प्राधिकारी/मा0 परिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

2. श्री राम लखन यादव, अधिशासी अभियन्ता(सिविल) जिनके विरूद्ध विभागीय जांच में आरोप पत्र निर्गत होने के कारण इनके लिए 01 पद सुरक्षित रखते हुए लिफाफा बन्द किये जाने तथा दोषमुक्त पाये जाने पर एवं मा0 परिषद द्वारा ''नान फील्ड जाब'' की अनिवार्य अवधि को शिथिल किये जाने की स्थिति में एवं श्री श्यामा चरण राय, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की ''नान फील्ड जाब'' की अपूर्ण अवधि को मा0 परिषद द्वारा शिथिल किये जाने की स्थिति में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया।

अतः चयन समिति की बैठक दिनांक 02.08.2018 का कार्यवृत्त, श्री राम लखन यादव, अधिशासी अभियन्ता(सिविल) एवं श्री श्यामा चरण राय, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की ''नान फील्ड जाब'' की अपूर्ण अवधि को शिथिल किये जाने का प्रस्ताव भी मा0 परिषद के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

	4.8.18	
(नीलम)	(महेन्द्र कुमार)	(अजय चौहान)
उप आवास आयुक्त (प्रशा0)	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	आवास आयुक्त

परिशिष्ट – 1

भर्ती वर्ष 2018-19 में रिक्त होने वाले अधीक्षण अभियन्ता(सिविल) के 04 पदों के सापेक्ष प्रोन्नति पर विचार किये जाने हेतु दिनाँक 02.08.2018 को हुई चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः-

1.	श्री अजय चौहान, आवास आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री विनोद नारायण दीक्षित, मुख्य अभियन्ता(कार्यवाहक) (मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित परिषद सदस्य)	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र कुमार, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सदस्य
4.	श्री धर्मेन्द्र वर्मा, वित्त नियंत्रक	सदस्य
5.	श्री मुकुल जोशी, उपनिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि)	सदस्य
6.	श्री त्रिलोकी नाथ, अधीक्षण अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा (मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित सदस्य)	सदस्य

समिति को निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया गयाः-

शासन द्वारा निर्धारित अनन्तिम स्टाफ स्ट्रेन्थ के अनुसार परिषद में अधीक्षण अभियन्ता के कुल 09 पद स्वीकृत हैं जिसमें से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 08 पद एवं अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) का 01 पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 08 अधीक्षण अभियन्ता(सिविल) एवं 01 अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) कार्यरत हैं अर्थात अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) का कोई पद वर्तमान में रिक्त नहीं है।

2. भर्ती वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 04 पद रिक्त होना सम्भावित है, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्रमांक	रिक्ति का विवरण	रिक्ति घटित होने का भर्ती वर्ष
1	श्री विनोद नारायण दीक्षित, अधीक्षण, अभियन्ता की दिनांक 31.08.2018 को होने वाली सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप सम्भावित रिक्ति	2018-19
2.	श्री कृष्ण अवतार सिंघल, अधीक्षण अभियन्ता की दिनांक 30.09.2018 को होने वाली सेवानिवृत्त के फलस्वरूप सम्भावित रिक्ति	2018-19
3.	श्री सुरेश कुमार रायतानी, अधीक्षण अभियन्ता की दिनांक 31.05.2019 को होने वाली सेवानिवृत्त के फलस्वरूप सम्भावित रिक्ति	2018-19
4.	श्री राम एकबाल, अधीक्षण अभियन्ता की दिनांक 30.06.2019 को होने वाली सेवानिवृत्त के फलस्वरूप सम्भावित रिक्ति	2018-19

इस प्रकार चयन वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) की 04 रिक्तियाँ उपलब्ध होती है, जो अनारक्षित वर्ग की होगी, जिस पर चयन की कार्यवाही अपेक्षित होती है, क्योंकि वर्तमान मे **पदोन्नति के प्रकरण पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देय नहीं है।**

3. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सर्विस आफ इन्जीनियर्स (एप्वाइन्टमेन्ट एण्ड कंडीशन्स आफ सर्विस आफ सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर्स) रेगुलेशन्स-1977 में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु निम्न प्राविधान हैः-

3.1 PART-III-SOURCES OF APPOINTMENT

5. SOURCES OF APPOINTMENT

Appointment to the post of Superintending Engineers and other equivalent posts, as may be specified by the Board, in the cadre of the service, shall be made by promotion in the manner laid down in part IV of these Regulations from amongst permanent Executive Engineers who have.

(a) Completed not less than 05 years service, as Executive Engineer

(b) Passed such professional and languages Examination as may be prescribed by the Board.

(c) Should have worked as Executive Engineer for two years at a non-field job (i.e. Design Division, Head Quarter, Quality Control etc.).

Provided that temporary Executive Engineer who have put in 05 years approved service as such and may otherwise be eligible for promotion under clauses (a) and (b) and (c) may also be considered for promotion against temporary and officiating vacancies

3.2. PART-IV-PROCEDURE FOR SELECTION FOR PROMOTION.

8. CRITERION FOR PROMOTION

The selection for promotion shall be based on seniority subject to rejection of unfit candidates.

3.3 9. PREPARATION OF ELIGIBILITY LIST

The Secretary shall prepare a list called the Eligibility list of the senior most eligible candidates containing names so far as may be, in the following proportion:

For 01 to 05 vacancies	05 times the number of the vacancies.
For over 05 vacancies	04 times the number of the vacancies.

Provided that if recruitment is to made for vacancies occuring during more than one year of recruitment separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year. In such a case, while preparing the eligibility list for second and subsequent Years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be--

(a) for the second year the number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year;

(b) for the third year the number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year; and so on...

3.4 13. APPOINTING AUTHORITY

The appointing authority of the members of the service shall be the Board.

उक्त सेवाविनियमावली के विनियम 9 के अनुसार सचिव एक पात्रता सूची तैयार करेंगे तथा एक से पांच रिक्तियों हेतु रिक्तियों के दोगुना तक वरिष्ठ पात्र नाम विचारणीय होंगे

4. यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली–2012 के अनुसार, जहाँ पदोन्नति का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा जिनमें यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे:–

01 से 05 रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का दुगना किन्तु कम से कम 05

05 से अधिक की रिक्तियों हेतु–रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10

4.1. अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन की प्रक्रिया (शासनादेश सं0 2908–का–1–83 दिनाँक 22.03.1984)

(क) इस सिद्धान्त के तहत रिक्तियों को देखते हुए उनके अनुपात में निर्धारित संख्या के पात्रता क्षेत्र के अधिकारियों के नामों पर वरिष्ठता कम में विचार किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम वरिष्ठतम अधिकारी के नाम पर विचार कर उसे उपयुक्त या अनुपयुक्त घोषित करने के बाद दूसरे तथा तीसरे और आगे इसी प्रकार के अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाना चाहिए, जबतक कि रिक्तियों की तुलना में वांछित संख्या में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो जाये। जब प्रोन्नति के लिए वांछित संख्या में अधिकारी उपलब्ध हो जायें तब उसके बाद के अधिकारियों के नामों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

(ख) इस सिद्धान्त के आधार पर प्रोन्नति हेतु सम्बन्धित अधिकारियों की, प्रोन्नति के पद के ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि की प्रविष्टियाँ देखी जाये और यदि वैसी अवधि 10 वर्ष से अधिक हो तो केवल अंतिम 10 वर्ष की प्रविष्टियाँ देखी जाय।

5. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 04 पदो के सापेक्ष चयन पर विचार हेतु, पत्र संख्या–696/प्रशा0–एक–4589 (भाग–3) दिनांक 09.03.2016 द्वारा निर्गत परिषद के अभियन्ता अधिकारियों की अन्तिम एकल वरिष्ठता सूची में सेवानिवृत्त/प्रोन्नत हो चुके अभियन्ताओं को छोड़ते हुए वरिष्ठता कम में, पात्रता के अन्तर्गत आ रहे सिविल संवर्ग के 08 अधीक्षण अभियन्ताओं के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है:–

(सिविल संवर्ग)

क0	वरिष्ठता कमांक	अधिशासी अभियन्ता का नाम/ सेवानिवृत्ति की तिथि सर्वश्री	सहायक अभियन्ता के पद पर योगदान तिथि	अधिशासी अभियन्ता के पद पर योगदान तिथि	सहायक अभियन्ता के पद पर स्थायी/ अस्थायी	अधिशासी अभियन्ता के रूप में नान फील्ड जाब की 02 वर्ष की अवधि पूर्ण/अपूर्ण
1	15	दिनेश कुमार 30.06.2021	30.04.1984	22.05.2007	स्थायी	पूर्ण
2	16	बसन्त लाल 31.01.2020	25.04.1984	22.05.2007	स्थायी	पूर्ण
3	17	राम लखन यादव 31.07.2019	25.04.1984	22.05.2007	स्थायी	अपूर्ण
4	20	श्यामा चरण राय 30.11.2022	28.04.1984	03.12.2007	स्थायी	अपूर्ण
5	21	नागेश चन्द 30.04.2020	28.04.1984	31.05.2008	स्थायी	पूर्ण
6	22	मो0 खालिद 31.07.2020	28.04.1984	31.08.2008	स्थायी	अपूर्ण
7	23	चन्द प्रकाश 31.07.2020	28.04.1984	02.08.2008	स्थायी	अपूर्ण
8	24	राजीव कुमार गुप्ता 30.09.2020	03.05.1984	26.06.2008	स्थायी	अपूर्ण

6. चूंकि अधीक्षण अभियन्ता पद की नियुक्ति प्राधिकारी मा0 परिषद है, अतः विभागीय चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों को मा0 परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

7. समिति द्वारा भर्ती वर्ष 2018–19 में रिक्त होने वाले अधीक्षण अभियन्ता(सिविल) के 04 पदो पर प्रोन्नति हेतु वरिष्ठता क्रम में इस कार्यवृत्त के प्रस्तर–5 में प्रदर्शित पात्रता सूची में उल्लिखित अधिशासी अभियन्ताओं के नामों पर उनके विगत 10 वर्षो के सेवा अभिलेखों के आधार पर विचार किया गया। समिति द्वारा उक्त पात्रता सूची में सम्मिलित अधिशासी अभियन्ताओ के सम्बन्ध में अनुशासनिक अनुभाग, मुख्यालय से प्राप्त उनकी विगत 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों/दण्ड/जॉच आदि के विवरण सहित उनकी चरित्र पंजिकाओं एवं संगत शासनादेशों का भी अवलोकन किया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् संस्तुतियाँ की गई:–

1. **श्री दिनेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता(सिविल)–**

समिति द्वारा इस कार्यवृत्त के प्रस्तर–5 में प्रदर्शित पात्रता सूची के क्रमांक–1 पर उल्लिखित श्री दिनेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता की विगत 10 वर्षो के अन्तर्गत उनकी वर्ष 2008–09 से वर्ष 2017–18 तक की अवधि की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अवलोकन किया गया, जो अनुकूल हैं। यद्यपि वर्ष 2015–16 के

अन्तर्गत दिनांक 01.04.2015 से 09.09.2015 तक की अवधि की प्रविष्टि समीक्षक अधिकारी स्तर की है एवं दिनांक 10.09.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि की प्रविष्टि प्रतिवेदक अधिकारी स्तर की है। इन्हें परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित भवन संख्या-13/24 के विस्तार हेतु भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं ममटी का अनाधिकृत निर्माण के प्रकरण में पत्र संख्या-1043/अनुशा0-112/2015(3026) दिनांक 11.12.2017 द्वारा ''कारण बताओं नोटिस'' निर्गत है, जिसे संज्ञान में नहीं लिया जाना है। सम्प्रति इनके विरूद्ध कोई विभागीय/सर्तकता जॉच आदि प्रचलित नहीं है।

श्री दिनेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है एवं वह अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी हैं तथा उनके द्वारा प्रोन्नति हेतु अनिवार्य 02 वर्ष की 'नान फील्ड जाब' की अवधि पूर्ण की जा चुकी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त, समिति श्री दिनेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता को भर्ती वर्ष 2018-19 में घटित अधीक्षण अभियन्ता(सिविल) की प्रथम रिक्ति के सापेक्ष प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाती है।

2. **श्री बसन्त लाल, अधिशासी अभियन्ता(सिविल)-**

समिति द्वारा इस कार्यवृत्त के प्रस्तर-5 में प्रदर्शित पात्रता सूची के क्रमांक-2 पर उल्लिखित श्री बसन्त लाल, अधिशासी अभियन्ता की विगत 10 वर्षों के अन्तर्गत उनकी वर्ष 2008-09 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अवलोकन किया गया, जो अनुकूल हैं। यद्यपि वर्ष 2015-16 व 2017-18 की प्रविष्टि प्रतिवेदक अधिकारी स्तर की है। सम्प्रति इनके विरूद्ध कोई विभागीय/ सर्तकता जॉच आदि प्रचलित नहीं है।

श्री बसन्त लाल, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है एवं वह अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी हैं तथा उनके द्वारा प्रोन्नति हेतु अनिवार्य 02 वर्ष की 'नान फील्ड जाब' की अवधि पूर्ण की जा चुकी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त, समिति श्री बसन्त लाल, अधिशासी अभियन्ता को भर्ती वर्ष 2018-19 में घटित अधीक्षण अभियन्ता(सिविल) की द्वितीय रिक्ति के सापेक्ष प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाती है।

3. **श्री राम लखन यादव, अधिशासी अभियन्ता(सिविल)-**

समिति द्वारा इस कार्यवृत्त के प्रस्तर-5 में प्रदर्शित पात्रता सूची के क्रमांक-3 पर उल्लिखित श्री राम लखन यादव, अधिशासी अभियन्ता की विगत 10 वर्षों के अन्तर्गत उनकी वर्ष 2008-09 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अवलोकन किया गया, जो अनुकूल हैं। यद्यपि वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि की प्रविष्टि अप्राप्त है। वर्ष 2015-16 की प्रविष्टि प्रतिवेदक अधिकारी स्तर की है।

श्री राम लखन यादव, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है एवं वह अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी हैं किन्तु उनके द्वारा प्रोन्नति हेतु अनिवार्य 02 वर्ष की 'नान फील्ड जाब' की अवधि पूर्ण नही की गई है।

सम्प्रति इनके विरूद्ध परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-2ए में मंदाकिनी एन्क्लेव में, सेक्टर-2बी में भागीरथी एन्क्लेव में फ्लैट के निर्माण के प्रकरण में आदेश संख्या-662/अनुशा0-143/2017 (3297) दिनांक 18.09.2017 द्वारा विभागीय जॉच गठित की गई है, जिसमें आरोप पत्र निर्गत हैं।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त समिति **श्री राम लखन यादव, अधिशासी अभियन्ता को** उनकी ''नान फील्ड जाब'' की अवधि पूर्ण न होने तथा आदेश संख्या-662/अनुशा0-143/2017 (3297) दिनांक 18.09.2017 द्वारा इनके विरूद्ध गठित विभागीय जॉच, जिसमें आरोप पत्र निर्गत है, के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त

समिति अधीक्षण अभियन्ता(सिविल) का 01 पद उनके लिए सुरक्षित रखते हुए उनके सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों को ''बन्द लिफाफे'' में रखे जाने की संस्तुति करती है।

4. श्री श्यामा चरण राय, अधिशासी अभियन्ता(सिविल)–

समिति द्वारा इस कार्यवृत्त के प्रस्तर–5 में प्रदर्शित पात्रता सूची के क्रमांक–4 पर उल्लिखित श्री श्यामा चरण राय, अधिशासी अभियन्ता की विगत 10 वर्षो के अन्तर्गत उनकी वर्ष 2008–09 से वर्ष 2017–18 तक की अवधि की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अवलोकन किया गया, जो अनुकूल हैं। यद्यपि वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत दिनांक 08.09.2015 से 07.11.2015 तक की अवधि की प्रविष्टि अप्राप्त है (जो 03 माह से कम है) वर्ष 2017–18 की प्रविष्टि प्रतिवेदक अधिकारी स्तर की है। सम्प्रति इनके विरूद्ध कोई विभागीय/सतर्कता जॉच आदि प्रचलित नहीं है।

श्री श्यामा चरण राय, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है एवं वह अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी हैं तथा उनके द्वारा प्रोन्नति हेतु अनिवार्य 02 वर्ष की 'नान फील्ड जाब' की अवधि पूर्ण नहीं की गयी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त, समिति श्री श्यामा चरण राय, अधिशासी अभियन्ता को उनकी 'नान फील्ड जाब' की अपूर्ण अवधि को मा0 परिषद द्वारा शिथिल कराये जाने की स्थिति में, भर्ती वर्ष 2018–19 में घटित होने वाली अधीक्षण अभियन्ता(सिविल) की चतुर्थ रिक्ति के सापेक्ष प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाती है।

3. चूंकि अधीक्षण अभियन्ता पद की नियुक्ति प्राधिकारी मा0 परिषद है, अतः समिति उक्त संस्तुतियों को मा0 परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति सहित यह भी संस्तुति करती है कि उपर्युक्त चयनित अधिशासी अभियन्ताओं की सूची भर्ती वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत घटित होने वाली रिक्तियों के लिए ही मान्य होगी तथा रिक्त/घटित होने वाली रिक्तियों पर उपर्युक्त चयनित सूची के अनुसार वरिष्ठता क्रम में प्रोन्नति प्रदान की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त समिति यह भी संस्तुति करती है कि उक्त चयनित अधिशासी अभियन्ताओं की तीन माह अथवा उससे अधिक की अप्राप्त/अपूर्ण प्रविष्टियॉ अन्तिम होने पर यदि स्वीकृताधिकारी द्वारा उनके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की जाती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित चयनित अधिशासी अभियन्ता प्रोन्नति हेतु पात्र नहीं होंगे।

(त्रिलोकी नाथ) अधीक्षण अभियन्ता आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा	(मुकुल जोशी) उप निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	(धमेन्द्र वर्मा) वित्त नियंत्रक
(विनोद नारायण दीक्षित) मुख्य अभियन्ता(कार्यवाहक)	(महेन्द्र कुमार) अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	(अजय चौहान) आवास आयुक्त

मद संख्याः– 246/5
प्रशासन अनुभागः–

मा0 परिषद हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः–सम्पत्ति प्रबन्धक के सीधी भर्ती के रिक्त 11 पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती कराये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उल्लेखनीय है कि परिषद में सम्पत्ति प्रबन्धक के कुल 23 पद स्वीकृत हैं। सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियमावली–1984(यथासंशोधित 2013)के भाग–1 के विनियम–3(2) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त (म0) हैं तथा भाग–2 के विनियम(5–1–2) के अनुसार 11 पद सीधी भर्ती द्वारा और 12 पद पोषक संवर्गो से अनुपातिक आधार पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाने का प्राविधान है।

2. अवगत कराना है कि सम्पत्ति प्रबन्धक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को "उ0प्र0 लोक सेवा आयोग" के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 परिषद की 245 वीं बैठक दिनांक 14.05.2018 के मद संख्या–245/6 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर पारित निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियमावली–1984(यथासंशोधित 2013) में कतिपय संशोधन कर राजकीय गजट में दिनांक 07.07.2018 को प्रकाशित कराते हुए कार्यालय आदेश संख्या–2630/प्रशा0एक–136/2013 दिनांक 10.08.2018 (परिशिष्ट–1) द्वारा "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियमावली–1984(यथासंशोधित 2018)" को परिषद में अंगीकृत किया गया है।

3. उक्त विनियमावली के विनियम–3(2) में प्राविधान है कि "नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को मा0 परिषद की अनुमति लेकर उ0प्र0लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने हेतु सक्षम है।"

4. उल्लेखनीय है कि परिषद में सम्पत्ति प्रबन्धक के सीधी भर्ती के वर्तमान में कुल 11 पद (वेतनमान रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600.00 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल–7) रिक्त हैं। सम्पत्ति प्रबन्धक विनियमावली–1984(यथासंशोधित 2018) के अनुसार मा0 परिषद की अनुमति से सीधी भर्ती हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।

5. अतः उपर्युक्तानुसार "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियमावली–1984 (यथासंशोधित 2018)" के अनुपालन में सम्पत्ति प्रबन्धक के सीधी भर्ती के रिक्त 11 पदों की भर्ती हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा0 परिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(नीलम)	(महेन्द्र कुमार)	(अजय चौहान)
उप आवास आयुक्त(प्रशा0)	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	आवास आयुक्त

Demond

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(प्रशासन अनुभाग)

104—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ—226001

संख्या: 2630 /प्रशा0एक—136/2013 दिनांक: 10-8-2018

कार्यालय आदेश

"सम्पत्ति प्रबन्धक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से कराये जाने हेतु मा0 निदेशक मण्डल की 245वीं बैठक दिनांक 14.05.2018 के मद संख्या—245/6 में पारित निर्णय के अनुपालन में "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियमावली—1984(यथासंशोधित 2018)" को उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में दिनांक 07.07.2018 को प्रकाशित कराने के फलस्वरूप, सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियमावली—1984(यथासंशोधित 2018) को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में अंगीकृत किया जाता है, जो राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि 07.07.2018 (छायाप्रति संलग्न) से संशोधन सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं इस संशोधन के फलस्वरूप सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियमावली—1984(यथासंशोधित 2013) के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

पृ0सं0: /उक्त तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद् नियोजक/मुख्य विधि परामर्शी।
2. संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
4. समस्त उप आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक।
5. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
6. आवास आयुक्त(म0)/अपर आवास आयुक्त/सचिव के निजी सचिव/आशुलिपिक।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका/कम्प्यूटर सेल।

आवास आयुक्त

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[प्रशासन अनुभाग]

संख्या 1611/प्रशा0 एक-136/2013

06 जून, 2018 ई0

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) की धारा 95 की उपधारा (1)(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 आवास एवं वकास परिषद् अपनी अधिकार सीमा में, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में प्रभावी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सम्पत्ति प्रबन्धन सेवा विनियमावली, 1984 (यथासंशोधित 2013) में आंशिक संशोधन हेतु परिषद् की 245वीं बैठक दिनांक 14 मई, 2018 के मद संख्या 245/6 में विभिन्न विनियमों में संशोधन हेतु निर्णय लिया गया है।

2–अतः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सम्पत्ति प्रबन्धन सेवा विनियमावली, 1984 (यथा संशोधित 2013) के निम्न विनियमों में संशोधन निम्नवत् किया जाता है–

क्र0सं0	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1	विनियम-3 (2) : नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त (म0) हैं।	विनियम-3 (2) : नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को मा0 परिषद की अनुमति लेकर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने हेतु सक्षम हैं।
2	**विनियम-9 शैक्षिक अर्हतायें :** ख–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0 अथवा पी0जी0डी0एम0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।	**विनियम-9 शैक्षिक अर्हतायें :** ख–मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय तथा राष्ट्र स्तरीय विश्नविद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0 अथवा पी0जी0डी0एम0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
3	विनियम-13 : भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार संयुक्त आवास आयुक्त एवं सचिव भर्ती के वर्ष के दौरान सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा विनियम-6 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेंगे। रिक्तियों के भरे जाने हेतु अधिसूचना प्रमुख समाचार-पत्र/समाचार-पत्रों में विज्ञापित की जायेगी।	विनियम-13 : आवास आयुक्त भर्ती के वर्ष के दौरान सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा विनियम-6 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेंगे। रिक्तियों के भरे जाने हेतु अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जायेगा।
4	विनियम-14 : **सीधी भर्ती के लिये कार्यविधि :** (1) भर्ती के प्रयोजनार्थ आवास आयुक्त एक चयन समिति का गठन करेंगे।	विनियम-14 : **सीधी भर्ती के लिये कार्यविधि :** (1) सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों के भरे जाने हेतु अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये जाने के फलस्वरूप आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में सम्बन्धित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न पर आधारित की जायेगी– [क] गणित, [ख] सामान्य हिन्दी, [ग] कम्प्यूटर से सम्बन्धित बेसिक जानकारी, [घ] सामान्य ज्ञान, [च] तर्कशक्ति।
	(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की छानबीन करेगी और पात्र अभ्यर्थियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा अथवा साक्षात्कार या दोनों में सम्मिलित होने की सूचना देगी। प्रतिबन्ध यह है कि प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर यह निर्णय कि किस स्तर तक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाय, चयन समिति द्वारा लिया जायेगा।	(2) लिखित परीक्षा हेतु 88% अंक, साक्षात्कार हेतु 10%, एम0बी0ए0/पी0जी0डी0एम0 हेतु 2% अंक निर्धारित है।

क्र0सं0	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
	(3) प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्बन्धित पाठ्क्रम तथा नियम आवास आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे।	(3) प्रतियोगितात्मक परीक्षा होने पर उसमें प्राप्त अंक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर योग्यता फल सूची चयन समिति द्वारा तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किये हों या लिखित परीक्षा होने पर उसमें अधिक अंक पाने वाले व्यक्ति को तथा लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर अथवा लिखित परीक्षा न होने पर, अधिक आयु वाले व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान किया जायेगा। यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेज दी जायेगी।
	(4) प्रतियोगितात्मक परीक्षा होने पर उसमें प्राप्त अंक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर योग्यता फल सूची चयन समिति द्वारा तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किये हों या लिखित परीक्षा होने पर उसमें अधिक अंक पाने वाले व्यक्ति को तथा लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर अथवा लिखित परीक्षा न होने पर, अधिक आयु वाले व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान किया जायेगा। यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेज दी जायेगी।	

3–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सम्पत्ति प्रबन्धन सेवा विनियमावली, 1984 (यथा संशोधित 2013) के उक्त विनियमों में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

धीरज साहू,
आवास आयुक्त।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[प्रशासन अनुभाग]

संख्या 1814/प्रशा0-एक

13 जून, 2018 ई0

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) की धारा 95 की उपधारा (1)(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 आवास एवं वकास परिषद् अपनी अधिकार सीमा में, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में प्रभावी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद असिस्टेन्ट इंजीनियर्स सर्विस रेगुलेशन्स, 1973 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन हेतु परिषद् की 245वीं बैठक दिनांक 14 मई, 2018 के मद संख्या 245/9 में विभिन्न विनियमों में संशोधन हेतु निर्णय लिया गया है।

2–अतः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद असिस्टेन्ट इंजीनियर्स सर्विस रेगुलेशन्स, 1973 (यथा संशोधित) के निम्न विनियमों में संशोधन निम्नवत् किया जाता है–

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
Appointing Authority–The appointing authority of the member of the Service shall be the Housing Commissioner or such other officer as may be appointed by the board.	नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों का मा0 परिषद की अनुमति लेकर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने हेतु सक्षम होंगे।

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 23 नवम्बर, 2013 ई० (अग्रहायण 2, 1935 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

संख्या 2129/प्रशा0-एक

2 सितम्बर, 2013 ई0

सूचना

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 1 सन 1966) की धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अपनी अधिकार सीमा में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में लागू उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियम, 1984 में परिषद के संकल्प संख्या 225/37, दिनांक 14 अगस्त, 2013 द्वारा विनियम के प्रस्तर-9 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। अतः निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है--

शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ होने की तिथि--

(1) यह विनियम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, सम्पत्ति प्रबन्धक (संशोधित) सेवा विनियम, 2013 कहलायेगा।

(2) यह संशोधन गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

वर्तमान विनियम प्रस्तर-9	संशोधित विनियम प्रस्तर-9
क--सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान होना भी आवश्यक है।	क--सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान होना भी आवश्यक है।
ख--किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि के स्नातक को वरीयता दी जायेगी।	ख--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0बी0ए0 अथवा पी0जी0डी0एम0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
	ग--दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किसी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से प्राप्त उपाधि मान्य नहीं होगी।

एम0 के0 एस0 सुन्दरम,
आवास आयुक्त।

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 20 अगस्त, 2005 ई० (श्रावण 29, 1927 शक संवत्) 3

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

संख्या 1854/प्रशा0-एक

22 जुलाई, 2005 ई0

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1966) की धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियम, 1984 में परिषद् के संकल्प संख्या 191/6, दिनांक 17 जून, 2005 द्वारा आशुलिपिक श्रेणी-2 को विनियम 16 (1) उपखण्ड (ख) से समाप्त करने का निर्णय लिया है। तदनुसार निम्नवत् संशोधित किया जाता है--

शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ होने की तिथि--

1--यह विनियम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, सम्पत्ति प्रबन्धक (संशोधित) विनियम, 2005 कहलायेगा।

2--यह संशोधन गजट के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(16) प्रोन्नति द्वारा भर्ती	(16) प्रोन्नति द्वारा भर्ती
(1) भर्ती के वर्ष में सेवा के रिक्तियों के निर्धारण होने पर रिक्तियों के पचास प्रतिशत तक पद परिषद् के निम्न संवर्गों में से चयन करके पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे--	(1) भर्ती के वर्ष में सेवा के रिक्तियों के निर्धारण होने पर रिक्तियों के पचास प्रतिशत तक के पद, परिषद् के निम्न संवर्गों में से चयन करके पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे--
क--मुख्य सहायक	क--मुख्य सहायक
ख--आशुलिपिक श्रेणी-2	ख--*
ग--सम्पत्ति निरीक्षक	ग--सम्पत्ति निरीक्षक
घ--विधि निरीक्षक	घ--विधि निरीक्षक

नोट--* स्टार चिन्ह का तात्पर्य यह है कि संवर्ग गजट प्रकाशन की तिथि से समाप्त माना जायेगा।

नीरज कुमार गुप्ता,
आवास आयुक्त।

पी0 एस0 यू0 पी0--21 हिन्दी गजट-भाग 8--2005 ई0।

मुद्रक और प्रकाशक--निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

[illegible]

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 16 अक्तूबर, 1993 ई० (आश्विन 24, 1915 शक संवत)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना विज्ञापन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[प्रशासन अनुभाग]

संख्या 3244/प्रशा०-एक

30 सितम्बर, 1993 ई०

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) की धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अपने अधिकार सीमा में, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में लागू उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियम 1984 में [illegible] संख्या [illegible]/62-93, दिनांक 15 [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] श्रेणी-2 को सम्मिलित किये जाने हेतु निर्णय लिया है।

अतः निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ होने की तिथि--

1--यह विनियम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् सम्पत्ति प्रबन्धक (संशोधित विनियम [illegible]) कहलायेंगे।

2--यह संशोधित गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(16) प्रोन्नति द्वारा भर्ती--	(16) प्रोन्नति द्वारा भर्ती--
(1) भर्ती के वर्ष में सेवा के रिक्तियों के निर्धारित होने पर रिक्तियों के पश्चात [illegible] [illegible] के निम्न संवर्गों में से चयन उनकी पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	(1) भर्ती के वर्ष में सेवा के रिक्तियों के निर्धारित होने पर, रिक्तियों के पश्चात [illegible] परिषद् के निम्न संवर्गों में से चयन उनकी पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(क) मुख्य सहायक (ख) –X (ग) सम्पत्ति निरीक्षक (घ) विधि निरीक्षक	(क) मुख्य सहायक ✓ (ख) आशुलिपिक श्रेणी–2 ✓ (ग) सम्पत्ति निरीक्षक ✓ (घ) विधि निरीक्षक ✓

–X स्टाम्प चिह्न का तात्पर्य यह है कि सन्दर्भ गजट प्रकाशन की दिनांक 22 फरवरी, 1992 से समा... किया गया।

बाबू राम,
आवास आयुक्त।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद की तहसील बहराइच में कार्यरत संग्रह अमीन, श्री दुलहरन नाम सिंह की विविध देय की रसीद बही संख्या 762201, दिनांक 18 अग. 1993 को खो गई है। इस खोई हुई रसीद बही के जो प्रतिपर्ण बिना प्रयोगशुदा हैं उन्हें अनधिकृत घोषित कि... जाता है। उनका प्रयोग अवैधानिक होगा तथा इस पर किया गया कोई भी भुगतान राजस्व विभाग द्वारा स्वीका... नहीं किया जायेगा यदि उक्त रसीद बुक किसी भी व्यक्ति को मिले तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी/तहसीलदार, बहराइच वापस करने का कष्ट करें :

खोई हुई रसीद का विवरण

जनपद व तहसील	रसीद बही का प्रकार	रसीद बही की संख्या	प्रयोग शुदा रसीद बही की संख्या	बिना प्रयोग शुदा र... बही की संख्या
1	2	3	4	5
बहराइच	विविध देय	762201	762267	762268 से 762300 त...

दिनांक 2 सितम्बर, 1993 ई०।

(ह०) अस्पष्ट
अपर जिलाधिकारी (वि...
बहरा...

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद के तहसील पौसी में कार्यरत संग्रह अमीन, श्री महावन यादव की विविध देय की रसीद बुक संख्या 08087 जिसमें 1 से 96 तक... एवं 97 से 100 तक बिना प्रयोग गुम हो गई है। उक्त रसीद बही को, जो बिना प्रयोग गुम हुई, को अन... घोषित किया जाता है और उक्त रसीद का प्रयोग अनधिकृत एवं अवैधानिक होगा। इस रसीद बही से किया कोई भी भुगतान राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार नहीं होगा। यदि उक्त रसीद बही किसी व्यक्ति को प्राप्त हो तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी को वापस करने का कष्ट करें :

खोई हुई रसीद बही का विवरण

नाम अमीन कार्यालय	जनपद	रसीद बही का प्रकार	रसीद बही की संख्या	प्रयोग शुदा	बिना...
श्री महावन यादव, संग्रह अमीन तहसील पौसी	[illegible]	विविध देय	08087	1 से 96 तक	97 से 10...

दिनांक [illegible]

[illegible],
अपर जिलाधिकारी
[illegible]।

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद

इलाहाबाद, शनिवार, 22 फरवरी, 1992 ई० (फाल्गुन 3, 1913 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोग-ग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[प्रशासन अनुभाग]

संख्या 6887/प्रशा0-एक

दिनांक 14 फरवरी, 1992 ई0

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) की धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अपनी अधिकार सीमा में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में लागू उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियम, 1984 में परिषद् के संकल्प संख्या 1 (31) 92, दिनांक 15 जनवरी, 1992 द्वारा लेखाकार संवर्ग की विनियम 16 (1) उपखण्ड (ख) से समाप्त करने का निर्णय लिया है । अतः निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :

शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ होने की तिथि--

(1) यह विनियम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् सम्पत्ति प्रबन्धक (संशोधित) विनियम, 1992 कहलायेंगे ।

10 ट

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 28 जुलाई, 1990 ई० (श्रावण 6, 1912 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाँठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[प्रशासन अनुभाग]

सं० 1760/स०को०-एक

3 जुलाई, 1990 ई०

सूचना

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, अधिनियम, 1965 की धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, अपनी अधिकार सीमा में सम्पत्ति प्रबन्ध सेवा विनियम बनाते हैं ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, सेवा विनियम-1984 ।

(1) यह विनियम उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियम-1984

भाग—1 सामान्य

1—शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ होने की तिथि :

(1) ये विनियम "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियम 1984" कहलायेंगे ।

(2) ये उत्तर प्रदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक प्रवृत्त होंगे ।

2—प्रास्थिति :

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा, परिषद् के कनिष्ठ अधिकारी संवर्ग की सेवा है ।

3—परिभाषायें:

इन विनियमों में, जब तक कि कोई बात विषय अथवा प्रसंग के प्रतिकूल हो:-

(1) "अधिनियम"

का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (1966 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1) से है-

(2) "नियुक्ति अधिकारी"

का तात्पर्य आवास आयुक्त से है ।

(3) "परिषद्"

का तात्पर्य अधिनियम-3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है ।

(4) "भारत का नागरिक"

का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या माना जाता हो ।

(5) "संविधान",

का तात्पर्य भारत के संविधान से है ।

(6) "आवास आयुक्त"

का तात्पर्य परिषद् के आवास आयुक्त से है ।

(7) संयुक्त आवास आयुक्त एवं सचिव का तात्पर्य परिषद् के संयुक्त आवास आयुक्त एवं सचिव से है ।

(8) "सीधी भर्ती"

का तात्पर्य इन विनियमों के अन्तर्गत विनियम के अनुसार की गयी भर्ती से है ।

(9) "शासन"

शासन का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ।

(10) "सेवा के सदस्य"

का तात्पर्य इन विनियम अथवा इन विनियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रचलित आदेशों, विनियमों अथवा कार्य प्रणाली की व्यवस्थाओं के अनुसार नियमित चयन के आधार पर सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त किये गये व्यक्ति से है ।

(11) "सेवा"

का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा से है ।

(12) "मौलिक नियुक्ति"

का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्ति के समय प्रवृत्त विनियमों, आदेशों अथवा कार्य-प्रणाली के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी नियुक्ति से है ।

(13) "भर्ती के वर्ष"

का तात्पर्य कलेण्डर वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाले बारह महीनों की अवधि से है ।

4—सेवा का संवर्ग तथा संख्या बल

(1) सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा का एक संवर्ग होगा ।

(2) सेवा का संख्याबल उतना ही होगा जैसा कि परिषद् द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाय किन्तु

अ—नियुक्ति अधिकारी किसी रिक्त पद अथवा पदों को बिना भरे ही छोड़ सकता है अथवा अस्थायी रख सकता है और इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को क्षति पूर्ति पाने का हक न होगा,

ब—परिषद् समय-समय पर ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है जैसा कि आवश्यक समझा जाय ।

भाग—2 भर्ती

5—भर्ती का स्रोत :

सेवा के पदों में भर्ती निम्न स्रोतों से की जायेगी ।

(1) सीधी भर्ती द्वारा ।

(2) प्रोन्नति द्वारा सम्पत्ति प्रबन्धकों के स्वीकृत पचास प्रतिशत पदों तक, प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति अधिकारी समय-समय पर परिस्थितियों तथा आवश्यकता के अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार अन्य प्रतिष्ठानों से इन पदों पर कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्ति पर नियुक्तियां कर सकेगा ।

6—सीधी भर्ती प्रोन्नति में अनुसूचित जातियों जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

अर्हतायें

7—आयु–

अ– सीधी भर्ती हेतु भर्ती के वर्ष की पहली जनवरी को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, किन्तु प्रतिबन्ध है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और यथा अधिसूचित ऐसी ही अन्य श्रेणियों के मामलों में उच्च आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी कि शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों में निर्दिष्ट की जाय ।

ब—परिषद् के छटनी कर दिये गये (Retrenched) कर्मचारियों के लिये कोई आयु सीमा नहीं होगी ।

8—राष्ट्रीयता:

सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को

क—भारत का नागरिक अथवा

ख—तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आ चुका हो, अथवा

ग—भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थाई रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका अथवा केन्या, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणतंत्र (जो पहले टांजानिका और जंजीबार कहे जाते थे) के पूर्वी अफ्रीका के देशों से प्रव्रजित होकर आया हो, होना आवश्यक है ।

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) तथा (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो,

प्रतिबन्ध यह भी है कि (ख) श्रेणी के अभ्यर्थी को पुलिस महा-निरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से भी पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आपेक्षित होगा,

प्रतिबन्ध यह भी है कि उक्त (ग) श्रेणी के अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि से आगे सेवा में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि वह भारत की नागरिकता अर्जित न कर ले ।

टिप्पणी—

कोई अभ्यर्थी जिसके सम्बन्ध में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न अस्वीकृत किया गया हो, भर्ती करने वाले अधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से इस शर्त पर नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगा अथवा या उसके नाम से जारी कर दिया जायेगा ।

9—शैक्षिक अर्हतायें—

क—सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है । देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान होना भी आवश्यक है ।

ख--किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक को वरीयता दी जायेगी ।

10--चरित्र

(1) सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना आवश्यक है जिससे वह सेवा में नियोजित किये जाने के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त सिद्ध हो । नियुक्ति अधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे ।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित अभ्यर्थी को निम्नलिखित से उत्तम चरित्र का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है--

क--यथास्थिति विश्वविद्यालय अथवा विद्यालय जहाँ उसने अन्तिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्राक्टर अथवा प्रधान शैक्षिक अधिकारी से ।

ख--दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों और जो उसके निजी जीवन से भली भाँति परिचित हों तथा (क) से भिन्न हों । प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति अधिकारी जहाँ आवश्यक समझें अभ्यर्थी के चरित्र एवं प्रवृत्ति के विषय में पुलिस से अथवा किसी अन्य स्रोत से जाँच करवा सकता है ।

टिप्पणी

भारत सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण / परिषद् द्वारा अथवा राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रित किसी सांविधिक निकाय द्वारा सेवा से अलहदा कर दिया व्यक्ति सेवा योजन का पात्र नहीं होगा । किसी ऐसे अपराध जिसमें नैतिक पतन अंतग्रस्त हो दंडित व्यक्ति अथवा जिसके बंध-पत्र (बांड) शान्ति भंग के लिये जब्त किये जा चुके हैं भी अपात्र होंगे ।

11--वैवाहिक स्थिति

ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पत्नी जीवित हो सेवा में नियुक्त किये जाने के पात्र न होंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् यदि उसको इस बात से समाधान हो गया हो कि ऐसा करने का विशेष कारण है, किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

12--स्वस्थता

कोई भी व्यक्ति सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से भली-भाँति स्वस्थ और किसी ऐसे शारीरिक दोष से, जिससे कि उसके कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वाह में बाधा पड़ने की सम्भावना हो, मुक्त न हो । सेवा में नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व परिषद् के विनियमों के अनुसार और जब तक ऐसे विनियम न बन जायें, मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड दो भाग तीन के अध्याय 3 में संग्रहित नियमों के अनुसार स्वस्थता चिकित्सक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

भर्ती की प्रक्रिया

13--रिक्तियों का निर्धारण एवं सूचना

संयुक्त आवास आयुक्त एवं सचिव भर्ती के वर्ष के दौरान सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा विनियम-6 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेंगे । रिक्तियों के भरे जाने हेतु अधिसूचना प्रमुख समाचार पत्र/समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी ।

14--सीधी भर्ती के लिये कार्यविधि

(1) भर्ती के प्रयोजनार्थ आवास आयुक्त एक चयन समिति का गठन करेंगे ।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की छानबीन करेगी और पात्र अभ्यर्थियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा अथवा साक्षात्कार या दोनों में सम्मिलित होने की सूचना देगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर यह निर्णय कि किस स्तर तक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाय, चयन समिति द्वारा लिया जायेगा ।

(3) प्रतियोगितात्मक परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम तथा नियम आवास आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे ।

(4) प्रतियोगितात्मक परीक्षा होने पर उसमें प्राप्त अंक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर योग्यता क्रम सूची चयन समिति द्वारा तैयार की जायेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किये हों या लिखित परीक्षा होने पर उसमें अधिक अंक पाने वाले व्यक्ति को तथा लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर, अथवा लिखित परीक्षा न होने पर, अधिक आयु वाले व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान किया जायेगा । यह सूची नियुक्ति अधिकारी को भेज दी जायेगी ।

15--सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों को आवास आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा । शुल्क की वापसी के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

16--प्रोन्नति द्वारा भर्ती

(1) भर्ती के वर्ष में सेवा में रिक्तियों के निर्धारण होने पर, रिक्तियों के 50 प्रतिशत तक पद परिषद् के निम्न संवर्गों में से चयन करके पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे--

क--मुख्य सहायक

ख--लेखाकार

ग--सम्पत्ति निरीक्षक

घ--विधि निरीक्षक

(2) प्रोन्नति उपरोक्त संवर्गों में अनुपातिक विभाजन करके की जायेगी ।

(3) आवास आयुक्त उपरोक्त संवर्गों के अतिरिक्त परिषद् के अन्य संवर्गों के सेवा में भर्ती करने हेतु सक्षम होंगे तथा प्रत्येक संवर्ग से चयन की जाने वाली रिक्तियों की संख्या चयन से पूर्व निर्धारित करेंगे ।

(4) चयन हेतु निम्न पात्रता होगी--

क--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक

ख--विनियम 16 (1) व (2) के संवर्गों में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा ।

(5) सेवा में चयन द्वारा पदोन्नति पूर्णतया योग्यता के आधार पर की जायेगी जिसमें निम्न पर विचार किया जायेगा--

क--व्यक्तित्व तथा चरित्र

ख--बुद्धि, कार्यपटुता तथा उत्तरदायित्व लेने की क्षमता

ग--प्रभावशाली पर्यवेक्षण की क्षमता

घ--सत्यनिष्ठा

ङ--पूर्व सेवा : वृत्त

17--पदोन्नति द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी--

(1) पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के वर्ष में चयन हेतु तैयार की जायेगी ।

(2) आवास आयुक्त चयन हेतु एक समिति का गठन करेंगे ।

(3) चयन समिति के समक्ष पात्र अभ्यर्थियों की सूची उनके सेवा अभिलेखों के साथ प्रस्तुत की जायेगी तथा चयन समिति इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर या केवल सेवा अभिलेखों पर ही विचार करके एक योग्यता क्रम सूची रिक्तियों के बराबर बनायेगी । चयन समिति कुछ अभ्यर्थियों को जो रिक्तियों के आधे से अधिक न हो, प्रतीक्षा सूची पर भी रख सकती है । इस सूची को नियुक्ति अधिकारी को भेजा जायेगा ।

18--चयन सूची

विनियम 14 तथा 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियां ही चयन सूचियां बन जायेंगी और एक वर्ष के लिये अथवा उतने समय तक जब तक कि आगामी चयन में इनकी समीक्षा न की जाय प्रभावी रहेंगी ।

भाग--3 नियुक्तियां परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

19--अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति--

किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व अपेक्षित होगा कि वह--

(1) विनियम-10, 11 और 12 में निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें तथा

(2) निम्नलिखित बातों की घोषणायें प्रस्तुत कर दें :

क--परिषद् के अधीन सेवा योजित किसी व्यक्ति से उसकी रिश्तेदारी होने

ख--अपने ऋण ग्रस्त होने,

ग--परिशिष्ट (एक) में निर्धारित प्रपत्र में, पूर्ण और ठीक-ठीक विवरण सहित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे में जिसमें उसके स्वयं, परिवार के सदस्यों तथा आश्रितों के स्वामित्व वाली अथवा अर्जित गृह सम्पत्ति भी सम्मिलित होगी,

घ--परिशिष्ट "दो" में निर्धारित प्रपत्र में, संविधान के प्रति निष्ठा रखने

ङ--परिशिष्ट "तीन" में निर्धारित प्रपत्र में परिषद् की सेवा निष्ठा पूर्वक और विश्वास पूर्वक करने हेतु ।

20--नियुक्तियां

(1) रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी विनियम 18 में निर्दिष्ट चयन सूचियों से उसी क्रम से जिसमें उक्त सूचियों में अभ्यर्थियों के नाम रखे गये हों नियुक्तियां करेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, उप विनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में अस्थायी अथवा स्थानापन्न रिक्तियों में भी नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों में सम्मिलित कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी नियुक्तियां कर सकता है जो इन व्यक्तियों में से विनियमों के अधीन नियुक्ति हेतु पात्र हो । किन्तु ऐसी नियुक्ति छः मास से अधिक अवधि के लिये नहीं होगी और न तो इससे इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को सेवा में चलते रहने का कोई अधिकार प्रदत्त हो जायेगा अथवा ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई दावा मिल जायेगा । ऐसे अभ्यर्थी का आगे भी बना रहना उसके अगले चयन में चुने जाने पर ही निर्भर करेगा ।

21--परिवीक्षा

(1) इन विनियमों अथवा नियुक्ति के समय लागू विनियमों की व्यवस्था के अनुसार नियमित चयनों के आधार पर सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त किये गये सभी व्यक्तियों को, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों के अतिरिक्त हों, उनको नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण करने के दिन से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर पृथक पृथक मामलों में, जिस दिनांक तक यह वृद्धि स्वीकार की जाय उसे निर्दिष्ट करते हुए, परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकता है ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह कि विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी ।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा उसके अन्त में किसी समय ऐसा प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन ने अपने अवसरों का समुचित उपयोग नहीं किया है अथवा अन्यथा सन्तुष्ट करने में असफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, यदि वह

पर धारणाधिकार (लियन) न रखता हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) किसी परिवीक्षाधीन जिसे उप-विनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो अथवा जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हों, को कोई क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार/हक न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद, अथवा किसी अन्य समकक्ष/अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ जोड़ लिये जाने की अनुमति दे सकता है।

22—स्थायीकरण—

परिवीक्षाधीन को परिवीक्षा अवधि अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति के पद पर स्थायी कर दिया जायेगा यदि —

क—उसका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक रहा हो।

ख—उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो तथा,

ग—नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा योग्य है।

23—ज्येष्ठता

सेवा में ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निर्धारित की जायेगी और यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति एक साथ की गयी हो तो उनकी ज्येष्ठता निम्न प्रकार से निर्धारित होगी —

(1) सेवा में सीधे ही नियुक्त किये गये व्यक्तियों की आपस में ज्येष्ठता उसी प्रकार होगी जैसी की चयन के समय निश्चित की गयी हो,

(2) सेवा में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी जैसी कि वह उस संवर्ग में थी जिससे वे प्रोन्नत किये गये थे।

भाग—4 वेतन आदि

24—वेतनक्रम

(1) सेवा में पदों की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य, वेतन के क्रम, चाहे वे मौलिक अथवा स्थानापन्न पद पर हों अथवा अस्थायी, वही होंगे जैसा कि परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये।

(2) इन विनियमों के प्रारम्भ होने के समय वेतनक्रम रु० 690–40–1050–द० रो०–30–1300–द० रो०–60–1420 है।

25—विशेष वेतन प्रतिकर भत्ता आदि—

विनियम 27 में वर्णित वेतन के अतिरिक्त सेवा में नियुक्त व्यक्ति को ऐसा विशेष वेतन, प्रतिकर भत्ता आदि भी दिया जायेगा जैसा कि परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों और निबन्धनों के अधीन स्वीकृत किया जाय।

26—आरम्भिक वेतन—

सेवा के सदस्य का आरम्भिक वेतन उसे अनुमन्य वेतन क्रम का न्यूनतम होगा। वेतन के समयमानों में आरम्भिक वेतन नियत किये जाते समय, किसी पद के समयमान में जो सेवा के संवर्ग में सम्मिलित हो, पहले से की जा चुकी स्थानापन्न सेवा का ध्यान रखा जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्य के मामले में जो पहले ही परिषद की सेवा में हो, आरम्भिक वेतन विनियम 32 की व्यवस्था, के अनुरूप निश्चित किया जायेगा।

27—परिवीक्षा कालीन वेतन—

(1) परिषद के विशेष विनियमों में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर उसे अनुमन्य समयमान में वेतन वृद्धि का आहरण करेगा किन्तु शर्त यह है कि उसका कार्य सन्तोषजनक बताया गया हो। यदि सन्तोषजनक प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जाती है, तो जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति का परिवीक्षा अवधि का वेतन, जो सेवा में भर्ती किये जाने के पूर्व परिषद के सेवा में पहले से ही मौलिक पद धारण करता हो, विनियम 32 में उल्लिखित संगत नियमों अथवा विनियमों के अनुसार नियत किया जायेगा।

28—दक्षता रोकों को पार करने में मापदण्ड तथा प्रवरण श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड)—

(1) किसी दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने अपनी कुशलताओं से और अपनी संपूर्ण योग्यताओं से कार्य न किया हो, तथा उसका कार्य एवं आचरण पदों के अनुरूप हो।

29—(1) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त पदधारक ऐसी शर्तों और निबन्धनों द्वारा नियंत्रित होंगे, जैसी कि परिषद और राज्य सरकार के बीच अथवा अन्य प्राधिकारियों के बीच तय की गयी हो अथवा तय की जाय जब तक कि वे परिषद की सेवा में अन्तर्लयित न कर लिये जायं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्तियों जिन्हें परिषद के अधीन अन्तर्लयित किया जाता है की सेवा की शर्तें परिषद के विनियमों द्वारा शासित होंगी और जिस संवर्ग में वे अन्तर्लयित किये जाते हैं उसमें उनकी ज्येष्ठता ऐसी रीति से नियत की जायेगी जैसी कि अन्तर्लयन के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जाय।

(2) उन व्यक्तियों की सेवा की शर्तें जो ऐसे स्थानीय निकायों जिनके अधीन वे सेवायोजित थे, को भंग कर दिये जाने के कारण अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर परिषद् में नियुक्त हों तथा जो सेवा के संवर्ग में पदों को धारण करते हों या धारण करें, इन्हीं विनियमों द्वारा शासित होंगी।

(3) जब कभी परिषद् राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 93 (1) के अधीन उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विघटित कर दिया जाय, सेवा के सदस्यों चाहे वह स्थायी हों अथवा अस्थाई, की सेवायें ऐसे विघटन के दिनांक से बिना सूचना दिये समाप्त हो जायेंगी और ऐसी समाप्ति पर सेवा के सदस्य केवल ऐसा ही लाभ पाने के हकदार होंगे जो उन्हें इन विनियमों की व्यवस्था के अधीन संगत हो तथा वे अन्य किसी लाभ, प्रतिकर अथवा क्षतिपूर्ति के हकदार न होंगे।

भाग-पांच—अन्य व्यवसायें तथा उपबन्ध

30—मताग्रह—

भर्ती के लिये किसी भी संस्तुति पर चाहे वह लिखित हो अथवा मौखिक जो इन विनियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुतियों से भिन्न होगी, कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा और अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थता के लिये प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के लिए किया गया कोई प्रयास उसके अनर्हता में होगा।

31—स्थानान्तरण—

सेवा के सदस्य को उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है तथा नियुक्ति के उपरान्त किसी भी समय उत्तर प्रदेश के अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

32—अवशिष्ट मामले—

इन विनियमों अथवा उनके अधीन किये गये अथवा जारी किये गये आदेशों अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट न किये गये मामलों के संबंध में सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्ति उन्हीं नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे जो परिषद् सेवा में नियुक्त कर्मचारियों पर सामान्यतया लागू होते हों।

33—सेवा की शर्तों का शिथिलीकरण—

जहां परिषद् का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों से संबंधित किसी विनियम का प्रवर्तन किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, वह उस मामले में प्रयोज्य विनियमों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस विनियम की अपेक्षाओं से ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि परिषद् मामले में न्यायपूर्ण तथा समानता पूर्ण रीति से निपटाने हेतु आवश्यक समझें, मुक्ति प्रदान कर सकता है या शिथिल कर सकता है।

परिशिष्ट "एक"

देखिये विनियम 10(2)(ग)

घोषणा पत्र

"क"

(उन व्यक्तियों के लिये जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी न हों)

एतद्द्वारा मैं घोषित करता हूं कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि एतद्द्वारा मैं किसी अचल सम्पत्ति का अर्जन करता हूं, तो मैं इस तथ्य की घोषणा इस दिनांक से एक माह के भीतर कर दूंगा जिस दिनांक को सम्पत्ति का प्राप्त होना (

) मेरी जानकारी में आया हो)।

हस्ताक्षरित ——————————
पदनाम ——————————
दिनांक :——————————

"ख"

(उन व्यक्तियों के लिये जो अचल सम्पत्ति का स्वामी हों)

एतद्द्वारा मैं घोषित करता हूं कि मैं निम्नांकित अचल सम्पत्ति पर स्वामित्व रखता हूं :

भू-सम्पत्ति

स्थान जहां भूमि स्थित है							
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्र एकड़ों में	अर्जित अथवा पैतृक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

मद संख्या 246/6
प्रशासन अनुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः— **वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन।**

शासनादेश संख्या–4/2018/जी–1–103/दस– 2018–227–2008 दिनांक 18.07.2018 **(परिशिष्ट संख्या–1)** द्वारा वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन करने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. शासनादेश संख्या–4/2018/जी–1–103/दस– 2018–227–2008 दिनांक 18.07.2018 में यह उल्लिखित है कि वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या 62/2016/वे0आ0–2–2643/दस–04 (एम)/2016 दिनांक 16.12.2016 द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमान से आच्छादित पदो को छोडकर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता दिनांक 01.7.2018 से अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:—

मैट्रिक्स लेवल	नगर प्रतिकर भत्ते की दरें (रूपया)			
	कानपुर, लखनऊ, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र)	वाराणसी, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद (नगरीय क्षेत्र)	बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा अलीगढ (नगरीय क्षेत्र)	शेष जिला मुख्यालय तथा अन्य नगर जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक है (नगरीय क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	340	240	160	100
2 से 5 तक	480	360	240	160
6 से 8 तक	720	540	360	240
9 एवं इससे ऊपर के लेवल	900	720	600	400

3. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–4/2018/जी–1–103/दस–2018–227–2008 दिनांक 18.07.2018 में अन्य उल्लिखित तथ्य निम्नवत है:—

(1) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन बैण्ड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन / वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।

(2) ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त है, को नगर प्रतिकर भत्ता लखनऊ नगर में अनुमन्य नगर प्रतिकर भत्ते के समान होगा।

(3) ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0,ए0 आई0 सी0 टी0 ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदो को छोडकर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों,

जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात सेवा में नियुक्त हुये हो के नगर प्रतिकर भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगे।

(5) **यह आदेश दिनांक 01.07.2018 से लागू होगें।**

4. प्रस्तुत प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–4/2018/जी–1–103/दस– 2018–227–2008 दिनांक 18.07.2018 द्वारा संशोधित दरो पर नगर प्रतिकर भत्ता की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त (सामान्य) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश की प्रति, शासन में परिषद के प्रशासकीय विभाग–आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के माध्यम से परिषद में प्राप्त नहीं हुई है परन्तु पूर्व में परिषद की सुदृढ वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत ही अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–283/ आठ–2–18–3एच0बी0 (187)/2016 दिनांक 28.02.2018 सपठित सार्वजनिक उद्यम अनुभाग के शासनादेश संख्या–1/2017/ 1415/44–1–2016–53/2016 दिनांक 03.01.2017 एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–67/ 2016/ वे0आ0–2–1447/दस–04 (एम)/2016 दिनांक 22.12.2016 द्वारा परिषद कार्मिको को सातवें वेतनमान लागू किए जाने हेतु शासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी और परिषद कार्मिकों को कार्यालय आदेश संख्या 732/प्रशा0–एक–981/2016 दिनांक 09.03.2018 **(परिशिष्ट संख्या–2)** द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ अनुमन्य हो रहा है।

5. परिषद कर्मियों को नगर प्रतिकर भत्ता के भुगतान प्रकरण में परिषद की आन्तरिक वित्तीय क्षमता एवं नगर प्रतिकर भत्ता के भुगतान में पड़ने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने हेतु परिषद के सक्षम होने के बिन्दु पर परिषद के वित्त अनुभाग का अभिमत है कि "शासनादेश के क्रम में मैट्रिक्स लेवलवार परिषद के बजट में अंकित कार्यरत कर्मियों की संख्या के आधार पर नगर प्रतिकर भत्ते का आगणन किया गया है जिस पर रू0 2,39,250/– प्रतिमाह एवं रू0 28,71,000/– लगभग वार्षिक व्यय भार होना संभावित है।"

5. अतएव शासनादेश संख्या–4/2018/जी–1–103/ दस–2018–227–2008 दिनांक 18.07.2018 पर प्रस्तुत उक्त वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहें, एवं परिषद में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता का भुगतान दिनांक **01.07.2018 से** अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

(नीलम)
उप आवास आयुक्त (प्रशा0)

(धर्मेन्द्र वर्मा)
वित्त नियंत्रक

(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

संख्या-04/2018/जी-1-103 /दस-2018-227/2008

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई 2018

विषयः- वेतन समिति (2018) की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोडकर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मैट्रिक्स लेवल	नगर प्रतिकर भत्ते की दरें (रूपया)			
	कानपुर, लखनऊ, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र)	वाराणसी, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद (नगरीय क्षेत्र)	बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा अलीगढ (नगरीय क्षेत्र)	शेष जिला मुख्यालय तथा अन्य नगर जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक है (नगरीय क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	340	240	160	100

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2 से 5 तक	480	360	240	160
6 से 8 तक	720	540	360	240
9 एवं इससे ऊपर के लेवल	900	720	600	400

3- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन बैण्ड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।

4- ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त है, को नगर प्रतिकर भत्ता लखनऊ नगर में अनुमन्य नगर प्रतिकर भत्ते के समान होगा।

5- ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुये होंके नगर प्रतिकर भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

6- यह आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू होंगे।

भवदीय,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-04/2018/जी-1-103 (1)/दस-2018, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
(2) महालेखाकार-1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन प्रतियों में)
(5) सचिव, श्री राज्यपाल।
(6) विधान सभा/परिषद सचिवालय
(7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

प्रशासन अनुभाग

104—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ—226001

संख्या: 732 /प्रशा0—एक—981/2016 दिनांक: 09-03-2018

कार्यालय आदेश

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 283/आठ—2—18—3एच0बी0(187)/2016 दिनांक 28.02.2018 सपठित सार्वजनिक उद्यम अनुभाग के शासनादेश संख्या—1/2017/1415/44—1—2016—53/2016 दिनांक 03.01.2017 एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—67/2016/वे0आ0—2—1447/दस—04 (एम)/2016 दिनांक 22.12.2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि (28.02.2018) से नगद एवं दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 27.02.2018 तक शासनादेश दिनांक 22.12.2016 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

2. अतः शासनादेश दिनांक 28.02.2018 एवं उसमें व्यक्त शासनादेशों एवं नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नवत् शासनादेश भी संलग्न हैः—

1. शासनादेश संख्या 283/आठ—2—18—3एच0बी0 (187)/2016 दिनांक 28.02.2018,
2. शासनादेश संख्या—1/2017/1415/44—1—2016—53/2016 दिनांक 03.01.2017,
3. शासनादेश संख्या 67/2016/वे0आ0—2—1447/दस—04 (एम)/2016 दि0 22.12.2016.

3. नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी उक्त का अनुपालन करते हुए अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नकः— यथोक्त।

ह0/

(धीरज साहू)
आवास आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग—1, उ0प्र0 शासन।
3. वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद् नियोजक/ सम्पत्ति प्रबन्धक (विधि)।
4. अपर आवास आयुक्त/अपर निबन्धक/सं0 आ0 आयुक्त/समस्त उप आवास आयुक्त।
5. निदेशक/समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/उप निदेशक।
6. समस्त वास्तुविद नियोजक/सम्पत्ति प्रबन्धक।
7. वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी/सम्परीक्षण अधिकारी,मुख्यालय।
8. मुख्यालय के समस्त अनुभागाध्यक्ष/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
9. मा0 अध्यक्ष महोदय/आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/उप आवास आयुक्त आयुक्त(प्रशा0) के निजी सचिव/आशुलिपिक।
10. प्रशासन अनुभाग के समस्त पटल सहायक।
11. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
12. मैसेज बोर्ड।

9.3.18

(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

संख्या- [illegible] /आठ-2-18-3पवि0(?)/2018 [illegible]

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2018

विषय- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-123/प्रशा0-एक-981/2016 दिनांक 07-02-2017 एवं तत्क्रम में पत्र संख्या-13/प्रशा0-एक-981/2016 दिनांक 22-05-2017 तथा पत्र संख्या- 19/ प्रशा0-एक-981/2016 दिनांक 23-01-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016, दिनांक 03-01-2017 में की गयी व्यवस्था के अनुसार सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की व्यवस्था दिनांक 01-01-2016 से सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 03-01-2017 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

(1) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-67/2016/ वे0आ0-1447/दस-04(एम)/ 2016 दिनांक 22 दिसम्बर,2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार होगा।

(2) सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा शासनादेश दिनांक 22-12-2016 के साथ संलग्न प्रारूप पर वचनबद्ध अपने कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा, जो कि कार्मिक की सेवापुस्तिका में चस्पा किया जायेगा।

(3) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण की कार्यवाही वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा निर्गत

शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 में निहित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

(4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016,दिनांक 03-01-2017 के अनुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू की जायेगी।

(5) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स मे भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से नकद दिया जायेगा तथा 01-01-2016 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर,2016 के प्रस्तर-10 के अनुसार कर्मचारी के विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में अथवा भविष्य निर्वाह निधि (जी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा।

(6) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किये जाने पर आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा और इस हेतु कोई शासकीय अनुदान देय न होगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या -ई-8- 460/दस-18 दिनांक 22फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 283 (1)/आठ-2-18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट) I एवं II उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2,
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 2/2018 / जी-2- 24 /दस-2018-01(वे0सं0)/2017

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2018

विषय:- पदोन्नति पर मूल नियम-22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि का विकल्प।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या-8/2017/जी-2-75/दस-2017-01(वे0सं0)/2017 दिनांक 07 जून, 2017 द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सरकारी सेवक की प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0 के व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को मूल नियम-23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम-22(बी)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प यथावत उपलब्ध रहने संबंधी निर्देश निर्गत किए गए हैं एवं शासनादेश संख्या-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0सं0)/2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 07 जून, 2017 के क्रम में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

2- उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों द्वारा निर्धारित वेतन निर्धारण की प्रक्रिया व आगामी वेतनवृद्धि की तिथि के विनियमन की व्यवस्था को निम्नवत स्पष्ट करते हुए आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है जिसके फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 07 जून, 2017 एवं दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 (उदाहरण सहित) इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे एवं किए जा रहे प्राविधानों से संदर्भगत शासनादेशों के प्राविधान व उदाहरण जिस सीमा तक भिन्न हैं, उस सीमा तक निष्प्रभावी माने जायेंगे :-

(क)-- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07-06-2017 एवं दिनांक 10-10-2017 में उल्लिखित मूल नियम 22(बी)(1) का आशय वस्तुतः मूल नियम 22-बी(1) से है और शासनादेश के निर्वचन में इसी नियम का संदर्भ लिया जाय। इसके अतिरिक्त दिनांक 01-01-2016 से लागू किए गए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में

प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन की दशा में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया वही मानी जायेगी जैसा कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-9 में निर्धारित है।

(ख)-- ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत दिनाक 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की तिथि को ही वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया हो और तदनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाय तो उन्हें आगामी 01 जनवरी को वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब उनके द्वारा दिनांक 01 जुलाई को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गयी हो। किन्तु यदि उक्त सरकारी सेवक द्वारा 01 जुलाई की अपनी वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारित करने का विकल्प दिया जाय और उक्त नियम के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाय तो इस स्थिति में अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष बाद ही देय होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक को दिनांक 01 जुलाई को पहले अपने पूर्व पद के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल) में सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी और तत्पश्चात मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारित होगा।

इसी प्रकार ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत दिनांक 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की तिथि को ही वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया हो और तदनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाय तो उन्हें आगामी 01 जुलाई को वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब उनके द्वारा दिनांक 01 जनवरी को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गयी हो। किन्तु यदि उक्त सरकारी सेवक द्वारा 01 जनवरी को अपनी वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारित करने का विकल्प दिया जाय और उक्त नियम के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाय तो इस स्थिति में अगली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वेतनवृद्धि एक वर्ष बाद ही देय होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में संबधित सरकारी सेवक को दिनांक 01 जनवरी को पहले अपने पूर्व पद के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल) में सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी और तत्पश्चात मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारित होगा।

3- उक्त के संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन प्रकरणों में उक्तवत प्रतिपादित व्यवस्था से भिन्न वेतन निर्धारण किया जा चुका हो उनमें त्वरित कार्यवाही करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि को संबंधित कार्मिक के आगामी भुगतानों में से समायोजित कर लिया जायेगा।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0सं0)/2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के प्रस्तर-3 के अंतर्गत प्रदत्त विकल्प देने की सुविधा को इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर पुनः दिया जा सकेगा अथवा पूर्व में दिए गए विकल्प को संशोधित किया जा सकेगा।

भवदीय,

एम0पी0 अग्रवाल

सचिव

संख्या- 2/2018 / जी-2- 24 (1) /दस-2018-01(वे0स0)/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, (प्रथम/द्वितीय) ।
(2) प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) निदेशक, प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र

विशेष सचिव

संख्या-2/2018/वे0आ0-2-78/दस-2018-04(एम)/2016

प्रेषक

मुकेश मित्तल,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 31 जनवरी 2018

विषय - पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से भाग-4 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित की गई। उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 में वेतन मैट्रिक्स में नियुक्ति/पदोन्नति/ए0सी0पी0 प्राप्त होने पर अगली वेतनवृद्धि की तिथि निर्धारित की गई है। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 को निम्नवत् प्रतिस्थपित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :--

वेतन मैट्रिक्स में अगली वेतनवृद्धि की तिथि

(1) 01 जुलाई की विदयमान तिथि के स्थान पर वेतनवृद्धि की दो तिथियॉ होंगी अर्थात प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या ए0सी0पी0 प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।

(2) ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनियिचत कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को आगामी 01 जनवरी को वेतनवृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी, कि उसे 01 जुलाई को वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो और ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को आगामी 01 जुलाई को वेतनवृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि उन्हें 01 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो।

उदाहरण

(क) ऐसे कर्मचारी जिन्हे दिनांक 02 जुलाई 2016 और 01 जनवरी 2017 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली 01 जुलाई 2017 को वेतनवृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी, कि उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2017 को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गई हो और इसके बाद वेतनवृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जुलाई 2018 को देय होगी।

(ख) ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिनांक 02 जनवरी 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी 2017 को इस शर्त के अधीन देय होगी कि उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2016 को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गई हो और इसके बाद वेतनवृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जनवरी 2018 को देय होगी।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन मैट्रिक्स मे मूलवेतन दिनांक 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है और वह उसी लेवल में बने हुए हैं तो उस लेवल में अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2016 को देय होगी और इसके उपरान्त अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी।

2- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

मुकेश मित्तल

सचिव।

संख्या-2/2018/वे0आ0-2-78(1)/दस-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II उ0प्र0

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

इलाहाबाद।

2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2017

विषय :-- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के फलस्वरूप अवशेष देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निर्गत संकल्प दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के उप प्रस्तर-17(i) एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या- संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10(i) में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स एवं मँहगाई भत्ता के देय अवशेष का भुगतान किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, जिसे शासनादेश संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886/दस-2017-04(एम)/2017, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा परिवर्तित करते हुये यह व्यवस्था की गयी थी कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय अवशेष के 50 प्रतिशत अंश, जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष-2017-18 के माह अक्टूबर में किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, का भुगतान माह दिसम्बर, 2017 के उपरान्त किया जायेगा।

उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक के अवशेष के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में तथा 50 प्रतिशत अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जायेगा।

.....2/

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या- संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/ 2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886/दस-2017-04(एम)/2017, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

अवदीय,

मुकेश मित्तल
सचिव।

<u>संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149(1)/दस-04(एम)/2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)- I, एवं II तथा (आडिट)- I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में उपरोक्तानुसार आदेश निर्गत कराने का कष्ट करें।

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

7- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।

गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2017/वे0आ0-2-563/दस-2017-04(एम)/2017

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 जुलाई, 2017

विषय:- दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के संदर्भ में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2016 के सादृश्य शासनादेश संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें ग्रेड वेतन रू0 8700/- के लिये तालिका लेवल-13 निर्धारित था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 मई 2017 द्वारा ग्रेड वेतन रू0 8700/- के लिये निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 को संशोधित कर दिया गया है।

2. भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 16 मई 2017 के क्रम में शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700/- के लिये संलग्नक की तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित मैट्रिक्स लेवल-13 की कोष्ठिकाओं को स्तम्भ-3 के अनुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त संशोधन से हुए वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप देय वेतन के अवशेष का भुगतान शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है।

22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-10 की व्यवस्थानुसार दो वित्तीय वर्षों में किया जायेगा।

4- उपर्युक्त क्रम में राज्य के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016, एवं वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका का लेवल-13 उक्त सीमा तक संशोधित समझें जायेंगे।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-11/2017/वे0आ0-2-563(1)/दस-2017-04(एम)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-I एवं II तथा आडिट- I एवं II, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-11/2017/वे0आ0-2-563/दस-2017-04(एम)/2017 दिनांक 27 जुलाई, 2017 का संलग्नक।

क्र0 सं0	शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये निर्धारित मैट्रिक्स लेवल-13	ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये प्रतिस्थापित मैट्रिक्स लेवल-13
(1)	(2)	(3)
1	118500	123100
2	122100	126800
3	125800	130600
4	129600	134500
5	133500	138500
6	137500	142700
7	141600	147000
8	145800	151400
9	150200	155900
10	154700	160600
11	159300	165400
12	164100	170400
13	169000	175500
14	174100	180800
15	179300	186200
16	184700	191800
17	190200	197600
18	195900	203500
19	201800	209600
20	207900	215900
21	214100	

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-6/2017/वे0आ0-2-03-वी0आई0पी0-/दस-2017

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,
सचिव, उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2017

विषय :-- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों के लिये शासनादेश संख्या- 65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा की गयी थी। उक्त व्यवस्था किये जाने के उपरन्त वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि दिये जाने एवं पूर्व प्रस्तुत विकल्प को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जिज्ञासाओं एवं दृष्टिगोचर हो रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है :--

संदर्भ बिन्दु / कठिनाई	स्पष्टीकरण
(1)	(2)
शासनादेश संख्या-जी-2-212/दस-2009-333-86 दिनांक 03 मार्च 2009 द्वारा किसी कर्मचारी की पदोन्नति होने पर पदोन्नति की तिथि से मूल नियम-22 बी (1) की व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा प्रोन्नति की तिथि को मूल नियम-22 ए (1) की व्यवस्थानुसार तथा निम्न पद की वेतनवृद्धि की तिथि से मूल नियम-22बी (1) के अन्तर्गत वेतन पुनर्निर्धारण किये जाने के विकल्प की व्यवस्था की गयी थी। ऐसे कर्मचारी जिनकी पदोन्नति दिनांक 01 जनवरी 2016 एवं पुनरीक्षित वेतन	जी हॉ ऐसे कार्मिक जिनकी पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता दिनांक 01 जनवरी 2016 तथा शासनादेश संख्या- 67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के मध्य हुई है और उनके द्वारा पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता की तिथि को मूल नियम-22 ए (1) के अनुसार तथा पूर्व पद/ वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तिथि को वेतन निर्धारित किये जाने का विकल्प दिया गया था उनके द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मैट्रिक्स अनुमन्य कराये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के निगर्मन की तिथि तक होने पर उनके द्वारा निम्न पद की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारित कराये जानेका विकल्प प्रस्तुत किया गया था, जो पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उनके लिये हानिकारक हो गया है। क्या ऐसे कर्मचारियों द्वारा संशोधित विकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है।	की तिथि से एक माह की अवधि में, पूर्व में दिये गये विकल्प को परिवर्तितकिया जा सकता है।
ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति/पदोन्नति /वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 02 जनवरी 2015 से 01 जुलाई 2015 के मध्य अनुमन्य हुआ है क्या ऐसे कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से एक वेतनवृद्धि देय होगी।	शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी की गयी है। अत: ऐसे कार्मिक, जिनकी नियुक्ति/ पदोन्नति/ वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 02 जनवरी, 2015 से 01 जुलाई, 2015 के मध्य अनुमन्य हुआ है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में दिनांक 01 जनवरी, 2016 को कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

भवदीय

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-6/2017/वे0आ0-2-03-वी0आई0पी0-(1)/दस-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-I एवं II आडिट-I एवं II, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव,श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।

3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ।

6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश ।

7- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

8- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग/ इरला चेक अनुभाग।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या:3/2017/वे0आ0-2-211/दस-35(एम)/2008टी0सी0

लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वॉछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-370/दस-2008 दिनांक 20 अगस्त 2008 द्वारा सृजित वरिष्ठ शोध अधिकारी वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/- -सादृश्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल-11 (रू0 67700-208700) के एक संवर्गीय पद का कार्यकाल अन्तिम बार कार्यालय-ज्ञाप सं0-वे0आ0-2-775/दस-2016-35(एम)/ 2008टी0सी0 दिनांक 27 जून 2016 द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2017 तक के लिए बढ़ाया गया था। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वरिष्ठ शोध अधिकारी के उपर्युक्त संवर्गीय पद का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी 2018 तक के लिये यदि इसके पूर्व ही इस पद को समाप्त न कर दिया जाय बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त पद के पदधारक को सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स में वेतन के अतिरिक्त मॅहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृति किये जाये अनुमन्य होंगे।

3- उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेतर-105-विशेष जांच आयोग-03--राज्य आयोग और समितियॉ-0301- वेतन समिति का गठन के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

अजय अग्रवाल

सचिव।

<u>संख्या:3/2017/वे0आ0-2-211(1) /दस-35(एम)/2008टी0सी0 तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

3- इरला चेक अनुभाग उ0प्र0 शासन।

4- लेखाकार-कम कोषाध्यक्ष कार्यालय वेतन समिति (दो प्रतियों में)

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

6- सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/5

आज्ञा से

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम के प्रशासनिक
विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 03 जनवरी, 2017

विषय-वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं की स्वीकृति।

महोदय,

वेतन समिति, 2016 के प्रथम प्रतिवेदन में उपर्युक्त विषयक की गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिए गये हैं:-

(1) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की वर्तमान में लागू व्यवस्था के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स की व्यवस्था दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संलग्न वेतन मैट्रिक्स (संलग्नक-1) के अनुसार सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 1105/44-1-2009-77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 की उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जाये:-

(i) अनुमन्यता के वर्ष के तीन वर्ष पूर्व के वर्ष तक के लेखे महालेखाकार से सम्पेक्षित (Audited) हों तथा यह ए0जी0एम0 द्वारा स्वीकार कर लिये गये हो।

(ii) उपक्रम /निगम जिनमें संचित हानि है, द्वारा उक्तानुसार तीन वर्षों में लगातार शुद्ध लाभ अर्जित किया गया हो। सम्बन्धित उपक्रम/निगम के प्रबन्ध तन्त्र, शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग /सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि उक्त उपक्रम/निगम वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने की स्थिति में है।

(iii) उपक्रम/निगम जिनमें संचित हानि नहीं है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपक्रम/निगम के प्रबन्ध तंत्र, शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग/ सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि उक्त उपक्रम/निगम वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप आने वाले व्यय भार को वहन करने की स्थिति में हैं।

(iv) आयकर तथा अन्य केन्द्रिय कर, पेंशन अंशदान (ई0पी0एफ0) आदि तथा अन्य स्टेटयूटरी दायित्वों का नियमित भुगतान किया जा रहा हो।

(v) जो उपक्रम/निगम बी0आई0एफ0आर0 को सन्दर्भित है और उनके द्वारा पंजीकृत कर लिये गये है, वहां पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(vi) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

(2) ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम, जहां दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड की व्यवस्था लागू नहीं की गयी है और वह दिनांक 01 जनवरी, 1996 अथवा 01 जनवरी, 2006, जैसी भी स्थिति हो, से वेतनमानों का पुनरीक्षण काल्पनिक आधार पर मानते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स का लाभ उपर्युक्त प्रस्तर-1(1) की शर्तों एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति पर अनुमन्य कराया जायेगा।

(3) राज्य कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में वेतन निर्धारण एवं वार्षिक वेतनवृद्धियां अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था को सार्वजनिक उपक्रम/निगम के कार्मिकों के लिए भी लागू किया जायेगा।

(4) सार्वजनिक उपक्रम/निगम के कार्मिकों को राजकीय कर्मियों के सादृश्य महंगाई भत्ता अनुमन्य कराये जाने हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सूची उनकी वित्तीय स्थिति को संज्ञान में रखते हुए तैयार करेगा, जो राजकीय कर्मियों के सादृश्य महंगाई भत्ते की किश्त के भुगतान किये जाने से आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने में सक्षम है। इस सूची का पुनरावलोकन प्रत्येक दो वर्ष में अवश्य किया जायेगा। इस सूची के सार्वजनिक उपक्रमों/निगम के कार्मिकों को राजकीय कर्मियों के सादृश्य महंगाई भत्ते की किश्त उनके संचालक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करते हुए स्वीकृत किया जायेगा।

उपर्युक्त सूची से भिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के कार्मिकों को राजकीय कर्मियों के सादृश्य महंगाई भत्ता सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2009 एवं 07 अक्टूबर, 2009 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था यथावत रहेगी।

(5) सार्वजनिक उपक्रम/निगम के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में राज्य कर्मचारियों के सादृश्य महंगाई भत्ते को छोडकर वर्तमान में मिल रहे अन्य भत्ते/सुविधाओं को पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में यथावत बनाये रखा जायेगा।

(6) राजकीय कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रभावी की गयी समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था को सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के कार्मिकों पर इस प्रतिबन्ध के अधीन लागू किया जायेगा कि प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में पूर्व से गठित अधिकृत समिति द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इससे अतिरिक्त आने वाले व्यय भार को सम्बन्धित उपक्रम/निगम वहन करने में सक्षम है।

(7) सार्वजनिक उपक्रम/निगम के ऐसे कार्मिक जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते है, उन्हें आगे वार्षिक वेतनवृद्धियां स्वीकृत न की जाये।

(8) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के ऐसे पद जिन पर राजकीय कर्मियों के समान पेंशन/अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ की सुविधा अनुमन्य है, उनकी पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ, राज्य कर्मचारियों के लिए लागू व्यवस्था के अनुरूप अनुमन्य कराये जायेंगे। ऐसे कार्मिक, जिन्हें राजकीय कर्मियों से भिन्न पेंशन की सुविधा

अनुमन्य है अथवा जिन्हें पेंशन की सुविधा अनुमन्य नहीं है, ऐसे कार्मिकों के लिए फिलहाल पूर्व से लागू व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जायेगा।

(9) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की पदवार/संवर्गवार संस्तुतियां वित्त विभाग से अलग से प्राप्त होने पर यथासमय कार्यवाही की जायेगी।

(10) उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप देय अवशेष के भुगतान हेतु राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित व्यवस्था से आकर्षक व्यवस्था लागू नहीं की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु अपने नियन्त्रणाधीन निगम/उपक्रम के निदेशक मण्डल से प्रस्ताव प्राप्त कर सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्तरों में लिखित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक उद्यम/वित्त विभाग के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3- उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार समिति की संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई असंगति अथवा व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो तो उनका निराकरण मा0 मुख्यमंत्री के आदेश प्राप्त कर किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-2689/दस-2016, दिनांक 29 दिसम्बर 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2017/1415(1)/44-1-2016-53/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (03 प्रतियों में)
2- गोपन अनुभाग-1
3- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2/आडिट प्रकोष्ठ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना मुख्यमंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
6- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- सचिव, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या वे0आ0-2-1432/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मा0 मंत्रि-परिषद के आदेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 के अनुपालन में अपेक्षानुसार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

आज्ञा से,

(हरिराज किशोर)
अपर मुख्य सचिव।

शासनादेश संख्या- 1415/44-1-2016-53/2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 का संलग्नक-1

वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900

40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

15600–39100			37400–67000			67000–79000
5400	6600	7600	8700	8900	10000	
10	11	12	13	13क	14	15
56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200
57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700
59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300
61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600
69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100
71100	85800	99800	150200	166100	182700	
73200	88400	102800	154700	171100	188200	
75400	91100	105900	159300	176200	193800	
77700	93800	109100	164100	181500	199600	
80000	96600	112400	169000	186900	205600	
82400	99500	115800	174100	192500	211800	
84900	102500	119300	179300	198300	218200	
87400	105600	122900	184700	204200		
90000	108800	126600	190200	210300		
92700	112100	130400	195900	216600		
95500	115500	134300	201800			
98400	119000	138300	207900			
101400	122600	142400	214100			
104400	126300	146700				
107500	130100	151100				
110700	134000	155600				
114000	138000	160300				
117400	142100	165100				
120900	146400	170100				
124500	150800	175200				
128200	155300	180500				
132000	160000	185900				
136000	164800	191500				
140100	169700	197200				
144300	174800	203100				
148600	180000	209200				
153100	185400					
157700	191000					
162400	196700					
167300	202600					
172300	208700					
177500						

संख्या-67/2016/वे0आ0-2- 1447 /दस-04(एम)/2016

प्रेषक,

श्री अजय अग्रवाल

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016

विषयः- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से 4 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू की गयी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स (संलग्नक-1) में वेतन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

1. प्रत्येक कर्मचारी, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 को राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार किया जायेगा, परन्तु

   कोई सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान में उसकी अगली वेतनवृद्धि या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक, वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में वेतन प्राप्त करने के विकल्प का चयन कर सकता है।

   ऐसे मामलों में जहाँ सरकारी सेवक को दिनांक 01 जनवरी 2016 तथा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

ऐसे मामलों में जहाँ किसी सरकारी सेवक के पद के ग्रेड वेतन का उच्चीकरण दिनांक 01 जनवरी, 2016 एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, वहाँ उसे यह विकल्प होगा कि वह ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

<u>स्पष्टीकरण-1</u> वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में ही स्वीकार्य होगा।

<u>स्पष्टीकरण-2</u> उपर्युक्त के अनुसार विकल्प की सुविधा दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में किसी पद पर प्रथम नियुक्त होने वाले कार्मिक अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी कार्मिक के लिये स्वीकार नहीं होगा और उसे केवल पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

<u>स्पष्टीकरण-3</u> जहाँ कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम-22 या किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलम्बित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

विकल्प का चयन

2\. (1). उपर्युक्त प्रस्तर-1 के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक को अपना विकल्प लिखित रूप से निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) पर देना होगा। यह विकल्प सम्बन्धित कार्मिक के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतनपर्ची जारी करने वाले अधिकारी, जो भी सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका रखता हो, को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर पहुँच जाना चाहिए,

परन्तु

(i) ऐसे सरकारी सेवक जो उक्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि को अवकाश पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर देश के बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जायेगा कि वह, भारत में उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन माह के अन्दर उक्त प्राधिकारी के पास पहुँच जाय।

(ii) सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी दिनांक 01 जनवरी 2016 को

यदि निलम्बन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अन्दर कर सकता है।

(2). सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा अपने विकल्प की सूचना इस शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक-3) पर एक वचनबंध (Undertaking) के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जायेगी। कार्यालय प्रमुख/वेतन निर्धारण करने वाला अधिकारी वचनबंध प्राप्त किये बिना सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण नहीं करेंगे। वचनबंध को सम्बन्धित कर्मी की सेवा पुस्तिका में सुरक्षित रखना उक्त अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(3). यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपना विकल्प इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह की अवधि में सम्बन्धित प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि उसने दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर लिया है।

(4). एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

<u>टिप्पणी-1</u> ऐसे व्यक्तियों, जिनकी सेवायें दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात समाप्त कर दी गयी थीं और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, वह उपर्युक्त प्रस्तर के अधीन विकल्प चयन के हकदार होगें।

<u>टिप्पणी-2</u> ऐसे व्यक्तियों, जिनकी दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात मृत्यु हो गयी, जिसके कारण वह नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिये सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तिथि से इस संशोधित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर लिया है।

<u>टिप्पणी-3</u> ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जिसके लिये उन्हें अवकाश वेतन देय बनता है, पर थे, उपर्युक्त प्रस्तर के अनुसार विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे।

वर्तमान परिलब्धियों की गणना

3. किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियॉ" का आशय दिनांक 01 जनवरी 2016 को आहरित मूल वेतन एवं उस पर देय मॅहगाई भत्ते के योग से है, अर्थात् सम्बन्धित कार्मिक को उसके साधारण वेतनमान अथवा समयमान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

वेतनमान/ए०सी०पी० के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्राप्त प्रोन्नति वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड/ वित्तीय स्तरोन्नयन/उच्च वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 01 जनवरी 2016 को प्राप्त हो रहे मूल वेतन एवं उस पर देय मँहगाई भत्ते के योग से है। साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की राशि भी, यदि कोई हो, परिलब्धियों में सम्मिलित माना जायेगा।

पदों का स्तर

4. वेतन मैट्रिक्स में पदों के स्तर (Level) का निर्धारण पद हेतु विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर (Level) के आधार पर होगा।

वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण

5. (1) कोई सरकारी सेवक, जो वेतन मैट्रिक्स में उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2016 अथवा बाद की तिथि से विकल्प का चयन करता है या निर्धारित समयावधि में उसके द्वारा कोई विकल्प न दिये जाने के कारण यह मान लिया जाता है कि उसने दिनांक 01 जनवरी 2016 से वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने का विकल्प दिया है, का वेतन मैट्रिक्स में वेतन, उसे मौलिक पद पर प्राप्त हो रहे मूलवेतन एवं उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद के मूलवेतन के आधार पर निम्नलिखित विधि से अलग-अलग निर्धारित किया जायेगा:--

(अ). <u>सभी कर्मचारियों के मामले में</u>

(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य (Applicable) लेवल में सम्बन्धित कार्मिक का मूलवेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूलवेतन को गुणा करके निकटतम रूपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि (Figure) वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका (Cell) में तदनुरूपी (Corresponding) कोई समरूप (Identical) राशि है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूलवेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य लेवल के किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के बराबर उसका मूलवेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) उसके वर्तमान मूलवेतन को उपरोक्तानुसार 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि से अधिक है तो उसका पुनरीक्षित मूलवेतन, उस प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

<u>**उदाहरणस्वरूप-**</u>वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400 के पदधारक, जिसका दिनांक 01 जनवरी 2016 को बैण्ड वेतन रू0 10160 था, का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण संलग्नक-4 के अनुसार किया जायेगा।

(ब). <u>**चिकित्सा अधिकारियों के मामले में**</u>

ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता मिल रहा है, उनका पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:--

(i) वर्तमान मूलवेतन को 2.57 से गुणा किया जायेगा और संशोधन पूर्व प्राप्त हो रहे प्रैक्टिस बन्दी भत्ते पर मँहगाई भत्ते के बराबर राशि जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका (Cell) में समरूप (Identical) राशि विद्यमान है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूलवेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई राशि किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो उसके मूलवेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के स्तर पर किया जायेगा।

(ii) प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दरों में संशोधन किये जाने तक उपरोक्तानुसार निर्धारित मूलवेतन पर प्राप्त हो रहा पूर्व प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा, परन्तु उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल वेतन एवं प्रैक्टिस बन्दी भत्ते का योग रू0 2,37,500/- से अधिक नहीं होगा।

(iii) जिन चिकित्साधिकारियों को वर्तमान में प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय नहीं है, उनका वेतन निर्धारण उपर्युक्त उपप्रस्तर-(अ) के अनुसार किया जायेगा।

<u>**उदाहरणस्वरूप-**</u> ऐसे चिकित्साधिकारी, जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय है, और जिसका दिनांक 01 जनवरी 2016 को वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 में बैण्ड वेतन रू0 15600 था, का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण संलग्नक-5 के अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त उपप्रस्तर-(अ) एवं (ब) के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक का मौलिक पद एवं स्थानापन्न पद के संदर्भ में निर्धारित मूलवेतन में से जो अधिक होगा, वेतन मैट्रिक्स सम्बन्धित कार्मिक का पुनरीक्षित मूलवेतन होगा।

(2) कोई सरकारी सेवक, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अवकाश पर है और उसे अवकाश वेतन देय है, तो वह दिनांक 01 जनवरी 2016 से अथवा विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन प्राप्त कर सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

(3) कोई सरकारी सेवक, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अध्ययन अवकाश पर है तो वह दिनांक 01 जनवरी 2016 से अथवा विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन प्राप्त कर सकेगा।

(4) निलम्बन के अधीन सरकारी सेवक विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उसका वेतन निर्धारण, लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में दिये जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

(5) यदि स्थायी सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत है तथा इन दोनों पदों (स्थायी पद एवं स्थानापन्न पद) के लिये लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का विलय एक ही लेवल में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उपर्युक्त प्रस्तर-5(1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही उसका वास्तविक मूलवेतन माना जायेगा।

(6) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में वर्तमान परिलब्धियॉ "पुनरीक्षित परिलब्धियों" से अधिक हैं, तो यह अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा और उसका समायोजन आगामी वेतनवृद्धियों में किया जायेगा।

(7) यदि कोई सरकारी सेवक दिनांक 01 जनवरी 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में अपने संवर्ग के किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उसका मूलवेतन कनिष्ठ से कम निर्धारित होता है, तो उसका मूलवेतन कनिष्ठ के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(8) यदि किसी सरकारी सेवक को इस शासनादेश के निर्गत होने के पूर्व वैयक्तिक वेतन मिल रहा है और पुनरीक्षण के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन और वैयक्तिक वेतन का योग पुनरीक्षित मूलवेतन से अधिक हो जाता है, तो अन्तर की धनराशि उस सरकारी सेवक को वैयक्तिक वेतन के रूप में दी जायेगी और उसका समायोजन आगामी वेतनवृद्धियों में किया जायेगा।

(9) (i) ऐसे मामलों में जहाँ कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अपने कनिष्ठ जिसे दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया है, से कम वेतन निर्धारित होता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसके कनिष्ठ

के वेतन के बराबर कर दिया जायेगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी, अर्थात्

(क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे एक ही संवर्ग में समरूप (Identical) पद हों,

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों की संशोधन पूर्व वेतन संरचना तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल समरूप (Identical) हों,

(ग) प्रोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के मूलवेतन के बराबर या उससे अधिक मूलवेतन प्राप्त कर रहा हो।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम-22 अथवा संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियन्त्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो,

बशर्ते कि यदि किसी कनिष्ठ सरकारी सेवक को दी गयी किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो ऐसे मामलों में उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी अर्थात् वरिष्ठ अधिकारी का मूलवेतन कनिष्ठ के समान नहीं किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त उपप्रस्तर-(9)(i) के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के वेतन पुनर्निर्धारण के आदेश मूल नियम-27 के अधीन जारी किये जायेंगे। वरिष्ठ अधिकारी को अगली वेतनवृद्धि उसके वेतन पुनर्निर्धारण के पश्चात अपेक्षित अर्हकारी सेवा पूरी करने की तिथि से देय होगी।

01 जनवरी 2016 को अथवा उसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों

6. दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों का मूलवेतन उस पद, जिस पर सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया है, के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम स्तर (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) पर निर्धारित किया जायेगा।

बशर्ते, कि दिनांक 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात और इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का वेतन निर्धारण

वेतन, वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी उपर्युक्त प्रस्तर-3 के अनुसार वर्तमान परिलब्धियाँ उस पद, जिस पर उसे दिनांक 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम स्तर (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) से अधिक हो जाती है तो ऐसे अन्तर का भुगतान उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में किया जायेगा और उसका समायोजन आगामी वेतनवृद्धियों में किया जायेगा।

वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धि

7. वार्षिक वेतनवृद्धि के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वह होगा, जो उसे वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल पर प्राप्त हो रहे मूल वेतन से उक्त लेवल में लम्बवत् चलन के फलस्वरूप अगली कोष्ठिका की राशि है।

उदाहरणस्वरूप-यदि किसी कार्मिक का मूल वेतन वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल-4 (ग्रेड वेतन रू0 2400 के सादृश्य) में रू0 32300 के स्तर पर निर्धारित है, तो अगली वार्षिक वेतनवृद्धि के फलस्वरूप उसका मूलवेतन उस प्रयोज्य लेवल में अगली कोष्ठिका की राशि अर्थात् रू0 33300 होगा और इसके उपरान्त अगली वेतनवृद्धि के फलस्वरूप उसका वेतन उस प्रयोज्य लेवल में उससे अगला अर्थात् रू0 34300 हो जायेगा।

वेतन मैट्रिक्स में अगली वेतनवृद्धि की तिथि

8. (1). 01 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर वेतनवृद्धि की दो तिथियाँ होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।

(2). ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को वेतनवृद्धि

01 जनवरी को दी जायेगी और ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन दिया गया है, को वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी।

उदाहरण-

(क) ऐसे कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जुलाई 2016 और 01 जनवरी 2017

के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई 2017 को देय होगी और इसके बाद में अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर अर्थात् 01 जुलाई 2018 को देय होगी।

(ख) ऐसे कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जनवरी 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी 2017 को देय होगी और इसके बाद में अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर अर्थात् 01 जनवरी 2018 को देय होगी।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन मैट्रिक्स में मूलवेतन दिनांक 01 जनवरी 2016 को निर्धारित कर दिया गया है और वह उसी लेवल में बने हुए हैं, तो उस लेवल में अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2016 को देय होगी और इसके उपरान्त अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी।

वेतन मैट्रिक्स में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण

9. (1) दिनांक 01 जनवरी 2016 अथवा उसके पश्चात किसी कर्मचारी की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर उसका वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जायेगी जिससे कर्मचारी प्रोन्नत किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें प्रोन्नति दी गयी है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य राशि तलाशी जायेगी। यदि उक्त लेवल के किसी कोष्ठिका में उक्त राशि के समतुल्य राशि उपलब्ध है तो वही राशि उसका मूलवेतन होगा और यदि वह राशि उस लेवल, जिसमें प्रोन्नति दी गयी है, की किसी कोष्ठिका में उपलब्ध नहीं है तो उस लेवल में अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूलवेतन होगा। ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी उदाहरण संलग्नक-6 पर है।

(2) किसी कर्मचारी के पद का वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान का उच्चीकरण दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद और इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है और उच्चीकृत ग्रेड वेतन/वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित किया जा चुका है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित

कार्मिक का दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उपर्युक्त प्रस्तर-6 की व्यवस्था के अनुसार पहले वेतन निर्धारित किया जायेगा। इसके उपरान्त वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के उच्चीकरण की तिथि को उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

शासनादेश संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा पूर्वगामी तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू की गयी वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक को उच्चीकरण के पूर्व मिल रहे मूल वेतन के समतुल्य राशि से उच्चीकृत ग्रेड वेतन के सादृश्य लेवल की अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूलवेतन होगा।

(3) ऐसे मामले, जिनमें वेतन मैट्रिक्स में किसी पद हेतु निर्धारित लेवल का उच्चीकरण इस शासनादेश के निर्गत होने के बाद होता है, उनमें उच्चीकरण की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक को उच्चीकरण के पूर्व मिल रहे मूलवेतन के समतुल्य राशि से उच्चीकृत लेवल की अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूलवेतन होगा। ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी उदाहरण संलग्नक-7 पर है।

अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

10. इस शासनादेश से आच्छादित कार्मिकों को वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मँहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी 2017 (भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2017 को देय) से नकद भुगतान किया जायेगा तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय अवशेष का भुगतान 02 समान किश्तों में निम्नानुसार किया जायेगा:-

(i) अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जायेगा।

(ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में उपरोक्तानुसार देय अवशेष का 80 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कार्मिक के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा किया जायेगा और अवशेष 20 प्रतिशत भाग में से देय आयकर की धनराशि को काटकर शेष नकद भुगतान किया जायेगा। ऐसे कार्मिक जिनके देय आयकर की धनराशि 20 प्रतिशत से अधिक होती है, के मामलों में 20 प्रतिशत नगद भुगतान की जाने वाली

धनराशि को देय आयकर की सीमा तक आयकर भुगतान हेतु बढ़ा दिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की जायेगी। उक्तानुसार भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि, जमा होने की तिथि से 01 वर्ष तक सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा रहेगी और उसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final withdrawal) देय हो, 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।

(iii) ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा करा दिया जायेगा।

(iv) नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तदनुसार देय अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। अवशेष की शेष 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को उनके विकल्प के आधार पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा करा दी जायेगी।

11. विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों, जिनको शासनादेश संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443/दस-04 (एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के लिये भी इस शासनादेश द्वारा की जा रही वेतन निर्धारण की व्यवस्था लागू होगी।

12. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स संलग्नक-1, विकल्प का प्रारूप संलग्नक-2, वचनबंध का प्रारूप संलग्नक-3 तथा वेतन निर्धारण से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक-4, 5, 6 व 7 पर उपलब्ध हैं।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447(1)/दस-04 (एम)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-। एवं ।। तथा (आडिट)- । एवं ।। उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संलग्नक-1

पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

15600-39100			37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000
5400	6600	7600	8700	8900	10000			
10	11	12	13	13क	14	15	16	17
56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000
57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600	
59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900	
61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400	
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100		
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300		
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600		
69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100		
71100	85800	99800	150200	166100	182700			
73200	88400	102800	154700	171100	188200			
75400	91100	105900	159300	176200	193800			
77700	93800	109100	164100	181500	199600			
80000	96600	112400	169000	186900	205600			
82400	99500	115800	174100	192500	211800			
84900	102500	119300	179300	198300	218200			
87400	105600	122900	184700	204200				
90000	108800	126600	190200	210300				
92700	112100	130400	195900	216600				
95500	115500	134300	201800					
98400	119000	138300	207900					
101400	122600	142400	214100					
104400	126300	146700						
107500	130100	151100						
110700	134000	155600						
114000	138000	160300						
117400	142100	165100						
120900	146400	170100						
124500	150800	175200						
128200	155300	180500						
132000	160000	185900						
136000	164800	191500						
140100	169700	197200						
144300	174800	203100						
148600	180000	209200						
153100	185400							
157700	191000							
162400	196700							
167300	202600							
172300	208700							
177500								

<u>संलग्नक-2</u>

विकल्प का प्रारूप

*1. मैं, ... 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन करता हूँ/करती हूँ।

*2. मैं, ... अपने निम्न-उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन में

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तिथि तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक, जब मेरा वेतन बढ़कर .... रूपये हो जाए/मेरे विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/ .... के पद पर मेरी प्रोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ।

विद्यमान वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन ....

हस्ताक्षर-..

नाम-..

पदनाम-..

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं-..

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-3

वचनबंध

मैं, यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन, वेतन निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश में अन्तर्विष्ट उपबंधों के विपरीत रीति से निर्धारित हो जाने (त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर) जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर-..
नाम-..
पदनाम-..

संलग्नक-4

वेतन मैट्रिक्स में कार्मिक के वेतन निर्धारण हेतु उदाहरण।

सामान्य मामलों में वेतन निर्धारण

1. सम्बन्धित कार्मिक का विद्यमान वेतन बैण्ड: पी0बी0-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन: रू0 2400
2. वेतन बैण्ड में विद्यमान बैण्ड वेतन: रू0 10160
3. विद्यमान मूल वेतन: रू0 12560 (10160+2400)
4. मूल वेतन को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् धनराशि: 12560× 2.57 =32279.20 (32279 में पूर्णांकित)
5. वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन रू0 2400 के तदनुरूपी लेवल, लेवल 4 में उक्त पूर्णांकित धनराशि रू0 32279 के स्तर की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण उससे अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि- रू0 32300 के स्तर पर वेतन निर्धारित होगा।

वेतन बैण्ड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	32300	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-5

ऐसे चिकित्साधिकारियों, जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय है, के वेतन निर्धारण का उदाहरण।

1. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का विद्यमान वेतन बैण्ड: पी0बी0-3 रू0 15600 39100
2. ग्रेड वेतन: रू0 5400
3. सम्बन्धित का वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन: रू0 15600
4. सम्बन्धित का मूल वेतन: रू0 21000
5. सम्बन्धित को देय प्रैक्टिस बन्दी भत्ता- मूल वेतन का 25 % अर्थात् - रू0 5250
6. प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की धनराशि रू0 5250 पर 125% की दर से मँहगाई भत्ता- रू0 6563
7. मूल वेतन को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् धनराशि- 21000× 2.57 = रू0 53970
8. क्रम स0 6 व 7 का जोड़- रू0 60533
9. वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन रू0 5400 के तदनुरूपी लेवल, लेवल 10 में उक्त पूर्णांकित धनराशि रू0 60533 के स्तर की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण उससे अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि- रू0 61300
10. सम्बन्धित का निर्धारित वेतन -रू0 61300
11. संशोधन पूर्व प्रैक्टिस बन्दी भत्ता- रू0 5250

वेतन बैण्ड	15600-39100		
ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
लेवल	10	11	12
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200
3	59500	71800	83600
4	61300	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400

<u>संलग्नक-6</u>

दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण का उदाहरण।

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 2400 के तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में लेवल, लेवल 4
2. वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित मूल वेतन-रू0 28700
3. प्रोन्नति/एसीपी स्कीम के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप लेवल- लेवल 5
4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिये जाने के पश्चात् वेतनः रू0 29600
5. लेवल 5 में रू0 29600 की धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अगली कौष्ठिका की धनराशि रू0 30100

सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन- रू0 30100

वेतन बैण्ड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-7

दिनांक 01 जनवरी, 2016 के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक के पद का लेवल (ग्रेड वेतन) को उच्चीकृत किये जाने पर वेतन निर्धारण का उदाहरण।

1. सम्बन्धित कार्मिक के पद का उच्चीकरण के पूर्व का मैट्रिक्स लेवल-4
2. सम्बन्धित कार्मिक का मैट्रिक्स लेवल-4 में मूल वेतन- रू0 30500
3. उच्चीकृत मैट्रिक्स लेवल-5
4. उच्चीकृत मैट्रिक्स लेवल-5 में अगली कोष्ठिका की राशि- 31000
5. सम्बन्धित कार्मिक लेवल-5 में निर्धारित मूल वेतन- रू0 31000

वेतन बैण्ड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900

<u>संख्या-47/2016/वे0आ0-2-1017/दस-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0</u>

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः **दिनांकः 19 अगस्त, 2016**

विषय- मकान किराया भत्ता में वृद्धि किये जाने हेतु मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मकान किराया भत्ता में वृद्धि किये जाने हेतु मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय विभागों के कार्मिकों के समान स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों के कार्मिकों को वर्तमान में अनुमन्य मकान किराये भत्ते की दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि (अगले 10 रूपये में पूर्णांकित करते हुये) करते हुये निम्नवत् मकान किराया भत्ता दिनांक 01 अगस्त, 2016 से इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान किया जाये कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का वहन सम्बन्धित संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी तथा भारत सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य में गठित वेतन समिति द्वारा मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु संस्तुतियां प्रदान करते समय उक्त वृद्धि को संज्ञान में लिया जायेगा :--

क्र0 [redacted]	ग्रेड [redacted]न/ [redacted]मान	श्रेणी-ए, बी-1 तथा बी-2 के नगरों में		श्रेणी-सी के नगरों में		अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र	
		वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1300	900	1080	450	540	300	360
2	1400	930	1120	465	560	310	380
3	1650	980	1180	490	590	325	390
4	1800	1100	1320	550	660	365	440
5	1900	1160	1400	580	700	385	470
6	2000	1200	1440	600	720	400	480

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7	2400	1470	1770	735	890	490	590
8	2800	1670	2010	830	1000	555	670
9	4200	2020	2430	1010	1220	670	810
10	4600	2760	3320	1380	1660	920	1110
11	4800	2810	3380	1405	1690	935	1130
12	5400	3150	3780	1575	1890	1050	1260
13	6600	3780	4540	1890	2270	1260	1520
14	7600	4480	5380	2240	2690	1490	1790
15	8700	6910	8300	3455	4150	2300	2760
16	8900	7280	8740	3640	4370	2430	2920
17	10000	8200	9840	4100	4920	2730	3280
18	वेतनमान 67000-79000	9200	11040	4600	5520	3000	3600
19	वेतनमान 80000 नियत	10500	12600	5250	6300	3500	4200

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अग्रिम कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-47/2016/वे0आ0-2-1017(1)/दस-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- [illegible]

मद संख्या 246/7
प्रशासन अनुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः— वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

शासनादेश संख्या–3/2018/जी–1–102/दस– 2018–226–2008 दिनांक 18.07.2018 **(परिशिष्ट संख्या–1)** द्वारा वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन किये जाने सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. शासनादेश संख्या–3/2018/ जी–1–102/ दस–2018–226–2008 दिनांक 18.07.2018 में यह उल्लिखित है कि वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या 62/2016/वे0आ0–2–2643/दस–04 (एम)/2016 दिनांक 16.12.2016 द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमान से आच्छादित पदो को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता दिनांक 01.7.2018 से अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:—

क्र0 सं0	मैट्रिक्स लेवल	श्रेणी–अ के नगरों में	श्रेणी–ब के नगरों में	श्रेणी–स (अवर्गीकृत) के नगरो में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	2200	1100	730
2.	2	2320	1160	770
3.	3	2400	1200	800
4	4	2940	1470	980
5	5	3340	1660	1110
6	6	4040	2020	1340
7	7	5520	2760	1840
8	8	5620	2810	1870
9	9/10	6300	3150	2100
10	11	7560	3780	2520
11	12	8960	4480	2980
12	13	13820	6910	4600
13	13–क	14560	7280	4860
14	14	16400	8200	5460
15	15	18400	9200	6000
16	16	19700	9850	6500
17	17	21000	10500	7000

श्रेणी	नगरों/क्षेत्र
अ	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ, फिरोजाबाद, झॉसी तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।
ब	श्रेणी–'अ' के अतिरिक्त शेष सभी जिला मुख्यालय तथा नजीबाबाद, नगीना, चॉदपुर, चन्दौसी, देवबन्द, रूड़की, कैराना, बड़ौत, भवाना, पिल्खुआ, मोदीनगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, सिकोहाबाद, सहसवान, शाहाबाद, गंगाघाट (जिला उन्नाव) उरई, बेला, नवाबगंज, टॉडा, मुगलसराय, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी, बेहटा, हाजीपुर, दादरी, जहॉगीराबाद, उझानी, बहेडी, फरीदपुर, बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकरणनाथ, छिबरामऊ, कोंच मउरानीपुर, राठ, मुबारकपुर, ओबरा, रेनूकोट के शहरी क्षेत्र। लहरपुर, बिस्वा, महमूदाबाद, ऑवला, सण्डीला, स्योहारा (विजनौर), अतरौली, गुलावठी, (बुलन्दशहर) सरधना, वृन्दावन, कोशीकलॉ, टुण्डला, अयोध्या, गजरौला, काल्पी तथा ग्रेटर नोएडा

3. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–3/2018/जी–1–102/दस–2018–226–2008 दिनांक 18.07.2018 में अन्य उल्लिखित तथ्य निम्नवत है:–

(1) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन बैण्ड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन / वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।

(2) अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जा रहे है।

(3) संशोधित मकान किराया भत्ता, ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा, जो सरकारी आवास में नहीं रह रहे है।

(4) ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0,ए0 आई0 सी0 टी0 ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदो को छोडकर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात सेवा में नियुक्त हुये हो के मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगे।

(5) यह आदेश दिनांक 01.07.2018 से लागू होंगे।

(6) अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेगे।

4. प्रस्तुत प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–3/2018/जी–1–102/ दस–2018–226–2008 दिनांक 18.07.2018 द्वारा संशोधित दरो पर मकान किराया भत्ता की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त सामान्य अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश की प्रति, शासन में परिषद के प्रशासकीय विभाग–आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के माध्यम से परिषद में प्राप्त नहीं हुई है परन्तु पूर्व में परिषद की सुदृढ वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत ही अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–283/आठ–2–18–3एच0बी0 (187)/2016 दिनांक 28.02.2018 सपठित सार्वजनिक उद्यम अनुभाग के शासनादेश संख्या–1/

2017/1415/44–1–2016–53/2016 दिनांक 03.01.2017 एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–67/ 2016/ वे0आ0–2–1447/दस–04 (एम)/2016 दिनांक 22.12.2016 द्वारा परिषद कार्मिको को सातवे वेतनमान लागू किए जाने हेतु शासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी और परिषद कार्मिकों को कार्यालय आदेश संख्या 732/प्रशा0–एक–981/2016 दिनांक 09.03.2018 **(परिशिष्ट संख्या–2)** द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ अनुमन्य हो रहा है।

5. परिषद कर्मियों को मकान किराया भत्ता के भुगतान प्रकरण में परिषद की आन्तरिक वित्तीय क्षमता एवं मकान किराया भत्ता के भुगतान में पड़ने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने हेतु परिषद के सक्षम होने के बिन्दु पर परिषद के वित्त अनुभाग द्वारा शासनादेश में पुनरीक्षित/संशोधित मकान किराया भत्ता लागू किये जाने की स्थिति में परिषद के नियमित अधिष्ठान में कार्यरत 2081 कार्मिकों पर दिनांक 01.07.2018 से अनुमानित व्यय भार रू0 23.91 लाख प्रति माह तथा वार्षिक व्यय भार रू0 286.92 लाख के सम्भावित होने तथा उक्त व्यय भार को वहन करने में परिषद सक्षम होने के सम्बन्ध में अपना अभिमत दिया गया है।

5. अतएव शासनादेश संख्या–3/2018/जी–1–102/ दस–2018–226–2008 दिनांक 18.07.2018 पर प्रस्तुत उक्त वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहें, एवं परिषद में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का भुगतान **दिनांक 01.07.2018 से** अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

(नीलम)	(धर्मेन्द्र वर्मा)	(महेन्द्र कुमार)
उप आवास आयुक्त (प्रशा0)	वित्त नियंत्रक	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

संख्या-3/2018/जी-1-102/दस-2018-226-2008

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2018

विषय:- वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	मैट्रिक्स लेवल	श्रेणी-अ के नगरों में	श्रेणी-ब के नगरों में	श्रेणी-स (अवर्गीकृत) के नगरों में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2200	1100	730
2	2	2320	1160	770
3	3	2400	1200	800
4	4	2940	1470	980
5	5	3340	1660	1110
6	6	4040	2020	1340
7	7	5520	2760	1840

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

8	8	5620	2810	1870
9	9/10	6300	3150	2100
10	11	7560	3780	2520
11	12	8960	4480	2980
12	13	13820	6910	4600
13	13-क	14560	7280	4860
14	14	16400	8200	5460
15	15	18400	9200	6000
16	16	19700	9850	6500
17	17	21000	10500	7000

• श्रेणी-अ, ब एवं स (अवर्गीकृत) में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से सम्बन्धित तालिका

श्रेणी	नगरों/क्षेत्र
अ	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झॉसी तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।
ब	श्रेणी-'अ' के अतिरिक्त शेष सभी जिला मुख्यालय तथा नजीबाबाद, नगीना, चॉदपुर धन्दौसी, देवबन्द, रुड़की, कैराना, बड़ौत, भवाना, पिल्खुआ, मोदीनगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, शिकोहाबाद, सहसवान, शाहाबाद, गंगाघाट (जिला उन्नाव), उरई, बेला, नवाबगंज, टॉडा, मुगलसराय, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी बेहटा, हाजीपुर दादरी, जहॉगीराबाद, उझानी, बहेड़ी, फरीदपुर, बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकरणनाथ, छिबरामऊ, कोंच, मउरानीपुर, राठ, मुबारकपुर ओबरा, रेनूकोट के शहरी क्षेत्र। लहरपुर, बिस्वॉ, महमूदाबाद, ऑवला, सण्डीला, स्योहारा (विजनौर), अतरौली, गुलावठी (बुलन्द शहर), सरधना, वृन्दावन, कोशीकलॉ, टुण्डला, अयोध्या, गजरौला, काल्पी, तथा ग्रेटर नोएडा
स (अवर्गीकृत)	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र।

3- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन बैण्ड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।

4- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

5- संशोधित मकान किराया भत्ता, ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा, जो सरकारी आवास में नहीं रह रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

6- ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुये हों के मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

7- यह आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू होंगे।

8- अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव

संख्या-3/2018/जी-1-102(1)/दस-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।

(2) महालेखाकार-1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन प्रतियों में)

(5) सचिव, श्री राज्यपाल।

(6) विधान सभा/परिषद सचिवालय।

(7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(8) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-3/2018/जी-1-102/दस-2018-226-2008

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-[redacted]

लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2018

विषय- वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	मैट्रिक्स लेवल	श्रेणी-अ के नगरों में	श्रेणी-ब के नगरों में	श्रेणी-स (अवर्गीकृत) के नगरों में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2200	1100	730
2	2	2320	1160	770
3	3	2400	1200	800
4	4	2940	1470	980
5	5	3310	1660	1110
6	6	4040	2020	1340
7	7	5520	2760	1840

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है।

8	8	5620	2810	1870
9	9/10	6300	3150	2100
10	11	7560	3780	2520
11	12	8960	4480	2980
12	13	13820	6910	4600
13	13-क	14560	7280	4860
14	14	16400	8200	5460
15	15	18400	9200	6000
16	16	19700	9850	6500
17	17	21000	10500	7000

श्रेणी-अ, ब एवं स (अवर्गीकृत) में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से सम्बन्धित तालिका

श्रेणी	नगर/क्षेत्र
अ	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झाँसी तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।
ब	श्रेणी-अ के अतिरिक्त शेष सभी जिला मुख्यालय तथा शिकोहाबाद, नगीना, चाँदपुर, सिकन्दराबाद, देवबन्द, रुड़की, कैराना, चन्दौसी, अमरोहा, पिलखुआ, कासगंज, खुर्जा, सिकन्दराबाद, सिकन्दराबाद, सहसवान, शाहाबाद, गंगाघाट (जिला उन्नाव), उरई, बेला, नवाबगंज, टाँडा, मुगलसराय, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी, बेहटा, हाजीपुर, दादरी, जहाँगीराबाद, उझानी, महेंदी, फरीदपुर, बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकरणनाथ, शिकोहाबाद, कोंच, मऊरानीपुर, मऊ, मुबारकपुर, आवास, रेनुकूट के शहरी क्षेत्र। शहरपुर, बिसवाँ, महमूदाबाद, औंकला, सण्डीला, स्योहारा (बिजनौर), अतरौली, बुलन्दशहर (बुलन्द शहर), सासनी, फूलपुर, कौशाम्बी, हुसैनगंज, अयोध्या, गाजीपुर, गाजीपुर, तथा अहरौरा
स (अवर्गीकृत)	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र।

5- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सादृश्य लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन बैण्ड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।

6- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

7- संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो सरकारी आवास में नहीं रह रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है।

6- ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुये हों के मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

7- यह आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू होंगे।

8- अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव

संख्या-3/2018/जी-1-102(1)/दस-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
(2) महालेखाकार-1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन प्रतियों में)
(5) सचिव, श्री राज्यपाल।
(6) विधान सभा/परिषद सचिवालय।
(7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-04/2018/जी-1-103/दस-2018-227/2018

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2018

विषय- वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2043/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मैट्रिक्स लेवल	नगर प्रतिकर भत्ते की दर (रुपया)			
	कानपुर, लखनऊ, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र)	वाराणसी, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद (नगरीय क्षेत्र)	बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ (नगरीय क्षेत्र)	शेष जिला मुख्यालय तथा अन्य नगर जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक है (नगरीय क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	340	240	160	100

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है।

3 से 5 तक	480	360	240	160
6 से 8 तक	720	540	360	240
9 एवं इससे ऊपर के लेवल	900	720	600	400

3- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन बैण्ड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के सापेक्ष सम्बन्धित लेवल से है।

4- ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं, का नगर प्रतिकर भत्ता लखनऊ नगर में अनुमन्य नगर प्रतिकर भत्ते के समान होगा।

5- ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुये होंगे नगर प्रतिकर भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश [illegible] तक संशोधित समझे जायेंगे।

6- यह आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू होगा।

भवदीय,

अजीत मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-04/2018/जी-1-103(1)/दस-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
(2) महालेखाकार-1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) [illegible]
(5) सचिव, श्री राज्यपाल।
(6) विधान सभा/परिषद् सचिवालय।
(7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) [illegible], उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता [illegible] से सत्यापित की जा सकती है।

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
प्रशासन अनुभाग
104–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या: 732 /प्रशा0–एक–981/2016 दिनांक: 09-03-2018

कार्यालय आदेश

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 283/आठ–2–18–3एच0बी0(187)/2016 दिनांक 28.02.2018 सपठित सार्वजनिक उद्यम अनुभाग के शासनादेश संख्या–1/2017/1415/44–1–2016–53/2016 दिनांक 03.01.2017 एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–67/2016/वे0आ0–2–1447/दस–04 (एम)/2016 दिनांक 22.12.2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि (28.02.2018) से नगद एवं दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 27.02.2018 तक शासनादेश दिनांक 22.12.2016 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

2. अतः शासनादेश दिनांक 28.02.2018 एवं उसमें व्यक्त शासनादेशों एवं नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नवत् शासनादेश भी संलग्न हैं:–

1. शासनादेश संख्या 283/आठ–2–18–3एच0बी0 (187)/2016 दिनांक 28.02.2018.
2. शासनादेश संख्या–1/2017/1415/44–1–2016–53/2016 दिनांक 03.01.2017.
3. शासनादेश संख्या 67/2016/वे0आ0–2–1447/दस–04 (एम)/2016 दि0 22.12.2016.

3. नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी उक्त का अनुपालन करते हुए अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक– यथोक्त।

ह0/
(धीरज साहू)
आवास आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
3. वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद् नियोजक/ सम्पत्ति प्रबन्धक (विधि)।
4. अपर आवास आयुक्त/अपर निबन्धक/सं0 आ0 आयुक्त/समस्त उप आवास आयुक्त।
5. निदेशक/समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/उप निदेशक।
6. समस्त वास्तुविद नियोजक/सम्पत्ति प्रबन्धक।
7. वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी/सम्परीक्षण अधिकारी,मुख्यालय।
8. मुख्यालय के समस्त अनुभागाध्यक्ष/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
9. मा0 अध्यक्ष महोदय/आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/उप आवास आयुक्त आयुक्त(प्रशा0) के निजी सचिव/आशुलिपिक।
10. प्रशासन अनुभाग के समस्त पटल सहायक।
11. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
12. मैसेज बोर्ड।

9.3.18

(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

संख्या-283/आठ-2-18-3एच0बी0(187)/2016

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2018

विषय- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-123/प्रशा0-एक-981/2016 दिनांक 07-02-2017 एवं तत्क्रम में पत्र संख्या-13/प्रशा0-एक-981/2016 दिनांक 22-05-2017 तथा पत्र संख्या- 19/ प्रशा0-एक-981/2016 दिनांक 23-01-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016, दिनांक 03-01-2017 में की गयी व्यवस्था के अनुसार सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की व्यवस्था दिनांक 01-01-2016 से सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 03-01-2017 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

(1) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-67/2016/ वे0आ0-1447/दस-04(एम)/ 2016 दिनांक 22 दिसम्बर,2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार होगा।

(2) सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा शासनादेश दिनांक 22-12-2016 के साथ संलग्न प्रारूप पर बचनबद्ध अपने कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा, जो कि कार्मिक की सेवापुस्तिका में चस्पा किया जायेगा।

(3) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण की कार्यवाही वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा निर्गत

शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 में निहित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

(4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016,दिनांक 03-01-2017 के अनुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू की जायेगी।

(5) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से नकद दिया जायेगा तथा 01-01-2016 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर,2016 के प्रस्तर-10 के अनुसार कर्मचारी के विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में अथवा भविष्य निर्वाह निधि (जी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा।

(6) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किये जाने पर आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा और इस हेतु कोई शासकीय अनुदान देय न होगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या -ई-8- 460/दस-18 दिनांक 22फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-283 (1)/आठ-2-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-। एवं ।। तथा (आडिट)। एवं ।। उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2,
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 2/2018 / जी-2- 24 /दस-2018-01(वे0सं0)/2017

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2018

विषय:- पदोन्नति पर मूल नियम-22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि का विकल्प।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या-8/2017/जी-2-75/दस-2017-01 (वे0सं0)/2017 दिनांक 07 जून, 2017 द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सरकारी सेवक की प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0 के व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को मूल नियम-23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम-22(बी)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प यथावत उपलब्ध रहने संबंधी निर्देश निर्गत किए गए हैं एवं शासनादेश संख्या-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0सं0)/2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 07 जून, 2017 के क्रम में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

2- उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों द्वारा निर्धारित वेतन निर्धारण की प्रक्रिया व आगामी वेतनवृद्धि की तिथि के विनियमन की व्यवस्था को निम्नवत स्पष्ट करते हुए आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है जिसके फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 07 जून, 2017 एवं दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 (उदाहरण सहित) इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे एवं किए जा रहे प्राविधानों से संदर्भगत शासनादेशों के प्राविधान व उदाहरण जिस सीमा तक भिन्न हैं, उस सीमा तक निष्प्रभावी माने जायेंगे :-

(क)-- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07-06-2017 एवं दिनांक 10-10-2017 में उल्लिखित मूल नियम 22(बी)(1) का आशय वस्तुतः मूल नियम 22-बी(1) से है और शासनादेश के निर्वचन में इसी नियम का संदर्भ लिया जाय। इसके अतिरिक्त दिनांक 01-01-2016 से लागू किए गए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स मे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन की दशा में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया वही मानी जायेगी जैसा कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-9 में निर्धारित है।

(ख)-- ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत दिनांक 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की तिथि को ही वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया हो और तदनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाय तो उन्हें आगामी 01 जनवरी को वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब उनके द्वारा दिनांक 01 जुलाई को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गयी हो। किन्तु यदि उक्त सरकारी सेवक द्वारा 01 जुलाई को अपनी वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारित करने का विकल्प दिया जाय और उक्त नियम के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाय तो इस स्थिति में अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष बाद ही देय होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक को दिनांक 01 जुलाई को पहले अपने पूर्व पद के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल) में सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी और तत्पश्चात मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारित होगा।

इसी प्रकार ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत दिनांक 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की तिथि को ही वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया हो और तदनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाय तो उन्हें आगामी 01 जुलाई को वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब उनके द्वारा दिनांक 01 जनवरी को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गयी हो। किन्तु यदि उक्त सरकारी सेवक द्वारा 01 जनवरी को अपनी वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारित करने का विकल्प दिया जाय और उक्त नियम के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाय तो इस स्थिति में अगली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वेतनवृद्धि एक वर्ष बाद ही देय होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक को दिनांक 01 जनवरी को पहले अपने पूर्व पद के वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल) में सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी और तत्पश्चात मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारित होगा।

3- उक्त के संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन प्रकरणों में उक्तवत प्रतिपादित व्यवस्था से भिन्न वेतन निर्धारण किया जा चुका हो उनमें त्वरित कार्यवाही करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि को संबंधित कार्मिक के आगामी भुगतानों में से समायोजित कर लिया जायेगा।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0सं0)/2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के प्रस्तर-3 के अंतर्गत प्रदत्त विकल्प देने की सुविधा को इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर पुनः दिया जा सकेगा अथवा पूर्व में दिए गए विकल्प को संशोधित किया जा सकेगा।

भवदीय,

एम0पी0 अग्रवाल

सचिव

संख्या- 2/2018 / जी-2- 24 (1) /दस-2018-01(वे0स0)/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, (प्रथम/द्वितीय) ।
(2) प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) निदेशक, प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-2/2018/वे0आ0-2-78/दस-2018-04(एम)/2016

प्रेषक

मुकेश मित्तल,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 31 जनवरी 2018

विषय - पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से भाग-4 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित की गई। उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 में वेतन मैट्रिक्स में नियुक्ति/पदोन्नति/ए0सी0पी0 प्राप्त होने पर अगली वेतनवृद्धि की तिथि निर्धारित की गई है। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :--

वेतन मैट्रिक्स में अगली वेतनवृद्धि की तिथि

(1) 01 जुलाई की विदयमान तिथि के स्थान पर वेतनवृद्धि की दो तिथियाँ होंगी अर्थात प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या ए0सी0पी0 प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।

(2) ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है को आगामी 01 जनवरी को वेतनवृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी, कि उसे 01 जुलाई को वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो और ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को आगामी 01 जुलाई को वेतनवृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि उन्हें 01 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो।

उदाहरण

(क) ऐसे कर्मचारी जिन्हे दिनांक 02 जुलाई 2016 और 01 जनवरी 2017 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली 01 जुलाई 2017 को वेतनवृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी, कि उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2017 को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गई हो और इसके बाद वेतनवृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जुलाई 2018 को देय होगी।

(ख) ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिनांक 02 जनवरी 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है को अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी 2017 को इस शर्त के अधीन देय होगी कि उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2016 को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गई हो और इसके बाद वेतनवृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जनवरी 2018 को देय होगी।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन मैट्रिक्स में मूलवेतन दिनांक 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है और वह उसी लेवल में बने हुए हैं तो उस लेवल में अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2016 को देय होगी और इसके उपरान्त अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी।

2- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

मुकेश मित्तल

सचिव।

संख्या-2/2018/वे0आ0-2-78(1)/दस-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-। एवं ।। तथा (आडिट)-। एवं ।। उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इलाहाबाद।

2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2017

विषय :-- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के फलस्वरूप अवशेष देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निर्गत संकल्प दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के उप प्रस्तर-17(i) एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या- संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10(i) में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स एवं महंगाई भत्ता के देय अवशेष का भुगतान किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, जिसे शासनादेश संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886/दस-2017-04(एम)/2017, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा परिवर्तित करते हुये यह व्यवस्था की गयी थी कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय अवशेष के 50 प्रतिशत अंश, जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष-2017-18 के माह अक्टूबर में किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, का भुगतान माह दिसम्बर, 2017 के उपरान्त किया जायेगा।

उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक के अवशेष के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में तथा 50 प्रतिशत अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जायेगा।

.....2/

shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या- संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/ 2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886/दस-2017-04(एम)/2017, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

मुकेश मित्तल
सचिव।

<u>संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149(1)/दस-04(एम)/2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- I एवं II तथा (आडिट)- I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में उपरोक्तानुसार आदेश निर्गत कराने का कष्ट करें।

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

7- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।

गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-11/2017/वे0आ0-2-563/दस-2017-04(एम)/2017

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 जुलाई, 2017

विषयः- दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के संदर्भ में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2016 के सादृश्य शासनादेश संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें ग्रेड वेतन रू0 8700/- के लिये तालिका लेवल-13 निर्धारित था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 मई 2017 द्वारा ग्रेड वेतन रू0 8700/- के लिये निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 को संशोधित कर दिया गया है।

2. भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 16 मई 2017 के क्रम में शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700/- के लिये संलग्नक की तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित मैट्रिक्स लेवल-13 की कोष्ठिकाओं को स्तम्भ-3 के अनुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त संशोधन से हुए वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप देय वेतन के अवशेष का भुगतान शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-10 की व्यवस्थानुसार दो वित्तीय वर्षों में किया जायेगा।

4- उपर्युक्त क्रम में राज्य के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016, एवं वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका का लेवल-13 उक्त सीमा तक संशोधित समझें जायेंगे।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-11/2017/वे0आ0-2-563(1)/दस-2017-04(एम)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एवं ।। तथा आडिट- । एवं ।।, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-11/2017/वे0आ0-2-563/दस-2017-04(एम)/2017 दिनांक 27 जुलाई, 2017 का संलग्नक।

क्र0 सं0	शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये निर्धारित मैट्रिक्स लेवल-13	ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये प्रतिस्थापित मैट्रिक्स लेवल-13
(1)	(2)	(3)
1	118500	123100
2	122100	126800
3	125800	130600
4	129600	134500
5	133500	138500
6	137500	142700
7	141600	147000
8	145800	151400
9	150200	155900
10	154700	160600
11	159300	165400
12	164100	170400
13	169000	175500
14	174100	180800
15	179300	186200
16	184700	191800
17	190200	197600
18	195900	203500
19	201800	209600
20	207900	215900
21	214100	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-6/2017/वे0आ0-2-03-वी0आई0पी0-/दस-2017

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,
सचिव, उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2017

विषय :-- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों के लिये शासनादेश संख्या- 65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा की गयी थी। उक्त व्यवस्था किये जाने के उपरन्त वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि दिये जाने एवं पूर्व प्र... विकल्प को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जिज्ञासाओं एवं दृष्टिगोचर हो रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है :--

संदर्भ बिन्दु / कठिनाई	स्पष्टीकरण
(1)	(2)
शासनादेश संख्या-जी-2-212/दरा-2009-333-86 दिनांक 03 मार्च 2009 द्वारा किसी कर्मचारी की पदोन्नति होने पर पदोन्नति की तिथि से मूल नियम-22 बी (1) की व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा प्रोन्नति की तिथि को मूल नियम-22 ए (1) की व्यवस्थानुसार तथा निम्न पद की वेतनवृद्धि की तिथि से मूल नियम-22बी (1) के अन्तर्गत वेतन पुनर्निर्धारण किये जाने के विकल्प की व्यवस्था की गयी थी। ऐसे कर्मचारी जिनकी पदोन्नति दिनांक 01 जनवरी 2016 एवं पुनरीक्षित वेतन	जी हाँ ऐसे कार्मिक जिनकी पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता दिनांक 01 जनवरी 2016 तथा शासनादेश संख्या- 67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के मध्य हुई है और उनके द्वारा पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता की तिथि को मूल नियम-22 ए (1) के अनुसार तथा पूर्व पद/ वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तिथि को वेतन निर्धारित किये जाने का विकल्प दिया गया था उनके द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती

मैट्रिक्स अनुमन्य कराये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के निगर्मन की तिथि तक होने पर उनके द्वारा निम्न पद की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारित कराये जानेका विकल्प प्रस्तुत किया गया था, जो पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उनके लिये हानिकारक हो गया है। क्या ऐसे कर्मचारियों द्वारा संशोधित विकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है।	की तिथि से एक माह की अवधि में, पूर्व में दिये गये विकल्प को परिवर्तितकिया जा सकता है।
ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति/पदोन्नति /वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 02 जनवरी 2015 से 01 जुलाई 2015 के मध्य अनुमन्य हुआ है क्या ऐसे कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से एक वेतनवृद्धि देय होगी।	शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी की गयी है। अत: ऐसे कार्मिक, जिनकी नियुक्ति/ पदोन्नति/ वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 02 जनवरी, 2015 से 01 जुलाई, 2015 के मध्य अनुमन्य हुआ है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में दिनांक 01 जनवरी, 2016 को कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

भवदीय

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-6/2017/वे0आ0-2-03-वी0आई0पी0-(1)/दस-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-I एवं II आडिट-I एवं II, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव,श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।

3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ।

6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश ।

7- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

8- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग/ इरला चेक अनुभाग।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्याः3/2017/वे0आ0-2-211/दस-35(एम)/2008टी0सी0

लखनऊः दिनांक 28 फरवरी 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वॉछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-370/दस-2008 दिनांक 20 अगस्त 2008 द्वारा सृजित वरिष्ठ शोध अधिकारी वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/- -सादृश्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल-11 (रू0 67700-208700) के एक संवर्गीय पद का कार्यकाल अन्तिम बार कार्यालय-ज्ञाप सं0-वे0आ0-2-775/दस-2016-35(एम)/ 2008टी0सी0 दिनांक 27 जून 2016 द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2017 तक के लिए बढ़ाया गया था। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वरिष्ठ शोध अधिकारी के उपर्युक्त संवर्गीय पद का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी 2018 तक के लिये यदि इसके पूर्व ही इस पद को समाप्त न कर दिया जाय बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त पद के पदधारक को सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स में वेतन के अतिरिक्त मॅहगाई भता एवं अन्य भत्ते जो समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृति किये जाये अनुमन्य होंगे।

3- उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-105-विशेष जांच आयोग-03--राज्य आयोग और समितियॉ-0301- वेतन समिति का गठन के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

अजय अग्रवाल

सचिव।

<u>संख्याः3/2017/वे0आ0-2-211(1) /दस-35(एम)/2008टी0सी0 तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

3- इरला चेक अनुभाग उ0प्र0 शासन।

4- लेखाकार-कम कोषाध्यक्ष कार्यालय वेतन समिति (दो प्रतियों में)

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

6- सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/5

आज्ञा से

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम के प्रशासनिक
विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2017

विषय-वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं की स्वीकृति।

महोदय,

वेतन समिति, 2016 के प्रथम प्रतिवेदन में उपर्युक्त विषयक की गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिए गये है:-

(1) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की वर्तमान में लागू व्यवस्था के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स की व्यवस्था दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संलग्न वेतन मैट्रिक्स (संलग्नक-1) के अनुसार सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 1105/44-1-2009-77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 की उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जाये:-

(i) अनुमन्यता के वर्ष के तीन वर्ष पूर्व के वर्ष तक के लेखे महालेखाकार से सम्पेक्षित (Audited) हों तथा यह ए0जी0एम0 द्वारा स्वीकार कर लिये गये हो।

(ii) उपक्रम /निगम जिनमें संचित हानि है, द्वारा उक्तानुसार तीन वर्षों में लगातार शुद्ध लाभ अर्जित किया गया हो। सम्बन्धित उपक्रम/निगम के प्रबन्ध तन्त्र, शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग /सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि उक्त उपक्रम/निगम वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने की स्थिति में हैं।

(iii) उपक्रम/निगम जिनमें संचित हानि नहीं है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपक्रम/निगम के प्रबन्ध तंत्र, शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग/ सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि उक्त उपक्रम/निगम वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप आने वाले व्यय भार को वहन करने की स्थिति में हैं।

(iv) आयकर तथा अन्य केन्द्रिय कर, पेंशन अंशदान (ई0पी0एफ0) आदि तथा अन्य स्टेटयूटरी दायित्वों का नियमित भुगतान किया जा रहा हो।

(v) जो उपक्रम/निगम बी0आई0एफ0आर0 को सन्दर्भित है और उनके द्वारा पंजीकृत कर लिये गये है, वहां पर पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(vi) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

(2) ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम, जहां दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड की व्यवस्था लागू नहीं की गयी है और वह दिनांक 01 जनवरी, 1996 अथवा 01 जनवरी, 2006, जैसी भी स्थिति हो, से वेतनमानों का पुनरीक्षण काल्पनिक आधार पर मानते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स का लाभ उपर्युक्त प्रस्तर-1(1) की शर्तों एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति पर अनुमन्य कराया जायेगा।

(3) राज्य कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में वेतन निर्धारण एवं वार्षिक वेतनवृद्धियां अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था को सार्वजनिक उपक्रम/निगम के कार्मिकों के लिए भी लागू किया जायेगा।

(4) सार्वजनिक उपक्रम/निगम के कार्मिकों को राजकीय कर्मियों के सादृश्य महंगाई भत्ता अनुमन्य कराये जाने हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सूची उनकी वित्तीय स्थिति को संज्ञान में रखते हुए तैयार करेगा, जो राजकीय कर्मियों के सादृश्य महंगाई भत्ते की किश्त के भुगतान किये जाने से आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने में सक्षम है। इस सूची का पुनरावलोकन प्रत्येक दो वर्ष में अवश्य किया जायेगा। इस सूची के सार्वजनिक उपक्रमों/निगम के कार्मिकों को राजकीय कर्मियों के सादृश्य महंगाई भत्ते की किश्त उनके संचालक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करते हुए स्वीकृत किया जायेगा।

उपर्युक्त सूची से भिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के कार्मिकों को राजकीय कर्मियों के सादृश्य महंगाई भत्ता सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2009 एवं 07 अक्टूबर, 2009 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था यथावत रहेगी।

(5) सार्वजनिक उपक्रम/निगम के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में राज्य कर्मचारियों के सादृश्य महंगाई भत्ते को छोडकर वर्तमान में मिल रहे अन्य भत्ते/सुविधाओं को पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में यथावत बनाये रखा जायेगा।

(6) राजकीय कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रभावी की गयी समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था को सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के कार्मिकों पर इस प्रतिबन्ध के अधीन लागू किया जायेगा कि प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में पूर्व से गठित अधिकृत समिति द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इससे अतिरिक्त आने वाले व्यय भार को सम्बन्धित उपक्रम/निगम वहन करने में सक्षम है।

(7) सार्वजनिक उपक्रम/निगम के ऐसे कार्मिक जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते है, उन्हें आगे वार्षिक वेतनवृद्धियां स्वीकृत न की जाये।

(8) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के ऐसे पद जिन पर राजकीय कर्मियों के समान पेंशन/अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ की सुविधा अनुमन्य है, उनकी पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ, राज्य कर्मचारियों के लिए लागू व्यवस्था के अनुरूप अनुमन्य कराये जायेंगे। ऐसे कार्मिक, जिन्हें राजकीय कर्मियों से भिन्न पेंशन की सुविधा

अनुमन्य है अथवा जिन्हें पेंशन की सुविधा अनुमन्य नहीं है, ऐसे कार्मिकों के लिए फिलहाल पूर्व से लागू व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जायेगा।

(9) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की पदवार/संवर्गवार संस्तुतियां वित्त विभाग से अलग से प्राप्त होने पर यथासमय कार्यवाही की जायेगी।

(10) उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप देय अवशेष के भुगतान हेतु राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित व्यवस्था से आकर्षक व्यवस्था लागू नहीं की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु अपने नियन्त्रणाधीन निगम/उपक्रम के निदेशक मण्डल से प्रस्ताव प्राप्त कर सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्तरों में लिखित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक उधम/वित्त विभाग के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3- उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार समिति की संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई असंगति अथवा व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो तो उनका निराकरण मा0 मुख्यमंत्री के आदेश प्राप्त कर किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-2689/दस-2016, दिनांक 29 दिसम्बर 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2017/1415(1)/44-1-2016-53/2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (03 प्रतियों में)
2- गोपन अनुभाग-1
3- सार्वजनिक उधम अनुभाग-2/आडिट प्रकोष्ठ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना मुख्यमंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
6- महानिदेशक, सार्वजनिक उधम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- सचिव, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: वे0आ0-2-1432/दस-04(एम)/2016, दिनाक 16 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मा0 मंत्रि-परिषद के आदेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 के अनुपालन में अपेक्षानुसार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

आज्ञा से,

(हरिराज किशोर)
अपर मुख्य सचिव।

शासनादेश संख्या- 1415/44-1-2016-53/2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 का संलग्नक-1

वेतन बैंड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900

40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

15600—39100			37400—67000			67000—79000
5400	6600	7600	8700	8900	10000	
10	11	12	13	13क	14	15
56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200
57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700
59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300
61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600
69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100
71100	85800	99800	150200	166100	182700	
73200	88400	102800	154700	171100	188200	
75400	91100	105900	159300	176200	193800	
77700	93800	109100	164100	181500	199600	
80000	96600	112400	169000	186900	205600	
82400	99500	115800	174100	192500	211800	
84900	102500	119300	179300	198300	218200	
87400	105600	122900	184700	204200		
90000	108800	126600	190200	210300		
92700	112100	130400	195900	216600		
95500	115500	134300	201800			
98400	119000	138300	207900			
101400	122600	142400	214100			
104400	126300	146700				
107500	130100	151100				
110700	134000	155600				
114000	138000	160300				
117400	142100	165100				
120900	146400	170100				
124500	150800	175200				
128200	155300	180500				
132000	160000	185900				
136000	164800	191500				
140100	169700	197200				
144300	174800	203100				
148600	180000	209200				
153100	185400					
157700	191000					
162400	196700					
167300	202600					
172300	208700					
177500						

संख्या-67/2016/वे0आ0-2- 1447 /दस-04(एम)/2016

प्रेषक,

श्री अजय अग्रवाल

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016

विषयः- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से 4 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू की गयी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स (संलग्नक-1) में वेतन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

1. प्रत्येक कर्मचारी, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 को राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार किया जायेगा, परन्तु

कोई सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान में उसकी अगली वेतनवृद्धि या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक, वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में वेतन प्राप्त करने के विकल्प का चयन कर सकता है।

ऐसे मामलों में जहाँ सरकारी सेवक को दिनांक 01 जनवरी 2016 तथा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

ऐसे मामलों में जहाँ किसी सरकारी सेवक के पद के ग्रेड वेतन का उच्चीकरण दिनांक 01 जनवरी, 2016 एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, वहाँ उसे यह विकल्प होगा कि वह ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

स्पष्टीकरण-1 वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में ही स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण-2 उपर्युक्त के अनुसार विकल्प की सुविधा दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में किसी पद पर प्रथम नियुक्त होने वाले कार्मिक अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी कार्मिक के लिये स्वीकार नहीं होगा और उसे केवल पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण-3 जहाँ कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम-22 या किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलम्बित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

विकल्प का चयन

2. (1). उपर्युक्त प्रस्तर-1 के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक को अपना विकल्प लिखित रूप से निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) पर देना होगा। यह विकल्प सम्बन्धित कार्मिक के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/ वेतनपर्ची जारी करने वाले अधिकारी, जो भी सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका रखता हो, को इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर पहुँच जाना चाहिए,

परन्तु

(i) ऐसे सरकारी सेवक जो उक्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि को अवकाश पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर देश के बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जायेगा कि वह, भारत में उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन माह के अन्दर उक्त प्राधिकारी के पास पहुँच जाय।

(ii) सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी दिनांक 01 जनवरी 2016 को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

यदि निलम्बन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अन्दर कर सकता है।

(2). सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा अपने विकल्प की सूचना इस शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक-3) पर एक वचनबंध (Undertaking) के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जायेगी। कार्यालय प्रमुख/वेतन निर्धारण करने वाला अधिकारी वचनबंध प्राप्त किये बिना सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण नहीं करेंगे। वचनबंध को सम्बन्धित कर्मी की सेवा पुस्तिका में सुरक्षित रखना उक्त अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(3). यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपना विकल्प इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह की अवधि में सम्बन्धित प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि उसने दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर लिया है।

(4). एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

__टिप्पणी-1__ ऐसे व्यक्तियों, जिनकी सेवायें दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात समाप्त कर दी गयी थीं और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, वह उपर्युक्त प्रस्तर के अधीन विकल्प चयन के हकदार होगें।

__टिप्पणी-2__ ऐसे व्यक्तियों, जिनकी दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात मृत्यु हो गयी, जिसके कारण वह नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिये सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तिथि से इस संशोधित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर लिया है।

__टिप्पणी-3__ ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जिसके लिये उन्हें अवकाश वेतन देय बनता है, पर थे, उपर्युक्त प्रस्तर के अनुसार विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे।

वर्तमान परिलब्धियों की गणना

3. किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियाँ" का आशय दिनांक 01 जनवरी 2016 को आहरित मूल वेतन एवं उस पर देय मँहगाई भत्ते के योग से है, अर्थात् सम्बन्धित कार्मिक को उसके साधारण वेतनमान अथवा समयमान

वेतनमान/ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्राप्त प्रोन्नति वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड/ वित्तीय स्तरोन्नयन/उच्च वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 01 जनवरी 2016 को प्राप्त हो रहे मूल वेतन एवं उस पर देय मँहगाई भत्ते के योग से है। साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की राशि भी, यदि कोई हो, परिलब्धियों में सम्मिलित माना जायेगा।

पदों का स्तर

4. वेतन मैट्रिक्स में पदों के स्तर (Level) का निर्धारण पद हेतु विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर (Level) के आधार पर होगा।

वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण

5. (1) कोई सरकारी सेवक, जो वेतन मैट्रिक्स में उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2016 अथवा बाद की तिथि से विकल्प का चयन करता है या निर्धारित समयावधि में उसके द्वारा कोई विकल्प न दिये जाने के कारण यह मान लिया जाता है कि उसने दिनांक 01 जनवरी 2016 से वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने का विकल्प दिया है, का वेतन मैट्रिक्स में वेतन, उसे मौलिक पद पर प्राप्त हो रहे मूलवेतन एवं उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद के मूलवेतन के आधार पर निम्नलिखित विधि से अलग-अलग निर्धारित किया जायेगा:--

(अ). <u>सभी कर्मचारियों के मामले में</u>

(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य (Applicable) लेवल में सम्बन्धित कार्मिक का मूलवेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूलवेतन को गुणा करके निकटतम रूपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि (Figure) वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका (Cell) में तदनुरूपी (Corresponding) कोई समरूप (Identical) राशि है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूलवेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य लेवल के किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के बराबर उसका मूलवेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) उसके वर्तमान मूलवेतन को उपरोक्तानुसार 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि से अधिक है तो उसका पुनरीक्षित मूलवेतन, उस प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

<u>उदाहरणस्वरूप</u>-वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400 के पदधारक, जिसका दिनांक 01 जनवरी 2016 को बैण्ड वेतन रू0 10160 था, का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण संलग्नक-4 के अनुसार किया जायेगा।

(ब). <u>चिकित्सा अधिकारियों के मामले में</u>

ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता मिल रहा है, उनका पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:--

(i) वर्तमान मूलवेतन को 2.57 से गुणा किया जायेगा और संशोधन पूर्व प्राप्त हो रहे प्रैक्टिस बन्दी भत्ते पर मँहगाई भत्ते के बराबर राशि जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका (Cell) में समरूप (Identical) राशि विद्यमान है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूलवेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई राशि किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो उसके मूलवेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के स्तर पर किया जायेगा।

(ii) प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दरों में संशोधन किये जाने तक उपरोक्तानुसार निर्धारित मूलवेतन पर प्राप्त हो रहा पूर्व प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा, परन्तु उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल वेतन एवं प्रैक्टिस बन्दी भत्ते का योग रू0 2,37,500/- से अधिक नहीं होगा।

(iii) जिन चिकित्साधिकारियों को वर्तमान में प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय नहीं है, उनका वेतन निर्धारण उपर्युक्त उपप्रस्तर-(अ) के अनुसार किया जायेगा।

<u>उदाहरणस्वरूप-</u> ऐसे चिकित्साधिकारी, जिन्हें प्रैक्टिस **बन्दी** भत्ता देय है, और जिसका दिनांक 01 जनवरी 2016 को वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 में बैण्ड वेतन रू0 15600 था, का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण संलग्नक-5 के अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त उपप्रस्तर-(अ) एवं (ब) के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक का मौलिक पद एवं स्थानापन्न पद के संदर्भ में निर्धारित मूलवेतन में से जो अधिक होगा, वेतन मैट्रिक्स सम्बन्धित कार्मिक का पुनरीक्षित मूलवेतन होगा।

(2) कोई सरकारी सेवक, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अवकाश पर है और उसे अवकाश वेतन देय है, तो वह दिनांक 01 जनवरी 2016 से अथवा विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन प्राप्त कर सकेगा।

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

(3) कोई सरकारी सेवक, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अध्ययन अवकाश पर है तो वह दिनांक 01 जनवरी 2016 से अथवा विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन प्राप्त कर सकेगा।

(4) निलम्बन के अधीन सरकारी सेवक विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स मैं उसका वेतन निर्धारण, लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में दिये जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

(5) यदि स्थायी सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत है तथा इन दोनों पदों (स्थायी पद एवं स्थानापन्न पद) के लिये लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का विलय एक ही लेवल में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उपर्युक्त प्रस्तर-5(1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही उसका वास्तविक मूलवेतन माना जायेगा।

(6) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में वर्तमान परिलब्धियाँ "पुनरीक्षित परिलब्धियों" से अधिक हैं, तो यह अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा और उसका समायोजन आगामी वेतनवृद्धियों में किया जायेगा।

(7) यदि कोई सरकारी सेवक दिनांक 01 जनवरी 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में अपने संवर्ग के किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उसका मूलवेतन कनिष्ठ से कम निर्धारित होता है, तो उसका मूलवेतन कनिष्ठ के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(8) यदि किसी सरकारी सेवक को इस शासनादेश के निर्गत होने के पूर्व वैयक्तिक वेतन मिल रहा है और पुनरीक्षण के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन और वैयक्तिक वेतन का योग पुनरीक्षित मूलवेतन से अधिक हो जाता है, तो अन्तर की धनराशि उस सरकारी सेवक को वैयक्तिक वेतन के रूप में दी जायेगी और उसका समायोजन आगामी वेतनवृद्धियों में किया जायेगा।

(9) (i) ऐसे मामलों में जहाँ कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अपने कनिष्ठ जिसे दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया है, से कम वेतन निर्धारित होता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसके कनिष्ठ

के वेतन के बराबर कर दिया जायेगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी, अर्थात्

(क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे एक ही संवर्ग में समरूप (Identical) पद हों,

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों की संशोधन पूर्व वेतन संरचना तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल समरूप (Identical) हों,

(ग) प्रोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के मूलवेतन के बराबर या उससे अधिक मूलवेतन प्राप्त कर रहा हो।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम-22 अथवा संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियन्त्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो,

बशर्ते कि यदि किसी कनिष्ठ सरकारी सेवक को दी गयी किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो ऐसे मामलों में उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी अर्थात् वरिष्ठ अधिकारी का मूलवेतन कनिष्ठ के समान नहीं किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त उपप्रस्तर-(9)(i) के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के वेतन पुनर्निर्धारण के आदेश मूल नियम-27 के अधीन जारी किये जायेंगे। वरिष्ठ अधिकारी को अगली वेतनवृद्धि उसके वेतन पुनर्निर्धारण के पश्चात अपेक्षित अर्हकारी सेवा पूरी करने की तिथि से देय होगी।

01 जनवरी 2016 को अथवा उसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों

6. दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों का मूलवेतन उस पद, जिस पर सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया है, के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम स्तर (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) पर निर्धारित किया जायेगा।

बशर्ते, कि दिनांक 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात और इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. [illegible]

का वेतन निर्धारण

वेतन, वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी उपर्युक्त प्रस्तर-3 के अनुसार वर्तमान परिलब्धियॉ उस पद, जिस पर उसे दिनांक 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम स्तर (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) से अधिक हो जाती है तो ऐसे अन्तर का भुगतान उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में किया जायेगा और उसका समायोजन आगामी वेतनवृद्धियों में किया जायेगा।

वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धि

7. वार्षिक वेतनवृद्धि के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वह होगा, जो उसे वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल पर प्राप्त हो रहे मूल वेतन से उक्त लेवल में लम्बवत् चलन के फलस्वरूप अगली कोष्ठिका की राशि है।

<u>उदाहरणस्वरूप</u>-यदि किसी कार्मिक का मूल वेतन वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल-4 (ग्रेड वेतन रू0 2400 के सादृश्य) में रू0 32300 के स्तर पर निर्धारित है, तो अगली वार्षिक वेतनवृद्धि के फलस्वरूप उसका मूलवेतन उस प्रयोज्य लेवल में अगली कोष्ठिका की राशि अर्थात् रू0 33300 होगा और इसके उपरान्त अगली वेतनवृद्धि के फलस्वरूप उसका वेतन उस प्रयोज्य लेवल में उससे अगला अर्थात् रू0 34300 हो जायेगा।

वेतन मैट्रिक्स में अगली वेतनवृद्धि की तिथि

8. (1). 01 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर वेतनवृद्धि की दो तिथियॉ होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।

(2). ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को वेतनवृद्धि

01 जनवरी को दी जायेगी और ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन दिया गया है, को वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी।

<u>उदाहरण-</u>

(क) ऐसे कर्मचारी जिसे दिनाक 02 जुलाई 2016 और 01 जनवरी 2017

के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई 2017 को देय होगी और इसके बाद में अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर अर्थात् 01 जुलाई 2018 को देय होगी।

(ख) ऐसे कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जनवरी 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी 2017 को देय होगी और इसके बाद में अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर अर्थात् 01 जनवरी 2018 को देय होगी।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन मैट्रिक्स में मूलवेतन दिनांक 01 जनवरी 2016 को निर्धारित कर दिया गया है और वह उसी लेवल में बने हुए हैं, तो उस लेवल में अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2016 को देय होगी और इसके उपरान्त अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी।

वेतन मैट्रिक्स में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण

9. (1) दिनांक 01 जनवरी 2016 अथवा उसके पश्चात किसी कर्मचारी की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर उसका वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जायेगी जिससे कर्मचारी प्रोन्नत किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें प्रोन्नति दी गयी है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य राशि तलाशी जायेगी। यदि उक्त लेवल के किसी कोष्ठिका में उक्त राशि के समतुल्य राशि उपलब्ध है तो वही राशि उसका मूलवेतन होगा और यदि वह राशि उस लेवल, जिसमें प्रोन्नति दी गयी है, की किसी कोष्ठिका में उपलब्ध नहीं है तो उस लेवल में अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूलवेतन होगा। ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी उदाहरण संलग्नक-6 पर है।

(2) किसी कर्मचारी के पद का वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान का उच्चीकरण दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद और इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है और उच्चीकृत ग्रेड वेतन/वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित किया जा चुका है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

कार्मिक का दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उपर्युक्त प्रस्तर-6 की व्यवस्था के अनुसार पहले वेतन निर्धारित किया जायेगा। इसके उपरान्त वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के उच्चीकरण की तिथि को उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

शासनादेश संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा पूर्वगामी तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू की गयी वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक को उच्चीकरण के पूर्व मिल रहे मूल वेतन के समतुल्य राशि से उच्चीकृत ग्रेड वेतन के सादृश्य लेवल की अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूलवेतन होगा।

(3) ऐसे मामले, जिनमें वेतन मैट्रिक्स में किसी पद हेतु निर्धारित लेवल का उच्चीकरण इस शासनादेश के निर्गत होने के बाद होता है, उनमें उच्चीकरण की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक को उच्चीकरण के पूर्व मिल रहे मूलवेतन के समतुल्य राशि से उच्चीकृत लेवल की अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूलवेतन होगा। ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी उदाहरण संलग्नक-7 पर है।

अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

10. इस शासनादेश से आच्छादित कार्मिकों को वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मँहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी 2017 (भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2017 को देय) से नकद भुगतान किया जायेगा तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय अवशेष का भुगतान 02 समान किश्तों में निम्नानुसार किया जायेगा:-

(i) अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जायेगा।

(ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में उपरोक्तानुसार देय अवशेष का 80 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कार्मिक के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा किया जायेगा और अवशेष 20 प्रतिशत भाग में से देय आयकर की धनराशि को काटकर शेष नकद भुगतान किया जायेगा। ऐसे कार्मिक जिनके देय आयकर की धनराशि 20 प्रतिशत से अधिक होती है, के मामलों में 20 प्रतिशत नगद भुगतान की जाने वाली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

धनराशि को देय आयकर की सीमा तक आयकर भुगतान हेतु बढ़ा दिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की जायेगी। उक्तानुसार भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि, जमा होने की तिथि से 01 वर्ष तक सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा रहेगी और उसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final withdrawal) देय हो, 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।

(iii) ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा करा दिया जायेगा।

(iv) नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तदनुसार देय अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि सम्बन्धित कार्मिको के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। अवशेष की शेष 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को उनके विकल्प के आधार पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा करा दी जायेगी।

11. विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मचारियों/अधिकारियों, जिनको शासनादेश संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443/दस-04 (एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के लिये भी इस शासनादेश द्वारा की जा रही वेतन निर्धारण की व्यवस्था लागू होगी।

12. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स संलग्नक-1, विकल्प का प्रारूप संलग्नक-2, वचनबंध का प्रारूप संलग्नक-3 तथा वेतन निर्धारण से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक-4, 5, 6 व 7 पर उपलब्ध हैं।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-67/2016/वे0आ0-2- 1447(1)/दस-04 (एम)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-। एवं ॥ तथा (आडिट)- । एवं ॥ उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-1

पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

15600-39100			37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000
5400	6600	7600	8700	8900	10000			
10	11	12	13	13क	14	15	16	17
56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000
57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600	
59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900	
61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400	
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100		
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300		
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600		
69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100		
71100	85800	99800	150200	166100	182700			
73200	88400	102800	154700	171100	188200			
75400	91100	105900	159300	176200	193800			
77700	93800	109100	164100	181500	199600			
80000	96600	112400	169000	186900	205600			
82400	99500	115800	174100	192500	211800			
84900	102500	119300	179300	198300	218200			
87400	105600	122900	184700	204200				
90000	108800	126600	190200	210300				
92700	112100	130400	195900	216600				
95500	115500	134300	201800					
98400	119000	138300	207900					
101400	122600	142400	214100					
104400	126300	146700						
107500	130100	151100						
110700	134000	155600						
114000	138000	160300						
117400	142100	165100						
120900	146400	170100						
124500	150800	175200						
128200	155300	180500						
132000	160000	185900						
136000	164800	191500						
140100	169700	197200						
144300	174800	203100						
148600	180000	209200						
153100	185400							
157700	191000							
162400	196700							
167300	202600							
172300	208700							
177500								

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-2

विकल्प का प्रारूप

*1. मैं, ... 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन करता हूँ/करती हूँ।

*2. मैं, ... अपने निम्न-उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन में

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तिथि तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक, जब मेरा वेतन बढ़कर .... रूपये हो जाए/मेरे विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/ .... के पद पर मेरी प्रोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ।

विद्यमान वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन ....

हस्ताक्षर-...

नाम-...

पदनाम-..

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं-...

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

<u>संलग्नक-3</u>

वचनबंध

मैं, यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन, वेतन निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश में अन्तर्विष्ट उपबंधों के विपरीत रीति से निर्धारित हो जाने (त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर) जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर-..

नाम-..

पदनाम-..

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-4

वेतन मैट्रिक्स में कार्मिक के वेतन निर्धारण हेतु उदाहरण।

सामान्य मामलों में वेतन निर्धारण

1. सम्बन्धित कार्मिक का विद्यमान वेतन बैण्डः पी0बी0-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतनः रू0 2400
2. वेतन बैण्ड में विद्यमान बैण्ड वेतनः रू0 10160
3. विद्यमान मूल वेतनः रू0 12560 (10160+2400)
4. मूल वेतन को 2.57 के फिटमैंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् धनराशिः 12560× 2.57 =32279.20 (32279 में पूर्णांकित)
5. वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन रू0 2400 के तदनुरूपी लेवल, लेवल 4 में उक्त पूर्णांकित धनराशि रू0 32279 के स्तर की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण उससे अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि- रू0 32300 के स्तर पर वेतन निर्धारित होगा।

वेतन बैण्ड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	32300	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
...desh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-5

ऐसे चिकित्साधिकारियों, जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय है, के वेतन निर्धारण का उदाहरण।

1. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का विद्यमान वेतन बैण्ड: पी0बी0-3 रू0 15600-39100
2. ग्रेड वेतन: रू0 5400
3. सम्बन्धित का वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन: रू0 15600
4. सम्बन्धित का मूल वेतन: रू0 21000
5. सम्बन्धित को देय प्रैक्टिस बन्दी भत्ता- मूल वेतन का 25 % अर्थात् - रू0 5250
6. प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की धनराशि रू0 5250 पर 125% की दर से मँहगाई भत्ता- रू0 6563
7. मूल वेतन को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् धनराशि- 21000× 2.57 = रू0 53970
8. क्रम सं0 6 व 7 का जोड़- रू0 60533
9. वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन रू0 5400 के तदनुरूपी लेवल, लेवल 10 में उक्त पूर्णांकित धनराशि रू0 60533 के स्तर की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण उससे अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि- रू0 61300
10. सम्बन्धित का निर्धारित वेतन -रू0 61300
11. संशोधन पूर्व प्रैक्टिस बन्दी भत्ता- रू0 5250

वेतन बैण्ड	15600-39100		
ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
लेवल	10	11	12
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200
3	59500	71800	83600
4	61300	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

<u>संलग्नक-6</u>

दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण का उदाहरण।

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 2400 के तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में लेवल, लेवल 4
2. वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित मूल वेतन-रू0 28700
3. प्रोन्नति/एसीपी स्कीम के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप लेवल- लेवल 5
4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिये जाने के पश्चात् वेतनः रू0 29600
5. लेवल 5 में रू0 29600 की धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 30100

सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन- रू0 30100

वेतन बैण्ड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक-7

दिनांक 01 जनवरी, 2016 के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक के पद का लेवल (ग्रेड वेतन) को उच्चीकृत किये जाने पर वेतन निर्धारण का उदाहरण।

1. सम्बन्धित कार्मिक के पद का उच्चीकरण के पूर्व का मैट्रिक्स लेवल-4
2. सम्बन्धित कार्मिक का मैट्रिक्स लेवल-4 में मूल वेतन- रू0 30500
3. उच्चीकृत मैट्रिक्स लेवल-5
4. उच्चीकृत मैट्रिक्स लेवल-5 में अगली कोष्ठिका की राशि- 31000
5. सम्बन्धित कार्मिक लेवल-5 में निर्धारित मूल वेतन- रू0 31000

वेतन बैण्ड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-47/2016/वे0आ0-2-1017/दस-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 19 अगस्त, 2016

विषय- मकान किराया भत्ता में वृद्धि किये जाने हेतु मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मकान किराया भत्ता में वृद्धि किये जाने हेतु मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय विभागों के कार्मिकों के समान स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों के कार्मिकों को वर्तमान में अनुमन्य मकान किराये भत्ते की दरों में 20 प्रतिशत् की वृद्धि (अगले 10 रूपये में पूर्णांकित करते हुये) करते हुये निम्नवत् मकान किराया भत्ता दिनांक 01 अगस्त, 2016 से इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान किया जाये कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का वहन सम्बन्धित संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी तथा भारत सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य में गठित वेतन समिति द्वारा मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु संस्तुतियां प्रदान करते समय उक्त वृद्धि को संज्ञान में लिया जायेगा :--

क्र0 [redacted]	ग्रेड [redacted]	श्रेणी-ए, बी-1 तथा बी-2 के नगरों में		श्रेणी-सी के नगरों में		अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र	
		वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1300	900	1080	450	540	300	360
2	1400	930	1120	465	560	310	380
3	1650	980	1180	490	590	325	390
4	1800	1100	1320	550	660	365	440
5	1900	1160	1400	580	700	385	470
6	2000	1200	1440	600	720	400	480

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	2400	1470	1770	735	890	490	590
8	2800	1670	2010	830	1000	555	670
9	4200	2020	2430	1010	1220	670	810
10	4600	2760	3320	1380	1660	920	1110
11	4800	2810	3380	1405	1690	935	1130
12	5400	3150	3780	1575	1890	1050	1260
13	6600	3780	4540	1890	2270	1260	1520
14	7600	4480	5380	2240	2690	1490	1790
15	8700	6910	8300	3455	4150	2300	2760
16	8900	7280	8740	3640	4370	2430	2920
17	10000	8200	9840	4100	4920	2730	3280
18	वेतनमान 67000-79000	9200	11040	4600	5520	3000	3600
19	वेतनमान 80000 नियत	10500	12600	5250	6300	3500	4200

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अग्रिम कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-47/2016/वे0आ0-2-1017(1)/दस-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

मद संख्या 246/8

अनुशासनिक अनुभाग

पत्रावली संख्या अनुशा0–17 / 2002(1578)

मा0 परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं ऐसे कार्मिकों, जिनकी नियुक्ति प्राधिकारी मा0 परिषद है, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय जॉच संस्थित किये जाने के सम्बन्ध में।

सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351ए के उपबन्ध निम्नवत् हैं:-

"अनुच्छेद 351ए–राज्यपाल को पेंशन या उसके किसी अंश को स्थायी रूप से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने, तथा सरकार को कारित किसी धनीय हानि को पूर्णतः या अंशतः पेंशन से वसूल करने का आदेश करने, का अधिकार प्राप्त है, यदि पेंशन भोगी को, विभागीय न्यायिक कार्यवाही में उसकी सेवा जिसमें सेवानिवृत्त के उपरान्त पुनः सेवायोजन पर की गयी सेवा भी सम्मिलित है, के दौरान कारित किये गये गम्भीर दुराचरण का दोषी पाया गया हो अथवा दुराचरण या लापरवाही से सरकार को धनीय हानि कारित की गयी हो :–

परन्तु यह कि–

(ए) ऐसी विभागीय कार्यवाही यदि अधिकारी के सेवानिवृत्त से पूर्व या पुनः सेवायोजन के दौरान ड्यूटी पर रखते हुए संस्थित न की गयी हो तो–

(I) राज्यपाल की मंजूरी के बगैर संस्थित नहीं की जायेगी।

(II) घटना ऐसी कार्यवाही संस्थित होने से पूर्व 04 वर्षो से अधिक अवधि के पहले की न हो।

(III) कार्यवाही ऐसे प्राधिकारी एवं ऐसे स्थान पर संचालित की जायेगी जैसा कि राज्यपाल निदेश दें एवं ऐसी प्रकिया जो सेवा से पदच्युति का आदेश करने की कार्यवाही में प्रवृत्त होती है के अनुसार की जायेगी।

(बी) न्यायिक कार्यवाही यदि अधिकारी के सेवानिवृत्ति से पूर्व अथवा पुनः सेवायोजन के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए संस्थित न की गयी हो, खण्ड (ए) के उपखण्ड(II) के अनुरूप संस्थित की जायेगी।"

2. सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351ए के उपर्युक्त उपबन्ध को परिषद में अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद की 235वीं बैठक दिनॉक 12.04.2016 के मद संख्या 235/63 के अन्तर्गत प्रस्तुत हुआ था, जिसके परिप्रेक्ष्य में मा0 परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351ए को परिषद में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुपालन में आदेश संख्या–41/ अनुशा0–17/2002(1578) दिनॉक 25.04.2016 द्वारा सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351ए यथा संशोधित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में अंगीकृत किया गया है एवं तत्पश्चात् परिषद की विज्ञप्ति संख्या–541/ अनुशा0–17/2002(1578) दिनॉक 02.12.2016 के माध्यम से सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश के दिनॉक 31.12.2016 के संस्करण में प्रकाशित करायी गयी है।

3. उपर्युक्त अंगीकृत प्रस्ताव के अनुसार मूल नियमावली में उल्लिखित राज्यपाल शब्द का तात्पर्य मा0 परिषद एवं मूल नियमावली में उल्लिखित सरकार का तात्पर्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से होगा। अर्थात् जहॉ राज्यपाल, उसे मा0 परिषद् व जहॉ सरकार शब्द है, उसे उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद् पढ़ा जाए। किसी मामले में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता की स्थिति में उ0प्र0 शासन के तत्संबंधी नियमों/आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

4. इस प्रकार परिषद द्वारा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351ए के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरूद्ध मा0 परिषद की अनुमति से ही अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय जॉच संस्थित की जा सकती है। इसी प्रकार परिषद के अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता पद के नियुक्ति प्राधिकारी मा0 परिषद है। अतः परिषद के कार्यरत/सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय जॉच संस्थित किये जाने हेतु मा0 परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

5. अतः वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत, यह प्रस्ताव है कि यदि मा0 परिषद की बैठक की तिथि नियत न हुई हो और सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा ऐसे कार्मिक, जिनकी नियुक्ति प्राधिकारी मा0 परिषद है, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय जॉच संस्थित किया जाना अपेक्षित हो, तो मा0 अध्यक्ष(महोदय) की अनुमति प्राप्त कर सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय जॉच संस्थित कर दी जाए एवं उक्त कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति मा0 परिषद की आगामी बैठक में प्राप्त कर लिया जाय।

6. अतः उक्त प्रस्ताव मा0 परिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

23.8.18

(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

भद संख्या-**246/9**
अनुशासनिक अनुभाग

परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः– परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में निर्माणाधीन शिखर एन्क्लेव के निर्माण कार्य अपूर्ण/मानक के अनुरूप न होने तथा लिफ्ट की आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में अन्तर्ग्रस्त सेवानिवृत्त अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर–15 में निर्माणाधीन शिखर एन्क्लेव के फ्लैटस के आवंटियों द्वारा फ्लैटस के कार्य अपूर्ण होने, घटिया स्तर की लिफ्ट एवं सिविल/विद्युत कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में की गई शिकायतों की विस्तृत जांच हेतु आदेश संख्या–144/ पी0एस0–एच0सी0/दिनांक 12.01.2018 द्वारा गठित वित्त नियंत्रक तथा निदेशक, गुण नियंत्रण एवं परिकल्पना वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ की संयुक्त समिति से जांच कराये जाने पर यह पाया गया कि वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर–15 में निर्माणाधीन शिखर एन्क्लेव के ब्लाक ए एवं बी का निर्माण कार्य कराने हेतु मै0 साँई कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में अनुबंध संख्या–2/एस0ई0–7/2011–12 गठित हुआ, जिसमें कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 03.08.2011 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 02.02.2013 निर्धारित थी, किन्तु शिखर एन्क्लेव के निर्माण हेतु फर्म के साथ गठित अनुबन्ध के सापेक्ष कार्यों को समय से पूर्ण कराये जाने में गम्भीरता नहीं बरती गयी है, जिसके फलस्वरूप कार्य अभी अपूर्ण है तथा उक्त विलम्ब हेतु अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अर्थदण्ड आरोपित करते हुए समयवृद्धि भी अनुमन्य नहीं है। फ्लैटस में कराये गये निर्माण कार्य निर्धारित मानक से निम्न स्तर के अथवा अपूर्ण पाये गये।

2. प्रश्नगत प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त 12 कार्यरत अभियंताओं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय जांच पूर्व में दिनांक 21.06.2018 को गठित की जा चुकी है तथा मा0 अध्यक्ष(म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से अनुमति प्राप्त कर श्री सी0पी0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता सम्प्रति अधीक्षण अभियंता एवं श्री अफसर अली, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, श्री अनूप त्रिपाठी, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, श्री आर0के0 गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियंता व श्री हरि शंकर सचान सेवानिवृत्त अवर अभियंता के विरूद्ध विभागीय जाँच दिनांक 09.08.2018 को गठित की जा चुकी है।

3. उल्लेखनीय है कि श्री सी0पी0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता वर्तमान में अधीक्षण अभियन्ता है और अधीक्षण अभियन्ता पद की नियुक्ति प्राधिकारी मा0 परिषद है। अतः श्री सी0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय जांच गठित किये जाने हेतु मा0 परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद–351ए, जो परिषद में अंगीकृत है एवं सेवानिवृत्त कार्मिको पर समान रूप से लागू होगी, जिसे अनुच्छेद–351ए' की मूल नियमावली में विभागीय कार्यवाही हेतु राज्यपाल की मंजूरी से किये जाने का उल्लेख है, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सेवा निवृत्त कार्मिकों पर कार्यवाही करने का सापेक्ष प्रश्नगत उल्लिखित राज्यपाल, शब्द का तात्पर्य "मा0 परिषद" पढ़े जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। "सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद–351ए' में यह भी प्रतिबन्ध हैं कि घटना, ऐसी कार्यवाही संस्थित होने से पूर्व चार वर्ष से अधिक अवधि के पहले की न हो, के अनुसार उक्त कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने से पूर्व भी मा0 परिषद का अनुमोदन आवश्यक है।

4. अतः मा0 अध्यक्ष(म0) के अनुमोदनोपरांत श्री सी0पी0 सिंह, अधीक्षण अभियंता एवं सेवानिवृत्त कार्मिक श्री अफसर अली, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, श्री अनूप त्रिपाठी, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, श्री आर0के0 गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियंता व श्री हरि शंकर सचान सेवानिवृत्त अवर अभियंता, के विरूद्ध गठित की गई उक्त विभागीय जांचों के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव मा0 परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

मद संख्या-246 / 10
अनुशासनिक अनुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः–वसुन्धरा एन्क्लेव गाजियाबाद के सेक्टर–8 में निमार्णाधीन 33 / 11 के0वी0 सब स्टेशन हेतु आवश्यक 10 एम0वी0ए0 क्षमता के 02 नग 33 / 11 के0वी0 पावर ट्रान्सफार्मर्स की आपूर्ति के संबंध में की गई लापरवाही / अनियमितता के दृष्टिगत अधीक्षण अभियंता एवं सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता के विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में।

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर–8 में निमार्णाधीन 33 / 11के0वी0 सब–स्टेशन स्टेशन हेतु आवश्यक 10 एम0वी0ए0 क्षमता के 02 नग 33 / 11 के0वी0 पावर ट्रान्सफार्मर्स की आपूर्ति मैसर्स मिर्जापुर इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड से बिना यू0पी0पी0सी0एल0 के अभियन्ताओं की टेस्टिंग के करा ली गई। आपूर्ति के उपरान्त ट्रान्सफार्मर से प्राप्त होते ही तत्काल संबंधित फर्म को कुछ कटौती करते हुए ट्रान्सफार्मर का भुगतान कर दिया गया। ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति प्राप्त होते ही बिना उसके सफल संचालन और बिना यू0पी0पी0सी0एल0 की टेस्टिंग के बड़ी धनराशि का तत्काल भुगतान करना सिद्ध करता है कि भुगतान में जल्दबाजी की गई, जबकि ट्रान्सफार्मर के सत्यापन / टेस्टिंग एवं उसके सफलतापूर्वक संचालन के उपरान्त ही भुगतान हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा न करके भुगतान हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया और उक्त बिना सावधानी बरते तत्काल भुगतान भी कर दिया गया। भुगतान के उपरान्त उक्त 02 ट्रान्सफार्मर्स टेस्टिंग हेतु लगभग ढाई वर्ष पूर्व फर्म को बिना परिषद के वित्तीय हित को सुरक्षित रखे वापस कर दिये गये, जिसका परिणाम यह हुआ कि अभी तक उक्त ट्रान्सफार्मर्स की आपूर्ति किसी न किसी कारण से परिषद को नहीं की गई और परिषद की रू0 1,08,03,488.00 की धनराशि फर्म के पास अनाधिकृत रूप से पडी हुई है। यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा बिना टेस्टिंग के ट्रान्सफार्मर्स की आपूर्ति कराना घोर लापरवाही का द्योतक है।

2. प्रश्नगत प्रकरण में अर्न्तग्रस्त श्री दिनेश चन्द्र शुक्ला, सहायक अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय जॉच आदेश संख्या–516 / अनुशा0–194 / 2018 (3447) दिनांक 30–07–2018 एवं श्री जय जय राम, अवर अभियन्ता के विरूद्ध आदेश संख्या–515 / अनुशा0–194 / 2018(3447) दिनांक 30–07–2018 द्वारा गठित की गई एवं मा0 अध्यक्ष (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से अनुमति प्राप्त कर, श्री सी0पी0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता एवं श्री सीताराम चौहान सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत क्रमशः आदेश संख्या–576 / अनुशा0–83 / 2018 (3447) दिनांक 08–08–2018 एवं आदेश संख्या–577 / अनुशा0–83 / 2018 (3447) दिनांक 08–08–2018 द्वारा विभागीय जॉच गठित की जा चुकी है।

3. उल्लेखनीय है कि श्री सी0पी0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता वर्तमान में अधीक्षण अभियन्ता है और अधीक्षण अभियन्ता पद की नियुक्ति प्राधिकारी मा0 परिषद है। अतः श्री सी0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय जांच गठित किये जाने हेतु मा0 परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद–351ए, जो परिषद में अंगीकृत है एवं सेवानिवृत्त कार्मिको पर समान रूप से लागू है। सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद–351ए' में विभागीय कार्यवाही राज्यपाल की मंजूरी से किये जाने का उल्लेख है और उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सेवा निवृत्त कार्मिकों पर कार्यवाही करने के सापेक्ष प्रश्नगत उल्लिखित राज्यपाल, शब्द का

RRY-2

तात्पर्य "मा0 परिषद" पढ़े जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। "सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद–351ए' में यह भी प्रतिबन्ध हैं कि घटना, ऐसी कार्यवाही संस्थित होने से पूर्व चार वर्ष से अधिक अवधि के पहले की न हो, के अनुसार उक्त सेवानिवृत्त कार्मिक के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने हेतु भी मा0 परिषद का अनुमोदन आवश्यक है।

4. अतः मा0 अध्यक्ष (म0) के अनुमोदनोपरान्त, श्री सी0पी0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता एवं सेवानिवृत्त कार्मिक श्री सीता राम चौहान तत्कालीन अवर अभियन्ता के विरूद्ध गठित की गयी उक्त विभागीय जॉचों के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव मा0 परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

23.8.18.
(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

मद संख्या-246/11
अनुशासनिक अनुभाग

परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः–श्री बनवारी लाल शर्मा, तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा में श्री मोहन शर्मा को आवंटित अल्प आय वर्ग भवन संख्या–2सी/265 सम्पत्ति प्रबंधक, सिकन्दरा, आगरा के पत्र संख्या–2166/स0प्र0–सिक0 दिनांक 10.09.2015 द्वारा निरस्त किया गया। श्री मोहन शर्मा द्वारा भवन का पंजीकरण/आवंटन निरस्त किये जाने के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–46564/ 2015 मोहन शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य दायर की गयी। उक्त रिट याचिका के विचाराधीन रहते हुए उक्त भवन का आवंटन दिनांक 23.08.2016 के लाटरी ड्रा में कु0 प्रभा रानी के पक्ष में हुआ एवं तद्क्रम में प्रदेशन पत्र संख्या 2281 दिनांक 31.08.2016 निर्गत किया गया। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2017 को पारित आदेश में याची श्री शर्मा को उक्त भवन का मूल्य एक माह में सूचित किये जाने के आदेश दिये गये। सम्पत्ति प्रबन्धक, सिकन्दरा, आगरा के पत्र संख्या–2784/स0प्र0–सिक0, दिनांक 13.12.2017 द्वारा याची को सूचित किया गया कि उक्त भवन वर्तमान में रिक्त नहीं है, दिनांक 23.08.2016 के आवंटन ड्रा में अन्य के पक्ष में आवंटित कर भवन का विक्रय विलेख निष्पादित किया जा चुका है। सम्पत्ति प्रबन्धक का यह दायित्व था कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 20.11.2017 के दृष्टिगत उनके द्वारा प्रश्नगत भवन के विक्रय विलेख का निष्पादन न किया जाता किन्तु उनके द्वारा जोन अथवा मुख्यालय स्तर से बिना निर्णय प्राप्त किये तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 20.11.2017 का संज्ञान होने के बाद भी उक्त भवन का विक्रय विलेख दिनांक 07.12.2017 को कु0 प्रभा रानी के पक्ष में निष्पादित करते हुए याची को अपने स्तर से ही उक्तानुसार सूचित कर दिया गया।

2. प्रश्नगत प्रकरण में अर्न्तग्रस्त श्री के0सी0 त्रिपाठी, तत्कालीन प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक के विरूद्ध परिषद के आदेश संख्या 1500/अनुशा0–29/2018/(3393) दिनांक 28.03.2018 द्वारा विभागीय जॉच गठित की गई तथा मा0 अध्यक्ष (म0) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से अनुमति प्राप्त कर श्री बनवारी लाल शर्मा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत परिषद के आदेश संख्या 596/अनुशा0–30/2018(3394) दिनांक 09.08.2018 द्वारा विभागीय जॉच गठित की जा चुकी है।

3. उल्लेखनीय है कि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद–351ए, जो परिषद में अंगीकृत है एवं सेवा निवृत्त कार्मिको पर समान रूप से लागू है। सिविल सर्विसेस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद–351ए में विभागीय कार्यवाही राज्यपाल की मंजूरी से किये जाने का उल्लेख है, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सेवा निवृत्त कार्मिकों पर कार्यवाही करने के सापेक्ष प्रश्नगत उल्लिखित राज्यपाल, शब्द का तात्पर्य "मा0 परिषद" पढे जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। "सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद–351ए में यह भी प्रतिबन्ध हैं कि घटना, ऐसी कार्यवाही संस्थित होने से पूर्व चार वर्ष से अधिक अवधि के पहले की न हो, के अनुसार उक्त सेवानिवृत्त कार्मिक के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित किये जाने से पूर्व मा0 परिषद का अनुमोदन आवश्यक है।

4. अतः मा0 अध्यक्ष(म0) के अनुमोदनोपरान्त, श्री बनवारी लाल शर्मा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध गठित की गई उक्त विभागीय जॉच के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव मा0 परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर) 23.8.18
(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(हस्ताक्षर)
(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

मद संख्या–246/12

भूमि अर्जन अनुभाग

परिषद के लिये ब्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः– परिषद की लखनऊ–गोरखपुर बाईपास मार्ग योजना सं0–1 व 2 फैजाबाद के सम्बन्ध मे।

परिषद द्वारा फैजाबाद शहर में लखनऊ–गोरखपुर–बाईपास मार्ग योजना सं0–1 व 2 फैजाबाद क्रमशः 25.295हे0 व 38.228हे0 हेतु प्रस्तावित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में धारा–28 की नोटिस का प्रथम प्रकाशन दिनांक 01.10.2005 को कराते हुए प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई नियोजन समिति द्वारा दिनांक 14.11.2006 व दिनांक 16.11.2006 को की गयी तदोपरान्त उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में मा0 परिषद की 196वीं बैठक दिनांक 18.12.2006 के मद सं0–196/39 व 196/40 तथा मा0 परिषद की 198वी बैठक दिनांक 21.07.2007 के मद संख्या–198/8 व 198/9 पर धारा–31(1) की स्वीकृति प्रदान की गयी तत्पश्चात उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में जिला व मण्डलीय भूमि उपयोग समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी फैजाबाद से अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में जिलाधिकारी फैजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2008 **(परिशिष्ट–1)** को जिला भूमि उपयोग समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नवत निर्णय लिया गया :–

"प्रश्नगत योजनाओं में समाविष्ट ग्राम–जनौर, कोरखाना व भीखापुर की अधिकांश जमीने पूर्व में ही हवाई पट्टी के निर्माण में, बाई–पास मार्ग में, गाँधी आश्राम में, रेलवे सम्पत्ति में एवं परिक्रमा मार्ग के निर्माण में अधिगृहीत की जा चुकी है और यदि अब अवशेष जमीन का अधिग्रहण परिषद द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में होता है तो ग्रामों के कास्तकार भुखमरी की कगार पर आ जायेगे और उनको अनाज इत्यादि खरीद कर खाना पड़ेगा जो जनहित में उचित नही है। इसी क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त, फैजाबाद को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 26.04.2005 में भी सन्दर्भित ग्रामो की भूमि को अधिग्रहीत न किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति की जा चुकी है, जिसके सन्दर्भ में तत्कालीन मण्डलायुक्त, फैजाबाद द्वारा भी अनुसचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन को दिनांक 27.04.2005 को प्रेषित आख्या में सन्दर्भित ग्रामों की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त रखने की संस्तुति की गयी थी। वर्तमान में मा0 सांसद श्री मित्रसेन यादव, मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती मालती सिंह, मा0 विधायक, बीकापुर, श्री जितेन्द्र सिंह एंव पूर्व विधायक श्री रामू प्रियदर्शी द्वारा सन्दर्भित भूमि के अधिग्रहण से मुक्त रखने हेतु अनुरोध पत्र भेजे गये है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों/बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में उक्त योजनाओ के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण न पाये जाने के कारण जिला भूमि उपयोग समिति द्वारा अनुमोदन नही प्रदान किया गया।"

जिला भू–उपयोग समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय पर पुर्नविचार करते हुए अनुमोदन प्रदान करने हेतु परिषद द्वारा पुनः जिलाधिकारी फैजाबाद/मण्डलायुक्त तथा शासन से अनुरोध किया गया। उक्त के सन्दर्भ में जिलाधिकारी फैजाबाद के पत्र सं0–686/दिनांक 29.07.2008 व पत्र सं0–69 दिनांक 29.04.2011 **(परिशिष्ट–2)** द्वारा परिषद एवं उ0प्र0 शासन को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत योजनाओं के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान में स्थानीय कास्तकारों द्वारा प्रबल विरोध किये जाने के फलस्वरूप उक्त योजनाओं के संचालन हेतु पुर्नविचार किया जाना सम्भव नही है। उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में परिषद द्वारा काफी प्रयास किये जाने के बाद भी जिला भूमि उपयोग समिति द्वारा अनुमोदन न दिये जाने के कारण उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में कोई अग्रेतर कार्यवाही नही हो सकी।

कालान्तर में मा0 परिषद की 237वी बैठक दिनांक 03.08.2016 के मद संख्या–237/12 पर निर्णय लिया गया कि मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष बैठक मे यह भी तथ्य लाये गये कि पूर्व में परिषद द्वारा बहुत से जनपदों/नगरों में आवासीय योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया था और उसके लिये भूमि अधिग्रहण की विधिक कार्यवाही भी प्रारम्भ की गयी थी, बहुत सी योजनाओं में आंशिक भूमि प्राप्त हो गयी तथा अधिक भूमि विवादों के कारण उसका उचित समाधान नहीं हो पाया है। बहुत से प्रकरण वर्ष–1980 से अब तक विवादित चल रहे है। इससे जहाँ एक ओर वादों की संख्या में वृद्धि हुयी है तथा परिषद से भी कोई निर्णय नही हो पा रहा है। इन परिस्थियों में किसान तो परेशान है ही साथ ही परिषद की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं।

—2

भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 जो पूरे देश में लागू है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा नगरीय क्षेत्र में दो गुना प्रतिकर देने की व्यवस्था की गयी है। यहाँ यह विचारणीय है कि बहुत पुरानी योजनायें जो लगभग 20 वर्ष पहले प्लान की गयी थी, क्या आज की स्थिति में प्रांसगिक रह गयी है, प्रायः इस तरह के प्रकरण बोर्ड के समक्ष आते रहते है, अनेक मामले मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण लंबित रहते है। अतः सैद्धान्तिक रूप से नीतिविषयक निर्णय लेकर समाधान की सम–सामयिक आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त जहॉ भूमि का मूल्य अधिक होने के कारण, विक्रयशीलता की दर अधिक होने, अवैध कब्जे, मा0 न्यायालयों में विवाद आदि के कारण योजना का संचालन नहीं शुरू हो पा रहा है, का उचित समाधान आवश्यक है।

मा0 परिषद द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुपालन में परिषद के आदेश सं0–890/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 17.08.2016 द्वारा गठित तृस्तरीय समितियों से योजनाओं का परीक्षण कराकर आख्या प्रस्तुत करने हेतु समस्त खण्ड/वृत्त कार्यालयों को निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में लखनऊ–गोरखपुर बाई–पास मार्ग योजना सं0–1 व 2 फैजाबाद के सम्बन्ध में **फील्ड स्तर** की गठित समिति की बैठक दिनांक 09.02.2017 **(परिशिष्ट–3)** को सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्नवत निर्णय लिया गया है।

"उक्त योजनाओं का वर्तमान में अधिग्रहण करना परिषद हित में उचित नही होगा, क्योकि प्रश्नगत योजनान्तर्गत अधिकृत ग्रामों की अधिकांश जमीने, बाई–पास मार्ग, हवाई पट्टी का निर्माण, गाँधी आश्रम, रेलवे सम्पत्ति एवं परिक्रमा मार्ग के निर्माणों में अधिकांशतः अधिकृत हो चुकी है। दिनांक 27.03.08 को सम्पन्न हुयी जिला भू–उपयोग की बैठक में पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि प्रश्नगत योजनाओं की अधिकांश भूमि अधिग्रहीत हो चुकी है व अवशेष जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है तो किसान भूखमरी की कगार पर आ जायेगे जो जनहित में उचित प्रतीत नही होता है, आदि का उल्लेख करते हुए उक्त योजना के सम्बन्ध में अनुमोदन नही प्रदान किया गया था। वर्ष–2008 से अब तक लगभग आठ वर्ष व्यतीत हो चुके है जिस अवशेष जमीनों पर स्थानीय लोगो द्वारा प्लाटिंग व अन्य व्यवसाय प्रारम्भ कर दिये गये है, ऐसी स्थिति में गठित समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि उक्त योजनाओं का अधिग्रहण करना/अग्रिम कार्यवाही करना उचित नही होगा। अतः योजना का अधिग्रहण स्थगित किया जाता है। प्रश्नगत योजनाओं में कोई प्रतिकर की धनराशि जमा नही की गयी है।"

उक्त संस्तुतियों के क्रम में **द्वितीय स्तर** की कमेटी से परीक्षण अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 06.06.2018 **(परिशिष्ट–4)** को किया गया, जिसमें निम्नानुसार संस्तुति की गयी :–

"समिति द्वारा जिला भूमि उपयोग समिति/फील्ड स्तर के समिति की संस्तुतियों का परिशीलन किया गया और उक्त संस्तुतियों से सहमत होते हुए समिति का यह मत स्थिर हुआ है कि प्रश्नगत योजनाओ के सम्बन्ध में उपर्युक्त वस्तुस्थिति आवास आयुक्त(म0) के संज्ञान में लाते हुए उपर्युक्त योजनाओं को परित्याग किये जाने का प्रकरण परिषद के समक्ष रखते हुए परिषद का निर्णय प्राप्त करना श्रेयष्कर होगा।"

परिषद की प्रश्नगत योजनाओं के सम्बन्ध में फील्ड स्तर एवं द्वितीय स्तर की कमेटी की संस्तुतियों को तृतीय स्तर/आवास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रकरण परिषद की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतः परिषद की लखनऊ–गोरखपुर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0–1 व 2 फैजाबाद के सम्बन्ध में उपरोक्त संस्तुतियॉ मा0 परिषद बैठक के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(नीलम)	(उदय राज सिंह)	(अजय चौहान)
उप आवास आयुक्त(भूमि)	अपर आवास आयुक्त	आवास आयुक्त

परिशिष्ट-एक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा लखनऊ-गोरखपुर बाईपास मार्ग योजना संख्या-1 व 2 के कार्यान्वयन हेतु 57.795 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के संबंध में जिला भूमि उपयोग समिति, फैजाबाद की बैठक दिनांक 27.3.08 का कार्यवृत्त

पूर्व निर्धारित तिथि एवं प्रेषित एजेन्डा के अनुसार आज दिनांक 27.3.2008 को गांधी विकास भवन के सभाकक्ष में जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला भूमि उपयोग समिति, की अध्यक्षता में अपरान्ह 12.30 बजे बैठक आयोजित हुई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

1.	श्री [illegible]	मुख्य विकास अधिकारी/ उपाध्यक्ष
2-	श्री पी0सी0पाण्डेय	मुख्य राजस्व अधिकारी/ सदस्य सचिव
3-	श्री आर0के0सिंह	अर्थ एवं संख्याधिकारी/ सदस्य संयोजक
4-	श्री रामखेलावन	अर्थ एवं संख्याधिकारी/ सदस्य
5-	श्रीमती रीता कुमारी	सदस्य जिला पंचायत/ सदस्य
6-	डा0 ओ0पी0पाण्डेय	उपनिदेशक, कृषि / सदस्य
7-	श्री अशोक दीक्षित	प्रभागीय वनाधिकारी/ सदस्य
8-	श्री आर0एस0चौधरी	जिला पंचायतराज अधिकारी/ सदस्य
9-	श्री संजय राय	एस0ओ0सी0/ सदस्य
10-	श्री हरीश सिंह	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई/ सदस्य
11-	श्री एस0के0गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग-प्रा0ख0/ सदस्य
12-	श्री एच0एन0 सिंह	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-21

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उक्त योजना संख्या 1 एवं 2 के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित तथ्यों पर विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा उक्त दोनो योजनाओं के संबंध में मा0 न्यायालय में लम्बित वादों को संज्ञान में लाते हुए इस परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श किया गया तथा अधिग्रहित होने वाली भूमि जो आवास विकास परिषद के मानचित्र में प्रदर्शित थी, अध्यक्ष महोदय को अवलोकित कराते हुए इसका अधिग्रहण के तथ्यों एवं औचित्य पर विस्तृत चर्चा की गयी। इसके पश्चात् राज्य भूमि उपयोग परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के दिशा निर्देशों के कम में निर्धारित 7 बिन्दुओं पर बिन्दुवार विचार विमर्श किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

1. बिन्दु संख्या-1 में निहित दिशा निर्देशानुसार योजना में कम से कम कृषीय भूमि के अधिग्रहण का प्राविधान है, परन्तु परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार अर्जन हेतु कुल 57.795 हेक्टेयर भूमि में केवल 4.064 हेक्टेयर भूमि ही अकृषीय भूमि है। उप जिलाधिकारी, सदर, फैजाबाद द्वारा दिनांक: 10-3-2008 को उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार ग्राम-जनौरा में प्रस्तावित गाटाओं में 0.858 हे0 भूमि पर आबादी बन गयी है। 0.506 हे0 भूमि में तालाब है तथा 2.930 हे0 भूमि पर पेड़ लगे हुये हैं, शेष 15.684 हे0 भूमि पर कछियाना, दलहन, तिलहन की खेती हो रही है। इसी ग्राम में हवाई पट्टी में 291 बीघा 2 बिस्वा 16 धुर भूमि, अवध वि0वि0 में 179 बीघा 17 बिस्वा 6 धुर, बाईपास में 54 बीघा 4 बिस्वा 4 धुर भूमि, गांधी आश्रम में 16 बीघा, रेलवे सम्पत्ति में 4 बिस्वा 14 धुर भूमि, परिकमा मार्ग में 20 बीघा भूमि, नवीन मण्डी में 21 बीघा 14 धुर भूमि, कुल

583 बीघा 19 बिस्वा 4 धुर पहले ही अधिग्रहीत हो चुकी है। उक्त प्रस्ताव में 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सम्पूर्ण भूमि अर्जन प्रस्ताव में है जिसमें 3 अनुसूचित जाति एवं 1 सामान्य जाति का व्यक्ति है। कुल 116 परिवार सीमान्त कृषक की श्रेणी में है।

ग्राम कोरखाना में 3.590 हे0 भूमि पर आबादी विकसित हो चुकी है। 1.469 हे0 भूमि पर साईदाता का आश्रम बना हुआ है। 0.500 हे0 भूमि पर पुरानी बाग है, 9.098 हे0 भूमि पर खाद्यान्न, दलहन, तिलहन की खेती हो रही है। उक्त प्रस्ताव में 17 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कृषि भूमि है, जिनका अधिग्रहण हो जाने के बाद वह भूमिहीन हो जायेंगे। 3 ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, जो सीमान्त श्रेणी में आ जायेंगे।

ग्राम भिखापुर में 5.584 हे0 भूमि पर आबादी विकसित हो गयी है तथा 0.409 हे0 भूमि पर पुरानी बाग लगी है, 0.284 हे0 भूमि में तालाब विकसित है। शेष 21.909 हे0 भूमि पर खाद्यान्न, दलहन, तिलहन आदि की खेती हो रही है, उक्त अर्जन प्रस्ताव से 325 ऐसे परिवार हैं जो सीमान्त कृषक की श्रेणी में आ जायेंगे।

2. बिन्दु संख्या-2 के सन्दर्भ में उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की दोनों योजनाओं में केवल भूखण्ड एवं एक तलीय भवनों के निर्माण का ही प्रस्ताव किया गया है, इसमें बहुतलीय भवनों का प्रस्ताव नहीं है। बहुतलीय भवनों में भूमि का उच्चीय्र उपयोग हो सकता है।

3. बिन्दु संख्या-3 पर दी गयी आख्या के अनुसार प्रस्तावित भूमि को अधिग्रहीत न किये जाने हेतु नरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम राज्य का मुकदमा मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। इस संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.9.05 द्वारा सन्दर्भित स्थल को यथास्थिति में बनाये रखने का निर्देश दिया गया है। आवास विकास परिषद के अधिकारियों द्वारा अद्यतन स्थिति नहीं बतायी जा सकी कि उसे वैकेट हो गया है अथवा नहीं।

4 बिन्दु संख्या-4 पर उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करने से कुल 556 किसान प्रभावित होंगे जिनमें 38 अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसान प्रभावित होंगे तथा 39 कृषक भूमिहीन हो जायेंगे तथा 444 कृषक परिवार सीमान्त कृषक की श्रेणी में आ जायेंगे, जिनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस योजना परिषद द्वारा प्रस्तावित नहीं की गयी है।

5. बिन्दु संख्या-5 की आख्या के अनुसार बहुतलीय एवं भूमि का ऊर्ध्वाधर उपयोग होना प्राविधानित है, परन्तु परिषद द्वारा उक्त प्राविधान अपनी योजनाओं में नहीं रखा गया है तथा परियोजना में निहित कार्य का ले-आउट प्लान भी नहीं उपलब्ध कराया गया है।

6. बिन्दु संख्या-6 पर परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण सुधार हेतु कोई ठोस योजना नहीं प्रस्तावित की गयी है इस सन्दर्भ में प्रभागीय वनाधिकारी, फैजाबाद ने बताया कि परिषद द्वारा पूर्व में विकसित की गयी आवासीय योजनाओं में वृक्षारोपण एवं प्रदूषण निवारण संबंधी प्रस्तावित की गयी कोई योजना अस्तित्व में नहीं दिखाई पड़ती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में भी सन्दर्भित भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्रभावित होने वाले कृषकों द्वारा शासन/ मण्डलायुक्त के समक्ष प्रार्थनापत्र देकर सन्दर्भित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने हेतु याचना की गयी थी जिसके कम में तत्कालीन उपजिलाधिकारी, सदर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 17.3.05 में यह संस्तुति की गयी है कि ग्राम जनौरा, कोरखाना व भीखापुर की अधिकांश जमीने पूर्व में ही हवाई पट्टी के निर्माण, बाईपास मार्ग में, गांधी आश्रम में, रेलवे सम्पत्ति एवं परिकमा मार्ग के

निर्माण में अधिग्रहित हो चुकी है और यदि अब अवशेष जमीन का अधिग्रहण परिषद द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में होता है तो ग्रामों के काश्तकार भुखमरी की कगार पर आ जायेंगे और उनको अनाज इत्यादि खरीद कर खाना पड़ेगा जो जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता। इसी क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त महोदय को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 26.4.2005 में भी सन्दर्भित ग्रामों की भूमि को अधिग्रहित न किये जाने के संबंध में संस्तुति की जा चुकी है। इस संबंध में तत्कालीन मण्डलायुक्त महोदय द्वारा भी अनुसचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक: 27–4–2005 को प्रेषित आख्या में सन्दर्भित ग्रामों की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त रखने हेतु संस्तुति की गयी थी। वर्तमान में माननीय सांसद श्री मित्रसेन यादव, माननीया अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती मालती सिंह, माननीय विधायक, बीकापुर श्री जितेन्द्र सिंह एवं पूर्व विधायक श्री रामू प्रियदर्शी द्वारा सन्दर्भित भूमि अधिग्रहण से मुक्त रखने हेतु अनुरोध पत्र भेजे गये हैं।

उपरोक्त तथ्यों/ बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनों योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को दिशा निर्देशों के अनुसार औचित्य पूर्ण न पाये जाने के कारण समिति द्वारा अनुमोदन किये जाने योग्य नहीं पाया गया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि इस योजना के विकल्प के रूप में अन्य स्थलों का निरीक्षण कर परिषद के दिशा निर्देशानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाय जिसमें कृषीय भूमि कम से कम प्रभावित हो तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बहुमंजिले आवासों का निर्माण भी प्रस्तावित किया जाय। जिससे कम से कम भूमि का अधिग्रहण करते हुए अधिक से अधिक लोगों के लिए कल्याणकारी योजना निर्मित हो सके।"

(गौरव दयाल)
मुख्य विकास अधिकारी/ उपाध्यक्ष
जिला भूमि उपयोग समिति
फैजाबाद।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद।

पत्रांक : 273 /भू0उ0प0/ 2007–08/ दिनांक : 31.3.08

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. जिला भूमि उपयोग समिति, फैजाबाद के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिलाधिकारी/ अध्यक्ष जिला भूमि उपयोग समिति को अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी/ उपाध्यक्ष
जिला भूमि उपयोग समिति
फैजाबाद।

परिशिष्ट-2

जिलाधिकारी,

फैजाबाद।

सेवा में,

अनु सचिव,

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2

उत्तर प्रदेश, शासन,लखनऊ।

पत्रांक / भू0उ0प0 / 2010–11 / दिनांक 29 ,अप्रैल 2011

विषयः– परिषद की लखनऊ– गोरखपुर बाई पास मार्ग योजना संख्या– 1 व 2 फैजाबाद के सम्बन्ध में जिला व मण्डलीय भूमि उपयोग समिति का अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 613/आठ–2–2010 –01 एच0बी0/10 दिनांक 30–3–2010 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जिला भूमि उपयोग समिति के पत्रांक 273/भू0उ0प0/2007–08 दिनांक 31–3–2008 द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त योजनाओं की भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पूर्व में निरस्त किया गया था। वर्तमान में स्थानीय कास्तकारों द्वारा प्रबल विरोध किये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त योजनाओं के संचालन हेतु पुनर्विचार किया जाना सम्भव नही है। सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(एम0 पी0 अग्रवाल)

जिलाधिकारी,

फैजाबाद।

E(F)

E.E

पत्रांक 69 / दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।

2– अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–21 उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।

जिलाधिकारी

आवास आयुक्त
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद
104 महात्मा गांधी मार्ग
लखनऊ।

पत्र - 656 [illegible] 2007-08   दिनांक - 29 जुलाई 2008

विषय : दिनांक 22.07.2008 को मा0 राजस्व मंत्री की उपस्थिति में तथा मा0 आवास मंत्री की अध्यक्षता मे परिषद मुख्यालय स्थित नवीन भवन में आयोजित बैठक के संबध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1373 एल0ए0सैल0 एस0क्यू0 / दिनांक 19.07.2008 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न एजेण्डा के बिन्दु सं0 5अ एवं 5ब जो इस जनपद से सम्बन्धित है के संबध में स्थिति निम्न प्रकार है :-

बिन्दु संख्या 5अ एवं 5ब पर क्रमश: अंकित योजना संख्या-1 क्षेत्रफल 25.295 हेक्टेयर एवं योजना संख्या-2 क्षेत्रफल 38.223 हेक्टेयर की योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव पर विचार हेतु दिनांक 27.03.2008 को जिला भूमि उपयोग समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें -

1 उप जिलाधिकारी सदर फैजाबाद द्वारा दिनांक 10-3-2008 को उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार ग्राम-जनौरा में प्रस्तावित भाटाओं में 0.858 हे0 भूमि पर आबादी बन गयी है। 0.506 हे0 भूमि में तालाब है तथा 2.930 हे0 भूमि पर पेड़ लगे हुए हैं, शेष 15.684 हे0 भूमि पर कठियाना, दलहन, तिलहन की खेती हो रही है। इसी ग्राम में हवाई पट्टी में 291 बीघा 2 बिस्वा 16 धुर भूमि, अवध वि0वि0 में 179 बीघा 17 बिस्वा 6 धुर, बाईपास में 54 बीघा 4 बिस्वा 4 धुर भूमि, गांधी आश्रम में 16 बीघा रेलवे सम्पत्ति में 4 बिस्वा 14 धुर भूमि, परिक्रमा मार्ग में 20 बीघा भूमि, नवीन मण्डी में 21 बीघा 14 धुर भूमि, कुल 583 बीघा 19 बिस्वा 4 धुर पहले ही अधिग्रहीत हो चुकी है। उक्त प्रस्ताव में 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सम्पूर्ण भूमि अर्जन प्रस्ताव में है जिसमें 3 अनुसूचित जाति एवं 1 सामान्य जाति का व्यक्ति है। कुल 116 परिवार सीमान्त कृषक की श्रेणी में हैं। ग्राम कारखाना में 3.580 हे0 भूमि पर आबादी विकसित हो चुकी है। 1.469 हे0 भूमि पर साईंदास का आश्रम बना हुआ है। 0.500 हे0 भूमि पर पुरानी बाग है, 9.098 हे0 भूमि पर कठियाना, दलहन, तिलहन की खेती हो रही हैं। उक्त प्रस्ताव में 17 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कृषि भूमि है, जिनका अधिग्रहण हो जाने के बाद वह भूमिहीन हो जायेंगे। 3 ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, जो सीमान्त श्रेणी में आ जायेंगे। ग्राम भीखापुर में 5.584 हे0 भूमि पर आबादी विकसित हो गयी है तथा 0.409 हे0 भूमि पर पुरानी बाग लगी है, 0.284 हे0 भूमि में तालाब विकसित है। शेष 21.909 हे0 भूमि पर कठियाना, दलहन, तिलहन आदि की खेती हो रही है, उक्त अर्जन प्रस्ताव से 325 ऐसे परिवार हैं जो सीमान्त कृषक की श्रेणी में आ जायेंगे।

2 पूर्व मे भी सन्दर्भित भूमि के अधिग्रहण के संबंध मे प्रभावित होने वाले कृषकों द्वारा शासन/मण्डलायुक्त के समक्ष प्रार्थनापत्र देकर सन्दर्भित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने हेतु याचना की गयी थी जिसके क्रम में तत्कालीन उपजिलाधिकारी, सदर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 17.3.05 में यह संस्तुति की गयी है कि ग्राम जनौरा, कारखाना व भीखापुर की अधिकांश जमीनें पूर्व में ही हवाई पट्टी के निर्माण, बाईपास मार्ग में, गांधी आश्रम में, रेलवे सम्पत्ति एवं परिक्रमा मार्ग के निर्माण में अधिग्रहित हो चुकी है और यदि अब अवशेष जमीन का अधिग्रहण परिषद द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में होता है तो ग्रामों के काश्तकार भुखमरी की कगार पर आ जायेंगे और उनको अनाज इत्यादि खरीद कर खाना पड़ेगा जो जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता।

3 इसी क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त महोदय को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 26.4.2005 में भी सन्दर्भित ग्रामों की भूमि को अधिग्रहित न किये जाने के संबंध में संस्तुति की जा चुकी है। इस संबंध में तत्कालीन मण्डलायुक्त महोदय द्वारा भी अनुमोदित माननीय मुख्यमंत्री

जो उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 27–4–2005 को प्रेषित आख्या में सन्दर्भित ग्राम की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त रखने हेतु संस्तुति की गयी थी।

4 माननीय सांसद श्री मित्रसेन यादव, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती मालती सिंह, माननीय विधायक, बीकापुर श्री जितेन्द्र सिंह एवं पूर्व विधायक श्री रामू प्रियदर्शी द्वारा सन्दर्भित भूमि अधिग्रहण से मुक्त रखने हेतु अनुरोध पत्र भेजे गये हैं।

5 प्रस्तावित भूमि को अधिग्रहित न किये जाने हेतु रवीन्द्र सिंह व अन्य बनाम शासन का मुकदमा मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। इस संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.9.06 द्वारा सन्दर्भित स्थल को यथास्थिति में बनाये रखने का निर्देश दिया गया है। आवास विकास परिषद के अधिकारियों द्वारा अद्यतन स्थिति नहीं बतायी जा सकी कि स्टे वेकेट हो गया है अथवा नहीं।

6 उपरोक्त तथ्यों/ बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनो योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को दिशा निर्देशों के अनुसार औचित्य पूर्ण न पाये जाने के कारण समिति द्वारा अनुमोदन किये जाने योग्य नही पाया गया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिशाषी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि इस योजना के विकल्प के रूप में अन्य स्थलों का निरीक्षण कर परिषद के दिशा निर्देशानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाय जिसमें कृषीय भूमि कम से कम प्रभवित हो तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बहुतलीय आवासों का निर्माण भी प्रस्तावित किया जाय। जिससे कम से कम भूमि का अधिग्रहण करते हुए अधिक से अधिक लोगों के लिए कल्याणकारी योजना निर्मित हो सके। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अभी तक कोई वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

संलग्नक :- कार्यवृत्त की फोटो प्रति

भवदीय

जिलाधिकारी 28/11/06

फैजाबाद।

परिशिष्ट-3

IS 15700:2005

संबोधन प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
प्रोजेक्ट वृत्त
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

संख्या: 80 / पी0सी0 / 2017 दिनांक: 03-03-2017

सेवा में,

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,
मुख्यालय, लखनऊ।

आवती प्रशासन 743 06.3.17

डायरी नं0 7350 भूमि अर्जन दिनांक 17.3.17

विषय :-लखनऊ-गोरखपुर बाई पास मार्ग योजना संख्या-1 व 2 फैजाबाद की अधिग्रहण के संबंध में मुख्यालय द्वारा गठित समिति की दिनांक 09.02.2017 की बैठक का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक लखनऊ-गोरखपुर बाई पास मार्ग योजना संख्या-1 व 2 फैजाबाद की भूमि अधिग्रहण के संबंध में मुख्यालय द्वारा गठित समिति की दिनांक 09.02.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0के0रायतानी)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0: / / दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक आयुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-21, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सहायक आयुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग को पत्र के साथ संलग्न कार्यवृत्त की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. वास्तुविद नियोजक, नियोजन इकाई-6, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

उप आ.आ.(2)

अधीक्षण अभियन्ता

सचिव 6/3

उप आ आ (भूमि-I) 15/3

लखनऊ–गोरखपुर बाई पास मार्ग योजना संख्या–1 व 2 फैजाबाद की अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही पर अग्रिम निर्णय हेतु मुख्यालय द्वारा गठित समिति की दिनांक 09/03/2017 को आयोजित बैठक का कार्य वृत्त

मुख्यालय के पत्र संख्या–890/एल0ए0सी0/एच0क्यू0/दिनांक 17.08.2016 के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या–30/पी0सी0/2016 दिनांक 23.01.17 द्वारा गठित समिति की दिनांक 09/03/2017 को एक बैठक आहूत की गयी। आयोजित बैठक में समिति के निम्न सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।

1–	अधीक्षण अभियन्ता,	प्रोजेक्ट वृत्त	अध्यक्ष
2–	सहायक आयुक्त,	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग	सदस्य
3–	अधिशासी अभियन्ता,	निर्माण खण्ड–21,	सदस्य
4–	वास्तुविद नियोजक	नियोजन इकाई–6	सदस्य

उपरोक्त विषयक उक्त समिति के समस्त सदस्यों की बैठक सम्पन्न हुई व उक्त योजना से संबंधित यह निर्णय लिया गया कि उक्त योजना का वर्तमान में अधिग्रहण करना परिषद हित में उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नगत योजनान्तर्गत अधिकृत ग्रामों की अधिकांश जमीनें बाई पास मार्ग, हवाई पट्टी का निर्माण, गांधी आश्रम, रेलवे सम्पत्ति एवं परिक्रमा मार्ग के निर्माणों में अधिकांशतः अधिकृत हो चुकी हैं। दिनांक 27.03.08 को सम्पन्न हुई जिला भूमि उपयोग की बैठक में पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि प्रश्नगत योजना की अधिकांश भूमि अधिग्रहीत हो चुकी है व अवशेष जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है तो किसान भूखमरी की कगार पर आ जाएगें जो जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता है, आदि का उल्लेख करते हुए उक्त योजना के संबंध में अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था। वर्ष–2008 से अब तक लगभग 08 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जिस अवशेष जमीनों पर स्थानीय लोगों द्वारा प्लाटिंग व अन्य व्यवसाय प्रारम्भ कर दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में गठित समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि उक्त योजना का अधिग्रहण करना/अग्रिम कार्यवाही करना उचित नहीं होगा। अतः योजना का अधिग्रहण स्थगित किया जाता है।

सहायक आयुक्त
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग

वास्तुविद नियोजक
नियोजन इकाई–6

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–21

अधीक्षण अभियन्ता
प्रोजेक्ट वृत्त

परिशिष्ट-A

लखनऊ--गोरखपुर बाई–पास मार्ग योजना सं0–1 व 2 फैजाबाद के सम्बन्ध में दिनांक 06.06.2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

परिषद की ऐसी योजनाए, जो काफी समय पूर्व प्रस्तावित की गयी थी किन्तु उक्त योजनाओ में, जहाँ भूमि का मूल्य अधिक होने, विक्रयशीलता की दर अधिक आने, योजना क्षेत्र में अवैध कब्जे/निर्माण हो जाने, मा0 न्यायालयो में वाद दायर कर दिये जाने आदि विभिन्न कारणों से योजना का संचालन नही शुरू हो पा रहा है, के उचित समाधान हेतु परिषद के आदेश सं0–890/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 17.08.2016 द्वारा तीन स्तरो की समिति गठित करते हुए, फील्ड स्तर की गठित समिति से योजनाओ का परीक्षण कराकर द्वितीय स्तर की गठित समिति के समक्ष संस्तुतियाँ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये है जिसके क्रम में लखनऊ–गोरखपुर बाई–पास मार्ग योजना सं0 1 व 2 फैजाबाद के सम्बन्ध में फील्ड स्तर की प्राप्त संस्तुतियों के परीक्षण हेतु द्वितीय स्तर की गठित समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 को सम्पन्न हुई जिसमे निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1.	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य अभियन्ता	–	सदस्य
3.	वित्त नियंत्रक	–	सदस्य
4.	सम्पत्ति प्रबन्धक विधि	–	सदस्य
5.	वास्तुविद नियोजक(नि0ई0–6)	–	सदस्य

प्रश्नगत योजनाओ के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट वृत्त) मुख्यालय के पत्र सं0–80/पी0सी0/2017 दिनांक 03.03.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी फील्ड स्तर की गठित समिति की संस्तुतियों (दिनांक 09.02.2017) का अवलोकन किया गया। परिषद द्वारा लखनऊ–गोरखपुर बाई–पास मार्ग योजना सं0–1 व 2 फैजाबाद क्रमशः 25.295हे0 व 38.228हे0 हेतु प्रस्तावित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में धारा–28 की नोटिस को उ0प्र0 राजकीय गजट में क्रमशः दिनांक 01.10.2005, दिनांक 08.10.2005 व दिनांक 15.10.2005 को प्रकाशन कराते हुए उक्त योजना में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई नियोजन समिति द्वारा दिनांक 14/16–11–2006 को की गयी तदोपरान्त उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में मा0 परिषद की 196वीं बैठक दिनांक 18.12.2006 के मद सं0–196/39, 196/40 व मा0 परिषद की 198वीं बैठक दिनांक 21.07.2007 के मद सं0–198/8 व 198/9 द्वारा धारा–31(1) की स्वीकृति प्रदान की गयी तत्पश्चात उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में जिला व मण्डलीय भूमि उपयोग समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु परिषद द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद से अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी, फैजाबाद की अध्यक्षता में जिला भूमि उपयोग समिति की बैठक दिनांक 27.03.2008 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त संख्या–273/भू0उ0प0/2007–08 दिनांक 31.03.2008 (परिशिष्ट–1) में जिला भूमि उपयोग समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

"प्रश्नगत योजनाओं में समाविष्ट ग्राम–जनौर, कोरखाना व भीखापुर की अधिकांश जमीने पूर्व में ही हवाई पट्टी के निर्माण में, बाई–पास मार्ग में, गाँधी आश्रम में, रेलवे सम्पत्ति में एवं परिक्रमा मार्ग के निर्माण में अधिगृहीत की जा चुकी है और यदि अवशेष जमीन का अधिग्रहण परिषद द्वारा प्रस्तावित योजनाओ मे होता है तो उक्त ग्रामों के काश्तकार भुखमरी की कगार पर आ जायेगे और उनको अनाज इत्यादि खरीद कर खाना पड़ेगा जो जनहित में उचित नही है। इसी क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त, फैजाबाद को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 26.04.2005 में भी सन्दर्भित ग्रामो की भूमि को अधिग्रहीत न किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति की जा चुकी है, जिसके सन्दर्भ में तत्कालीन मण्डलायुक्त, फैजाबाद द्वारा भी अनुसचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन को दिनांक 27.04.2005 को प्रेषित आख्या में सन्दर्भित ग्रामों की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त रखने की संस्तुति की गयी थी। वर्तमान में मा0 सांसद श्री मित्रसेन यादव, मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती मालती सिंह, मा0 विधायक, बीकापुर, श्री जितेन्द्र सिंह एवं पूर्व विधायक श्री रामू प्रियदर्शी द्वारा सन्दर्भित भूमि के अधिग्रहण से मुक्त रखने हेतु अनुरोध पत्र भेजे गये है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों/बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में उक्त दोनो योजनाओ के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण न पाये जाने के कारण जिला भूमि उपयोग समिति द्वारा अनुमोदन नही प्रदान किया गया।"

जिला भूमि उपयोग समिति के उक्त निर्णय पर पुर्नविचार कर अनुमोदन दिये जाने हेतु पुनः जिलाधिकारी फैजाबाद व शासन से अनुरोध किया गया जिसके क्रम में जिलाधिकारी, फैजाबाद के पत्र संख्या–836/दिनांक

29.7.2008 व पत्र संख्या–69/भू0उ0प0/2010–11/दिनांक 29.04.2011 **(परिशिष्ट–2)** द्वारा शासन तथा परिषद को अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत योजनाओं के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान में स्थानीय कास्तकारों द्वारा प्रबल विरोध किये जाने के फलस्वरूप उक्त योजनाओं के संचालन हेतु पुनर्विचार किया जाना सम्भव नही है।

उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में फील्ड स्तर की गठित समिति की बैठक दिनांक 09.02.2017 **(परिशिष्ट–3)** को सम्पन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि उक्त योजनाओं का वर्तमान में अधिग्रहण करना परिषद हित में उचित नही होगा, क्योकि प्रश्नगत योजनान्तर्गत अधिकृत ग्रामों की अधिकांश जमीने, बाई–पास मार्ग, हवाई पट्टी का निर्माण, गाँधी आश्रम, रेलवे सम्पत्ति एवं परिक्रमा मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत हो चुकी है, जिसके दृष्टिगत जिला भू–उपयोग समिति द्वारा उक्त योजनाओं के संचालन हेतु अनुमोदन नही प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में गठित समिति के समस्त सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त योजना का अधिग्रहण करना/अग्रिम कार्यवाही करना उचित नही होगा। उक्त समिति द्वारा प्रश्नगत योजनाओं के सम्बन्ध में अधिग्रहण की कार्य को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्नगत योजनाओं में कोई प्रतिकर की धनराशि जमा नहीं की गयी है।

समिति द्वारा जिला भूमि उपयोग समिति/फील्ड स्तर के समिति की संस्तुतियों का परिशीलन किया गया और उक्त संस्तुतियों से सहमत होते हुए समिति का यह मत स्थिर हुआ है कि प्रश्नगत योजनाओ के सम्बन्ध में उपर्युक्त वस्तुस्थिति आवास आयुक्त(म0) के संज्ञान में लाते हुए उपर्युक्त योजनाओं को परित्याग किये जाने का प्रकरण परिषद के समक्ष रखते हुए परिषद का निर्णय प्राप्त करना श्रेयष्कर होगा।

(के0सी0 श्रीवास्तव) अधिशासी अभियन्ता(नि0ख0–21)	(हेतमपाल) सम्पत्ति प्रबन्धक(विधि)	Prabhavati Suri स० वास्तुविद नियोजक (नियोजन इकाई–6)
(लक्ष्मण प्रसाद) उप आवास आयुक्त(भूमि)	6-6 (धर्मेन्द्र वर्मा) वित्त नियन्त्रक	6/6/18 (सलीम अहमद) मुख्य अभियन्ता

6.6.18
(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एंव सचिव

मद संख्या-246/13
भूमि अर्जन अनुभाग

परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः-जनपद-हरदोई में यू0पी0 शुगरकेन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 की हरदोई स्थित शुगर फैक्ट्री की रिक्त भूमि क्रय करने के संबंध में।

मुख्य अभियन्ता(म0) के पत्र सं0-739/सी0वृ0वृ0/सी0ई0 कैम्प/दिनांक 20.02.2015 के द्वारा उपलब्ध कराये गये यू0पी0 शुगरकेन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0, हरदोई के रेलवे स्टेशन के निकट 22.6 हे0 भूमि को क्रय किये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त को निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश के क्रम में दिनांक 24.04.2015 को परिषद व कार्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया।

प्रकरण परिषद के मा0 निदेशक मण्डल की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 के मद सं0-232/30 पर प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारोपरान्त कतिपय शर्तो पर भूमि क्रय करने की सहमति बनी(**परिशिष्ट-1**), जिसमें मुख्य रूप से भू-उपयोग औद्योगिक से परिवर्तन कर आवासीय कराये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी, हरदोई के माध्यम से शासन को भेजने एवं भू-उपयोग आवासीय कराने का दायित्व यू0पी0 शुगरकेन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0, हरदोई का होगा, नियत की गयी।

मा0 परिषद के निदेशक मण्डल की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 में लिये गये निर्णय एवं शासन की अपेक्षानुसार दोनों विभागों की सहमति दिनांक 15.05.2015 को हुई। (**परिशिष्ट-2**)

प्रकरण में शासन के पत्र सं0-3326/आठ-2-15-3 एच0बी0 (42)15 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ/दिनांक 06.01.2016 (**परिशिष्ट-3**) द्वारा उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0, हरदोई में स्थित भूमि को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरण, विक्रय करने एवं उस पर देय स्टैम्प ड्यूटी की धनराशि में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0, हरदोई की भूमि 22.6082 हे0 डी0एम0 सर्किल रेट के आधार पर कुल मूल्य रू0 99.04 करोड़ निर्धारित होता है। विक्रेता/क्रेता उभयपक्षों द्वारा सहमति दी गयी है तथा देय धनराशि 50 प्रतिशत भुगतान भूमि के कब्जा प्राप्त होने पर करना होगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि दो समान किश्तों में किया जाना होगा। भूमि पर आवासीय भवनों में रह रहे व्यक्तियों से भवन, वृक्ष, मलवा आदि उपलब्ध हैं, जिसे हटाये जाने का दायित्व राज्य चीनी निगम का होगा तथा स्टैम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान शासन द्वारा किया जायेगा। पैरा-7 में उल्लिखित किया गया है कि आवास आयुक्त का दायित्व होगा कि "हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का मालिकाना हक उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0, हरदोई का ही है। इसे स्पष्ट करा लेंगे एवं भूमि उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 को किस प्रकार प्राप्त हुई है और किस श्रेणी की है? के संबंध में राजस्व अभिलेखों से भलीभाँति पुष्टि करने के उपरान्त ही उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 से प्रश्नगत भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।"

भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0, गोमतीनगर, लखनऊ ने अपने पत्र सं0-हरदोई/एस0एस0सी0/भूमि 629/दिनांक 27.09.2016 (**परिशिष्ट-4**) द्वारा अवगत कराया गया कि *"हरदोई चीनी मिल की भूमि को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने आवश्यकता के अनुरूप क्रय किया गया है, जिसका उपयोग भी परिषद द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा। अतः उक्त भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में यदि कोई कार्यवाही की जानी है, तो वह उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के स्तर से ही अपेक्षित होगी।"*

प्रकरण में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16.01.2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त जो शासन के पत्र सं0–105/एस0सी0/18–2–17–88–16/दिनांक 17.01.2017 के द्वारा परिषद को प्राप्त हुई है, में आवास आयुक्त(म0) को एक सप्ताह का समय देते हुए प्रश्नगत मूल्य का भुगतान उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0, हरदोई को करने अथवा भूमि आवास विकास परिषद की उपयोगी न होने की दशा में क्रय–विक्रय की कार्यवाही निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।**(परिशिष्ट–5)**

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–12, लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं0–2322/दिनांक 05.10.2016 **(परिशिष्ट–6)** द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषद द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय कराये जाने की स्थिति में प्रस्तावित भूमि जिसका महायोजना, हरदोई में भू–उपयोग औद्योगिक/कृषि है, वर्ष–2017 की सर्किल दर का 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत के अनुसार लगभग 24.12 करोड़ का व्यय भार आयेगा। इस प्रकार दिनांक 06.01.2016 के शासनादेश द्वारा निर्धारित कीमत रू0 99.04 करोड़ एवं भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क रू0 24.12 करोड़ शामिल कर कुल लागत 123.16 करोड़ आती है, जिसके सापेक्ष भूमि की विक्रयशीलता नहीं रहेगी।

प्रकरण में अपर आवास आयुक्त(म0) की अध्यक्षता में दिनांक 13.8.2018 की बैठक के कार्यवृत्त **(परिशिष्ट–7)** से स्पष्ट है कि :–

प्रश्नगत भूमि से लगी चीनी मिल परिसर एवं उससे लगी भूमि पूर्व में इजाइल शुगर इण्डिया लि0 को विक्रित है। क्रेता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0–26551/एम0बी0/2016 दायर कर दिनांक 0601.2016 को निर्गत शासनादेश को निरस्त करने एवं पूर्व में आद्योगिक उपयोग हेतु विक्रय क्षेत्र के निकट आवासीय निर्माण के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की गयी है। प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें मा0 न्यायालय से अन्यथा आदेश पारित होने पर परिषद को बहुत बड़ी क्षति होगी। उपरोक्त स्थितियों में प्रकरण पर दिनांक 16.01.2017 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उल्लिखित किया गया कि भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के लिए उपयोगी न होने की दशा में भूमि के क्रय/विक्रय की कार्यवाही निरस्त करने सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये, इसी क्रम में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1033/46–2–18–88/16 दिनांक 31.5.2018 **(परिशिष्ट–8)** द्वारा भी भूमि परिषद की उपयोगी न होने की दशा में शासनादेश दिनांक 06.01.2016 को सक्षम स्तर से निरस्त कराने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है। पूर्व में आवास आयुक्त(म0) के पत्रांक–122/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 07.02.2017 **(परिशिष्ट–9)** द्वारा शासन को अवगत कराया जा चुका है कि वर्तमान परिस्थितियों में भी यह भूमि परिषद के लिए निम्न कारणों से उपयोगी नही है:–

1. भू–उपयोग परिवर्तन में होने वाले सम्भावित व्यय।
2. मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या–26551/एम0बी0/2016

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत यू0पी0 शुगरकेन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 की हरदोई स्थित शुगर फैक्ट्री की रिक्त भूमि परिषद द्वारा क्रय किये जाने के पूर्व लिए गए निर्णय को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(नीलम)	(उदय राज सिंह)	(अजय चौहान)
उप आवास आयुक्त(भूमि)	अपर आवास आयुक्त	आवास आयुक्त

परिशिष्ट' 1

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
समन्वय अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

समयबद्ध एवं शीर्ष
प्राथमिकता

पत्र संख्या : 22/समन्वय अनुभाग

दिनांक : 01.04.2015

उप आवास आयुक्त,
भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय।

परिषद के मा0 निदेशक मण्डल की 232वीं बैठक दिनांक 26 मार्च, 2015 में आप के अनुभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव के निम्नांकित निर्णय आपके अनुपालनार्थ यहाँ अंकित किया जा रहा है :

भूमि अर्जन अनुभाग

232/28	मा0 निदेशक मण्डल की 228वीं बैठक दिनांक 18.06.2014 के मद संख्या–228/6 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में वृन्दावन योजना लखनऊ में हितबद्ध काश्तकारों को 5 प्रतिशत भूमि दिये जाने हेतु समयावधि बढ़ाये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/29	परिषद की दमदमा कोठी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–5 (जिगर विहार) मुरादाबाद के अन्तर्गत खसरा संख्या–368 की भूमि के सम्बन्ध में।	प्रस्नगत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया कि शासन द्वारा स्वामित्व के सम्बध में जो निर्णय लिये गये हैं उसे संज्ञान में लिया गया। प्रस्नगत भूमि पर शुल्क की देयता क्या होगी, किस प्रकार से भुगतान लिया जायेगा, इस हेतु आवास आयुक्त एक समिति का गठन करेंगे, जिसमें वित्त, तकनीकी वर्ग के अधिकारी सदस्य होंगे, समिति अपनी संस्तुति आवास आयुक्त को प्रस्तुत करेगी, परीक्षण के उपरान्त आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति विकास शुल्क/नगर विकास अधिकार सम्बधी शासनादेश दिनांक 17.11.14 का भी परीक्षण कर उसके कियान्वयन हेतु प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का भी निर्णय लिया गया।
[redacted]	[redacted]	[redacted]
232/31	जनपद गोण्डा में गोण्डा–फैजाबाद मार्ग पर जिला सहकारी विकास संघ लि0 गोण्डा की भूमि पर आवासीय योजना संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/32	तहसील बदलापुर जनपद जौनपुर क्षेत्र में	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
समन्वय अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

समयबद्ध एवं शीर्ष
प्राथमिकता

पत्र संख्या : ..../समन्वय अनुभाग   दिनांक : ....

		नियमों की दृष्टि से इतने निर्णय कराया जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन करते हुए उसकी आख्या समयबद्ध एवं शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समन्वय अनुभाग, मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11/4/15

(रुद्र प्रताप सिंह)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

परिशिष्ट-2

जनपद-हरदोई में यू0पी0 शुगर केन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की हरदोई स्थित शुगर फैक्ट्री की रिक्त भूमि को क्रय करने के सम्बन्ध में परिषद के निदेशक मण्डल की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 में लिये गये निर्णय एवं शासन की अपेक्षानुसार दोनों विभागों की सहमति से प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु आज दिनांक 15.05.2015 को सायं काल 4 बजे आवास आयुक्त(म0) के कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. आवास आयुक्त
2. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लिमिटेड
3. अपर आवास आयुक्त
4. मुख्य विधि परामर्शी
5. अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त
6 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-12

उपर्युक्त सम्पन्न बैठक में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:-

1. उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 की हरदोई चीनी मिल की भूमि 22.6082 हेक्टेयर है। इस भूमि का अद्यतन डी0एम0 सर्किल रेट के आधार पर कुल मूल्य रू0 99.04 करोड़ निर्धारित होता है। इस प्रकार निर्धारित की गयी भूमि की कीमत/धनराशि रू0 99.04 करोड़ पर विक्रेता/प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 तथा क्रेता आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उभय पक्षों द्वारा सहमति दी गयी।

2. उक्त 22.6082 हे0 भूमि हरदोई रेलवे स्टेशन से लगभग 500.00 मीटर तथा हरदोई बस स्टेशन से लगभग 2.00 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

3. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के साथ चीनी निगम संयुक्त रूप से उक्त भूमि का सीमांकन कराकर वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर भूमि के वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा चीनी निगम को भूमि का कब्जा प्राप्त करते समय किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान दो समान किश्तों में छः माह की अवधि के भीतर चीनी निगम को किया जायेगा।

4. संदर्भित भूमि पर कतिपय आवासीय भवनों में रह रहे व्यक्तियों से भवन/भूमि को जिला प्रशासन के सहयोग से खाली कराने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 का होगा।

5. प्रश्नगत भूमि पर स्थित भवन/वृक्ष/अन्य किसी प्रकार का मलवा आदि जो उपलब्ध है, के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उसे नियमानुसार 3 माह में खाली करायेंगे तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को खाली भूमि उपलब्ध करायेंगे।

6. हरदोई स्थित प्रश्नगत चीनी मिल की भूमि को उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को किये जाने वाले हस्तान्तरण/विक्रय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि चूँकि आवासीय कालोनियों के विकास में उपलब्ध भूमि का अधिकतम 50 प्रतिशत ही विक्रय योग्य भूमि उपलब्ध हो पाती है तथा शेष भूमि सड़क, सीवर, ग्रीन बेल्ट आदि में उपयोग हो जाती है। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित किये जाने वाले निर्माण पर आने वाला व्यय अधिक हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत भूमि के सुनियोजित विकास किये जाने के सम्बन्ध में जनपद-हरदोई में स्थित चीनी मिल की भूमि के विक्रय/हस्तान्तरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर शासन से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया जायेगा।

(सुरेश कुमार)	(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
प्रबन्ध निदेशक	आवास आयुक्त
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ	लखनऊ

6-1-2016

परिशिष्ट-2

प्रेषक,

तद् भरत
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-55
दिनांक 11-1-16

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव,
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ

3- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी,
हरदोई।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक ~~दिसम्बर, 2015~~ 06 जनवरी, 2016.

विषय-: उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 हरदोई में स्थित भूमि को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरण/विक्रय करने एवं उस पर देय स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 की हरदोई में स्थित भूमि को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरण/विक्रय करने एवं उस पर देय स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(1) उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0, हरदोई चीनी मिल की भूमि 22.6082 हेक्टेयर है। इस भूमि की अद्यतन डी0एम0 सर्किल रेट के आधार पर कुल मूल्य रू0-99.04 करोड़ निर्धारित होता है। इस प्रकार निर्धारित की गयी भूमि की कीमत/धनराशि रू0-99.04 करोड़ पर विक्रेता/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 तथा क्रेता आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उभय पक्षों द्वारा सहमति दी गयी।

(2) उक्त 22.6082 हेक्टेयर भूमि हरदोई रेलवे स्टेशन से लगभग 500.00 मीटर तथा हरदोई बस स्टेशन से लगभग 2.00 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(3) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के साथ चीनी निगम संयुक्त रूप से उक्त भूमि का सीमांकन कर वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर भूमि के वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा चीनी

शासन संदर्भ/तत्काल

सचिव
8/1/16

मु. अभि.

आवास आयुक्त
7.1.2016

S.E.(I) | SE(Vrindavan) | EE(Land)

11-1-16

निगम को भूमि का कब्जा [illegible] शेष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान दो समान किश्तों में [illegible] की अवधि के भीतर चीनी निगम को किया जायेगा।

(4) सन्दर्भित भूमि पर कतिपय आवासीय भवनों में रह रहे व्यक्तियों से भवन/भूमि को जिला प्रशासन के सहयोग से खाली कराने का सम्पूर्ण दायित्व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 का होगा।

(5) प्रश्नगत भूमि पर स्थित भवन/वृक्ष/आदि किसी प्रकार का मलवा आदि जो भी उपलब्ध है, के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 का यह दायित्व होगा कि वे उसे नियमानुसार 03 माह में खाली करायेंगे तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को खाली भूमि का कब्जा उपलब्ध करायेंगे।

(6) हरदोई स्थित प्रश्नगत चीनी मिल की भूमि को उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को किये जाने वाले हस्तान्तरण/विक्रय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि चूंकि आवासीय कालोनियों के विकास में उपलब्ध भूमि का अधिकतम 50 प्रतिशत ही विक्रय योग्य भूमि उपलब्ध हो पाती है तथा शेष भूमि सड़क, सीवर, पानी, ग्रीनबेल्ट आदि के उपयोग हो जाती है। ऐसी स्थिति में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित किये जाने वाले निर्माण पर आने वाला व्यय अधिक हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत भूमि के सुनियोजित विकास किये जाने के सम्बन्ध में जनपद हरदोई में स्थित चीनी मिल की भूमि के विक्रय/अन्तरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की जाएगी।

(7) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का यह दायित्व होगा कि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का मालिकाना हक उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 हरदोई का ही है, इसे स्पष्ट करा लेंगे एवं भूमि, उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 को किस प्रकार प्राप्त हुई है, और किस श्रेणी की है?, के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों से भलीभांति पुष्टि करने के उपरान्त ही उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 से प्रश्नगत भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सदा कान्त) 6/1/16

प्रमुख सचिव।

संख्या: ______ (1)/आठ-2-2015-3 एम0ई0/42/15, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- निदेशक आवास बन्धु को आवास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

परिशिष्ठ-4

उत्तर प्रदेश राज्य   [illegible]म लिमिटेड

[illegible]
दूरभाष नं: 2300095
फैक्स नं: 2300015
E-mail sugcorup@rediffmail.com

पत्रांक– हरदोई / एस0एस0सी0 / भूमि / 629 / (अनु.) / [illegible] दिनांक 27 सितम्बर 2016

आवास आयुक्त,
104,महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

विषयः जनपद हरदोई स्थित चीनी मिल की भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–12,वृन्दावन योजना, लखनऊ के पत्र संख्या–2097 / शुगर फैक्टरी / 28, दिनांक 02.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उक्त भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0–2183 / वनि(3) / चीनी निगम / भू–उप परि / 08–09, दिनांक 23.03.2009 की प्रति संलग्न करते हुए, प्रकरण में–भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना एवं उसके जमा किये जाने के सम्बन्ध में अद्यावधिक स्थिति से परिषद् को अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तत्समय शासन के निर्णय के अन्तर्गत निगमाधीन चीनी मिलों के निजीकरण की परिस्थितजन्य आवश्यकता के सापेक्ष निगम की कतिपय इकाइयों के भू उपयोग परिवर्तन हेतु यद्यपि शासन से सैद्धान्तिक अनुमोदन / सहमति प्राप्त की गयी थी परन्तु कालान्तर में हरदोई चीनी मिल एवं उसकी appurtenant land का विक्रय slump sale agreement के आधार पर निजी क्षेत्र में कर दिये जाने के फलस्वरूप भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रह गयी थी।

हरदोई चीनी मिल की सन्दर्भगत भूमि को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप क्रय किया गया है जिसका उपयोग भी परिषद द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा। अतः उक्त भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जानी है तो वह उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् के स्तर से ही अपेक्षित होगी।

भवदीय,
27.9.16
(विपिन कुमार द्विवेदी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि: अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् निर्माणखण्ड–12,आफिस काम्पलेक्स–द्वितीय तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

(विपिन कुम[illegible]
प्रबन्ध नि[illegible]

परिशिष्ट-5

उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग अनुभाग-2
संख्या- 105 एस0सी0/18-2-17-88/16
लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी, 2017

1- अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0 शासन।

2- आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

3- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0,
लखनऊ।

हरदोई चीनी मिल की अवशेष 22.6082 हेक्टे0 भूमि में से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को प्रथम चरण में हस्तान्तरित भूमि के मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 16.01.2017 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया बैठक में लिए गए निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव

परिशिष्ट-5

<u>हरदोई चीनी मिल की अवशेष 22.6082 हे0 भूमि में से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को प्रथम चरण में हस्तान्तरित भूमि के मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 16.01.2017 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।</u>

<u>उपस्थित अधिकारीगणः—</u>

1— श्री हरिकान्त त्रिपाठी, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2— श्री नरेश बहादुर, विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— श्री विपिन कुमार द्विवेदी, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0।
4— श्री रूद्र प्रताप सिंह, आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्।

उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0, की हरदोई स्थित चीनी मिल की अवशेष 22.6082 हे0 भूमि के क्रय/विक्रय हेतु दिनांक 15.05.2015 को चीनी निगम एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के मध्य कतिपय शर्तो के साथ सहमति (एम0ओ0यू0) सम्पन्न हुआ एवं कालान्तर में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 06.01.2016 जारी किया गया जिसके अनुसार 22.6082 हे0 भूमि का मूल्य रू0 99.04 करोड़ निर्धारित हुआ था।

2— उक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि में से 15.3720 हे0 बड़े भू—भाग की भूमि के प्रथन चरण में हुए संयुक्त सीमांकन में 14.6400 हे0 क्लीयर भूमि का कब्जा चीनी निगम द्वारा दिनांक 20.09.2016 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को दिया गया ।

प्रथन चरण में परिषद् को हस्तान्तरित भूमि के मूल्य के भुगतान हेतु शासनादेश दिनांक 06.01.2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मूल्य भुगतान की मॉग निगम द्वारा निरन्तर की जाती रही है, परन्तु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भूमि के भू—उपयोग परिवर्तन अथवा अन्य कारणों (चीनी मिल के क्रेता मै0 एजाईल शुगर इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में दायर रिट याचिका संख्या—26551/2016 एम0बी0) को बताते हुए प्रथम चरण में हस्तान्तरित 14.6400 हे0 भूमि के मूल्य का भुगतान चीनी निगम को अभी तक नहीं किया गया है।

3— उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित 14.6400 हे0 भूमि के मूल्य के भुगतान हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 03.10.2016 द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भू—उपयोग परिवर्तन का कार्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का है।

4— आवास आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद् के निदेशक मण्डल द्वारा भूमि के भू—उपयोग परिवर्तन का दायित्व चीनी निगम द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें लगभग रू0 24.00 करोड़ का व्यय भार निहित है। यदि भू—उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही आवास विकास परिषद् द्वारा करायी जायेगी तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि परिषद् हेतु उपयुक्त नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा चीनी मिल के पूर्व क्रेता मै0 एजाइल शुगर इण्डिया प्रा0

लि0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर वाद के दृष्टिगत भूमि के मूल्य के भुगतान में कठिनाई होना बताया गया।

5— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा अवगत कराया गया कि एम0ओ0यू0 /सहमति पत्र दिनांक 15.05.2015 और शासनादेश दिनांक 06.01.2016 में भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही चीनी निगम स्तर से कराये जाने का कोई उल्लेख आवास विभाग/आवास विकास परिषद द्वारा नहीं किया गया है। चूंकि भू–उपयोग परिवर्तन का दायित्व सदैव क्रेता का होता है, फलस्वरूप प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र दिनांक 03.10.2016 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि भू–उपयोग परिवर्तन का कार्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का है, बताते हुए तद्नुसार उन्हें कार्यवाही कराने एवं चीनी निगम को भूमि के मूल्य का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को बेची जा रही भूमि चीनी मिल के पूर्व क्रेता मै0 एजाइल शुगर इण्डिया प्रा0 लि0 को बेची गई भूमि से खसरा नम्बर सर्वथा भिन्न है। सन्दर्भगत वाद में चीनी निगम द्वारा तद्नुसार प्रभावी पैरवी की जा रही है तथा चीनी निगम द्वारा वाद में मा0 उच्च न्यायालय में प्रति शपथ पत्र भी दाखिल करा दिया गया है।

6— प्रकरण में गहन विचार–विमर्श के उपरान्त मुख्य सचिव द्वारा आवास आयुक्त को एक सप्ताह का समय देते हुए प्रश्नगत मूल्य का भुगतान चीनी निगम को करने अथवा भूमि आवास विकास परिषद् के उपयोगी न होने की दशा में भूमि के क्रय/विक्रय की कार्यवाही निरस्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

25.1.17

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

IS 15700:2005 परिशिष्ट 6

संवेदनशील प्रमाणित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–12
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
ऑफिस काम्पलेक्स–द्वितीय तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
email - upavp_cd12@yahoo.com

पत्र सं0– 2322 / शुगर फैक्ट्री /34 दिनांक– 05/10/16

सेवा में,

सहायक अभियन्ता(भूमि0),
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

विषयः–<u>उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम इकाई–हरदोई की भूमि के मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0–1088/एल0ए0सी0/एच0क्यू0/दि0–28.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम इकाई–हरदोई की भूमि के मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक चीनी निगम द्वारा अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खण्ड के पत्र सं0–2097/सुगर फैक्ट्री/28/दिनांक–02.09.2016 द्वारा प्रबन्ध निदेशक(म0) चीनी निगम से प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में अद्यावधिक स्थिति की सूचना माँगी गयी थी।

प्रबन्ध निदेश (म0) के पत्रांक–629/हरदोई/एस0एस0सी0/भूमि दिनांक–27.09.2016 जो आवास आयुक्त (म0) को सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, द्वारा अवगत कराया गया है कि भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कार्यवाही आवास एवं विकास परिषद द्वारा करायी जानी है।

हरदोई चीनी मिल की भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में मा0 परिषद के निदेशक मण्डल की 232 वीं बैठक दिनांक–26.03.2015 में मद सं0–232/30 द्वारा किये गये अनुमोदन के कार्यवृत्त की शर्तों के बिन्दु सं0–2 (छायाप्रति संलग्न) पर स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन का दायित्व उ0प्र0 राज्य चीनी निगम का निर्धारित किया गया हैं।

वर्तमान में विनियमित क्षेत्र हरदोई से सम्पर्क करने पर प्राप्त जानकारी के अनुसार औद्योगिक भू–उपयोग की भूमि के परिवर्तन हेतु वर्तमान सर्किल दर का 25 प्रतिशत एवं कृषि उपयोग की भूमि के सर्किल दर का 50 प्रतिशत शुल्क देय होगा, जो कि लगभग रू0 24.12 करोड़ आता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत परिषद के निदेशक मण्डल द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार राज्य चीनी निगम द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन कराने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जानी उचित होगी।

संलग्नक 1

भवदीय,

(इं0 ज्ञानेश्वर प्रसाद)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0– 2322 / उक्त /34 दिनांक– 05/10/16

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स–पंचम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
2– सहायक अभियन्ता, उपखण्ड–हरदोई, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

परिशिष्ट-7

जनपद हरदोई में यू0पी0 शुगरकेन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 की हरदोई स्थित रिक्त भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 13.08.18 को अपर आवास आयुक्त(म0) की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्ति।

परिषद द्वारा जनपद–हरदोई में यू0पी0 शुगरकेन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 हरदोई स्थित शुगर फैक्ट्री की रिक्त भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में आज दिनांक 13.08.2018 को अपर आवास आयुक्त(म0) की अध्यक्षता में निम्नलिखित अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई:–

1. अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त
2. उप आवास आयुक्त(एन0) भूमि
3. उप आवास आयुक्त(एस0) भूमि
4. उप आवास आयुक्त(एल0) भूमि
5. उप आवास आयुक्त(ए0) भूमि
6. सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड–12,

जनपद हरदोई में यू0पी0 शुगरकेन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 की हरदोई स्थित रिक्त भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में शुगर फैक्ट्री की रिक्त 22.6082 हे0 भूमि परिषद को दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड बैठक दिनांक 26.03.2015 (232वीं बैठक मद संख्या–232/30) द्वारा प्रदान किया गया है।

परिषद को प्रश्नगत भूमि के हस्तान्तरण/विक्रय के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के आदेश दिनांक 3326/आठ–2–15–3/एच0बी0(42)/15 दिनांक 06.01.2016 निर्गत है। जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि की कीमत 99.04 करोड़ निर्धारित है।

बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन औद्योगिक/कृषि से आवासीय कराने का दायित्व उत्तर प्रदेश शुगरकेन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन का था परन्तु कार्पोरेशन द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन नही कराया गया तथा अवगत कराया गया कि भू–उपयोग परिवर्तन परिषद को कराना होगा। प्रश्नगत भूमि अद्योगिक/कृषि है जिसका भू–उपयोग परिवर्तन परिषद द्वारा कराये जाने की स्थिति में वर्ष–2017 की सर्किल दर पर 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत के अनुसार लगभग रू0 24.12 करोड़ का व्यय भार आयेगा। इस प्रकार शासन द्वारा निर्धारित कीमत रू0 99.04 करोड़ सहित कुल धनराशि 123.16 करोड़ आती है जिसके सापेक्ष्य भूमि की विक्रयशीलता नही रहेगी।

प्रश्नगत भूमि से लगी चीनी मिल परिसर एवं उससे लगी भूमि पूर्व में इजाइल शुगर इण्डिया लि0 को विक्रित है। क्रेता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0–26551/एम0बी0/2016 दायर कर दिनांक 0601.2016 को निर्गत शासनादेश को निरस्त करने एवं पूर्व में आद्योगिक उपयोग हेतु विक्रय क्षेत्र के निकट आवासीय निर्माण के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की गयी है। प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें मा0 न्यायालय से अन्यथा आदेश पारित होने पर परिषद को बहुत बड़ी क्षति होगी। उपरोक्त स्थितियों में प्रकरण पर दिनांक 16.01.2017 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उल्लिखित किया गया कि भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के लिए उपयोगी न होने की दशा में भूमि के क्रय/विक्रय की कार्यवाही निरस्त करने सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये, इसी क्रम में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1033/46–2–18–88/16 दिनांक 31.5.2018 द्वारा भी भूमि परिषद की उपयोगी न होने की दशा में शासनादेश दिनांक 06.01.2016 को सक्षम स्तर से निरस्त कराने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है। पूर्व में आवास आयुक्त(म0) के पत्रांक 122/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 07.02.2017 द्वारा शासन को अवगत कराया जा चुका है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह भूमि परिषद के लिए उपयोगी नही है।

1. भू–उपयोग परिवर्तन में होने वाले सम्भावित व्यय।
2. मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या–26551/एम0बी0/2016

NOTESHEET-C

उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह प्रस्ताव परिषद के लिए उपयोगी न होने के कारण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखे जाने हेतु आवास आयुक्त(म0) के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(डी0एन0 पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता(सी0डी0–12)

(अनिल कुमार)
उप आवास आयुक्त(भूमि)

(लक्ष्मण प्रसाद)
उप आवास आयुक्त(भूमि)

(एस0वी0 सिंह)
उप आवास आयुक्त(भूमि)

(नीलम)
उप आवास आयुक्त(भूमि)

(दिनेश कुमार)
(अधीक्षण अभियन्ता)
वृन्दावन वृत्त

(उदय राज सिंह)
अपर आवास आयुक्त

पोटिशिया 8

संख्या–1033/ /16

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सं०.........अ०आ०आ०/सचिव/दि०.......

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

चीनी उद्योग अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 3/मई 2018

विषयः जनपद हरदोई स्थित चीनी मिल की भूमि के क्रय/विक्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. के पत्र संख्या–सीइ/भूमि/हरदोई/2018–19/100 दिनांक 02.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 16.03.2015 द्वारा उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि., की हरदोई स्थित चीनी मिल की अवशेष 22.6082 हे. भूमि को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् द्वारा सुनियोजित विकास के लिए उपयुक्त बताते हुए **क्रय** करने की सहमति दी गई थी, जिसके अनुक्रम में दिनांक 15.05.2015 को चीनी निगम एवं आवास एवं विकास परिषद् के मध्य कतिपय शर्तों के साथ भूमि के विक्रय/क्रय की सहमति (एम0ओ0यू0) सम्पन्न हुई। सन्दर्भगत भूमि के विक्रय/क्रय हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अनुभाग–2, उ.प्र. शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 06.01.2016 जारी किया गया जिसके अनुसार 22.6082 हे. भूमि का मूल्य रू0 99.04 करोड निर्धारित हुआ।

3– प्रश्नगत भूमि को परिषद् द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप क्रय किया जा रहा है। उक्त भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्रांक 5299 सा/प्र0स0आ0/2016, दिनांक 03.10.2016 द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भू–उपयोग परिवर्तन का कार्य आवास एवं विकास परिषद् तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का है। साथ ही उनके स्तर से परिषद् को नियमानुसार देयकों का भुगतान चीनी निगम को शीघ्र किये जाने के निर्देश भी निर्गत किये गये थे।

4– चीनी निगम एवं परिषद् द्वारा संयुक्त सीमांकन के उपरान्त दिनांक 20.09.2016 को प्रथम चरण मे 14.640 हे0 भूमि चीनी निगम द्वारा आवास एवं विकास परिषद् को हस्तान्तरित कर दी गयी थी एवं उक्तानुसार हस्तान्तरित भूमि के मूल्य के भुगतान हेतु शासनादेश दिनांक 06.01.2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मूल्य भुगतान की मॉग निरन्तर की जाती रही है, परन्तु आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन अथवा अन्य कारणों (चीनी मिल के क्रेता मै0 एजाईल शुगर इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में दायर रिट याचिका संख्या–26551/2016 एम0बी0) को बताते हुए प्रथम चरण में हस्तान्तरित 14.6400 हे0 भूमि के मूल्य का भुगतान चीनी निगम को नहीं किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 16.01.2017 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक मे मुख्य सचिव द्वारा आवास एवं विकास परिषद् को एक सप्ताह का समय देते हुए प्रथम चरण में दिनांक 20.09.2016 को हस्तान्तरित 14.6400 हे. भूमि के मूल्य का भुगतान चीनी निगम को करने अथवा भूमि आवास विकास परिषद के उपयोगी न होने की दशा में भूमि

..2-

के क्रय/विक्रय की कार्यवाही निरस्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

5– उपरोक्त बैठक के क्रम में आवास आयुक्त ने अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को संबोधित पत्र दिनांक 07.02.2017 द्वारा सूचित किया गया कि सन्दर्भित भूमि परिषद् हेतु तभी उपयोगी हो सकती है, जब भू–उपयोग परिर्वतन निःशुल्क हो या राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम द्वारा स्वंय भू–उपयोग परिवर्तन कराकर दिया जाय तथा मै0 एजाइल शुगर इंण्डिया प्राइवेट लि0 द्वारा दायर रिट याचिका भी निरस्त हो जाय, फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में यह उपयोगी नहीं है।

6– चीनी निगम द्वारा परिषद् को विक्रय की जा रही भूमि, चीनी मिल के पूर्व केता मै0 एजाइल शुगर इण्डिया प्रा0 लि0 को बेची गयी भूमि से सर्वथा भिन्न है एवं हरदोई इकाई/चीनी निगम द्वारा वाद में प्रभावी पैरवी करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में दिनांक 29.11.2016 को प्रति–शपथ पत्र भी दाखिल किया जा चुका है।

7– उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी निगम द्वारा आवास एवं विकास परिषद् को प्रथम चरण में हस्तान्तरित भूमि के मूल्य का भुगतान चीनी निगम को शीघ्र कराने का कष्ट करे अथवा यदि प्रश्नगत भूमि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के लिये उपयोगी नही है तो शासनादेश दिनांक 06.01.2016 को सक्षम स्तर से निरस्त कराते हुए हरदोई चीनी मिल की दिनांक 20.09.2016 को हस्तान्तरित 14.640 हे. भूमि का कब्जा चीनी निगम को तत्काल वापस कराने के सम्बन्ध मे कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1033 (1)/46–2–18 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि0 को उनके पत्र संख्या–सीइ/भूमि/हरदोई/2018–19/100 दिनांक 02.05.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

2003

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद
भूमि अर्जन अनुभाग
104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
E_mail :- upavp_land@rediffmail.com

पत्रांक- 122 /भू0अ0अ0/एच0क्यू0 दिनांक 07-02-17

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

F.No. 3H.B.(42)/15
81-40.

विषयः- उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम इकाई हरदोई की भूमि के मूल्य भुगतान के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, चीनी उद्योग अनुभाग-2 के पत्र संख्या-105/18-2-17-88/16 दिनांक 27.01.2017 एवं तद् संलग्नक हरदोई चीनी मिल की कुल भूमि 22.6082 हेक्टेयर में से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को प्रथम चरण में हस्तान्तरित 14.64 हेक्टेयर भूमि मूल्य भुगतान के संबंध में दिनांक 16.01.2017 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवृत्त का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि मूल्य का भुगतान चीनी निगम को करने अथवा भूमि आवास विकास परिषद के उपयोगी न होने की दशा में क्रय/विक्रय की कार्यवाही निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में वस्तुस्थिति निम्नवत है :-

1. उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 की हरदोई स्थित चीनी मिल की 22.6082 हेक्टेयर भूमि के क्रय/विक्रय हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 06.01.2016 निर्गत हुआ जिसके अनुसार 22.6082 हेक्टेयर भूमि का मूल्य रू0 99.04 करोड़ निर्धारित हुआ।
2. परिषद के निदेशक मण्डल द्वारा 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 के मद संख्या-232/30 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया जिसमें उल्लेख था वर्तमान में प्रश्नगत भूमि आवासीय कराये जाने हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, हरदोई के माध्यम से शासन को भेजने एवं भू-उपयोग आवासीय कराये जाने का दायित्व यू0पी0 सुगर केन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन हरदोई का होगा।

   परिषद द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने की दशा में लगभग रू0 24.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भारित होगा। जिससे विक्रयशीलता नहीं आयेगी। यदि शासन स्तर से भू-उपयोग परिवर्तन करा दिया जाता है तो अतिरिक्त व्यय वहन नहीं करना पडेगा तथा विक्रयशीलता प्रभावित नहीं होगी।
3. शासनादेश दिनांक 06.01.2016 के बिन्दु-7 पर स्पष्ट है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का यह दायित्व होगा कि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का मालिकाना हक उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 हरदोई का ही है, की पुष्टि के उपरान्त ही राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 हरदोई से प्रश्नगत भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
4. उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 की हरदोई स्थित चीनी मिल की भूमि के पूर्व क्रेता मै0 एजाइल सुगर इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-26551(एम0/बी0) आफ 16 (छायाप्रति संलग्न) दायर की गयी है जिसमें राज्य सरकार, राज्य सुगर कार्पोरेशन, राज्य सुगर एवं गन्ना विकास निगम लि0 तथा उ0 आवास एवं विकास परिषद को पक्षकार बनाया गया है।
5. एजाइल शुगर मिल द्वारा दायर वाद के कारण परिषद को कब्जा प्राप्त भूमि प्रभावित होगी।

Letter Pen...
13-2-17
14-2-17

6 मै0 एजाइल शुगर इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा दायर वाद में निर्णय होने तथा शासन स्तर से भू-उपयोग आवासीय कर मास्टर प्लान में सम्मिलित किये जाने के पूर्व यदि चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 को कब्जा प्राप्त भूमि का भुगतान किया जाता है तो परिषद का धन अवरुद्ध हो जायेगा एवं उक्त भूमि पर परिषद कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकेगा।

अतः मिल की संदर्भित भूमि परिषद हेतु तभी उपयोगी हो सकती है, जब भू-उपयोग परिवर्तन निःशुल्क हो या राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम द्वारा स्वयं भू-उपयोग परिवर्तन कराकर दिया जाये तथा मै0 इजाइल शुगर इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा दायर रिट याचिका भी निरस्त हो जाये, फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में यह उपयोगी नहीं है। कृपया प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रुद्र प्रताप सिंह)
सचिव/आवास आयुक्त

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 लखनऊ ।
2. अनुसचिव, चीनी उद्योग अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उक्त पत्र के सन्दर्भ में ।

सचिव/आवास आयुक्त

मद संख्या 246/15
भूमि अर्जन अनुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः– परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–हैवतमऊ मवइया के खसरा संख्या–2613 की भूमि के सम्बन्ध में।

"परिषद की वृन्दावन योजना सं0–4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–हैवतमऊ मवइया, परगना–बिजनौर, तहसील–सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ के खसरा सं0–2613 की भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने हेतु श्री नन्हे लाल व श्री नौमी लाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ में रिट याचिका सं0–3209/एल0ए0/2018 नन्हे लाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दायर की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा दिनांक 05.02.2018 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

The limited relief pressed before us is for an appropriate direction to the Principal Secretary respondent NO.1 to decide the pending representations of the petitioners dated 14.11.2017 and 26.12.20 17 (Annexure 1 and 2 to the petition) relating to the adjustment of land acquired by the respondent Nos.2 and 3 within a fixed time-frame.

Having considered the submissions advanced and having perused the record, we dispose of this petition with a direction to the respondent No.1 to pass appropriate orders on the pending request of the petitioners, referred to above, strictly in accordance with law within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order.

मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के समादर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1482/आठ–2–2018–32भू0अ0/2017 दिनांक 17.07.2018**(परिशिष्टि–1)** द्वारा याची के प्रत्यावेदनो का निस्तारण करते हुए श्री सलीम अहमद व अन्य की भाँति समानता के आधार पर याचीगणों की भूमि के प्रकरण को परिषद बैठक में प्रस्तुत कर गुणावगुण के आधार पर निर्णीत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त प्रकरण में शासन के पत्र सं0–114सी0सी0/आठ–2–18–02अवमाननावाद/2018 दिनांक 20.7.2018 तथा पत्र संख्या–1765/आठ–2–18–32भू0अ0/17 दिनांक 23.7.2018 द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि श्री नन्हें लाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त पारित आदेश दिनांक 05.02.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में अवमाननावाद संख्या–1202(सी0)/2018 नन्हें लाल बनाम श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन दायर किया गया है। शासन के उक्त पत्रों द्वारा प्रकरण को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर निर्णीत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

शासन द्वारा पारित किये गये उपरोक्त आदेशों के संदर्भ में प्रश्नगत प्रकरण की स्थिति निम्नवत् है:–

लखनऊ शहर की आवासीय समस्या के समाधान हेतु परिषद द्वारा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वृन्दावन–4, तेलीबाग, लखनऊ संचालित की गयी है। उक्त योजना के सम्बन्ध में परिषद अधिनियम 1965 की धारा–28 की नोटिस का प्रथम प्रकाशन दिनांक 04.12.1999 को तथा धारा–32(1) का प्रकाशन दिनांक 03.04.2004 को राजकीय गजट में कराया गया तदोपरान्त उक्त योजना के सम्बन्ध में शासन द्वारा धारा–7 एवं धारा–17 के आदेश एवं अधिसूचना दिनांक 21.07.2004 को निर्गत की गयी। ग्राम हैवतमऊ मवइया के खसरा संख्या–2613 की कुल भूमि 2–8–16 बीघा (0.6170है0) है, जो परिषद की उक्त योजना में अर्जित है, जिसका कब्जा अपर जिलाधिकारी(भूमि अध्याप्ति) लखनऊ द्वारा दिनांक 11.11.2008 को परिषद को हस्तान्तरित किया जा चुका है किन्तु भूस्वामी द्वारा करार नियमावली के अन्तर्गत उक्त भूमि के सम्बन्ध में परिषद के साथ समझौता न किये जाने के कारण उक्त भूमि का एवार्ड घोषित नही हो सका है। वृन्दावन योजना संख्या–4, लखनऊ में समाविष्ट भूमि में से लगभग 80 प्रतिशत किसानों द्वारा करार नियमावली के अन्तर्गत परिषद के साथ समझौता करके प्रतिकर प्राप्त किया जा चुका है। उक्त योजना में करार से अवशेष बची भूमि का अनिवार्य एवार्ड घोषित किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) लखनऊ द्वारा कार्यवाही की जा रही है जो प्रगति पर हैं।

परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के हितबद्ध किसानों की माँग पर मा0 परिषद की 218वीं बैठक दिनांक 29.11.2011 के मद सं0–218/6 पर वृन्दावन योजना सं0–1, 2, 3 व 4 लखनऊ में वर्ष–2002 से पूर्व के निर्मित निर्माणों के समायोजन एवं उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष उन्हें 05 प्रतिशत भूमि का भूखण्ड योजना की प्रथम आवंटन दर का 20 प्रतिशत आसुधार शुल्क लेकर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसके अनुपालन में कार्यवाही

—2

करने हेतु परिषद मुख्यालय के पत्र संख्या–1941/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 04.11.2011 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया गया।

उक्त निर्णय के अनुपालन में वर्ष–2002 से पूर्व के स्थित निर्माणों के समायोजन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, (वृन्दावन वृत्त) लखनऊ के स्तर पर परिषद अधिकारियों की गठित समिति की बैठक दिनांक 23.09.2015 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक से संबंधित कार्यवृत्त में अन्य प्रकरणों के साथ–साथ क्रमांक–6 पर ग्राम–हैवतमऊ मवइया के खसरा सं0–2613 की भूमि के संबंध अंकित प्रकरण में लैण्डपूलिंग के मानकों के आधार पर खसरा संख्या–2613 की कुल भूमि में से 25 प्रतिशत (अर्थात 1542.05 व0मी0) भूमि श्री नन्हें लाल को निःशुल्क दिये जाने तथा 25 प्रतिशत (अर्थात 1542.05 व0मी0) भूमि वर्तमान दर पर आवंटित करने तथा उक्त भूमि पर स्थित डॉ अम्बेडकर की मूर्ति एवं निर्माण को प्रथम आवंटन दर से 20 प्रतिशत आसुधार शुल्क लेकर समायोजित करने की संस्तुति की गयी।**(परिशिष्ट–2)**

समिति की उक्त संस्तुतियों पर तत्कालीन आवास आयुक्त(म0) द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त संस्तुतियाँ मा0 परिषद की आगामी बैठक में अवलोकित कराने के निर्देश दिये गये, जिसका अनुपालन कराये जाने हेतु वृत्त कार्यालय को सूचित करते हुए उक्त संस्तुतियाँ मा0 परिषद की 235वीं बैठक दिनांक 12.04.2016 के मद सं0–235/49 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी, जिस पर मा0 परिषद द्वारा **"सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया"**, का निर्णय लिया गया।

मा0 परिषद द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11, लखनऊ को उक्त कार्यवृत्त दिनांक 23.09.15 में उल्लिखित प्रकरणों में यदि कोई कार्यवाही की गयी हो तो उसे तत्काल स्थगित कर दिये जाने तथा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण करते हुए गुणदोष के आधार पर प्रकरणवार आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त प्रकरण में श्री नन्हे व श्री नौमी लाल द्वारा खसरा संख्या–2613 की भूमि को अर्जन मुक्त करने हेतु शासन से किये गये अनुरोध के संदर्भ में परिषद के पत्र सं0–54/एल0ए0सी0/एच0क्यू0/दिनांक 03.08.2017 व पत्र सं0–75/एल0ए0सी0/एच0क्यू0/दिनांक 04.09.17 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि ग्राम–हैवतमऊ मवइया के खसरा संख्या–2613 की भूमि का कब्जा प्राप्त हो चुका है। उक्त भूमि पर दो कमरों का निर्माण है एवं डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की एक आदमकद मूर्ति स्थित है। शेष भूमि रिक्त है जिसे इनके द्वारा मेड़ से घेर रखा गया है। योजना के स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार खसरा संख्या–2613 की अधिकांश भूमि प्ले–ग्राउण्ड का भाग है जो कि योजना स्थल की पूर्ति करता है। उक्त प्रकरण में डॉ0 भीम राव अम्बेडकर की मूर्ति को यथा–स्थान पर समायोजित करने एवं इनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष इन्हें देय 5 प्रतिशत भूमि के रूप में 250.00 व0मी0 का भूखण्ड योजना के अन्य सेक्टर में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासन को सूचित किया गया जिसके संदर्भ में शासन के पत्र सं0–1369/आठ–2–2017–32भू0अ0/2017/दिनांक 11.09.17 द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को समायोजित करने एवं 05 प्रतिशत भूमि का भूखण्ड (250.00 वर्गमी0) योजना के अन्य सेक्टर में उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी, जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0–11, लखनऊ के पत्र दिनांक 25.09.17 द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु श्री नन्हें व श्री नौमीलाल को सूचित किया गया किन्तु उनके द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण नही की गयी।

जहाँ तक श्री सलीम अहमद की भूमि पर बने निर्माणों के समायोजन का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11, लखनऊ के पत्र संख्या–1047 दिनांक 07.5.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री मो0 सलीम के प्रकरण पर नियोजन समिति द्वारा दिनांक 10.12.2002 को आपत्तियों की सुनवाई करते हुए द्वारा निम्नानुसार संस्तुति की गयी है :–

"आपत्ति संख्या–3 के अन्तर्गत आपत्तिकर्ता द्वारा पूरे भूमि पर निर्माण होना, निवास करना तथा यदि परिषद को उक्त भूमि अर्जन किया जाना आवश्यक है तो आपत्तिकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते भूमि के बदले भूमि स्थल के आसपास उपलब्ध कराने सम्बन्धित तथ्य उल्लेख किये गये हैं।

सम्बन्धित निर्माण धारा–28 के प्रकाशन के पूर्व के हैं। 23.40 वर्गमी0 भूमि पर एक कमरे का निर्माण है तथा बाउण्ड्रीवाल के रूप में 91.21 वर्गमीटर एवं 70.50 मीटर लम्बाई में 40 सेमी0 ऊँची बाउण्ड्रीवाल लगभग 923.42 वर्गमी0 भूमि में स्थित है। इस प्रकार कुल 1038.03 वर्गमीटर पर निर्माण/खुली भूमि के रूप में काश्तकार द्वारा घेरा गया है। नियोजन समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया समिति ने यह पाया कि सड़क के निर्माण हेतु उक्त भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है जिस पर निर्माण भी स्थित है। सर्वसम्मति से समिति द्वारा संस्तुति की गई कि स्थल स्थित निर्माण योजना में समायोजित करते हुए भूमि स्वामी को लगभग 300 वर्गमीटर का एक भूखण्ड आसुधार शुल्क लेते हुए परिषद द्वारा आवंटित करने पर यथासमय विचार किया जाये।"

—3

पुनः श्री सलीम द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में प्रकरण मा0 परिषद की बैंठक दिनांक 12.03.2004 में प्रस्तुत किया गया जिस पर मा0 परिषद के संकल्प सं0–188/1–53 दिनांक 12.03.2004 द्वारा योजना में विकास कार्यो में इनके द्वारा किये गये योगदान के दृष्टिगत इनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 60 प्रतिशत भूमि योजना में दिये जाने का निर्णय लिया गया।

वृन्दावन योजना सं0–4 लखनऊ के सम्बन्ध में नियोजन समिति की संस्तुतियों के क्रम में श्री नन्हेंलाल व नौमीलाल द्वारा कोई आपत्ति नियोजन समिति के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गयी और न ही नियोजन समिति द्वारा ग्राम हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या–2613 की कोई भूमि समायोजित/अर्जनमुक्त की गयी है। श्री नन्हेंलाल व नौमीलाल द्वारा खसरा संख्या–2613 की भूमि पर धारा–28 के प्रकाशन दिनांक 04.12.1999 के बाद अवैध रूप से निर्माण किया गया है। अतः खसरा संख्या–2613 ग्राम हैवतमऊ मवैया की भूमि का समायोजन किसी तरह से परिषद हित में नहीं है।

अतएव स्पष्ट है कि श्री मो0 सलीम को दी गयी 60 प्रतिशत भूमि की भाँति भूमि दिये जाने हेतु श्री नन्हें लाल व नौमी लाल द्वारा किये गये अनुरोध के संदर्भ में अवगत कराना है कि श्री मो0 सलीम की भूमि खसरा संख्या–367 पर बने पूर्व के निर्माण को परिषद की नियोजन समिति द्वारा समायोजित करते हुए 300 व0मी0 का एक भूखण्ड आसुधार शुल्क लेते हुए आवंटित करने का निर्णय लिया गया था जबकि याची श्री नन्हें लाल व नौमी लाल के खसरा संख्या–2613 पर नियोजन समिति के समय कोई निर्माण नही था जिसके कारण इनकी कोई भूमि नियोजन समिति द्वारा न ही छोड़ी गयी और न ही समायोजित की गयी है। **फलस्वरूप याची श्री नन्हें लाल व श्री नौमी लाल का प्रकरण श्री मो0 सलीम के प्रकरण के समान प्रकृति का नही है।** यहाँ यह भी अवगत कराना है कि नियोजन समिति द्वारा छोड़ी गयी भूमि से श्री मो0 सलीम के सहमत न होने के कारण इनके द्वारा स्थल पर 1038.03 व0मी0 भूमि पर निर्माण/खुली भूमि के रूप में प्रयोग किये जाने के दृष्टिगत इनकी मांग पर परिषद के संकल्प संख्या–188/1–53 दिनांक 12.03.2004 द्वारा प्रश्नगत योजना में अर्जित की जा रही भूमि के क्रम में 60 प्रतिशत भूमि दिये जाने विषयक प्रकरण पर मा0 परिषद द्वारा **"वृन्दावन योजना के विकास में दिये गये योगदान को दृष्टिगत रखते हुए अनुमोदित किया गया।"** का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11, लखनऊ के पत्र सं0–1386/दिनांक 21.06.2018 द्वारा अवगत कराया गया कि अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियाँ मा0 परिषद की 235वीं बैठक दिनांक 12.06.2016 द्वारा निरस्त कर दिये जाने के पश्चात् श्री शिवशंकर, श्रीमती सुनीता, श्री रामकुमार तथा श्री प्रेमनाथ पाल, श्री नागेश्वर पाल एवं श्रीमती शैलेश शुक्ला के निर्माण परिषद की 30 मीटर व 45 मीटर चौडी सड़क पर आ जाने एवं सड़क का निर्माण कार्य बाधित हो जाने के फलस्वरूप उक्त निर्माणों को अन्यत्र समायोजन हेतु प्रकरण मा0 परिषद की 237 वीं बैठक दिनांक 03.08.2016 के मद संख्या–237/38 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा0 परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। जबकि खसरा संख्या–2613 पर धारा–28 के पश्चात किया गया अवैध निर्माण से सड़क निर्माण का कार्य प्रभावित नही हो रहा है और मौके पर अधिकांश भूमि रिक्त है, रिक्त भूमि का समायोजन किया जाना औचित्यपूर्ण नही है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम–हैवतमऊ मवइया के खसरा संख्या–2613 कुल रकबा 2–8–16 बीघा का अधिग्रहण किया गया है जो वृन्दावन योजना सं0–4, लखनऊ में समाविष्ट है जिसका कब्जा दिनांक 11.01.2008 को प्राप्त हो चुका है किन्तु भू–स्वामी द्वारा करार नियमावली के अन्तर्गत परिषद के साथ समझौता न किये जाने के फलस्वरूप प्रतिकर का भुगतान नही हो सका है। प्रश्नगत योजना में करार से अवशेष बची भूमि का अनिवार्य एवार्ड घोषित किये जाने की कार्यवाही अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) लखनऊ के स्तर पर गतिमान है जिसमें याची के खसरा सं0–2613 की भूमि शामिल है। उक्त प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता के उक्त पत्र दिनांक 21.06.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त वर्णित स्थितियों में प्रश्नगत भूमि को अर्जन मुक्त किया जाना उचित नही होगा।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रकरण परिषद के मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(नीलम)	(उदय राज सिंह)	(अजय चौहान)
उप आवास आयुक्त(भूमि)	अपर आवास आयुक्त	आवास आयुक्त

) 19.7.18

परिशिष्ट-1

6350

23/7/18 उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2
संख्या- 1484/आठ-2-2018-32भू0अ0/2017
लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2018

12226

कार्यालय ज्ञाप

परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-हैवतमऊ मवैया परगना-बिजनौर तहसील-सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ की खसरा संख्या-2613 की भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने हेतु श्री नन्हे लाल व नौमी लाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या-3209/एल0ए0/2018 नन्हे लाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दायर की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा दिनांक 05.02.2018 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

सचिव/ उप आ0 आ0

8807-
19.7.18

The limited relief pressed before us is for an appropriate direction to the Principal Secretary /respondent NO.1 to decide the pending representations of the petitioners dated 14.11.2017 and 26.12.2017 (Annexure 1 and 2 to the petition) relating to the adjustment of land acquired by the respondent Nos.2 and 3 within a fixed time-frame.

Having considered the submissions advanced and having perused the record, we ***dispose of*** this petition with a direction to the respondent No.1 to pass appropriate orders on the pending request of the petitioners, referred to above, strictly in accordance with law within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order.

2- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश में उल्लिखित याची के प्रत्यावेदन दिनांक 14-11-2017 में यह तथ्य उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी की भूमि ग्राम-हैवतमऊ मवैया लखनऊ के खसरा संख्या-2613 की भूमि परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ के अन्तर्गत समाविष्ट है जिसका न कोई एवार्ड हुआ है और न ही मैने कोई प्रतिकर लिया है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को योजना में समायोजित करने का अनुरोध किया गया, किन्तु अभी तक उक्त भूमि का समायोजन नहीं हो सका है। परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-2 (भाग-2) में श्री सलीम अहमद पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार के खसरा संख्या--367 की अधिग्रहीत भूमि में से 60 प्रतिशत भूमि असुधार शुल्क लेकर

योजना में समायोजित करने का निर्णय परिषद की 188वीं बैठक दिनांक 12–3–2014 द्वारा लिया गया है। अतः मेरी उक्त भूमि को भी श्री सलीम की भॉति परिषद योजना में समायोजित किया जाय। मैं परिषद को आसुधार शुल्क/विकास शुल्क जो भी लगाया जायेगा देने को तैयार हूँ।

3– मा0 उच्च न्यायालय के आदेश में उल्लिखित याची के प्रत्यावेदन दिनांक 26–12–2017 में मुख्य रूप से यह उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या–2613 रकबा 0.6170 हे0 स्थित ग्राम–हैवतमऊ मवैया लखनऊ के दर्ज भूमिधरी हैं, जो वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ के सेक्टर–16 में पड़ती है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अभी तक निर्विवाद रूप से कब्जा व दखल चला आ रहा है तथा उक्त भूमि का अभी तक परिषद द्वारा न तो कब्जा लिया गया है और न ही उक्त भूमि के संदर्भ में किसी प्रकार का मुआवजा ही घोषित किया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण पक्का मकान बना करके निवास कर रहे हैं तथा शेष भूमि वृक्षों से आच्छादित है तथा इसी भूमि पर डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की आदमकद मूर्ति प्रार्थीगण के पिता के जीवन काल से स्थापित है। प्रार्थीगण एवं आवास विकास परिषद के मध्य दिनांक 23.9.2015 को भूमि के समायोजन के संदर्भ में एक समझौते की कार्यवृत्त अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया जिसके तहत प्रार्थी की उक्त भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि प्रार्थीगण को निःशुल्क रूप से देने तथा 25 प्रतिशत भूमि को वर्तमान दर पर देने का समझौता हुआ तथा यह शर्त रखी गयी कि शेष 50 प्रतिशत भूमि पर प्रार्थीगण अपना कोई भी दावा नही पेश करेंगे तथा इस 50 प्रतिशत भूमि को प्रार्थीगणों को बिना प्रतिकर लिये परिषद को देना पड़ेगा। कालान्तर में परिषद द्वारा मनमाने ढंग से बिना कोई कारण बताये उक्त समझौते को संज्ञान में नही लिया गया है। उक्त समझौते के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध याचीगण द्वारा अपने प्रतयावेदन दिनांक 26–12–2017 में किया गया।

4– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2018 की प्रमाणित प्रति संलग्न कर याचीगण द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 12.02.2018 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 23–9–2015 के कार्यवृत्त के अनुसार भूमि का समायोजन किये जाने तथा श्री सलीम अहमद की भॉति 60 प्रतिशत भूमि असुधार शुल्क लेकर भूमि परिषद की योजना में समायोजित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5— मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05—02—2018 एवं याचीगणों के प्रत्यावेदनों में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में दिनांक 23—4—2018 को सुनवाई की गयी, जिसमें श्री नौमी लाल एवं याची के अधिवक्ता व अन्य उपस्थित रहे। उक्त सुनवाई के समय याचीगण द्वारा एक प्रत्यावेदन दिया गया, जिसमें उपरोक्त प्रस्तर—2, 3, 4 में उल्लिखित तथ्यों के अतिरिक्त यह उल्लिखित किया गया कि अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित समिति के कार्यवृत्त दिनांक 23—09—2015 को परिषद बोर्ड की 235वीं बैठक में निरस्त किया गया था, किन्तु पुनः उक्त कार्यवृत्त दिनांक 23—9—2015 के अन्य 07 प्रकरणों को परिषद की 237वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया गया, जो प्रार्थीगणों के साथ भेद—भाव व समानता के अधिकार के विरूद्व है। उक्त समझौते के अनुसार अन्य की भॉति अपने प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध याचीगणों द्वारा अपने प्रत्यावेदन में किया गया है।

6— मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05—02—2018 के अनुपालन में याचीगणों के समस्त प्रत्यावेदनों पर आख्या/अभिलेख आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से मॉगे गये। तत्कम में आवास आयुक्त के पत्र संख्या—81/एल0ए0सी0/एच0क्यू दिनांक 25—6—2018 में प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया गया है:—

(1) वृन्दावन योजना संख्या—2 भाग—2 पूरक लखनऊ के सम्बन्ध में नियोजन समिति द्वारा दिनांक 10.12.2002 को प्राप्त आपत्ति पर सुनवाई की गयी। श्री सलीम द्वारा खसरा संख्या—367 के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिस पर नियोजन समिति द्वारा निम्नानुसार संस्तुति की गयीः—

आपत्ति संख्या—3 के अन्तर्गत आपत्तिकर्ता द्वारा पूरे भूमि पर निर्माण होना, निवास करना तथा यदि परिषद को उक्त भूमि अर्जन किया जाना आवश्यक है तो आपत्तिकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते भूमि के बदले भूमि स्थल के आस—पास उपलब्ध कराने सम्बन्धित तथ्य उल्लेख किये गये है।

सम्बन्धित निर्माण धारा—28 के प्रकाशन के पूर्व के है। 23—40 व0मी0 भूमि पर एक कमरे का निर्माण है तथा बाउण्ड्रीवाल के रूप में 91.21व0मी0 एवं 70—50 मीटर लम्बाई में 40 से0मी0 ऊँचा बाउण्ड्रीवाल लगभग 923.42 व0मी0 भूमि में स्थित है। इस प्रकार कुल 038.03 व0मी0 पर निर्माण/खुली भूमि के रूप में काश्तकार द्वारा घेरा गया है। नियोजन समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। समिति ने

यह पाया कि सड़क के निर्माण हेतु उक्त भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है जिस पर निर्माण भी स्थित है। सर्वसम्मति से समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि स्थल स्थित निर्माण योजना में समायोजित करते हुए भूमि स्वामी को लगभग 300 व0मी0 का एक भूखण्ड आसुधार शुल्क लेते हुए परिषद द्वारा आवंटित करने पर यथासमय विचार किया जाये।

उक्त के पश्चात मो0 सलीम, श्री कौशल किशोर राज्य मंत्री श्रम उ0प्र0 शासन द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में प्रकरण परिषद की बोर्ड बैठक दिनांक 12.03.2004 में प्रस्तुत किया गया जिस पर परिषद की 188वीं बैठक दिनांक 12.03.2004 के मद संख्या–188/ 1–53 पर योजना में विकास कार्यों में इनके द्वारा किये गये योगदान के दृष्टिगत इनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 60 प्रतिशत भूमि योजना में दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(2) अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियां परिषद की 235 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.06.2016 द्वारा निरस्त कर दिये जाने के पश्चात् श्री शिवशंकर, श्रीमती सुनीता, श्री रामकुमार तथा श्री प्रेमनाथ पाल, श्री नागेश्वर पाल एवं श्रीमती शैलेश शुक्ला के निर्माण परिषद की 30 मीटर व 45 मीटर चौड़ी सड़क पर आ जाने के कारण सड़क का निर्माण कार्य बाधित हो जाने के फलस्वरूप उक्त निर्माणों को अन्यत्र समायोजन हेतु प्रकरण परिषद की 237वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.08.2016 के मद संख्या–237/38 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर परिषद बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

7– रिट याचिका संख्या–3209/2018, नन्हे लाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–02–2018 के अनुपालन/समादर में प्रकरण का विधिवत् परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त निम्नवत् स्थिति पायी गयी:–

(1) मो0 सलीम के सम्बन्ध में नियोजन समिति द्वारा उनकी भूमि के बदले 300वर्गमीटर का एक भूखण्ड असुधार शुल्क लेते हुए आवंटित किये जाने की संस्तुति की गयी थी, किन्तु उन्हें 300 वर्गमीटर के स्थान पर अर्जित भूमि के सापेक्ष 60 प्रतिशत भूमि योजना में दिये जाने का प्रकरण बिना किसी समिति की संस्तुति के परिषद द्वारा श्री सलीम एवं तत्कालीन राज्यमंत्री श्रम (श्री कौशल किशोर) के अनुरोध पर परिषद की 188वीं बैठक दिनांक 12–3–2004 में रखा गया, जिसे परिषद बोर्ड

द्वारा मद संख्या– 188/1–53 पर योजना में विकास कार्यों में इनके द्वारा किये गये योगदान के दृष्टिगत इनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 60 प्रतिशत भूमि परिषद योजना में दिये जाने का निर्णय लिया गया और उक्त के आधार पर परिषद द्वारा श्री सलीम को उनकी अर्जित भूमि के बदले 60 प्रतिशत भूमि योजना में दी गयी।

(2) अपर आवास आयुक्त एवं सचिव द्वारा गठित समिति द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ में वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माणों के समायोजन के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 23–9–2015 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय जिसमें अन्य के अतिरिक्त खसरा संख्या–2613 पर स्थित निर्माणों के समायोजन (श्री नन्हे लाल व नौमी लाल) के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी थी, जिसे परिषद की 235 वीं बैठक दिनांक 12.06.2016 में निरस्त कर दिया गया था। पुनः उसी संस्तुति को आधार मानकर 235 वीं बैठक दिनांक 12–6–2016 में निरस्त किये गये प्रकरणों में से श्री शिवशंकर, श्रीमती सुनीता, श्री रामकुमार तथा श्री प्रेमनाथ पाल, श्री नागेश्वर पाल एवं श्रीमती शैलेश शुक्ला के निर्माणों को अन्यत्र समायोजन हेतु प्रकरण परिषद की 237वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.08.2016 के मद संख्या–237/38 पर प्रस्तुत किया गया, जिस पर परिषद बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, किन्तु परिषद की 237वीं बैठक में श्री नन्हे लाल व श्री नौमी लाल की भूमि खसरा संख्या–2613 से सम्बन्धित प्रकरण को नहीं रखा गया। परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार याचीगणों की प्रश्नगत भूमि का एवार्ड अभी घोषित नहीं किया गया है।

8– उपरोक्त समस्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सलीम का प्रकरण परिषद की 188वीं बैठक दिनांक 12–03–2014 में प्रस्तुत किया गया तथा परिषद बोर्ड द्वारा उक्त बैठक में 60 प्रतिशत भूमि श्री सलीम को देने का अनुमोदन किया गया है, जो नियोजन समिति की संस्तुति से भिन्न थी। उक्त के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 23–09–2015 के कार्यवृत्त के आधार पर अन्य प्रकरणों को परिषद की 237वीं बैठक दिनांक 03–08–2016 में प्रस्तुत कर श्री शिवशंकर, श्रीमती सुनीता, श्री रामकुमार तथा श्री प्रेमनाथ पाल, श्री नागेश्वर पाल एवं श्रीमती शैलेश शुक्ला के निर्माणों का समायोजन परिषद बोर्ड से किया गया है। उक्त स्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है

कि उल्लिखित प्रकरणों की भाँति समानता के आधार पर याचीगण श्री नन्हे लाल व नौमी लाल की भूमि खसरा संख्या–2613 हैवतमऊ मैवया के प्रकरण को आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा परिषद की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर गुणावगुण के आधार पर निर्णीत कराया जाय। तदनुसार याचीगण के प्रत्यावेदन दिनांक 14–11–2017, 26–12–2017 05–2–2018 व 23–4–2018 को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या 1482–(1)/आठ–2–2018, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कर शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।
(2) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(4) श्री नन्हे व नौमी लाल, निवासी–हैबतमऊ मवैया, लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

P.G.O.-1SH.P-(507)

परिशिष्ट-9

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त,
[illegible] वृन्दावन योजना, लखनऊ।

पत्रांक : 3122 /वाई–46/ 653   दिनांक: 14 / 10 / 2015

5281
19/10/15

सेवा में,

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
104–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

विषय: वृन्दावन योजना लखनऊ में वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माणों के समायोजन के संबंध में दिनांक 23.09.2015 को आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में वृन्दावन योजना लखनऊ में वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माणों के समायोजन संबंधी पत्रावलियों के निस्तारण हेतु अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी जिसकी बैठक दिनांक दिनांक 23.09.2015 को आहुत की गयी बैठक में प्रस्तुत प्रकरणों पर स्थल निरीक्षण एवं विचारोपरान्त तैयार कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इसका अनुमोदन करने का कष्ट करें ताकि संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके।

संलग्नक--कार्यवृत्त।

भवदीय

(आर0सी0 सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

CE
19/11

S.E.(I)
[illegible] आवश्यक कार्यवाही कर अवगत करें।
मुख्य अभियन्ता
20-10-15

आवश्यक प्रस्ताव [illegible] कृपया [illegible] कार्यवाही;

E.E.(H.O)/श्री प्रभात

S.E.(P)
7/11/15

पत्रांक 3250-2015 दि0 3-11-2015
[illegible] उपरोक्त पर मूल रूप से [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) द्वारा गठित समिति द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ में वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माणों के समायोजन के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक–23.09.2015 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या–2844/एम–3/38 दिनांक 19.09.2015 के माध्यम से गठित समिति द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ में वर्ष 2002 के पूर्व के निर्माणों के सम्बन्ध में प्रस्तुत पत्रावलियों का परिसीलन किया गया तथा मौके का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री आर0सी0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, लखनऊ।
2. श्री यू0सी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0–11, लखनऊ
3. श्री डी0के0श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–3 लखनऊ।
4. श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, भूमि अर्जन मुख्यालय, लखनऊ
5. श्री अरविन्द देव आर्या, वास्तुविद् नियोजक, इकाई–5/7, लखनऊ
6. श्री विकास कुमार, सहायक वास्तुविद् नियोजक, इकाई–5, लखनऊ
7. श्री निजामुल हक, सहायक अभियन्ता, नि0ख0–3, लखनऊ

उक्त बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त प्रकरणवार वस्तुस्थिति निम्नवत् है–

(1) वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ के ग्राम बरौली खलीलाबाद के अन्तर्गत खाता सं0 207, 517, 258, 256, 519 व 86 के सापेक्ष देय भूमि/भूखण्ड आदि से सम्बन्धित किसानों की वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ के खसरा सं0 1235 एवं 1235/1, 1235/2 में भूस्वामियों के तत्समय पुराने निर्माण और निवास होने के कारण नियोजन समिति द्वारा अर्जन से मुक्त की गई कुल 2168.68 वर्गमी0 भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

उक्त प्रकरण पर निर्माण खण्ड–3 के सहायक अभियन्ता श्री निजामुल हक द्वारा अवगत कराया गया कि अर्जनमुक्त निर्माण सेक्टर–19 और 13 के बीच नियोजित 30 मी0 चौड़ी सड़क पर स्थित है। जिसके कारण 30 मी0 चौड़ी सड़क एवं उसकी सर्विसेज अवरूद्ध है जिसके कारण वृन्दावन योजना के पेरिफेरियल रोड का कार्य नहीं हो पा रहा है। अतः योजना हित में इनके निर्माण एवं आच्छादित भूमि हितबद्ध काश्तकारों की सहमति के अनुसार वहीं पर सेक्टर–19 में समायोजित किया जाना आवश्यक है। समिति को अवगत कराया गया कि उक्त खसरे से सम्बन्धित काश्तकार श्री हरदीप सिंह, श्री बलकार सिंह, श्री जोगेन्दर सिंह, श्री मंजीत सिंह, श्री शमशेर सिंह, श्री निर्मल सिंह, श्री हरजीत सिंह, श्री अमरीक सिंह, श्री बलदेव सिंह, श्री सुबेग सिंह, श्री मनप्रीत सिंह हैं जिनकी लगभग 66 बीघा भूमि वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ के अन्तर्गत अर्जित की गई है जिसमें से श्री मनप्रीत सिंह एवं श्री जोगेन्दर सिंह को केवल अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि/भूखंण्ड दिया जाना है। शेष काश्तकारों को उनके अर्जित भूमि के सापेक्ष भूखण्ड और अर्जनमुक्त निर्माणों को वहीं पर समायोजन किया जाना हैं। जिसके लिए हितबद्ध काश्तकारों द्वारा अपनी सहमति भी दी गई है। इन काश्तकारों द्वारा पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसे भी

(के0 सी0 श्रीवास्तव)
अधि0 अ0 (भूमि)

58

सहमति से समायोजन के उद्देश्य से वापस ले लिया गया है। 30 मी0 चौड़ी परिफेरियल रोड के निर्माण हेतु सड़क पर आ रहे अर्जन मुक्त निर्माणो को समीप अन्यत्र समायोजन किया जाना योजना हित में आवश्यक एवं अपरिहार्य है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में किसानों की सहमति एवं मौके की स्थिति के अनुसार समयोजन का प्रस्ताव निर्माण खण्ड–3 के सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर समिति द्वारा सहमति दी गई जिसकी प्रति इस कार्य के साथ संलग्न है। प्रस्तुत प्रस्तावित मानचित्र पर मौके पर उपस्थित श्री हरदीप सिंह, जोगेन्दर सिंह, श्री मंजीत सिंह, एवं श्री शमशेर सिंह द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं परन्तु अन्य सहखातेदारों श्री निर्मल सिंह, श्री हरजीत सिंह, श्री अमरीक सिंह,श्री बल्देव सिंह, श्री सुबेग सिंह पुत्रगण श्री हरबंशसिंह के मौके पर उपलब्ध न होने के कारण उनके हस्ताक्षर प्रस्तावित मानचित्र पर नहीं हो पाये हैं जो कि मानचित्र फाइनल करने से पूर्व संबंधित निर्माण खण्ड द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अतः समिति द्वारा संस्तुति की जाती है कि उपरोक्तानुसार अर्जन मुक्त निर्माणों एवं अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत के अन्तर्गत देय भूमि को वहीं सेक्टर 19 में नियोजित कर उनको समायोजित/आवंटित करने की कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही–निर्माण खण्ड–3/11/वास्तुविद् नियोजक, इकाई–5)

(2) श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री लालू, श्री सुक्खा पुत्र श्री भिखारी, श्री पूर्णमासी पुत्र श्री शंकर, श्री रघुवीर,मातादीन पुत्र हरी खाता सं0 149, खसरा सं0 1149 ग्राम बरौली खलीलाबाद की अर्जित भूमि के सापेक्ष भूखण्ड दिये जाने संबंधी पत्रावली

खसरा संख्या–1149 में नियोजन समिति द्वारा अर्जन मुक्त की गई भूमि (129.36 + 30.21 = 159.70 वर्गमी0) सहित अतिरिक्त कुल 1144.91 वर्ग0मी0 पर वर्तमान में अतिक्रमण/अवैध निर्माण है जिसके कारण उनकी पत्रावली का निस्तारण लम्बित है। इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त लखनऊ की अध्यक्षता में दि0 14.05.2015 को एक बैठक आहूत हुई थी जिसमें खसरा संख्या–1149 में अर्जनमुक्त भूमि को वांछित सेटबैक देते हुए ले आउट प्लान में समायोजन करने की कार्यवाही हेतु सह–खातेदारों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई बाउण्ड्रीवाल को सम्बन्धित निर्माण खण्ड–3 द्वारा हटवाकर उक्त भूमि को परिषद के नियोजित ले आउट प्लान के अनुसार सम्पत्तियों का निस्तारण कराये जाने का निर्णय लिया गया था जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। समिति द्वारा संबंधित पत्रावली का परीसीलन एवं मौके का निरीक्षण के बाद संस्तुति की गई की सम्बन्धित निर्माण खण्ड–3 लखनऊ सहखातेदारों द्वारा अवैध रूप से भूमि पर बनाई गई बाउण्ड्रीवाल को तत्काल हटाने की कार्यवाही करेगें जिसके लिए सह–खातेदारों द्वारा पूर्व में सहमति भी दी गई है। अन्य पुराने

(के0 सी0 श्रीवास्तव)
अधि0 अभि0 (भूमि)

निर्माणों का टोटल सर्वे स्टेशन कराकर अर्जनमुक्त भूमि को वांछित सेट बैक आदि देते हुए समायोजन करने की कार्यवाही करायी जायेगी।

(कार्यवाही--निर्माण खण्ड--3 / वास्तुविद् नियोजक, इकाई--5)

(3) खाता सं0 243, 244 के अन्तर्गत खसरा सं0 1151, 1152 ग्राम बरौली खलीलाबाद की अर्जित भूमि के सापेक्ष भूखण्ड दिये जाने की पत्रावली

खाता सं0 243, 244 के अन्तर्गत खसरा सं0 1151, 1152 ग्राम बरौली खलीलाबाद की अर्जित भूमि के सापेक्ष हितबद्ध सह-खातेदारों द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किये गये हैं परन्तु उक्त खसरों में निर्माण खण्ड-3 लखनऊ से प्राप्त संलग्न सूची, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार क्रमांक-6 एवं 7 पर अंकित अवैध निर्माण जो कि क्रमशः सड़क एवं पार्क में हैं के कारण पत्रावली का निस्तारण लम्बित है। अवगत कराया गया है कि सभी सहखातेदारों द्वारा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिकर प्राप्त कर लिया गया है। उक्त निर्माण पूर्णतः अवैध हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या--1152 में श्री रामचन्दर पुत्र श्री रामलाल द्वारा 93.10 वर्ग0मी0 भूमि में सड़क पर निर्माण किया गया है तथा श्री चन्द्रिका प्रसाद द्वारा 130.71 वर्ग0मी0 भूमि पर पार्क में निर्माण किया गया है, जिसको हटवाने की कार्यवाही निर्माण खण्ड--3 लखनऊ द्वारा की जानी है। समिति द्वारा पत्रावली का परिसीलन किया गया तथा मौके का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि क्रमांक--6, 7 पर अंकित निर्माण क्रमशः 9 मी0 सड़क और पार्क में है। जिसको यथास्थान पर समायोजित किया जाना अनुमन्य नहीं है। अतः इनको हटाया जाना अनिवार्य एवं आवश्यक है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्माण खण्ड-3 लखनऊ द्वारा सम्बन्धित काश्तकारों से सम्पर्क कर उनकी सहमति लेकर हटाने की कार्यवाही की जायेगी जिससे उनको अर्जित भूमि के सापेक्ष देय भूखण्ड के आवंटन की कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही--निर्माण खण्ड--3 / वास्तुविद् नियोजक, इकाई--5)

(4) वृन्दावन योजना लखनऊ के सेक्टर--16 में लोक निर्माण विभाग की पुरानी सड़क के किनारे वर्ष 2002 के पूर्व के निर्माणों के समायोजन के संबंध में।

रायबरेली रोड लखनऊ से निकल रही लोक निर्माण विभाग की पुरानी सड़क सेक्टर--16 और 15 होते हुए गयी है जिसके किनारे निर्माण स्थित हैं। वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माणों के अन्तर्गत समायोजन हेतु संबंधित भू-स्वामियों के आवेदन प्राप्त हुये हैं जिनकी पत्रावलियाँ समायोजना हेतु वृत्त कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित की गयी थी। उक्त के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन / पत्रावलियों के क्रम में समिति के सदस्यों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। उक्त निर्माण लोक निर्माण विभाग की पुरानी सड़क के किनारे ...

(के0 सी0 श्रीवास्तव)
अधि0 अभि0 (भूमि)

F-45 EE

जिसके अन्तर्गत मुख्यतया भू–स्वामियों/आवेदकों द्वारा एक–एक कमरा बनाया गया है तथा शेष भूमि वाउन्ड्रीवाल से घेर कर रखी गयी है। समिति की राय
के अनुसार इनको यथा स्थान पर समायोजित करने पर नियोजित ले आउट प्लान के अनुसार आवश्यक सेवाओं के सम्पादन में कठिनाई आयेगी। अतः इनको यहाँ से अन्यत्र खाली पाकेटस् में नियोजित अथवा सेक्टर–18 पार्ट में विकसित उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में समायोजित किया जाना उचित होगा। वास्तुविद् नियोजक द्वारा अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर एक प्लान तैयार कर फिजिबिलिटी हेतु प्रेषित किया गया है जिसमें सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन के बगल उपलब्ध रिक्त भूमि पर ले आउट नियोजित किया गया है जिसमें विभिन्न साइज के भूखण्ड नियोजित किये गये हैं परन्तु इसको ले आउट के अनुसार विकसित करने में काफी समय लगेगा। इस पाकेट में पूर्व में ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड नियोजित है जिस पर पूर्व में हिमालय एन्क्लेव प्रस्तावित था परन्तु तत्समय श्री मंशाराम पाल के वाद में स्थगन आदेश होने के कारण यहाँ निर्माण नहीं हो पाया। वर्तमान में श्री मंशा राम पाल के वाद में माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश के समादर में आवास आयुक्त (म0) द्वारा सुनवाई के उपरान्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के कम में समिति का मत है कि सेक्टर–16 में स्थित वर्ष 2002 से पूर्व के विभिन्न निर्माणों को सेक्टर–18 में उपलब्ध रिक्त आवासीय भूखण्डों में समायोजित किया जाना उचित होगा क्योंकि वह क्षेत्र विकसित है। वहाँ सड़क, सीवर, वाटर सप्लाई, नाली, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में परिषद द्वारा आवासीय भूखण्डों का आवंटन नहीं किया जा रहा है तथा एक मंजिले भवन भी नहीं बनाये जा रहे है जिसके कारण उक्त भूखण्ड लम्बे समय से रिक्त उपलब्ध हैं जिनका अभी निस्तारण नहीं हुआ है। निर्माण खण्–11 द्वारा अवगत कराया गया है कि सेक्टर–11 और 16 के बीच नियोजित 45 मी0 सड़क पर स्थित वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माणों को सड़क के अवरूद्ध कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु अन्यत्र समायोजित किया जाना है जिसके लिये संबंधित भू–स्वामियों द्वारा दिये गये आवेदनों के कम में पत्रावली का अनुमोदन आवास आयुक्त (म0) द्वारा हो चुका है। इसी प्रकार शारदा नहर के समानान्तर 30 मी0 रोड पर सेक्टर–11 के सम्मुख श्री नागेश्वर पाल के वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माण को भी उक्त सड़क के कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु अन्यत्र समायोजित किया जाना है जिसकी स्वीकृति आवास आयुक्त (म0) से प्रदत्त है। अतः 45 मी0 और 30 मी0 सड़क के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु मुख्यालय से प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत निम्नलिखित भू–स्वामियों के वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माणों को सड़क से हटाने हेतु उनको मुख्यालय द्वारा अनुमोदित साइज के विकसित भूखण्ड दिये जाने हैं जिससे वे वहाँ अपना निर्माण कर शीघ्र उपयोग कर सकें।

(के0 सी0 श्रीवास्तव)
अधि0 अ0 (भूमि)

F-15 EE

	नाम	क्षेत्रफल
1(I)	श्री शिवशंकर,	01 बिस्वा (126.5 व0मी0)
(II)	श्रीमती सुनीता पत्नी स्व0 तेज शंकर	01 बिस्वा (126.5 व0मी0)
(III)	श्री रामकुमार	01 बिस्वा (126.5 व0मी0)
2.	श्री नागेश्वर पाल	156व0मी0
3.	श्री प्रेमनाथ पाल	300व0मी0

उपरोक्त से संबंधित मुख्यालय से अनुमोदित पत्रों की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त भू-स्वामियों द्वारा यह सहमति दी गयी है कि उनको उपरोक्तानुसार अनुमोदित माप के विकसित भूखण्ड दिये जाने पर उनके द्वारा सड़क पर स्थित निर्माण को तत्काल हटा लिया जायेगा। अतः समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी कि इनको सेक्टर-18 (पार्ट) लखनऊ में निर्माण खण्ड-11 के अधीन उपलब्ध (121 व0मी0 के 13 तथा 75 वर्ग0मी0 के 26, कुल 39 नग) भूखण्डों में समायोजित करने की कार्यवाही की जाये। उक्त पाकेट विकसित है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी। प्राप्त आवेदन के अनुसार सम्बन्धित विवरण की सूची संलग्न है। लोक निर्माण विभाग की पुरानी सड़क के किनारे सेक्टर-15 और सेक्टर-16 में स्थित वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माणों को मुख्यालय के आदेशानुसार प्रथम आवंटन के 20 प्रतिशत की दर से आसुधार शुल्क लेकर आवंटन किये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त के आलोक में सेक्टर-16 और सेक्टर-15 में स्थित लोक निर्माण विभाग की सड़क के किनारे भू-स्वामियों के छोटे-छोटे निर्माणों को समायोजित करने के संबंध में समिति की राय के अनुसार उनको यथास्थान पर समायोजित करने पर नियोजित ले आउट प्लान के अनुसार 'आवश्यक सेवाओं के समाधान में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माणों को भू-स्वामियों के अनुरोध के सापेक्ष उनको सेक्टर-18 में उपलब्ध 75 व0मी0 के भूखण्ड में समायोजित करना उचित पाया गया इसके लिये इन भू-स्वामियों द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माण को उनके द्वारा हटवा लिया जायेगा अथवा परिषद द्वारा हटवा दिया जायेगा तथा इसके लिये बाद में कोई क्लेम या दावा नहीं किया जायेगा। जिनके निर्माण 75 व0मी0 से कम है उन्हें प्रथम आवंटन के 20 प्रतिशत की दर से आसुधार शुल्क लेकर सेक्टर-18 पार्ट में एक 75 व0मी0 का भूखण्ड दिया जाना उचित होगा। जिनके निर्माण का क्षेत्रफल 75 व0मी0 से अधिक है उनको तद्नुसार उसके सापेक्ष वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार समायोजन हेतु भूखण्ड दिया जाना उचित होगा। वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माणों के अधिकांश भू-स्वामियों द्वारा प्रतिकर के स्थान पर निर्माण की सामग्री स्वयं लेने की इच्छा व्यक्त की गयी है जो कि उचित पाया गया क्योंकि परिषद को इससे प्रतिकर का भुगतान अलग से नहीं करना होगा और उसके मूल्यॉकन संबंधी भी कोई समस्या या विवाद बाद में नहीं होगा।

(कार्यवाही-निर्माण खण्ड-11/वास्तुविद् नियोजक, इकाई-5)

(के0 सी0 श्रीवास्तव)
अधि0 अभि0 (भूमि)

(54)

5-वृन्दावन योजना संख्या 4 लखनऊ में संचालित एस0एन0 पब्लिक स्कूल से संबंधित खसरा संख्या-2540 ग्राम-हैवतमऊ मवइया को समायोजित किये जाने के संबंध में-

आवास आयुक्त (म0) को सम्बोधित आवेदक श्री मंशा राम पाल निवासी हैवतमऊ मवइया लखनऊ ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 20-03-2015 द्वारा वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ में स्थित खसरा संख्या-2540 की भूमि को शिक्षण संस्था हेतु निर्धारित भूमि दर पर आसुधार शुल्क लेकर समायोजित करने का अनुरोध किया गया है जिस पर अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) के पत्र संख्या-384 दिनाक 02-06-2015 द्वारा कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के संबंध में संबंधित खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत खसरा संख्या-2540 का कुल रकबा 2-19-13 बीघा है जिसमें तत्समय स्कूल भवन होने के कारण नियोजन समिति द्वारा 02 निर्माण क्रमशः **16.17X4.10=68.47** व0मी0 में 03 पक्के कमरे तथा **14X4.10=57.81** व0मी0 में 03 पक्के कमरे लिन्टल लेबिल तक अच्छी हालत में पाये जाने के कारण कुल **125.87** व0मी0 भूमि के क्षेत्र में बने निर्माणों को आसुधार शुल्क जमा करने की शर्त के अधीन अर्जन मुक्त करने तथा नियमानुसार सैट बैक व रास्ते हेतु आवश्यक खुली भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष भूमि को अधिग्रहण करने की संस्तुति की गयी परन्तु भू-स्वामी द्वारा तत्समय माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-16/एल0ए0/2015 मंशाराम बनाम् उ0प्र0 सरकार आदि योजित कर दिये जाने के कारण उक्त भूमि का न तो एवार्ड घोषित हो सका और न ही प्रतिकर का भुगतान हो सका। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-04-2015 के समादर में आवास आयुक्त (म0) द्वारा मंशा राम पाल के प्रत्यावेदन पर सुनवाई करते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया जिसकी प्रति संलग्न है को समिति द्वारा अवलोकन किया गया।

श्री मंशाराम पाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 02-03-2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परिषद की वृन्दावन योजना में आवेदक की भूमि वृन्दावन योजना संख्या-2, वृन्दावन योजना संख्या-3 एवं योजना संख्या-4 लखनऊ में अधिग्रहीत हुई है जिसके अधिग्रहण में उनके द्वारा पूरा सहयोग किया गया है। विभिन्न खातों में उनकी अर्जित भूमि का विवरण उनके प्रत्यावेदन के बिन्दु संख्या-1 में दिया गया है जिसके अनुसार उनके हिस्से की भूमि लगभग 04 बीघा है। श्री मंशा राम पाल के खसरा संख्या-2540 में दो स्थानों पर **68.47** व0मी0 में 03 पक्के कमरे तथा **14X4.10=57.81** व0मी0 में 03 पक्के कमरे कुल **125.87** व0मी0 भूमि नियोजन समिति द्वारा अर्जन मुक्त की गयी है नियमानुसार उसके साथ सैट बैक एवं रास्ता हेतु आवश्यक खुली भूमि दिये जाने की नियोजन समिति द्वारा निर्णय लिया गया है। नियोजन समिति द्वारा अर्जन मुक्त उक्त दोनों निर्माण मौके पर L शेप में है जिसको मौके के अनुसार सैट बैक और रास्ता देते हुये आसुधार शुल्क लेकर समायोजित करने वाला कुल क्षेत्रफल लगभग 300 व0मी0 हो जायेगा।

श्री मंशाराम पाल के खसरा संख्या-2540 ग्राम-हैवतमऊ मवइया का कुल रकबा 2-19-13 बीघा है जो कि वृन्दावन योजना संख्या-4 के अन्तर्गत अधिग्रहीत है। परन्तु उक्त भूमि का अभी न तो

(के0 सी0 श्रीवास्तव)
अधि0 अ0 (भूमि)

एवार्ड घोषित हुआ है और न ही प्रतिकर का भुगतान हो सका है। उक्त भूमि पर तत्समय स्कूल भवन होने के कारण 125.87 व0मी0 भूमि अर्जन से मुक्त की गई है। मौके पर उक्त भवन में श्री मंशा राम पाल द्वारा स्कूल चलाया जा रहा है। उक्त निर्माण विभिन्न स्थानो पर फैला हुआ है तथा पूरे खसरे की भूमि बाउण्ड्रीवाल से घेरी हुई है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7542.00 वर्ग0मी0 है। श्री मंशा राम पाल द्वारा आसुधार शुल्क लेकर समस्त भूमि शिक्षण संस्थान हेतु योजना में समायोजित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त भूमि सेक्टर–16 में स्थित है जिसके कारण वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ के नियोजित ले आउट प्लान के अनुसार शारदा नहर के किनारे प्रस्तावित 30मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण उक्त क्षेत्र में नहीं हो पाया है जिसके लिए श्री पाल द्वारा उनके खसरे की भूमि दिये जाने की सहमति दी गई है। परिषद हित में उक्त सड़क को बनाया जाना आवश्यक है क्योंकि सम्बन्धित वास्तुविद् नियोजक द्वारा सेक्टर–16 के उक्त पॉकेट्स के प्रस्तावित ले आउट प्लान में भी नियोजित भूखण्ड हेतु शारदा नहर के किनारे इस सड़क का प्राविधान किया गया है। अतः नहर के किनारे 18 मी0 चौड़ी सड़क निरीक्षण भवन तक बनायी जा सकती है जैसा कि सम्बन्धित वास्तुविद नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों हेतु न्यूनतम् 18 मी0 चौड़ी सड़क होनी चाहिए। इसी पॉकेट्स में श्री मंशाराम पाल के खसरा सं0 2540 की भूमि है। अतः 18 मी0 रोड के निर्माण हेतु उनसे समझौता किया जाना परिषद् एवं योजना हित में पाया गया जिसके लिए श्री पाल द्वारा सहमति भी दी गई है। श्री मंशाराम पाल के पत्रावली का समिति द्वारा परिसीलन किया गया तथा मौके का निरीक्षण किया गया जिसमें शासन के निर्देशों के क्रम में पुराने प्रकरणों के निस्तारण के दृष्टिकोण से इनको इसी स्थान पर इनकी अर्जित भूमि का 50 प्रतिशत भूमि इस प्रकार समायोजित किया जाना उचित पाया गया कि शेष पाकेट्स में परिषद की सम्पतियां नियोजित की जा सकें तथा इनके लिए भी एक रेगुलर शेप भूखण्ड नियोजित हो सके। साथ ही शारदा नहर के किनारे प्रस्तावित सड़क एवं सर्विसेज का कार्य पूर्ण किया जा सके, जिससे इस क्षेत्र की सर्विसेज सुचारू रूप से निस्तारित हो सकें। प्रस्तावित ले आउट प्लान में उक्त खसरा सं0 2540 के बगल व्यवसायिक भूखण्ड नियोजित किया गया है वह भी रेगुलर सेप में नहीं है उसे भी रेगुलर शेप में बनाने की सहमति बनी है। इस प्रकार समिति द्वारा पाया गया कि खसरा सं0 2540 की भूमि को उपरोक्तानुसार समायोजित करते हुए शेष भाग में भूखण्ड नियोजित कर वर्ष 2002 से पूर्व के छुट–पुट निर्माणों को यहां समायोजित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सेक्टर–16 में लोक निर्माण विभाग की पुरानी सड़क के किनारे स्थित निर्माणों के कारण सेक्टर–16 की कई सड़कों एवं सर्विसेज का कार्य अवरूद्ध एवं बाधित है। जिनको यहां पर सेक्टर–16 के इस पाकेट्स में समायोजित करने पर उक्त पॉकेट्स खाली हो जायेगा तथा ले आउट प्लान के अनुसार कई सम्पत्तियां सृजित हो जायेगी और विकास कार्य पूर्ण हो जायेंगे। इस प्रकार उनकी अर्जित भूमि में से अर्जन मुक्त भूमि का समायोजन एक ही स्थान पर करते हुये देय कुल 50 प्रतिशत भूमि अनुमन्य हो सकती है क्योंकि परिषद द्वारा

(के0 सी0 श्रीवास्तव)
अधि0 अ0 (भूमि)

कुल अर्जित भूमि में से लगभग 50 प्रतिशत भूमि ही विक्रयशील होती है। प्रश्नगत खसरा संख्या-2540 का कुल रकबा 2-19-13 बीघा अर्थात लगभग 7542 व0मी0 है जिसमें तत्समय स्थित L शेप में 02 निर्माण क्षेत्रफल 68.47 व0मी0 व 57.81 व0मी0 कुल 125.87 व0मी0 भूमि नियोजन समिति द्वारा नियमानुसार उसके साथ सैट बैक और रास्ता हेतु आवश्यक खुली भूमि दिये जाने के साथ नियोजन समिति द्वारा अर्जन से मुक्त की गयी है जिसके अनुसार आवश्यक सैट बैक और रास्ता देते हुए क्षेत्रफल लगभग 300 व0मी0 होता है इसको कम करते हुए शेष भूमि 7242 व0मी0 बचती है। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन उ0प्र0 शासन के निर्देशों के कम में योजना में पुराने विवादित प्रकरणों का मेरिट के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। संबंधित भू-स्वामी श्री मंशाराम पाल द्वारा प्रतिकर लेने के बजाय उक्त भूमि को अर्जन से मुक्त करने या विकास शुल्क लेकर समायोजित करने का अनुरोध किया जा रहा है। अतः प्रकरण के निस्तारण हेतु समझौते के आधार पर कार्यवाही किया जाना समिति द्वारा समीचीन पाया गया। मुख्यालय के पत्र संख्या-06/भू0अ0-दो दिनांक 01-04-2015 के अनुसार लैण्ड पुलिंग के अन्तर्गत जमीन लेने के संबंध में मानक निर्धारित किये गये हैं जिसके अनुसार भू-स्वामियों/किसानों से ली जाने वाली भूमि के बदले कम से कम 25 % विकसित भूमि दिये जाने का प्राविधान प्रस्तावित है जिसका भू-स्वामियों से कोई विकास शुल्क या आसुधार शुल्क नहीं लिया जाना है। इस प्राविधान के अन्तर्गत इनकी अर्जित भूमि 7242 व0मी0 का 25% 1810.05 व0मी0 भूमि दी जा सकती है। उपरोक्त के अतिरिक्त 50% में से शेष भूमि वर्तमान दर पर इन्हें आवंटित की जा सकती है।

निर्माण खण्ड-11 द्वारा अवगत कराया गया कि वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ के अन्तर्गत अर्जित अधिकांश भूमि का प्रतिकर का भुगतान करार नियमावली के अन्तर्गत आपसी समझौता से किया गया हैं तद्नुसार उनका एवार्ड घोषित किया गया है परन्तु कुछ भू-स्वामियों द्वारा तत्समय और अभी तक प्रतिकर प्राप्त करने हेतु आपसी समझौता न किये जाने के कारण ऐसी अवशेष भूमि का धारा-11(1) के अन्तर्गत अनिवार्य अभिनिर्णय अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन) लखनऊ द्वारा किया जाना है जिसके लिये अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन) लखनऊ द्वारा प्रतिकर भुगतान हेतु नये भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 के प्राविधानों के अनुसार (चार गुना दर से) अवशेष भूमि का प्रतिकर भुगतान हेतु लगभग रू0-49.54 करोड़ धनराशि की माँग उनके पत्रांक 2194/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0) आवास/ लखनऊ दिनांक 23-07-2015(छाया प्रति संलग्न) द्वारा की जा रही है जो कि पूर्व में आपसी समझौता से किये गये प्रतिकर भुगतान का काफी अधिक होने के कारण अभी तक लम्बित है। अतः योजना हित में यह उचित पाया गया कि ऐसी विवादित भूमि जिसका अभी तक एवार्ड नहीं हो सका और न ही प्रतिकर का भुगतान भू-स्वामियों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है [illegible]
होगा जिसे नये दर से भुगतान करने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या कम हो सके और लम्बित

(कि0 सी0 श्रीवास्तव)
अधि0 अभि0 (भूमि)

विवाद का भी प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप मेरिट के आधार पर विवाद का समाधान भी हो जाये। उपरोक्त के आलोक मे परिषद एव जन हित में पुराने विवादित प्रकरणों के निस्तारण हेतु अर्जित भूमि का 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिया जाना समीचीन होने के कारण तद्नुसार 25 प्रतिशत भूमि का भूखण्ड आसुधार शुल्क तथा उससे अवशेष भूमि को वर्तमान दर पर देने का आधार मानते हुए समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्ताव दिया गया और भू–स्वामियों को कोई भी प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जायेगा न ही भू–स्वामियों द्वारा इसके लिये कभी कोई क्लेम या दावा किया जायेगा, इस आशय का शपथ–पत्र संबधित भू–स्वामियों से प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही किये जाने की समिति द्वारा संस्तुति की गयी। खसरा संख्या–2540 से संबंधित प्रकरण–5 का निराकरण लैण्ड पूलिंग पर आधारित है जो कि बोर्ड में अस्वीकृत हो चुका है। अतः इस पर पुर्नविचार किया जाना आवश्यक है।

(कार्यवाही–निर्माण खण्ड–11/31/वास्तुविद् नियोजक, इकाई–5)

<u>(6) वृन्दावन योजना लखनऊ के सेक्टर–16 में खसरा सं0 2613 पर स्थित निर्माणों के समायोजन के संबंध में।</u>

सेक्टर–16 में ग्राम हैवतमऊ मवैया लखनऊ के खसरा संख्या–2613 रकबा 0.617 हे0 भूमि पूर्व भू–स्वामी श्री नन्हें व नौमीलाल पुत्रगण श्री भगवानदीन द्वारा मौके पर 02 कमरों का निर्माण कर रखा है तथा अम्बेडकर की एक आदमकद मूर्ति है तथा शेष क्षेत्र को मेड़ से घेर रखा है। उक्त भूमि का अभी तक एवार्ड नहीं हुआ है और न ही भू–स्वामी को प्रतिकर का भुगतान हो सका है। पूर्व भू–स्वामी द्वारा उक्त भूमि के समायोजन हेतु आवेदन किया है। मौके पर उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण प्ले ग्राउण्ड और नियोजित सम्पत्तियों के बीच 12 मी0 व 9 मी0 सड़क का कार्य तथा उसकी सर्विसेज अवरूद्ध हैं जिसे योजना हित में पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। भूमि अर्जन से सम्बन्धित पुराने प्रकरणों को तत्काल निस्तारित कराये जाने हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में योजना हित में इस प्रकरण का भी निस्तारण किया जाना आवश्यक है। श्री नन्हें व नौमीलाल पुत्रगण श्री भगवानदीन द्वारा दिये गये आवेदन का परिसीलन किया गया तथा उनके प्रतिनिधियों से वार्ता की गयी उनके द्वारा नियोजित ले आउट के अनुसार सड़क बनाने हेतु भूमि देने की सहमति इस शर्त के साथ दी गई कि शेष भूमि नियमानुसार विकास शुल्क लेकर उनके पक्ष में समायोजित कर दी जाती है तो अवशेष सड़क को बनाने में वे सहयोग करेंगे। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य मे समिति का अभिमत है कि योजना हित में श्री नन्हें व नौमीलाल पुत्रगण श्री भगवानदीन के खसरा संख्या–2613 को आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाना योजना हित में उचित पाया गया जिससे ले आउट के अनुसार सड़क/सर्विसेज का कार्य पूर्ण कराया जा सके तथा अवशेष भूमि का नियमानुसार आसुधार/विकास शुल्क लेकर समायोजित करने की संस्तुति की गई। उल्लेखनीय है कि उक्त खसरे पर स्थित निर्माण वर्ष 2002 के पूर्व के हैं अतः उक्त निर्माणों/अम्बेडकर की आदमकद मूर्ति आदि को सेटबैक देते हुए रेगुलर शेप में सेक्टर–16 के ले आउट प्लान में यथास्थान पर समायोजित किया जाना उचित पाया गया जिससे परिषद के नियोजित ले आउट प्लान के अनुसार विकास कार्य एवं नियोजित सम्पत्तियॉं निस्तारित हो सकें। इससे इस क्षेत्र को अवशेष 02 सड़क निकल जायेंगी तथा

कई भूखण्ड भी उपलब्ध हो जायेंगे। प्रश्नगत खसरा संख्या–2613 का कुल रकबा 0.617 हेक्टेअर है। प्रश्नगत प्रकरण काफी पुराना एवं विवादित है जिसके कारण मौके पर सेक्टर–16 में सड़कें एवं सर्विसेज का निर्माण/विकास कार्य लम्बे समय से अवरूद्ध है। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन उ0प्र0 शासन द्वारा पुराने प्रकरणों को मेरिट के आधार पर सहानुभूतिपूर्व विचार करते हुए निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिससे पुराने प्रकरणों का शीघ्र समाधान हो जाये। मुख्यालय के पत्रांक–06/भू0अ0–दो दिनांक 01-04-2015 द्वारा प्रस्तावित लैण्ड पूलिंग के संबंध में मानक निर्धारित किये गये हैं जिसके द्वारा भू–स्वामियों से ली जाने वाली भूमि के एवज में उन्हें कम से कम 25% विकसित भूमि, भूखण्ड के रूप में दिये जाने का प्राविधान है जिसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। अतः इस प्रकरण के निस्तारण हेतु उक्त के अनुसार कुल भूमि का 25% अर्थात 1542.05 वर्ग0मी0 विकसित भूमि/भूखण्ड इन्हें वहीं पर दिया जा सकता है तथा 50% में से शेष 25% अर्थात 1542.05 व0मी0 वर्तमान दर से देते हुए प्रकरण का सहमति से निस्तारण किये जाने की समिति द्वारा संस्तुति की गयी। मौके की स्थिति का टोटल स्टेशन सर्वे तैयार किया गया है जो कि संलग्न है जिस पर वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माण अंकित हैं जिस पर परिषद आदेश के अनुसार 2002 के निर्माण पर प्रथम आवंटन की दर का 20% आसुधार शुल्क लेते हुए जिसे भी यथास्थान पर ही समायोजित किया जाना समिति द्वारा समीचीन पाया गया। भू–स्वामियों को उनके अर्जित भूमि के प्रतिकर का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और भू–स्वामियों द्वारा अर्जित भूमि के प्रतिकर की मॉग और क्लेम भविष्य में नहीं किया जायेगा इस आशय का शपथ–पत्र भू–स्वामियों से लेकर तद्नुसार कार्यवाही किये जाने की समिति द्वारा संस्तुति की गयी। इस प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पर अम्बेडकर मूर्ति के कारण संवेदनशील है तथा 2 सड़कें भी निकल रही है तथापि लैण्ड पूलिंग का दृष्टान्त न लेते हुए वर्तमान दर पर भूमि समायोजित किया जाना उचित होगा।

<u>(7) वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–हैवतमऊ मवइया के खसरा संख्या–2566 की भूमि पर स्थित श्री अजय कुमार साहू पुत्र स्व0 गंगा राम साहू के वर्ष 2002 के पूर्व के निर्माण के समायोजन के संबंध में।</u>

श्री अजय कुमार साहू द्वारा खसरा संख्या 2566 ग्राम हैवतमऊ मवइया पर उनके निर्माण के समायोजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। मौके पर उनका 29.33 व0मी0 का एक कमरा बना हुआ है तथा कमरे के साथ काफी क्षेत्र में अतिक्रमाण कर रखा है जिसके समायोजन हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।

उक्त के कम में संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि खसरा संख्या–2566 की भूमि ग्राम–समाज की भूमि है जो कि उनके पिता स्व0 गंगा राम साहू को पट्टा के रूप में ग्राम प्रधान द्वारा तत्समय आवंटन की गयी थी जिस पर इन लोगों द्वारा एक कमरा 3.45x8.50 व0मी0 का मौके पर बनाया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 29.33 व0मी0 आता है परन्तु उनके द्वारा उक्त कमरे के अतिरिक्त अगल–बगल की काफी भूमि अतिकमित कर रखी है जिसके कारण 40.74 व0मी0 के कुल 13 नग भूखण्ड तथा 9.00 मी0 चौड़ी सड़क का कार्य मौके पर अवरूद्ध है। समिति द्वारा उनके प्रत्यावेदन एवं पत्रावली का परिसीलन किया गया तथा मौके की स्थिति का निरीक्षण किया गया।

(जे0 सी0 श्रीवास्तव)
अधि0 अ0 (भूमि)

मौके की स्थिति और आवेदक के निर्माण को देखते हुए समिति का यह अभिमत है कि उनके पक्के निर्माण के साथ आवश्यक रौट बैक देते हुए एक नियोजित भूखण्ड में इनको दिये जाने की समिति द्वारा संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही–निर्माण खण्ड–11/31/वास्तुविद् नियोजक, इकाई–5)

<u>(8) वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–बरौली खलीलाबाद के खसरा संख्या–540, 541 में श्रीमती शैलेष शुक्ला पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला की भूमि और निर्माण के समायोजन के संबंध में।</u>

श्रीमती शैलेष शुक्ला पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–बरौली खलीलाबाद के खसरा संख्या–540, 541 की भूमि एवं उस पर निर्माण के क्रम में समायोजन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई। उक्त पत्रावली का समिति द्वारा परिसीलन किया तथा मौके का निरीक्षण किया गया। श्रीमती शुक्ला द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके पति श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला भारतीय सेना के सैनिक थे जो तत्समय जम्मू कश्मीर में तैनात थे। उनके द्वारा उक्त खसरे में 1920 वर्गफिट के भूखण्ड का दि0 09.07.1998 को रजिस्ट्री करायी गयी है जो कि दिनांक 16.09.1998 को रजिस्ट्री कार्यालय में दर्ज है जिसकी प्रति उनके द्वारा संलग्न की गई है। उनके द्वारा वर्ष 1998–99 के मध्य एक कमरा एक लैट्रिन, बाथरूम व 7 फिट ऊँची बाउण्ड्रीवाल तथा गेट बना लिया गया था जिसके साक्ष्य में नियोजन समिति की सुनवाई तथा परिषद द्वारा दिये गये नोटिस की प्रति संलग्न की गई है। उक्त निर्माण वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ से सेक्टर–15 में 24 मी0 रोड पर आने के कारण उक्त सड़क के निर्माण हेतु हटवा दिया गया है जिसका कुछ भाग का हिस्सा मौके पर उपलब्ध है। उक्त के विरूद्ध इनके द्वारा मा0 न्यायालय में रिट याचिका सं0 8710 एम0बी0/2009 दाखिल की गई थी तथा उक्त के क्रम में अवमानना वाद सं0 39/2010 मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था जिसको उनके द्वारा बिना शर्त समाप्त करने का शपथ–पत्र दिया गया है तथा यह भी शपथ–पत्र दिया गया कि अब कोई वाद विचाराधीन नहीं है तथा इस सम्बन्ध में बाद में कोई वाद/विवाद नहीं करेंगे। धारा–12 (2) के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी भूमि अर्जन कलेक्ट्रेट लखनऊ के पत्र सं0 1392/–आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0) दि0 09.02.2010 द्वारा निर्गत नोटिस की प्रति भी संलग्न की गई है जिसके अनुसार खाता सं0 372 के खसरा सं0 540, 541 ग्राम–बरौली खलीलाबाद लखनऊ में क्रय की गई 1920 वर्गफिट भूमि का प्रतिकर लेने हेतु उन्हें नोटिस निर्गत की गई है परन्तु अभी तक उनके द्वारा प्रतिकर प्राप्त नहीं किया गया है। उनके द्वारा उक्त भूमि के समायोजन अथवा उसके बदले भूमि/भूखण्ड आसुधार शुल्क लेकर आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इनकी पत्रावली का परिसीलन किया गया तथा मौके का निरीक्षण किया गया। परिषद में भूमि अर्जन से सम्बन्धित पुराने लम्बित प्रकरणों में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए निस्तारण

(के0 सी0 श्रीवास्तव)
अधि0 अ0 (भूमि)

F-15 EE

करने के संबंध में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में समिति का अभिमत है कि आवेदक को उनकी भूमि एवं पूर्व के निर्माण तथा उनके पति के भारतीय सेना का होने से संबंधित तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए उन्हें योजना में एक 75 वर्ग0मी0 का भूखण्ड नियमानुसार आसुधार शुल्क लेकर दिया जाना उचित होगा।

(कार्यवाही–निर्माण खण्ड–11/31/वास्तुविद् नियोजक, इकाई–5)

ह0/– (निजामुल हक) सहायक अभियन्ता नि0ख0–3, लखनऊ	ह0/– (विकास कुमार) वास्तुविद् नियोजक इकाई–6	ह0/– (अरविन्द देव आर्या) वास्तुविद् नियोजक इकाई–5	ह0/– (के0सी0 श्रीवास्तव) अधिशासी अभियन्ता (भूमि अर्जन) मुख्यालय
ह0/– (डी0के0 श्रीवास्तव) अधिशासी अभियन्ता नि0ख0–3 लखनऊ	ह0/– (यू0सी0 सिंह) अधिशासी अभियन्ता नि0ख0–11, लखनऊ	ह0/– (आर0सी0 सिंह) अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त	

(के0 सी0 श्रीवास्तव)
अधि0 अ0 (भूमि)

वर्ष 2002 के पूर्व के निर्माण के समायोजन

	सेक्टर / योजना संख्या	निर्माण की स्थिति			रजिस्ट्री दि0	रजिस्ट्री के अनुसार क्षेत्र	भवन का क्षेत्र	[illegible]	रजिस्ट्री से अधिक अधिक्रमित क्षेत्र	कब्जा की स्थिति	[illegible] की स्थिति	[illegible] की स्थिति
[illegible] का नाम (निवेदक)		खसरा सं0	ग्राम	खसरे का कुल क्षेत्रफल								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
[illegible]	16/4	2618	हैबतपुर मवैया	0.1935हे0, 1935.48 वर्गमी0	28.07.2000	128.888 वर्गमी0	15.68 Sqm.	132.10 Sqm.	15.322 Sqm.	11.11.08	नहीं	[illegible] किया गया है।
[illegible]	16/4	2618	हैबतपुर मवैया	0.1935हे0, 1935.48 वर्गमी0	28.07.2000	126.888 वर्गमी0	14.32 Sqm.	127.41 Sqm.	0.582 Sqm.	11.11.08	नहीं	[illegible] किया गया है।
[illegible]	16/4	2618	हैबतपुर मवैया	0.1935हे0, 1935.48 वर्गमी0	28.07.2000	195.187 वर्गमी0	20.70 Sqm.	242.88 Sqm.	47.723 Sqm.	11.11.08	नहीं	[illegible] किया गया है।
[illegible]	16/4	2618	हैबतपुर मवैया	0.1935हे0, 1935.48 वर्गमी0	28.07.2000	126.888 वर्गमी0	19.20 Sqm.	147.26 Sqm.	20.402 Sqm.	11.11.08	नहीं	[illegible] किया गया है।
			कुल	1935.48 वर्गमी0								
[illegible]	16/4	2636, 2642, 2644	हैबतपुर मवैया	0.0380हे0 (379.50 वर्गमी0), 0.0127हे0 (126.80 वर्गमी0), 0.0380हे0 (379.50 वर्गमी0)	03.08.2000	209.83 वर्गमी0	15.48 Sqm.	250.83 Sqm.		[illegible]	0.0316हे0	[illegible] द्वारा [illegible]
[illegible]	16/4	2636, 2642, 2644	हैबतपुर मवैया	0.0380हे0 (379.50 वर्गमी0), 0.0127हे0 (126.80 वर्गमी0), 0.0380हे0 (379.50 वर्गमी0)	02.12.2000	187.29 वर्गमी0	15.48 Sqm.	187.39 Sqm.		[illegible] दि0 11.11.08	0.0316हे0	[illegible] द्वारा [illegible]
[illegible]	16/4	2643, 2644	हैबतपुर मवैया	0.0253हे0 (253.00 वर्गमी0), 0.0380हे0 (379.50 वर्गमी0)	03.07.2000	252.97 वर्गमी0	157.97 + 12.89 = 170.86 Sqm.	571.00 Sqm.		[illegible] दि0 11.11.08	0.0253हे0 [illegible]	[illegible] द्वारा [illegible]
[illegible]	16/4	2643, 2644	हैबतपुर मवैया	0.0253हे0 (253.00 वर्गमी0), 0.0380हे0 (379.50 वर्गमी0)	इकरारनामा दि. 10.04.01 एवं इकरारनामा दि. 26.04.03	793.27 वर्गमी0 एवं 270.02 वर्गमी0	12.92 Sqm.					
[illegible]	16/4	2546	हैबतपुर मवैया	0.080	ग्राम की रसीद	-	71.75 Sqm.	209.39 Sqm.		0.080 दि. [illegible]	-	[illegible] द्वारा [illegible]
[illegible]	16/4	2662	हैबतपुर मवैया	0.0382हे0 (382.15 वर्गमी0)	अभिलेख का साक्ष्य नहीं है।	-	22.35 + 33.84 = 56.19 Sqm.	548.58 Sqm.		[illegible] दि. [illegible]	-	-
[illegible]	16/4	2664	हैबतपुर मवैया	0.117हे0 (1170.00 वर्गमी0)	08.12.98	253.00 वर्गमी0	9.46 Sqm.	253.00 Sqm.		0.117 दि. 11.11.08	0.0585 0.0585	[illegible] द्वारा [illegible]
[illegible]	16/4	2665	हैबतपुर मवैया	0.013हे0 (130.00 वर्गमी0)	मूल काश्तकार	-	15.66 Sqm.	420.66 Sqm.				[illegible] द्वारा [illegible]
[illegible]	16/4	2550	हैबतपुर मवैया	0.534हे0 (5340.00 वर्गमी0)	ग्राम समाज	-	20.67 Sqm.	518.34 Sqm.		0.534हे0 दि. [illegible]		
[illegible]	16/4	2613	हैबतपुर मवैया	0.617हे0 (6170.00 वर्गमी0)	मूल काश्तकार	-	54.15 Sqm.	600.78 Sqm.		0.617हे0 दि. [illegible]	नहीं	[illegible]

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मूल काश्तकार	18/4	2540	[illegible]	0.743हे0 (7430.00वर्गमी0)	मूल काश्तकार	–	123.47 Sqm.	[illegible]		[illegible] दि. 11.11.[illegible]	नहीं	[illegible]	[illegible] है। [illegible] है।
ग्राम समाज	18/4	2566	[illegible]	0.161हे0 (1610.00वर्गमी0)	ग्राम समाज	–	29.39 Sqm.	[illegible] Sqm.	–	[illegible] दि. [illegible]	नहीं		ग्राम समाज। [illegible]
रामप्रसाद पुत्र त्रिलोकी	18/4	2659	[illegible]	0.253हे0 (2530.00वर्गमी0)	दि0 17.07.91	188.187 वर्गमी0	14.60 Sqm.	[illegible] Sqm.	–	[illegible] दि. 11.11.[illegible]	नहीं	[illegible] किया गया है	[illegible] है। [illegible] गया है।
रामप्रसाद पुत्र त्रिलोकी	18/4	2659	[illegible]	0.253हे0 (2530.00वर्गमी0)	दि0 17.12.91	380.10 वर्गमी0	14.69 Sqm.						
रामप्रसाद पुत्र त्रिलोकी	18/4	2659	[illegible]	0.253हे0 (2530.00वर्गमी0)	दि0 17.07.91 एवं इकरारनामा दि0 [illegible]	188.187 वर्गमी0 एवं इकरारनामा [illegible] वर्गमी0	19.64 Sqm.						

SURVEYOR D/M J.E. 17.10.15 A.E. E.E.

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषय:– वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–1, लखनऊ में स्थित ग्राम–हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या–2218 की 120.00 वर्गमी0 भूमि पर श्री रामखेलावन द्वारा किये गये अवैध निर्माण को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि की देयता में समायोजित करके भूखण्ड संख्या–4बी/70 सशर्त आवंटन के संबंध में।

परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–2, भाग–1 लखनऊ मे समाविष्ट ग्राम हैवतमऊ मवैया की ग्राम समाज की भूमि खसरा संख्या -2218 की 120.00 वर्गमीटर भूमि पर श्री राम खेलावन यादव पुत्र स्व0 हीरालाल, निवासी–ग्राम हैवतमऊ मवैया, लखनऊ द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। खसरा सं0–2218 की कुल 2–8–15 बीघा भूमि का परिषद अधिनियम–1965 की धारा–38 के अन्तर्गत पत्र सं0–804/भू0अ0–दो–05/नजूल भूमि/दिनांक 26.06.2000 के द्वारा पुनर्ग्रहण किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि परिषद में निहित है। श्री राम खेलावन यादव ने अपने पत्र दिनांक–14.11.2017 के द्वारा ग्राम हैवतमऊ मवैया की भूमि खसरा संख्या–2171, 2541, 2632 एवं 2633, जो परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–2 व 4, लखनऊ मे अधिग्रहीत की गयी है, के सापेक्ष हितवद्ध काश्तकार को देय 5 प्रतिशत विकसित भूखण्ड को उनके द्वारा अवैधरूप से ग्राम समाज की भूमि खसरा संख्या–2218 पर किये गये निर्माण मे समायोजित किये जाने एवं अवशेष योजना मे अन्यत्र आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री रामखेलावन के उक्त अनुरोध एवं प्रकरण में खण्ड स्तर से प्राप्त की गयी आख्या एवं समिति की संस्तुति के क्रम में प्रकरण मा0 परिषद की 245वीं बैठक दिनांक–14.05.2018 के मद संख्या–245/43 **(परिशिष्ट–1)** पर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा0 परिषद द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:–

"सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।"

परिषद निर्णय के अनुपालन में सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–11, लखनऊ के पत्र संख्या–1481/वाई–12/57 दिनांक–02.07.2018 **(परिशिष्ट–2)** एवं पत्र संख्या–1914/वाई–12/67/ दिनांक 21.08.2018 **(परिशिष्ट–3)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी। अतः प्रकरण के निस्तारण के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा श्री रामखेलावन की कुल अर्जित भूमि सापेक्ष 5 प्रतिशत भूखण्ड की संशोधित देयता 215.38 वर्गमी0 का विवरण तथा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है **(परिशिष्ट–4)**। प्रकरण मे प्राप्त विवरण एव प्रस्ताव के अनुसार संशोधित स्थिति निम्नवत् है:–

1. श्री रामखेलावन पुत्र स्व0 हीरालाल के पक्ष में उनकी ग्राम–हैवतमऊ मवैया के विभिन्न अर्जित खसरों को 5 प्रतिशत भूमि सापेक्ष कुल देयता 287.50 वर्गमी0 के स्थान मात्र 215.38 वर्गमी0 ही बनती है तथा शर्त यह है कि उनके द्वारा परिषद की अर्जित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण/अवैध निर्माण न हो।'
2. मौके पर श्री रामखेलावन द्वारा ग्राम–हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या–2218 की भूमि (जिसमें भूखण्ड संख्या–4बी/70 वृन्दावन योजना, लखनऊ सृजित है) पर 120.00 वर्गमी पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण किया हुआ है।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–11, लखनऊ की आख्या दिनांक–21.08.2018 के अनुसार भूखण्ड संख्या–4बी/70 का कुल क्षेत्रफल 188.80 वर्गमी0 है, श्री शिवशंकर दत्ता को आवंटित है जिसकी रजिस्ट्री भी श्री शिव शंकर दत्ता द्वारा करायी जा चुकी है, किन्तु उक्त भूखण्ड के कुछ भाग पर स्थगन आदेश तथा श्री रामखेलावन का अतिक्रमण होने के कारण इसका भौतिक कब्जा तददिनांक तक नही दिया जा सका है।
4. भौतिक कब्जा न दिये जाने कारण श्री शिव शंकर दत्ता को उनकी सहमत के आधार पर पूर्व आवंटित भूखण्ड सं0–4बी/70 के स्थान पर 200.00 वर्गमी0 का रिक्त भूखण्ड संख्या–14/241 आवंटित किये जाने हेतु सहमति दी गयी है।
5. श्री रामखेलावन द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भूखण्ड संख्या–4बी/70 को उनके 5 प्रतिशत देयता के भूखण्ड में यथास्थान समायोजित कर अवशेष भूमि का भूखण्ड अन्यत्र दे दिया जाये तो वे श्री दत्ता द्वारा भूखण्ड सं0–4बी/70 की करायी गयी रजिस्ट्री पर व्यय हुये स्टांप शुल्क की धनराशि वहन करने में सहमत है।

उक्त बिन्दुओं के आलोक में प्रकरण का निस्तारण निम्नानुसार विचारणीय हैः–

1. श्री रामखेलावन को उनकी कुल अर्जित भूमि के विरूद्ध 5 प्रतिशत भूमि की देयता 215.38 वर्गमी0 भूमि के सापेक्ष भूखण्ड सं0–4बी/70 स्थगन आदेश से प्रभावित भूमि तथा सीवर लाइन की भूमि घटाते हुए क्षेत्रफल 149.88 वर्गमी0 है आवंटित कर दिया जाये। मौके पर उक्त भूखण्ड पर श्री रामखेलावन अवैध निर्माण भी स्थित है।
2. चूँकि श्री रामखेलावन को देयता के अनुसार 215.38 वर्गमी0 के स्थान पर 149.88 वर्गमी0 का ही भूखण्ड आवंटित करना प्रस्तावित है इसलिए (215.38–149.88) अवशेष 65.50 वर्गमी0 भूमि का समायोजन भी भूखण्ड सं0–4बी/70 की भूमि से किया जायेगा अर्थात् (149.88–65.50) भूमि की देयता 84.38 भूमि प्रथम आवंटन की दर का 20 प्रतिशत आसुधार शुल्क के आधार पर आंकलित की जायेगी। शर्त यह रहेगी कि श्री रामखेलावन सम्पत्ति सं0–4बी/70 को कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक सम्पत्ति का विक्रय नही कर सकेगें। यदि प्रश्नगत अवधि में विक्रय की सूचना मिलती है तो क्रय–विक्रय अवैध माना जायेगा तथा सम्पत्ति संख्या–4बी/70 की भूमि परिषद के स्वामित्व में निहित हो जायेगी
3. भूखण्ड सं0–4बी/70 के अतिरिक्त कोई अन्य भूखण्ड श्री रामखेलावन को आवंटित नही किया जायेगा और इस संबंध में न ही अन्य कोई क्लेम मान्य होगा।
4. शपथ पत्र के क्रम श्री रामखेलावन स्वयं श्री शिवशंकर दत्ता द्वारा स्टांप ड्यूटी के रूप में व्यय किये जाने वाली धनराशि का वहन करेगें तथा श्री दत्ता को खसरा संख्या–2218 पर आवंटित भूखण्ड संख्या–4बी/70 की रजिस्ट्री निरस्त होने पर लागू माना जायेगा, उक्त पर कार्यवाही किये जाने का दायित्व श्री शिवशंकर दत्ता का होगा।

उक्त संस्तुतियों के साथ प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(दिनेश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त
/नोडल अधिकारी

(नीलम)
उप आवास आयुक्त(भूमि)

(उदय राज सिंह)
अपर आवास आयुक्त

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

परिशिष्ट-1

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

समन्वय अनुभाग

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

समयबद्ध एवं शीर्ष प्राथमिकता

पत्र संख्या : 866 / सम0अनु0–एक(बोर्ड बैठक : 245 / 14.05.18) दिनांक : 21/5/18

उप आवास आयुक्त (भूमि),
भूमि अर्जन अनुभाग, मुख्यालय

परिषद के मा0 निदेशक मण्डल की 245वीं बैठक दिनांक 14 मई, 2018 में आपके अनुभाग से सम्बन्धित प्रस्तावों के निम्नांकित निर्णय आपके अनुपालनार्थ यहाँ अंकित किया जा रहा है :

245/11	वृन्दावन योजना संख्या–1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–उतरठिया के खसरा संख्या–40 पर मा0 निदेशक मण्डल की 240वीं बैठक दिनांक 21.12.2016 के मद संख्या–240/30 पर लिये गये निर्णय के संबंध में।	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनॉक 21.11.2017 में की गयी संस्तुति पर सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त मा. परिषद की 240वीं बैठक दिनॉक 21.12.2016 के मद संख्या 240/30 पर लिये गये निर्णय को निरस्त करते हुए भूमि को नियमानुसार निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
245/12	वृन्दावन योजना संख्या–2, भाग–1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उतरठिया के खसरा संख्या–424 की भूमि के संबंध में।	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनॉक 08.01.2018 में की गयी संस्तुति पर सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त भूमि का नियोजन कर नियमानुसार निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
245/38	गोण्डा–फैजाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गोण्डा के अन्तर्गत नियोजन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/39	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम घुसवलकलां, पाकेट–1 खसरा सं0 306 कुल रकबा 0.566 हे0 भूमि में से नियोजन समिति द्वारा अर्जुनमुक्त की गयी 0.466 हे0 भूमि को आसुधार शुल्क लेकर समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/40	परिषद की लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजियाबाद की समितियों के भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
245/43	वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–1, लखनऊ में स्थित ग्राम–हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या–2218 की 120.00 वर्गमी0 भूमि पर श्री रामखेलावन द्वारा किये गये अवैध निर्माण को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि की देयता 287.50 वर्गमी0 में समायोजित करने एवं शेष बची भूमि की देयता को अन्य प्रस्तावित सैक्टर में आवंटन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

22/5/18

कृपया उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन करते हुए उसकी आख्या समयबद्ध एवं शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समन्वय अनुभाग, मुख्यालय को पूर्ण अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

21.5.18

(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

मद संख्या 245/43
भूमि अर्जन अनुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः— वृन्दावन योजना संख्या—2 भाग—1, लखनऊ में स्थित ग्राम—हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या—2218 की 120.00 वर्गमी0 भूमि पर श्री रामखेलावन द्वारा किये गये अवैध निर्माण को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि की देयता 287.50 वर्गमी0 में समायोजित करने एवं शेष बची भूमि की देयता को अन्य प्रस्तावित सेक्टर में आवंटन के संबंध में।

परिषद की वृन्दावन योजना संख्या—2, भाग—1 लखनऊ मे समाविष्ट ग्राम हैवतमऊ मवैया की ग्राम समाज की भूमि खसरा संख्या—2218 की 120.00 वर्गमीटर भूमि पर श्री राम खेलावन यादव पुत्र स्व0 हीरालाल, निवासी—ग्राम हैवतमऊ मवैया, लखनऊ द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। खसरा सं0—2218 की कुल 2—8—15 बीघा भूमि का परिषद अधिनियम—1965 की धारा—38 के अन्तर्गत पत्र सं0—804/भू0अ0—दो—05/नजूल भूमि/दिनांक 26.06.2000 के द्वारा पुनर्ग्रहण किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि परिषद में निहित है। श्री राम खेलावन यादव ने अपने पत्र दिनांक 14.11.2017 **(परिशिष्ट—01)** के द्वारा ग्राम हैवतमऊ मवैया की भूमि खसरा संख्या—2171, 2541, 2632 एवं 2633, जो परिषद की वृन्दावन योजना संख्या—2 व 4, लखनऊ मे अधिग्रहीत की गयी है, के सापेक्ष हितवद्ध काश्तकार को देय 5 प्रतिशत विकसित भूखण्ड को उनके द्वारा अवैधरूप से ग्राम समाज की भूमि खसरा संख्या—2218 पर किये गये अवैध निर्माण मे समायोजित किये जाने एवं अवशेष योजना मे अन्यत्र आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त प्रकरण मे अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, लखनऊ की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा दिनांक 06.11.2017 को यद्यपि हितवद्ध काश्तकार को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष श्री राम खेलावन की कुल देयता (5 प्रतिशत) 287.50 वर्गमीटर के कम मे श्री राम खेलावन द्वारा ग्राम समाज की भूमि खसरा संख्या—2218 की 120.00 वर्गमीटर भूमि पर किये गये अवैध निर्माण के दृष्टिगत सर्वप्रथम उक्त अतिकमण को हटाकर शपथ पत्र के माध्यम से सूचित करने के उपरान्त ही प्रकरण पर विचार किये जाने की संस्तुति की गयी है, उक्त संस्तुतियां आवास आयुक्त (महोदय) द्वारा दिनांक 23.01.2018 को अनुमोदित किया जा चुका है किन्तु प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट किये जाने के निर्देशों के कम मे खण्ड कार्यालय के पत्र संख्या—246/वाई—2/07 दिनांक 01.02.2018 द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं श्री राम खेलावन द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 23.02.2018 के कम मे स्थिति निम्नवत् है :—

1. वृन्दावन योजना संख्या—2 भाग—1 लखनऊ के भूखण्ड संख्या—4बी/70 पर श्री राम खेलावन द्वारा लगभग 120.00 वर्गमीटर पर बाउण्ड्रीवाल एवं कमरों का निर्माण करके कब्जा किया गया है, साथ ही उक्त भूखण्ड के कुछ भाग पर आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल का भी अतिकमण है एवं कुछ भू—भाग पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है, जो वर्तमान में प्रभावी है, फलस्वरूप श्री शिवशंकर दत्ता को आवंटित भूखण्ड संख्या—4बी/70 क्षेत्रफल 188.80 वर्गमी0, जिसके आवंटन के फलस्वरूप कुल जमा की गयी धनराशि के पश्चात् रजिस्ट्री भी हो चुकी है एवं सं0प्र0 कार्यालय, वृन्दावन योजना के पत्रांक—2239 दिनांक 02.02.2007 द्वारा भौतिक कब्जा हेतु कब्जा पत्र भी निर्गत है, परन्तु स्थगन आदेश तथा अतिकमण के कारण इसका भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका है। भूखण्ड का कब्जा न दिये जाने के कारण श्री शिवशंकर दत्ता को आवंटित भूखण्ड संख्या—4बी/70 के स्थान पर वृन्दावन योजना संख्या—4, लखनऊ में ही 200 वर्गमी0 का अन्य भूखण्ड तत्कालीन आवास आयुक्त(म0) के आदेश दिनांक 20.10.2015 के अनुपालन में संयुक्त आवास आयुक्त (लखनऊ जोन) के पत्र संख्या—1428/ल0जो0/वृन्दा—2042—2—2—2 (दत्ता)/दिनांक 03.11.2015 द्वारा उल्लिखित 08 नग आवासीय भूखण्डों में से समकक्षता के दृष्टिगत 200 वर्गमी0 के किसी भूखण्ड को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त स्वीकृति के कम में श्री दत्ता ने अपने पत्र दिनांक 23.02.2017 के द्वारा उन्हें पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या—4बी/70 के स्थान पर 200 वर्गमी0 का रिक्त भूखण्ड संख्या—14/241 को आवंटित किये जाने हेतु पूर्व नियम व शर्तो के अधीन सहमति दी है।
2. *श्री राम खेलावन पुत्र स्व0 हीरालाल द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि भूखण्ड संख्या—4बी/70 के भाग पर मेरे द्वारा किये गये निर्माण 120.00 वर्गमीटर जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नही है, को यदि मेरी 5 प्रतिशत भूखण्ड देयता 287.50 वर्गमी0 में यथास्थान पर समायोजित करते हुए अवशेष भूखण्ड अन्यत्र परिषद द्वारा दे दिया जाये तो मेरे द्वारा श्री दत्ता को भूखण्ड संख्या—4बी/70 की करायी गयी रजिस्ट्री पर व्यय हुये स्टाम्प शुल्क की धनराशि को मै श्री दत्ता को देने की सहमति देता हूँ। **(परिशिष्ट—2)***

प्रश्नगत प्रकरण का मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 28.03.2018 को अभिलेखों का गहन परिशीलन करते हुये सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत संस्तुति की गयी है। समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है:—

श्री शिवशंकर दत्ता, परिषद कर्मी को आवंटित भूखण्ड संख्या–4बी/70 के कुछ भाग पर स्थगन आदेश तथा लगभग 120.00 वर्गमी0 पर श्री रामखेलावन का अतिक्रमण होने के कारण भौतिक कब्जा नही दिया जा सका है। उक्त भूखण्ड का कब्जा न दिये जाने के कारण श्री शिवशंकर दत्ता को आवंटित भूखण्ड संख्या–4बी/70 के स्थान पर 200 वर्गमी0 का भूखण्ड संख्या–14/241 आवंटित किये जाने हेतुतत्कालीन आवास आयुक्त(म0) के आदेश दिनांक–20.10.2015 के क्रम में श्री शिवशंकर दत्ता को पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या–4बी/70 रजिस्ट्री निरस्त कराने के उपरान्त ही श्री रामखेलावन द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आलोक में उनके द्वारा भूखण्ड संख्या–4बी/70 क्षेत्रफल 188.80 वर्गमी0 भूमि में से 120.00 वर्गमी0 पर किये गये अवैध निर्माण तथा उससे संलग्न उक्त भूखण्ड की अवशेष भूमि (स्थगन आदेश से प्रभावित भूमि को छोड़कर) उनकी 5 प्रतिशत भूमि की देयता 287.50 वर्गमी0 में नियमानुसार समायोजित करने तथा देयता से अवशेष बची भूमि को अन्य प्रस्तावित सेक्टरों में आवंटित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि परिषद की वृन्दावन योजना सं0–1, 2, 3 व 4 लखनऊ के हितबद्ध काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 05 प्रतिशत का भूखण्ड दिये जाने एवं वर्ष–2002 से पूर्व बने निर्माणों के समायोजन हेतु परिषद की 235वीं बैठक दिनांक 12.04.2016 के मद सं0–235/7 पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि वृन्दावन योजना, लखनऊ के हितबद्ध काश्तकारों को 05 प्रतिशत भूखण्ड दिये जाने एवं वर्ष–2002 से पूर्व बने निर्माणों के समायोजन हेतु दिनांक 31.12.2016 तक समयावधि बढ़ाये जाने हेतु इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया है कि जिन खण्डों के अन्तर्गत अधिग्रहण व आवंटन एवं वर्ष–2002 से पूर्व बने निर्माणों के समायोजन की कार्यवाही की जा रही है, उसे तीन माह के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित कर दिया जाये व शेष 09 माह में आवंटन संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये, अन्यथा की स्थिति में विलम्ब हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्ट कारण अंकित करते हुए अतिरिक्त समय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। किसी भी दशा में दिनांक 31.12.2016 के पश्चात् समयावधि नहीं बढ़ायी जायेगी, जिससे यह प्रक्रिया अनन्तकाल तक न चलाना पड़े, जिस पर परिषद ने *"सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।"*

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11, लखनऊ के पत्र सं0–1088/वाई–12/45/दिनांक 14.05.2018 **(परिशिष्ट–3)** के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि भूखण्ड सं0–4बी/70 क्षेत्रफल 188.80 वर्ग मी0 पर श्री राम खेलावन द्वारा 120.00 वर्ग मी0 पर अतिक्रमण किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन से प्रभावित भूमि 6.80 वर्ग मी0 भूमि को घटाते हुए 182.00 वर्ग मी0 भूमि का भूखण्ड श्री राम खेलावन को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 05 प्रतिशत भूमि की कुल देयता 287.50 वर्ग मी0 के क्रम में प्रथम आवंटन दर का 20 प्रतिशत आसुधार शुल्क लेकर इसी भूखण्ड पर आवंटन किये जाने का प्रस्ताव है। अवशेष 287.50 – 182.00 = 105.50 वर्ग मी0 की देयता के सापेक्ष मानक के अनुसार 75.00 वर्ग मी0 का भूखण्ड अन्यत्र दिया जाना होगा। अवशेष 30.50 वर्ग मी0 भूमि का प्रथम आवंटन की दर से आसुधार शुल्क में नियमानुसार समायोजन किया जायेगा।

प्रश्नगत प्रकरण विशिष्ट प्रकृति का है, जिसमें श्री राम खेलावन द्वारा दिये गये सहमति एवं शपथ पत्र, जिसमें श्री दत्ता को आवंटित भूखण्ड सं0–4बी/70 की करायी गयी रजिस्ट्री पर व्यय हुए स्टाम्प शुल्क की धनराशि को श्री दत्ता को दिये जाने की सहमति दी है, के साथ उनकी कुल अर्जित भूमि के सापेक्ष 05 प्रतिशत भूखण्ड की देयता एवं परिषद हेतु निष्प्रयोज्य भूमि सहित 182.00 वर्ग मी0 को उनके द्वारा किये गये अवैध निर्माण की भूमि पर ही समायोजित किये जाने एवं 75.00 वर्ग मी0 का भूखण्ड प्रथम आवंटन दर का 20 प्रतिशत आसुधार शुल्क लेकर अन्यत्र दिये जाने तथा अवशेष 30.50 वर्ग मी0 भूमि को प्रथम आवंटन की दर से आसुधार शुल्क में नियमानुसार समायोजन किये जाने विषयक प्रस्ताव समिति की उक्त संस्तुति के क्रम में इस शर्त के अधीन कि, प्रश्नगत प्रकरण में लिया गया निर्णय अन्य मामलों में दृष्टांत नहीं माना जायेगा और उक्त आवंटित भूखण्ड सं0–4बी0/70 की परिषद द्वारा श्री दत्ता को की गयी रजिस्ट्री के निरस्त होने के उपरान्त ही श्री राम खेलावन को दिया जाना प्रस्तावित है, परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(लक्ष्मण प्रसाद) उप आवास आयुक्त(भूमि)	(नीलम) उप आवास आयुक्त/सचिव	(धीरज साहू) आवास आयुक्त

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11,
ऑफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना, सेक्टर–9, लखनऊ
Email : cd11lko@upavp.com

परिशिष्ट–2

पत्र0सं0– 1481 / Y-12 /57 दिनांक 2/7/18

सेवा में,

उप आवास आयुक्त(भूमि),
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
मुख्यालय, लखनऊ।

1173
दिनांक 5/7/18

विषय: वृन्दावन योजना सं0–2, भाग–1, लखनऊ में स्थित ग्राम–हैवतमऊ मवैया के खसरा सं0–2218 की 120.00 वर्ग मी0 भूमि पर श्री रामखेलावन द्वारा किये गये अवैध निर्माण को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 05 प्रतिशत भूमि की देयता 287.50 वर्ग मी0 में समायोजित करने एवं शेष बची भूमि की देयता को अन्य प्रस्तावित सेक्टर में आवंटन के संबंध में।

संदर्भ :–(i) उप आवास आयुक्त(भूमि) का कार्यालय पत्रांक–496 / एल0ए0सी0 / एच0क्यू0 / दि0 13.06.2018
(ii) अपर आवास आयुक्त एवं सचिव(म0) के कार्यालय पत्रांक–616 / एल0ए0सी0 / एच0क्यू0 / दिनांक 29.06.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपरोक्त संदर्भित पत्रांक का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वृन्दावन योजना सं0–2, भाग–1, लखनऊ में स्थित ग्राम–हैवतमऊ मवैया के खसरा सं0–2218 की 120.00 वर्ग मी0 भूमि पर श्री राम खेलावन द्वारा किये गये अवैध निर्माण को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 05 प्रतिशत भूमि की देयता 287.50 वर्ग मी0 में समायोजित करने एवं शेष बची भूमि की देयता को अन्य प्रस्तावित सेक्टर में आवंटन के संबंध में मा0 निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रकरण का परीक्षण कर प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है।

अवगत कराना है कि श्री राम खेलावन पुत्र स्व0 हीरालाल को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष परिषद द्वारा देय 5 प्रतिशत भूमि का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	मूल काश्तकार का नाम	खाता सं0	ग्राम व यो0 का नाम	खसरा सं0	रकबा (एकड़ में)	परिषद संकल्प सं0–225/32 दि0 14.08.2013 के अनुसार देयता	पारिवारिक सिजरा/फार्म–11 के अनुसार हिस्सा	खाते की भूमि के सापेक्ष देयता
1.	रामखेलावन यादव पुत्र स्व0 हीरालाल	493	हैवतमऊ मवैया यो0सं0–4	2541	1.0156	250.00 वर्ग मी0	सम्पूर्ण	250.00 वर्ग मी0
		609	हैवतमऊ मवैया यो0सं0–4	2632, 2633	0.102	75.00 वर्ग मी0	1/4 भाग	18.75 वर्ग मी0
		591	हैवतमऊ मवैया यो0सं0–4	2171	0.094	75.00 वर्ग मी0	1/4 भाग	18.75 वर्ग मी0
			योग		1.2116	—	—	287.50 वर्ग मी0

परिषद नियमानुसार श्री रामखेलावन पुत्र स्व0 हीरालाल को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 250.00 वर्ग मी0 का भूखण्ड देय है एवं 37.50 वर्ग मी0 भूमि का समायोजन आसुधार शुल्क में किया जाना है।

अवगत कराना है कि श्री रामखेलावन पुत्र स्व0 हीरालाल के द्वारा वृन्दावन योजना स0–2, भाग–1 लखनऊ ग्राम–हैवतमऊ मवैया के खसरा सं0–2218 की भूमि पर 120.00 वर्ग मी0 भूमि पर अवैध निर्माण

किया गया है। उक्त खसरे की भूमि खसरा सं0–2216 रकबा 2–8–15–0 बीघा परिषद अधिनियम–1965 की धारा–30 के अन्तर्गत पत्र सं0–604/भू0अ0–दी–05/नजूल भूमि/दिनांक 26.06.2000 द्वारा पुनर्ग्रहण किया गया है।

श्री राम खेलावन पुत्र स्व0 हीरालाल को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष परिषद द्वारा देय 05 प्रतिशत भूमि/250.00 वर्ग मी0 का भूखण्ड दिये जाने को दो विकल्प है।

<u>विकल्प–1</u>

श्री राम खेलावन पुत्र स्व0 हीरालाल को परिषद द्वारा अर्जित भूमि के सापेक्ष देय 250.00 वर्ग मी0 का भूखण्ड इस शर्त के अनुसार देने की संस्तुति की जाती है कि खसरा सं0–2218 की भूमि पर स्थित निर्माण को हटा ले।

<u>विकल्प–2</u>

श्री राम खेलावन पुत्र स्व0 हीरालाल द्वारा खसरा सं0–2218 की भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को यथास्थान परिषद नियमानुसार समायोजित कर दिये जाने एवं 250 – 120 = 130.00 वर्ग मी0 का एक नग भूखण्ड परिषद नियमानुसार योजना में अन्यत्र आवंटित कर दिया जाये।

यह कि अवगत कराना है कि श्री राम खेलावन द्वारा खसरा सं0–2218 ग्राम–हैवतमऊ मवैया की भूमि पर किये गये अवैध निर्माण परिषद द्वारा नियोजित किये गये भूखण्ड सं0–4बी/70 क्षेत्रफल 188.80 वर्ग मी0 भूमि पर स्थित है एवं उक्त भूखण्ड पर आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल के द्वारा किये गये 6.80 वर्ग मी0 पर अतिक्रमण पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित है, जो वर्तमान में प्रभावी है। परिषद द्वारा नियोजित उक्त भूखण्ड सं0–4बी/70 क्षेत्रफल 188.80 वर्ग मी0 श्री शिवशंकर दत्ता को आवंटित है एवं उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री भी निष्पादित हो चुकी है एवं सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वृन्दावन योजना के पत्रांक–2239 दिनांक 02.02.2007 द्वारा भौतिक कब्जा हेतु कब्जा पत्र भी निर्गत किय जा चुका है परन्तु स्थगन आदेश एवं अतिक्रमण के कारण इसका भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका है। भूखण्ड का कब्जा न दिये जाने के कारण श्री शिवशंकर दत्ता को आवंटित भूखण्ड सं0–4बी/70 के स्थान पर वृन्दावन योजना सं0–4, लखनऊ में ही 200.00 वर्ग मी0 का भूखण्ड तत्कालीन आवास आयुक्त(म0) के आदेश दिनांक 20.10.2015 के अनुपालन में संयुक्त आवास आयुक्त(लखनऊ जोन) के पत्र सं0–1428/ल0जो0/वृन्दा–2042–2–2–2 (दत्ता)/दिनांक 03.11.2015 द्वारा उल्लिखित 08 नग आवासीय भूखण्डों में से समकक्षता के दृष्टिगत 200.00 वर्ग मी0 के किसी भूखण्ड को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अतः प्रकरण पर उक्तानुसार परीक्षण करते हुए श्री राम खेलावन पुत्र स्व0 हीरालाल को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष परिषद द्वारा देय 05 प्रतिशत भूमि की संस्तुति परिषद नियमानुसार विकल्प सं0–1 अथवा विकल्प सं0–2 के आधार पर की जाती है। आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अखिल कुमार मिश्र)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / / उक्त / तद्‌दिनांक

<u>प्रतिलिपि</u>: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, समन्वय अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ को पत्र सं0–496/एल0ए0सी0/एच0क्यू0/दिनांक 13.06.2018 के क्रम में।
3. सहायक अभियन्ता–प्रथम/सर्वेयर, निर्माण खण्ड–11, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता

परिशिष्ट-3

IS 9700:2005

सेवा एवं प्रगति

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11
आफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना, सेक्टर–9, लखनऊ–226029
Email: eecd11lko@upavp.com

IS 15700

पत्र सं0– 1914 / Y-12 /67 दिनांक- 31 अगस्त 2018

सेवा में,

उप आवास आयुक्त
(भूमि अर्जन)
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
104 महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ।

विषयः वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–1 लखनऊ स्थित ग्राम हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या–2218 की 120.00 व0मी0 भूमि पर श्री रामखेलावन द्वारा किये गये अवैध निर्माण को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि की देयता 287.50व0मी0 में समायोजित करने एवं शेष बची भूमि की देयता को अन्य प्रस्तावित सेक्टर में आवंटन के संबंध में।

संदर्भः आपका पत्रांक–921 / एल0ए0सी0 / एच0क्यू0 / दिनांक 21.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–921 / एल0ए0सी0 / एच0क्यू0 / दिनांक 21.08.2018 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। जिसमें मा0 परिषद की 245वीं बैठक में लिये गये निर्णय के कम में स्टाफ द्वारा मौके के निरीक्षण से संबंधित आख्या चाही गयी है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 निदेशक मण्डल की बैठक में दिये गये निर्णय के कम में इस कार्यालय के संख्या–1481 / वाई–12 / 57 दिनांक 02.07.2018 द्वारा विस्तृत आख्या प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में काश्तकार श्री राम खेलावन से प्राप्त आवेदन दिनांक 16.08.2018 के कम में पुनः मौके का निरीक्षण किया गया तथा पूर्व प्रेषित पत्र के विकल्प–2 के अनुसार यह अवगत कराना है कि प्रार्थी का 11.75X9.50 व0मी0 अर्थात 111.62 वर्ग0मी0 पर अतिक्रमण है। यह अतिक्रमण ले आउट प्लान में नियोजित भूखण्ड संख्या 4बी / 70 क्षेत्रफल–188.80 वर्ग0मी0 पर स्थित है। उक्त भूखण्ड के कुछ भाग में मा0 न्यायालय से स्थगन आदेश है तथा कुछ भाग में सीवर लाइन आ जाने के कारण उक्त क्षेत्रफल को घटाते हुए श्री राम खेलावन को अवशेष भूखण्ड साइज लम्बाई–13.75 मी0 एवं चौड़ाई 10.90 मी0 (149.88 व0मी0) भूमि दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार मौके की निरीक्षण आख्या सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

31/8/18

(अनिल कुमार मिश्र)
अधिशासी अभियंता

पत्र संख्या / / दिनांक – – 2018

प्रतिलिपिः

1– अधीक्षण अभियंता वृन्दावन वृत्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2– सहायक अभियंता–द्वितीय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता

F-18/S1

KEY PLAN
(NOT TO SCALE)

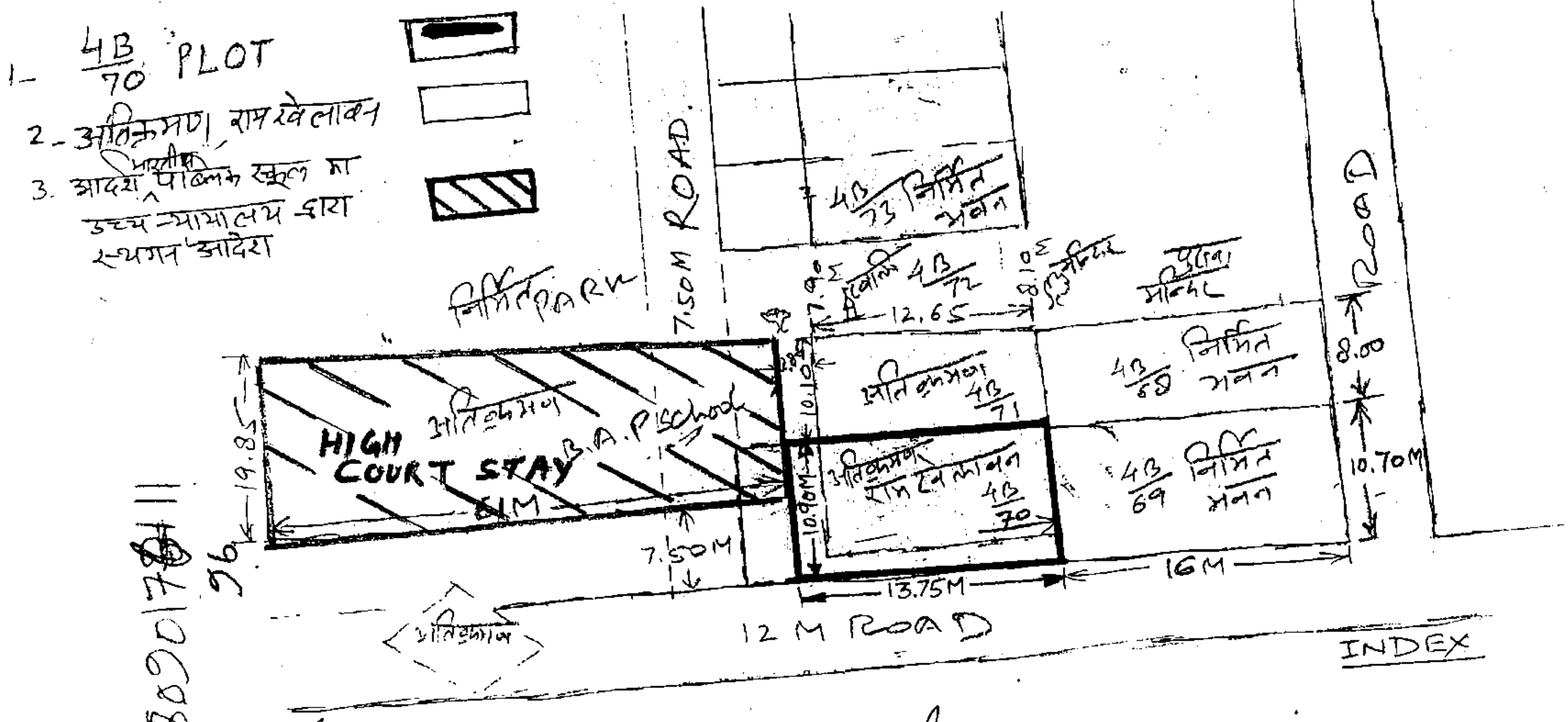

JE 6/8/18

AE

EE

परिशिष्ट-५

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त
ऑफिस काम्पलेक्स- पंचम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ
Circlevrinda@upavp.com

पत्र संख्याः- 3387 / Y-46 / 340 दिनांक :- 07.09.18

सेवा में,

अपर आवास आयुक्त
भूमि अर्जन अनुभाग
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

विषयः वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–1, लखनऊ में स्थित ग्राम–हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या–2218 की 120.00 वर्गमी0 भूमि पर श्री रामखेलावन द्वारा किये गये अवैध निर्माण को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि की देयता में समायोजित करके भूखण्ड संख्या–4बी/70 सशर्त आवंटन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–3221/वाई–46/340 दिनांक–24.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(दिनेश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रस्ताव

विषयः– वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–1, लखनऊ में स्थित ग्राम–हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या–2218 की 120.00 वर्गमी0 भूमि पर श्री रामखेलावन द्वारा किये गये अवैध निर्माण को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि की देयता में समायोजित करके भूखण्ड संख्या–4बी/70 सशर्त आवंटन के संबंध में।

परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–2, भाग–1 लखनऊ मे समाविष्ट ग्राम हैवतमऊ मवैया की ग्राम समाज की भूमि खसरा संख्या–2218 की 120.00 वर्गमीटर भूमि पर श्री राम खेलावन यादव पुत्र स्व0 हीरालाल, निवासी–ग्राम हैवतमऊ मवैया, लखनऊ द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। खसरा सं0–2218 की कुल 2–8–15 बीघा भूमि का परिषद अधिनियम–1965 की धारा–38 के अन्तर्गत पत्र सं0–804/भू0अ0–दो–05/नजूल भूमि/दिनांक 26.06.2000 के द्वारा पुनर्ग्रहण किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि परिषद में निहित है। श्री राम खेलावन यादव ने अपने पत्र दिनांक–14.11.2017 के द्वारा ग्राम हैवतमऊ मवैया की भूमि खसरा संख्या–2171, 2541, 2632 एवं 2633, जो परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–2 व 4, लखनऊ में अधिग्रहीत की गयी है, के सापेक्ष हितवद्ध काश्तकार को देय 5 प्रतिशत विकसित भूखण्ड को उनके द्वारा अवैधरूप से ग्राम समाज की भूमि खसरा संख्या–2218 पर किये गये निर्माण में समायोजित किये जाने एवं अवशेष योजना मे अन्यत्र आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री रामखेलावन के उक्त अनुरोध एवं प्रकरण में खण्ड स्तर से प्राप्त की गयी आख्या एवं समिति की सस्तुति के कम में प्रकरण मा0 परिषद की 245वीं बैठक दिनांक–14.05.2018 के मद संख्या–245/43 **(परिशिष्ट–1)** पर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा0 परिषद द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:–

"सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।"

परिषद निर्णय के अनुपालन में सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–11, लखनऊ के पत्र संख्या–1481/वाई–12/57 दिनांक–02.07.2018 एवं पत्र संख्या–1914/वाई–12/67/ दिनांक–21.08.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। अतः प्रकरण के संबंध में श्री रामखेलावन की कुल अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूखण्ड की संशोधित देयता 215.38 वर्गमी0 का विवरण संलग्न है। प्रकरण में विवरण के अनुसार संशोधित स्थिति निम्नवत् है:–

1. श्री रामखेलावन पुत्र स्व0 हीरालाल के पक्ष में उनकी ग्राम–हैवतमऊ मवैया के विभिन्न अर्जित खसरों को 5 प्रतिशत भूमि सापेक्ष कुल देयता 287.50 वर्गमी0 के स्थान पर मात्र 215.38 वर्गमी0 ही बनती है तथा शर्त यह है कि उनके द्वारा परिषद की अर्जित भूमि पर किसी प्रकार का अतिकमण/अवैध निर्माण न हो।
2. मौके पर श्री रामखेलावन द्वारा ग्राम–हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या–2218 की भूमि (जिसमें भूखण्ड संख्या–4बी/70 वृन्दावन योजना, लखनऊ सृजित है) पर 120.00 वर्गमी पर अतिकमण/अवैध निर्माण किया हुआ है।
3. .अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–11, लखनऊ की आख्या दिनांक–21.08.2018 के अनुसार भूखण्ड संख्या–4बी/70 का कुल क्षेत्रफल 188.80 वर्गमी0 है, श्री शिवशंकर दत्ता को आवंटित है जिसकी रजिस्ट्री भी श्री शिव शंकर दत्ता द्वारा करायी जा चुकी है, किन्तु उक्त भूखण्ड के कुल भाग पर स्थगन आदेश तथा श्री रामखेलावन का अतिकमण होने के कारण इसका भौतिक कब्जा तद्दिनांक तक नही दिया जा सका है।
4. भौतिक कब्जा न दिये जाने कारण श्री शिव शंकर दत्ता को उनकी सहमत के आधार पर पूर्व आवंटित भूखण्ड सं0–4बी/70 के स्थान पर 200.00 वर्गमी0 का रिक्त भूखण्ड संख्या–14/241 आवंटित किये जाने हेतु सहमति दी गयी है।
5. श्री रामखेलावन द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भूखण्ड संख्या–4बी/70 को उनके 5 प्रतिशत देयता के भूखण्ड में यथास्थान समायोजित कर अवशेष भूमि का भूखण्ड अन्यत्र दे दिया जाये तो वे श्री दत्ता द्वारा भूखण्ड सं0–4बी/70 की करायी गयी रजिस्ट्री पर व्यय हुये स्टांप शुल्क की धनराशि वहन करने में सहमत है।

उक्त बिन्दुओं के आलोक में प्रकरण का निस्तारण निम्नानुसार विचारणीय है:-

1. श्री रामखेलावन को उनकी कुल अर्जित भूमि के विरूद्ध 5 प्रतिशत भूमि की देयता 215.38 वर्गमी0 भूमि के सापेक्ष भूखण्ड सं0- 4बी/70 स्थगन आदेश से प्रभावित भूमि तथा सीवर लाइन की भूमि घटाते हुए क्षेत्रफल 149.88 वर्गमी0 है आवंटित कर दिया जाये। मौके पर उक्त भूखण्ड पर श्री रामखेलावन अवैध निर्माण भी स्थित है।
2. चूँकि श्री रामखेलावन को देयता के अनुसार 215.38 वर्गमी0 के स्थान पर 149.88 वर्गमी0 का ही भूखण्ड आवंटित करना प्रस्तावित है इसलिए (215.38-149.88) अवशेष 65.50 वर्गमी0 भूमि का समायोजन भी भूखण्ड सं0-4बी/70 की भूमि से किया जायेगा अर्थात् (149.88-65.50) भूमि की देयता 84.38 भूमि प्रथम आवंटन की दर का 20 प्रतिशत आसुधार शुल्क के आधार पर आंकलित की जायेगी। शर्त यह रहेगी कि श्री रामखेलावन सम्पत्ति सं0-4बी/70 को कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक सम्पत्ति का विकय नही कर सकेगें। यदि प्रश्नगत अवधि में विकय की सूचना मिलती है तो कय-विकय अवैध माना जायेगा तथा सम्पत्ति संख्या-4बी/70 की भूमि परिषद के स्वामित्व में निहित हो जायेगी
3. भूखण्ड सं0-4बी/70 के अतिरिक्त कोई अन्य भूखण्ड श्री रामखेलावन को आवंटित नही किया जायेगा और इस संबंध में न ही अन्य कोई क्लेम मान्य होगा।
4. शपथ पत्र के कम श्री रामखेलावन स्वयं श्री शिवशंकर दत्ता द्वारा स्टांप ड्यूटी के रूप में व्यय किये जाने वाली धनराशि का वहन करेगें तथा श्री दत्ता को खसरा संख्या-2218 पर आवंटित भूखण्ड संख्या-4बी/70 की रजिस्ट्री निरस्त होने पर लागू माना जायेगा, उक्त पर कार्यवाही किये जाने का दायित्व श्री शिवशंकर दत्ता का होगा।

श्री राम खेलावन पुत्र स्व0 श्री हीरालाल को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष
5 प्रतिशत भूमि का विवरण

क.सं.	खाता सं0	ग्राम का नाम	खसरा सं0	रकबा (एकड़)	स्वामित्व का अंश	क्षेत्रफल (एकड़)	
1	493	हैवतमऊ मवैया	2541	1.0156	का सम्पूर्ण भाग	1.0156	
2	609	हैवतमऊ मवैया	2632, 2633	0.1020	का 1/4 भाग	0.0255	
3	591	हैवतमऊ मवैया	2171	0.0940	का 1/4 भाग	0.0235	
					कुल योग	**1.0646**	**Acre**
					अर्थात	4307.627	Sqm
			5 प्रतिशत के अनुसार भूमि की देयता			**215.38**	**Sqm**

6.9.18
दिनेश कुमार
अधीक्षण अभियन्ता
वृंदावन वृत्त

मद संख्या 246/16
अभियन्त्रण अनुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः परिषद में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य अभियन्ता के अनुमति से रु0 10.00 लाख तक की निविदाओं को ई–टेन्डरिंग प्रणाली से छूट दिये जाने का प्रस्ताव।

परिषद में सभी निर्माण कार्यो, सेवाओं/जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय एवं चालू अनुबन्ध एवं रेट कान्ट्रेक्ट अनुबन्ध हेतु ई–प्रोक्योरमेन्ट/ई–टेन्डरिंग से लागू किये जाने का निर्णय परिषद के मा0 निदेशक मण्डल की 242वीं बैठक दिनांक 06 जुलाई, 2017 में सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0–03/2017/1067/78–2–2017–42 आई0टी0/2017 दिनांक 12.05.2017 द्वारा शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमेन्ट/ ई–टेन्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धी दिये गये निर्देशों के कम में लिया गया था। परिषद के मा0 निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के कम में अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के पत्र सं0–2356/सामान्य/2017 दिनांक 12.07.2017 द्वारा परिषद में समस्त कार्य ई–टेन्डरिंग प्रणाली से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं एवं वर्तमान में समस्त कार्य ई–निविदाओं के माध्यम से सम्पादित कराये जा रहे हैं। मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0–6/2018/256/ 8–2–2018–42 आई0टी0/2017/टी0सी0/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2, लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2018 एवं यथासंशोधित उप सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2, लखनऊ के पत्रांक–489/78–2–2018–42 आई0टी0/2017 टी0सी0 दिनांक 26.07.2018 द्वारा पूर्व आदेशों में संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था लागू की गई है –

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ई–टेन्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिए उपरोक्त वित्तीय सीमा रु0 1,00,000/– को बढ़ाकर रु0 10,00,000/– किये जाने का निर्णय लिया गया है। रु0 1,00,000/– से अधिक मूल्य के सभी निर्माण कार्यो/सामान/सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के कय, चालू अनुबन्ध एवं दर अनुबन्ध हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने की अनिवार्यता वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के अन्तर्गत पूर्व की भॉति यथावत् रहेगी तथापि रु0 10.00 लाख तक की निविदायें ई–टेन्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित किया जाना अनिवार्य नही होगा।"

अतः उक्त शासनादेश के कम में भविष्य में **परिषद में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य अभियन्ता के अनुमति से रु0 10.00 लाख तक की निविदाओं को ई–टेन्डरिंग प्रणाली से छूट दिये जाने का** प्रस्ताव परिषद के मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

6.9.18

मुख्य अभियन्ता | अपर आवास आयुक्त एवं सचिव | आवास आयुक्त

मद सं0 246/17
अभियंत्रण अनुभाग

परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः पुराने वेतनमान के ग्रेड वेतन रू0 7600 व रू0 8700 के अधिकारियों को लखनऊ–गाजियाबाद की यात्रा वायुयान से करने की अनुमति के संबंध में।

परिषद के लेखा अनुभाग के कार्यालय आदेश सं0–1667/लेखा दिनांक 28.02.2013 द्वारा परिषद के संकल्प सं0–222/09 दिनांक 06.02.2013 में यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरों से संबंधित शासनादेश सं0–जी–2–175/दस–2011–601/2011 वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 दिनांक 31.03.2011 को अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यालय आदेश जारी किया गया था जिसमें शासनादेश के बिन्दु सं0–3 में यह व्यवस्था है कि पुनरीक्षित दरों के अनुसार ग्रेड वेतन रू0 8700 तथा रू0 7600 में कार्यरत अधिकारी रेल के वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 कि0मी0 से अधिक की यात्रा पर वायुयान के इकोनॉमी क्लास अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस के एक्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा करने हेतु अधिकृत है। **(परिशिष्ट–1)**

लखनऊ स्थित परिषद मुख्यालय के अधिकारियों को बहुधा महत्वपूर्ण कार्यो हेतु गाजियाबाद एवं मण्डौला तथा गाजियाबाद एवं मण्डौला में तैनात अधिकारियों को लखनऊ की यात्रा अल्प अवधि की सूचना पर करना आवश्यक होता है। गाजियाबाद से निकटतम एयरपोर्ट दिल्ली में है। अतः अल्प अवधि के नोटिस पर लखनऊ से गाजियाबाद अथवा गाजियाबाद से लखनऊ की यात्रा वायुयान से करना आवश्यक होता है। लखनऊ से गाजियाबाद की दूरी 500 कि0मी से कुछ कम होने के कारण वायुयान से यात्रा की स्वीकृति नियमानुसार किये जाने में कठिनाई होती है। अतः परिषद हित में आवश्यक/महत्वपूर्ण कार्यो हेतु शॉर्ट नोटिस पर लखनऊ से गाजियाबाद अथवा गाजियाबाद से लखनऊ की यात्रा हेतु उन अधिकारियों, जिनका पुराने वेतनमान में ग्रेड वेतन रू0 7600 अथवा रू0 8700 था, को लखनऊ से गाजियाबाद अथवा गाजियाबाद से लखनऊ की यात्रा दिल्ली होकर वायुयान द्वारा इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने की अनुमति दिये जाने प्रस्ताव मा0 परिषद के समक्ष प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

14.8.18	14.8.18	
मुख्य अभियन्ता	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	आवास आयुक्त

परिशिष्ट-1

पत्रांक 09
आवती MPR
... 558
दिनांक 25-03-...

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(लेखानुभाग)
104,महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या - 1667 / लेखा - / दिनांक 28-2-13

कार्यालय आदेश

परिषद के संकल्प संख्या 222/09 दिनांक 6.2.2013 द्वारा यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरों से संबंधित शासनादेशसंख्या–जी0–2–175 /दस–2011 –601/2011 वित्त(सामान्य) अनुभाग–2 दिनांक 31.3.2011 (फोटो प्रति संलग्न) को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

अतः उपरोक्त शासनादेश के अनुसार यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरें तत्काल से प्रभावी होंगी ।

26/2
(रूद्र प्रताप सिंह)
आवास आयुक्त

पृ0 सं0 –1667 /उक्त/ तद्दिनांकः
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव ।
2. वित्त नियंत्रक/मुख्य वास्तुविद नियोजक/मुख्य अभियंता
3. अपर/संयुक्त/उप आवास आयुक्त(जोन/प्रशासन) ।
4. समस्त अधीक्षण अभियंता/निदेशक ग्लोबल सेल/गुण नियंत्रण,
5. समस्त अधिशासी अभियंता/उप निदेशक/परियोजना प्रबन्धक ।
6. समस्त संपत्ति प्रबन्धक/सहायक आवास आयुक्त ।
7. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष /आवास आयुक्त(म0) ।
8. गार्ड फाईल।

EC/AAO

EE

(रंजन मिश्र)
वित्त नियंत्रक

मद संख्या:..09...
वित्त एवं लेखानुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषय: यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरों को परिषद में लागू करने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-75/आठ-2-2010-3 एच.बी.(195)/08, दि0 14 जनवरी 2010 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नियमित एवं पूर्णकालिक कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रकल्पित आधार पर आगणित करते हुए उसका वास्तविक लाभ तत्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है।

उपरोक्त के क्रम में परिषद के कार्यालय आदेश सं0-3154/प्रशा0-एक-17 दि0 23.01.2010 द्वारा परिषद कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दि0 01 जनवरी 2006 से प्रकल्पित आधार पर आगणित करते हुए उसका वास्तविक लाभ दि0 14.01.2010 से अनुमन्य किया गया है।

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या जी-2-175/दस-2011-601/2011 वित्त(सामान्य) अनुभाग-2, लखनऊ दि0 31.03.2011(संलग्न) द्वारा सरकारी सेवकों को यात्रा भत्ता की दरें पुनरीक्षित कर दी गई है, जिसके अनुसार परिषद कार्मिकों के विभिन्न सेवा संघों द्वारा शासन द्वारा पुनरीक्षित यात्रा भत्ता की दरें तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। परिषद उपरोक्तानुसार शासन द्वारा यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित स्वीकृत दरों के आधार पर सम्भावित व्यय भार वहन करने में सक्षम है।

अत: उक्त शासनादेश दि0 31.03.2011 द्वारा यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरे परिषद में तत्काल प्रभाव से लागू करने/उक्त शासनादेश दि0 31.03.2011 को अंगीकृत किये जाने का प्रकरण परिषद के समक्ष विचारार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(भवानी प्रसाद)	(रंजन मिश्र)	(रूद्र प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	वित्त नियंत्रक	आवास आयुक्त

संख्या जी–2–175/दस–2011–900/2011

प्रेषक,

अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च 2011

विषय :–यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 2008 के पंचम प्रतिवेदन पर लिए गए निर्णयानुसार श्री राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–4–395/दस–99–600/99, दिनांक 11 जून, 1999 तथा इसके बाद समय–समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–यात्रा की अधिकृत श्रेणी :–

(अ)–पुनरीक्षित वेतन संरचना में यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ अब वायुयान/रेल से यात्रा की अधिकृत श्रेणी निम्नानुसार होगी —

क्र0सं0	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1	वेतनमान रू0 67000–वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से–79,000 तथा एच0ए0जी0 व उससे अधिक वेतनमान	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास
2	ग्रेड वेतन रू0 10,000 तथा 8900	वायुयान का एकोनॉमी क्लास/रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
3	ग्रेड वेतन रू0 8700 तथा 7600	रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 किमी0 से अधिक की यात्रा पर वायुयान का एकोनॉमी क्लास अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
4	ग्रेड वेतन रू0 6600 तथा 5400	रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी)/टू टियर अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूलित कुर्सीयान
5	ग्रेड वेतन रू0 4800, 4600 तथा 4200	रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (थ्री टियर)/वातानुकूलित कुर्सीयान (शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर)
6	ग्रेड वेतन रू0 4200 से कम	रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान)

(ब)(I)–ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों, तक की यात्रा हेतु वातानुकूलित बस द्वारा यात्रा करने हेतु वे समस्त शासकीय सेवक अधिकृत होंगे जो रेल की वातानुकूलित टू टियर श्रेणी एवं इससे उच्च श्रेणी में रेल यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे। अन्य शेष सरकारी सेवक डीलक्स/साधारण बस द्वारा यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे।

(ब)(II)–रेल मार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि कुल किराया संबंधित कर्मचारी की अधिकृत श्रेणी के रेल किराये से अधिक न हो।

[illegible] वायुयान द्वारा यात्रा हेतु सरकारी सेवक की पात्रता [illegible] यात्रा की अधिकृत श्रेणी निम्नानुसार होगी —

क्र0सं0	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन / वेतनमान	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1	रू0 90,000 नियत तथा रू0 80,000 नियत वेतनमान	वायुयान की प्रथम श्रेणी
2	वेतनमान रू0 67,000–वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से–79,000	वायुयान की बिजनेस / क्लब क्लास
3	शेष अन्य सरकारी सेवक	वायुयान की एकानॉमी / सामान्य श्रेणी

2–आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज)

(I)–वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–23(1) के अंतर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) की दरें अब निम्नानुसार होंगी :–

क0सं0	ग्रेड वेतन	आनुषंगिक व्यय
1	2	3
1	ग्रेड वेतन रू0 5400 व अधिक तथा उच्च वेतनमान	35 पैसे प्रति किलो मीटर
2	रू0 4800, रू0 4600, रू0 4200 तथा रू0 2800	25 पैसे प्रति किलो मीटर
3	रू0 2800 से कम	15 पैसे प्रति किलो मीटर

(II)–वर्तमान परिवेश में वायुयान से यात्रा हेतु आनुषंगिक व्यय की प्रासंगिकता न रह जाने के कारण उक्त प्रावधान समाप्त किए जाते हैं।

3–दैनिक भत्ता

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–23(सी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर अनुमन्य दैनिक भत्ते की दरें निम्नवत् होंगी —

क0 सं0	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन / वेतनमान	दैनिक भत्ते की दरें (रू0)		
		'क' वर्ग के नगरों के लिए जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोनमेण्ट और निकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी—कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली गोरखपुर, मेरठ, नोयडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर) और गाजियाबाद	'ख' वर्ग के नगरों के लिए जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोनमेण्ट और निकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी—मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद	साधारण दर (स्तम्भ–3 तथा 4 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए)
1	2	3	4	5
1	रू0 8700 तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	465	375	300
2	रू0 7600, रू0 6600 तथा रू0 5400	420	330	270
3	रू0 4800 व 4600	360	285	240

4	रू0 4200 तथा रू0 2800	[illegible]	240	[illegible]
5	रू0 2800 से कम	180	150	120

(क)–उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 3 में उल्लिखित 'क' वर्ग के नगरों में रू0 5400 या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को अन्य संस्थान/होटल में ठहरने पर निर्धारित शर्तों के प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा :–

क्र0सं0	ग्रेड वेतन/वेतनमान	विशेष दैनिक भत्ते की दरें (रूपये में)
1	2	3
1	ग्रेड वेतन रू0 8700 व अधिक तथा उच्च वेतनमान	1200
2	ग्रेड वेतन रू0 7600, रू0 6600 तथा रू0 5400 तक	900

(ख)–उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेश के सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ते अनुमन्य होंगे जो उस स्थान के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल या अन्य संस्थान में जहाँ ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेड्यूल्ड टैरिफ पर उपलब्ध हो, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा। यह दैनिक भत्ता तत्संबंधी निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि प्रदेश के बाहर के उन स्थानों पर उ0प्र0 राज्य, संबंधित स्थानीय राज्य अथवा अन्य किसी राज्य/प्रशासन के गेस्ट हाउस/संस्थान आदि की व्यवस्था उपलब्ध न हो सकी हो।

(ग)–महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ के कार्यालयों में लेखा संबंधी कार्य तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ में शासकीय मुकदमें की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु इलाहाबाद/लखनऊ जाने वाले सरकारी सेवकों को अतिरिक्त दैनिक भत्ता अनुमन्य कराने की व्यवस्था रही है। उक्त अतिरिक्त दैनिक भत्ते की दर अब रू0 100/– प्रतिदिन होगी।

4–सड़क मील भत्ता

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की गयी यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–23(बी)(2) में प्राविधानित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन देय सड़क मील भत्ते की दर अब निम्नानुसार होगी—–

(I)–रूपये 6600 या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :–

(क)–मोटर कार/जीप आदि से प्रतिमाह 1200 किमी0 तक की गयी सड़क यात्राओं के लिए :–

क्र0सं0	यात्रा की दूरी	रूपये प्रति कि0मी0	
		पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चालित वाहन
1	प्रथम 500 किमी0 तक	10.00	7.50
2	500 किमी0 से अधिक परन्तु 1200 किमी0 तक	7.00	5.50

(ख)–उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साईकिल/स्कूटर इत्यादि से की गयी सड़क यात्राओं के लिए।	रू0 5.00 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रूपये 1,000 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ग)–पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिए	रू0 1.80 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रूपये 360 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(II)—रु0 6,500 प्रतिमाह से कम ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :—

(क)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गयी सड़क यात्राओं के लिए	रु0 5.00 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रूपये 1.000 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ख)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिए	रु0 1.50 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रूपये 300 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(III)—अल्प दूरी की यात्राओं (निवास स्थान/गन्तव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के बीच) के लिए वास्तविक दूरी के आधार पर अब सरकारी सेवकों को रु0 10.00 प्रति कि0मी0 की दर से सड़क मील भत्ता देय होगा।

5—स्थानान्तरण यात्रा भत्ता

सरकारी सेवकों को जनहित में किए गए उनके स्थानान्तरण के अवसर पर स्वयं तथा उनके परिवार के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, घरेलू सामान को ले जाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तथा एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर निम्नानुसार होगी :—

(क)—घरेलू सामान की ढुलाई —

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–42(2)(1)(III) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर निम्न सीमा के अधीन की जायेगी :—

(I)—यात्रा यदि परिवार सहित की गयी हो :—

पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर घरेलू सामान की ढुलाई हेतु स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ निम्न व्यवस्था रखी जायेगी —

क्0सं0	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए अनुमन्य अधिकतम सीमा
1	2	3
1	रु0 5400 तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	6000 कि0ग्रा0 या 4 पहियों का एक वैगन
2	रु0 4800 तथा रु0 4600	3000 कि0ग्रा0
3	रु0 4200 तथा रु0 2800	2500 कि0ग्रा0
4	रु0 2800 से कम	1250 कि0ग्रा0

(II)–यदि यात्रा स्वयं अकेले की गयी हो :—

यदि स्थानान्तरण के बाद सरकारी सेवक द्वारा स्वयं अकेले यात्रा की गयी हो तो उस स्थिति में उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित भार का 2/3 भाग अधिकतम देय होगा।

(ख)—एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट)/पैकिंग भत्ता

सरकारी सेवकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में उन्हें एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था तथा जिले के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर

स्थानान्तरण होने पर पैकिंग भत्ता अनुमन्य किए जाने की व्यवस्था निम्नानुसार [illegible] रहेगी —

(i)- जनहित में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट के रूप में संबंधित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि अनुमन्य होगी।

(ii)- जनहित में एक जिले के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट अनुमन्य नहीं होगी, उसके स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य होगा :—

क्र0 सं0	ग्रेड वेतन / वेतनमान	पैकिंग भत्ते की दर (रू0)
1	2	3
1	रू0 4200 ग्रेड वेतन तथा इससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	रू0 1500/—
2	रू0 4200 से कम ग्रेड वेतन	रू0 750/—

2— यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरें एवं व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी।

3— वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(अनूप मिश्र)

प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या—जी—2—175 (1)/दस—2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5— निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(बी0के0 सिंह)

विशेष सचिव

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 11 सा0 वित्त-6-4-2011-(61)-3002 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

मद संख्या– **246/18**
वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू–आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ0ए0आर0) का पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011 एवं 2016) में प्रस्तावित संशोधन को परिषद बोर्ड में अंगीकार करने के सम्बन्ध में।

कृपया मा0 परिषद निदेशक मण्डल को अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव,आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–813/8–3–17–34 विविध/2008 दिनांक 08,जून 2018 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह निर्देशित किया गया है कि औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू–आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ0ए0आर0) का पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011 एवं 2016) में प्रस्तावित उक्त संशोधन को प्राधिकरण/मा0 परिषद निदेशक मण्डल के समक्ष अवलोकन कराने के उपरान्त परिषद में अंगीकार कराया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत शासनादेश संख्या–813/8–3–17–34 विविध/2008 दिनांक 08,जून 2018 को यथावत उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2018) में परिषद योजनाओं हेतु अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक

(ए0 के0 शुक्ला)
मुख्य वास्तुविद नियोजक

आवास आयुक्त

संख्या : 813 /8-3-17-34 विविध/2008

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 08 जून, 2018

विषयः औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ0ए0आर0) का पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उद्यम की स्थापना एवं विस्तारीकरण के लिए पर्याप्त भूमि की व्यवस्था उसकी पहली आवश्यकता है। अतः वर्तमान में लागू एफ0ए0आर0 कम लाभप्रद हो जाने के परिणामस्वरूप इस हेतु उद्यमियों द्वारा एफ0ए0आर0 को बढाये जाने की निरन्तर मांग की जाती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए उद्यमों को प्रोत्साहित करने, इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन किये जाने व प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के दृष्टिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-22/2017/869/18-2017-80(ल.उ.)/2017, दिनांक 15.12.2017 द्वारा उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। नीति के बिन्दु सं.-5.1.2 में भूमि की उपलब्धता हेतु एफ0ए0आर0 बढाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा निर्गत पत्र संख्या-095/18-2-2018-80(ल.उ.)/2017 दिनांक 30.01.2018 के माध्यम से औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) का पुर्ननिर्धारण किये जाने के संबंध में शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) के प्रस्तर-3.5.1 के वर्तमान प्राविधान को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

प्रस्तर 3.5.1. — वर्तमान प्राविधान

7. औद्योगिक	भू-आच्छादन	एफ.ए.आर.
(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)		
• 100 तक	60	1.20
• 101-450	60	1.20
• 451-2000	55	1.00
• 2001-12,000	55	0.90
• 12001-20,000	50	0.85
• 20,000 से अधिक	50	0.80
(ख) नए/अविकसित क्षेत्र		
• फ्लैटेड फैक्ट्रीज	50	1.50
• लघु एवं हल्के उद्योग	60	1.00
• वृहद उद्योग	40	0.80

प्रस्तर 3.5.1. — प्रस्तावित संशोधन

7. औद्योगिक	भू-आच्छादन	एफ.ए.आर.
(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)		
(i) 1000 तक	60	1.50
(ii) 1001-12000 तक	60	1.30
(iii) 12000 से अधिक	55	1.00
(ख) नए/अविकसित क्षेत्र		
• फ्लैटेड फैक्ट्रीज	50	1.50
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)		
(i) 1000 तक	60	1.50
(ii) 1001-12000 तक	60	1.30
(iii) 12000 से अधिक	55	1.00
• वृहद उद्योग	40	0.80

कृपया उक्त के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन हेतु आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से प्रेषित कि परिषद बोर्ड में उक्त संशोधन पर विचार कर अंगीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धित को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) की प्रतियाँ उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4. सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमिताभ प्रकाश)
विशेष सचिव।

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(U. P. Housing & Development Board)
कार्यालय वास्तुविद नियोजक
वास्तकला एवं नियोजन इकाई–4
नीलगिरी काम्पलैक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

संख्या– 1674 /वा0नि0/4/ दिनांक 28-6 . 2018

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी समन्वय,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग,

लखनऊ।

समन्वय अनुभाग
डायरी 1832 JB (C.S.)
28/6/18

विषयः **शासनादेश सं0–813/8–3–17–34 विविध/2008 दिनांक 08.06.2018 को परिषद में अंगीकृत किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश सं0–813/8–3–17–34 विविध/2008 दिनांक 08.06.2018 को परिषद में अंगीकृत किये जाने के सम्बंध में परिषद टिप्पणी आवास आयुक्त महोदय द्वारा हस्ताक्षरित कर टिप्पणी मूलरूप में संलग्न प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

श्री अन्सारी – प्र.शि.आ.

28-6-18
SAO

भवदीय,

(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0 /उक्त/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–मुख्य वास्तुविद नियोजक नीलगिरी काम्पलैक्स उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।

वास्तुविद नियोजक

मद संख्या–246/19
वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

परिषद् के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः–श्री करन महाना, निदेशक, के0वी0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, प्रा0लि0 के पी0डब्ल्यू0डी0 हाउसिंग सोसाइटी, केशवपुरम् योजना सं0–1, कानपुर में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 : GH/Ar-41/7B, 10, 11 को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

परिषद् की केशवपुरम् योजना सं0–1, कानपुर में स्थित श्री करन महाना, निदेशक, के0वी0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, प्रा0लि0 के पी0डब्ल्यू0डी0 हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 : GH/Ar-41/7B, 10, 11 को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने से संबंधित प्रकरण **(अनुलग्नक–1)** माननीय परिषद् की 245वीं बैठक दिनांक 14.05.2018 के मद सं0 : 245/28 पर प्रस्तुत किया गया था जिस पर माननीय परिषद् द्वारा निम्न निर्णय लिया गया। **(अनुलग्नक–2)** :–

" सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। "

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में विहित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराने एवं जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करते हुए भूखण्ड सं0 : GH/Ar-41/7B, 10, 11 को ग्रुप हाउसिंग से व्यवसायिक में परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया था।

अवगत कराना है कि भू–उपयोग परिवर्तन संबंधी अधिसूचना का अनुमोदन तत्कालीन आवास आयुक्त (म0) द्वारा दिनांक 09.06.2018 **(अनुलग्नक–3)** को किया गया जिसे उप आवास आयुक्त (प्रचार) को दो दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने के उद्देश्य से पत्र सं0 : 150/दिनांक 14.06.2018 **(अनुलग्नक–4)** द्वारा प्रेषित किया गया जिसका प्रकाशन दिनांक 30.06.2018 को कानपुर जनपद के दो समाचार–पत्रों **(दैनिक जागरण तथा हिन्दुस्तान)** में प्रकाशित किया गया **(अनुलग्नक–5 एवं 6)**। अधिसूचना में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रण हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि निर्धारित अवधि में इस संबंध में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्रमशः–2

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–17, कानपुर द्वारा अपने पत्र सं0 : 1018/डब्ल्यू0–32/53/दिनांक 03.04.2018 **(अनुलग्नक–7)** के माध्यम से अवगत कराया गया कि "श्री करन महाना (निदेशक), के0वी0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, प्रा0लि0, 3 हरजिन्दर नगर, कानपुर द्वारा ग्रुप हाउसिंग से व्यवसायिक के अन्तर की धनराशि रू0 3263850/– डी0डी0 सं0 : 026811 दिनांक 23.03.2018 (The Karnatka Bank द्वारा जारी) के माध्यम से परिषद् के संग्रह खाते में जमा करा दी गई है **(अनुलग्नक–8)** जिसकी पुष्टि संपत्ति प्रबन्ध कार्यालय, योजना सं0–1/3, कानपुर के पत्रांक : 740/सं0प्र0/दिनांक 27.03.2018 **(अनुलग्नक–9)** द्वारा की गई।"

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भू–भाग (ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 : GH/Ar-41/7B, 10, 11, पी0डब्ल्यू0डी0 हाउसिंग सोसाइटी, केशवपुरम् योजना सं0–1, कानपुर) पर भू–उपयोग परिवर्तन संबंधी समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रश्नगत भूखण्ड को ग्रुप हाउसिंग से व्यवसायिक में परिवर्तित किए जाने संबंधी प्रकरण माननीय परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(अरविन्द देव)
वास्तुविद नियोजक

(ए0के0 शुक्ला)
मुख्य वास्तुविद नियोजक

(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

अनुलग्नक -1

मद संख्या–

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

परिषद् के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः—श्री करन महाना, निदेशक, के0वी0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, प्रा0लि0 के पी0डब्ल्यू0डी0 हाउसिंग सोसाइटी, केशवपुरम् योजना सं0–1, कानपुर में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 : GH/Ar-41/7B, 10, 11 को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

आराजी सं0 – 41, ग्राम–रावतपुर, कानपुर की भूमि को परिषद् की 179वीं बैठक में पी0डब्ल्यू0डी0 हाउसिंग सोसाइटी के पक्ष में बेटरमेंट शुल्क लेकर अर्जन मुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया **(अनुलग्नक–1)** । प्रश्नगत भूमि परिषद् की केशवपुरम् योजना सं0–1, कानपुर के अन्तर्गत है। श्री करन महाना, निदेशक, के0वी0एस0, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0, कानपुर द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 हाउसिंग सोसाइटी, कानपुर में स्थित भूखण्ड सं0 – 7बी, 10 एवं 11 को रीसेल में क्रय किया गया। क्रेता द्वारा उक्त तीनों भूखण्डों को एकजाइ कर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में परिवर्तित करने हेतु परिषद् में दिनांक 05.10.2012 **(अनुलग्नक–2)** को आवेदन किया जिस पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त परिषद् की कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 02.12.2014 में निम्न निर्णय लिए गए :–

- समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त भूमि की असुधार शुल्क की गणना आवासीय दर पर की गयी है। अतः भू–उपयोग अनावासीय प्लॉटेड हाउसिंग होगा। यदि आवंटी इस भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग प्रस्तावित करता है तो उसे असुधार शुल्क आवासीय दर के 1.5 गुने के अनुसार देय होगा।
- समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूँकि पी0डब्ल्यू0डी0 सोसाइटी का ले–आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित नहीं है। अतः के0वी0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0 द्वारा 03 नग भूखण्ड क्रय कर एकजाई किए जाने में नियमानुसार कोई समस्या नहीं है तथा विलय से पूर्व पी0डब्ल्यू0डी0 सोसायटी से एन0ओ0सी0 ले लिया लाए। **(अनुलग्नक–3)**

..................2

उपरोक्तानुसार कोर ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में मैसर्स के0वी0एस0 इन्फारट्रक्चर्स प्रा0लि0, कानपुर द्वारा प्रश्नगत तीनों भूखण्डों हेतु ग्रुप हाउसिंग हेतु आवासीय दर का 1.5 गुना असुधार शुल्क परिषद् खाते में जमा किया गया जिसकी पुष्टि संपत्ति प्रबन्धक, कानपुर के पत्र सं0 : 607 दिनांक 27.02.2015 **(अनुलग्नक–4)** से होती है। इसके अतिरिक्त सचिव, पी0डब्ल्यू0डी0 को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 29.07.2013 **(अनुलग्नक–5)** को श्री करन महाना द्वारा परिषद् में प्रस्तुत कर दिया गया।

कोर ग्रुप की उक्त बैठक में लिए गए निर्णय एवं उसके अनुपालन के उपरान्त प्रश्नगत तीनों भूखण्डों को एकजाई करते हुए उन्हें ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में परिवर्तित किया गया एवं इस प्रकार सृजित भूखण्ड को GH/Ar-41/7B, 10, 11 नंबरिंग प्रदान की गई जिसका ले–आउट प्लान तत्कालीन आवास आयुक्त (म0) द्वारा दिनांक 25.06.2015 **(अनुलग्नक–6)** को स्वीकृत है।

श्री करना महाना, निदेशक, मैसर्स के0वी0एस0 इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0 द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.1.2018 के माध्यम से प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 : GH/Ar-41/7B, 10, 11 को ग्रुप हाउसिंग से व्यवयसायिक में परिबर्तन किए जाने का अनुरोध किया गया है। **(अनुलग्नक–7)**

श्री महाना द्वारा किए गए उक्त अनुरोध के कम में अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड– 17, कानपुर द्वारा ग्रुप हाउसिंग एवं व्यवसायिक के अंतर की धनराशि को सक्षम समिति के स्तर से गणना कराते हुए अंतर धनराशि रु0 32,63,850/– (रुपए बत्तीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ पचास मात्र) दिनांक 31.3.2018 तक परिषद में जमा कराने के निर्देश निर्गत किए गए। **(अनुलग्नक–8)** अवगत कराना है कि उक्त अंतर धनराशि श्री करन महाना द्वारा परिषद खाते में जमा करा दी गई है जिसकी पुष्टि अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड–17 के पत्र सं0 1018/डब्लू–32/53 दिनांक 3.4.2018 द्वारा होती है। **(अनुलग्नक–9)**

..................3

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भू—भाग (ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 : GH/Ar-41/7B, 10, 11, पी0डब्ल्यू0डी0 हाउसिंग सोसाइटी, केशवपुरम् योजना सं0—1, कानपुर) के भू—उपयोग को *उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014* **(अनुलग्नक—10)** में विहित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराने एवं जन—सामान्य से आपत्ति—सुझाव प्राप्त करते हुए ग्रुप हाउसिंग से व्यवसायिक में परिवर्तित किए जाने हेतु प्रकरण माननीय परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(अरविन्द देव)
वास्तुविद नियोजक

(ए0के0 शुक्ला)
मुख्य वास्तुविद नियोजक

(नीलम)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

(धीरज साहू)
आवास आयुक्त

अनुलग्नक 2

245/21	श्री जय शंकर पाण्डेय, तत्कालीन लेखाकार सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त लेखाकार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय जांच गठित करने के सम्बन्ध में	सर्वसम्मति से सम्यक् [illegible] प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

245/22	परिषद योजनाओं में आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों के नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदक से बैंक ड्राफ्ट/एन0ई0एफ0टी0 /आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि प्राप्त किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/23	परिषद की स्ववित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निर्मित फ्लैट के परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस अभ्युक्ति के साथ कि वांछित एन्क्लेव/तल परिवर्तन हेतु अन्तर की धनराशि, आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि पर फ्लैट के मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाय तथा प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के एक माह की समय-सीमा में निर्णय किये जाने के साथ अनुमोदित किया गया।
245/24	परिषद योजनाओं में 03 वर्ष से अनिस्तारित अनावासीय/ग्रुप हाउसिंग सम्पत्तियां जिनका मूल्य रु0 5.00 करोड़ तक या उससे अधिक की सम्पत्तियों का निस्तारण ई-टेंडरिंग के माध्यम से निस्तारण हेतु परिषद एवं एम.एस.टी.सी. के मध्य होने वाले एम0ओ0यू0 के सापेक्ष निस्तारण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

245/25	परिषद की कबीर नगर योजना, वाराणसी के आराजी सं0-2298 भदैनी पूर हुए अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त स्थगन के सम्बंध में प्रकरण को शासन संदर्भित किया जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
245/26	इन्दिरा नगर लखनऊ के डी-ब्लाक में स्थित स्कूटर गैराज संख्या-जी-1/2,3,4,5 एवं 6 की भूमि पर आवासीय निर्माण हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित कि प्रश्नगत स्थल पर व्यावसायिक गतिविधियां न की जाय।
245/27	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011) में संशोधन 2016 के प्रस्तर-26.1(ii) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद योजनाओं के चिन्हांकन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
245/28	श्री करन नहाना, निदेशक, के0वी0एस0 इन्फास्ट्रक्चर्स, प्रा0लि0 के पी0डब्लयू0डी0 हाउसिंग सोसाईटी, केशवपुरम् योजना सं0-1, कानपुर में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0: GH/Ar-41/7B,10,11 को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुलग्नक 3

वा0नि0 / मु0वा0नि0 / आवास आयुक्त (म0)

श्री करन महाना, निदेशक, के0वी0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, प्रा0लि0 के पी0डब्ल्यू0डी0 हाउसिंग सोसाइटी, के ावपुरम् योजना सं0–1, कानपुर में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 : GH/Ar-41/7B, 10, 11 को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव परिषद् के माननीय निदेशक मण्डल की 245वीं बैठक के मद सं0 : 245/28 पर प्रस्तुत किया गया था जिस पर माननीय निदेशक मण्डल द्वारा निम्न निर्णय (**पताका–क**) लिया गया :–

मद सं0	विषय	निर्णय
245/28	श्री करन महाना, निदेशक, के0वी0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0 के पी0डब्ल्यू0डी0 हाउसिंग सोसाईटी, केशवपुरम् योजना सं0–1, कानपुर में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 : GH/Ar-41/78,10,11 को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के अग्रिम चरण में जन–सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किए जाने होंगे जिस हेतु अधिसूचना का प्रारूप तैयार किया गया है जो विपरीत पक्ष पर इस आशय से प्रस्तुत कि उक्त के अनुमोदन के पश्चात अधिसूचना का प्रकाशन 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना होगा।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना का अनुमोदन आवास आयुक्त(म0) के स्तर से ही किया जाता है। उदाहरणार्थः– भूखण्ड सं0: बी–155, इंदिरा नगर, लखनऊ के भू–उपयोग परिवर्तन संबंधी अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन तत्कालीन आवास आयुक्त (म0) द्वारा दिनांक 21.11.07 को किया गया है (**पताका–ख**)।

उपरोक्तानुसार तैयार की गयी अधिसूचना विपरीत पक्ष पर आपके अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत है।

(सं0वा0नि0)

अरविन्द देव आर्य
वास्तुविद् नियोजक
इकाई-7

4/6/18

AP-7

12/6/18

09/6/18
आवास ...

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

पत्र सं0— / / दिनांक—

अधिसूचना

परिषद् की केशवपुरम् योजना सं0 : 1, ग्राम–रावतपुर, कानपुर के अन्तर्गत पी0डब्ल्यू0डी0 हाउसिंग सोसाइटी में स्थित आराजी सं0 : 41 से निहित भूखण्ड सं0 : 7बी, 10 एवं 11 को रीसेल के माध्यम से श्री करन महाजन, निदेशक के0वी0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0 द्वारा क्रय किया गया था। फर्म के आवेदन के क्रम में प्रश्नगत तीनों भूखण्डों को एकजाई कर निर्धारित अनुसार शुल्क वसूल करते हुए प्रश्नगत तीनों भूखण्डों को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में परिवर्तित कर उसे GH/Ar-41/7B, 10, 11 नम्बरिंग प्रदान की गई। वर्तमान में फर्म द्वारा उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड को व्यवसायिक में परिवर्तित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण को परिषद के माननीय निदेशक मण्डल की 245वीं बैठक दिनांक 14.05.2018 में प्रस्तुत किया गया था। माननीय परिषद की उक्त बैठक में प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड को भू-उपयोग परिवर्तन की निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग से व्यवसायिक में परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भू-उपयोग से संबंधित सूचना जन-सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की जाती है। सभी आपत्ति एवं सुझाव आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ को संबोधित और [illegible] रूप में प्रेषित की जानी होंगी। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर [illegible] विचार [illegible] जो इस सूचना के [illegible] से [illegible] के अन्दर प्राप्त होंगी।

[illegible] आवास आयुक्त

अनुलग्नक -4

S 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–7
ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बी–ब्लॉक, प्रथम तल,
केशवपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर।

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्र सं0– / वा0नि0–7 / GEN-30/235 / दिनांक– 14/06/18

सेवा में,

उप आवास आयुक्त(प्रचार)
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

विषयः– **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–GH/Ar–41/7 B 10, 11 केशवपुरम कानपुर के भू–प्रयोग परिवर्तन सम्बन्धी अधिसूचना प्रकाशित कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आवास आयुक्त(म0) द्वारा अनुमोदित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–GH/Ar–41/7 B 10, 11 केशवपुरम कानपुर के भू–प्रयोग परिवर्तन सम्बन्धी अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है।

अतः आवास आयुक्त (म0) द्वारा अनुमोदित अधिसूचना का प्रारूप संलग्न कर आपको अग्रिम कार्यावाही हेतु इस आश्य् से प्रेषित है कि दैनिक प्रकाशन की एक प्रति से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0 / उक्त / तद्दिनांक 14/06/18

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी कामपलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद कानपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, स0सं0–1 केशवपुरम कल्याणपुर, कानपुर।

वास्तुविद नियोजक

अनुलग्नक 5

www.jagran.com

Jagran Kanpur 30.6.18

कानपुर

योग और प्रकृति से जोड़ों का दर्द 'उड़नछू'

श्री दीक्षित • कानपुर

- कानपुर के श्रीनाथ प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र के चिकित्सकों ने किया शोध
- [illegible] केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किया अप्रूव

रोजमर्रा के काम निपटाने में दर्द आड़े आने लगे। राहत पाने के लिए दर्द निवारक दवाओं पर निर्भरता बढ़ जाए तो समझ लीजिए बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगी हैं। भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो गई और प्रकृति के साथ हम सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। इसका खामियाजा जोड़ों का दर्द (आर्थराइटिस एवं गठिया) की बीमारी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अगर योग और प्राकृतिक जीवनचर्या को अपना लिया जाए तो इस दर्द से छुटकारा संभव है। इसकी पुष्टि केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से श्रीनाथ प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र (भगवतदास घाट, कानपुर) के शोध से हुई है।

केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों का रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस एवं गाउट (गठिया) पीड़ितों पर पड़ने वाला प्रभाव जानने के लिए श्रीनाथ प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र के मुख्य चिकित्सक डॉ. रविंद्र पोरवाल ने रिसर्च किया। इस प्रोजेक्ट में उनकी सहयोगी

डॉ. रजनी पोरवाल रहीं।

120-120 मरीजों के तीन समूहों पर शोध: इन बीमारियों से पीड़ित 120-120 मरीजों के तीन ग्रुप बनाकर चार माह तक योगाभ्यास का अध्ययन किया गया। एक साल तक सतत् निगरानी में रखा गया। अध्ययन से पहले अंतरराष्ट्रीय अवमानदंड मानकों के अनुरूप पीड़ितों की पैथालॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जांच कराई गई। दर्द की तीव्रता जानने के लिए [illegible] परीक्षण में उनकी जांच की गई। [illegible] की सक्रियता (रिफ्लेक्सेस) [illegible] (सेंसेशन), संतुलन एवं समन्वय (कोऑर्डिनेशन) की जांच की गई। फिर तीनों समूहों के मरीजों को दो भागों में 60-60 की संख्या में बांट दिया गया। समूह के मरीज पूर्व की भांति दर्द निवारक एवं अन्य दवाओं पर रखा गया। जबकि दूसरे 60 मरीजों को सभी दवाएं बंद कराकर, 30 दिन तक यौगिक क्रियाएं कराई गईं। फिर अगले 60 दिन तक यौगिक क्रियाओं व प्राकृतिक चिकित्सा पर रखा गया। इसके बाद 90-120 दिन तक यौगिक क्रियाओं, प्राकृतिक चिकित्सा व प्राकृतिक आहार (80 फीसद क्षारीय व 20 फीसद अम्लीय भोजन) पर रखा गया।

एक जुलाई को दैनिक जागरण एवं आइएमए के सहयोग से शहर भर में लगेंगे निश्शुल्क शिविर

निश्शुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप

जागरण संवाददाता, कानपुर : डॉक्टर्स डे पर दैनिक जागरण एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) मिलकर जनमानस के लिए शहर भर में निश्शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाएंगे। एक जुलाई को शहर के 100 स्थानों पर डॉक्टर क्लीनिक एवं नर्सिंग होम में निश्शुल्क [illegible] मरीज देखेंगे। जिसमें शहर [illegible] चिकित्सक परामर्श देंगे। [illegible] पंजीकरण कराने का आखिरी [illegible] जून शनिवार तक है। [illegible]

आइएमए अध्यक्ष डॉ. प्रवीन कटियार एवं डॉ. [illegible] का कहना है कि दैनिक जागरण के दिनांक 27, 28 व 29 जून के अंक में डॉक्टर एवं उनके मोबाइल नंबर व फोन नंबर प्रकाशित किए गए हैं। संबंधित चिकित्सकों [illegible] के लिए फोन [illegible] पंजीकरण करा सकते हैं। जिनका पंजीकरण हो जाए, वह संबंधित डॉक्टर के क्लीनिक एवं नर्सिंग होम में सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

आइएमए भवन में प्रमुख शिविर: परेड स्थित आइएमए भवन में डॉक्टर्स डे का प्रमुख शिविर लगेगा। वहां भी प्रमुख चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। [illegible]

तीन मलिन बस्तियों में शिविर

मलिन बस्तियों जूही परमपुरवा, [illegible] एवं कोहना थाना के पीछे पुराना कानपुर में निश्शुल्क शिविर लगेगा। [illegible] स्थापित अशोक [illegible] जूही परमपुरवा के [illegible] [illegible]

सीजीएचएस डिस्पेंसरी की दवाओं की गुणवत्ता पर खतरा

जागरण संवाददाता, कानपुर : केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की डिस्पेंसरियों में दवा रखरखाव का प्रबंध ठीक नहीं है। निर्धारित तापमान में रखने से इंसुलिन एवं तमाम जीवन रक्षक इंजेक्शन की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा है। इस मामले को पेंशनर्स फोरम ने अपर निदेशक के समक्ष उठाया है।

भारत सरकार के अफसरों, कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को चिकित्सीय सुविधा सीजीएचएस के माध्यम से मुहैया कराई जाती है। शहर में

- निर्धारित तापमान पर नहीं रखी जा रही हैं इंसुलिन समेत जरूरी दवाएं [illegible]
- पेंशनर फोरम ने अपर निदेशक के समक्ष उठाई समस्या [illegible]

[illegible] इंसुलिन को 2-8 डिग्री तापमान पर रखना चाहिए, ताकि उसकी गुणवत्ता बेहतर रहे। इसी तरह कई ऐसे इंजेक्शन एवं वैक्सीन हैं, जिन्हें नियत तापमान पर रखना चाहिए। [illegible] निर्धारित तापमान [illegible] की उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

[illegible]

आमंत्रण

[illegible]

जनप्रतिनिधि समझें जिम्मेदारी : सीएम

[illegible]

[illegible]

...और ...को ...: ...

[illegible]

...में अफसरों का तबादला

[illegible]

संयुक्त निदेशक की प्रोन्नति पर खुद मंत्री ने उठाए सवाल

[illegible]

अनुलग्नक - 7.8

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0-17

आफिस काम्प्लेक्स, यो0सं0-1 केशवपुरम् कल्यानपुर कानपुर

E-Mail : eecd17kanpur@gmail.com ☎ 0512-2570294 (का0)

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्र सं0- 1018 / W.32 / 53 दिनांक - 3.4.2018

सेवा में,

वास्तुविद नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
कानपुर।

R-66
05/04/18

विषयः-ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जी.एच/ए.आर-41/7बी, 10 व 11 योजना संख्या-1 केशवपुरम् कानपुर के वाणिज्यक मानचित्र स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-587/डब्लू-32/29 दिनांक 24.02.18 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसकी प्रति आपको पृष्ठांकित है के क्रम में श्री करन महाना (निदेशक) के.वी.एस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 3 हरजेन्दर नगर कानपुर द्वारा ग्रुप हाउसिंग व व्यवसायिक के अन्तर की धनराशि रू0 32,63,850.00 डी.डी संख्या-026811 दिनांक 23.03.18 (दि कर्नाटका बैंक द्वारा जारी) के माध्यम से परिषद के संग्रह खाते में जमा करा दी गयी है। जिसकी पुष्टि सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय योजना संख्या-1/3 कानपुर द्वारा पत्रांक-740/सं0प्र0 दिनांक 27.03.18 द्वारा की गयी है।

सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
3/4/2018
(आर0पी0 गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ।
2. उप आवास आयुक्त (का0जो0) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद कानपुर।
4. सम्पत्ति प्रबन्धक योजना संख्या-1/3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद कानपुर।

AAP(RD)
05/04

अधिशासी अभियन्ता

गणना पत्र

कानपुर योजना संख्या–1 के अन्तर्गत अधिगृहीत आराजी संख्या–41 ग्राम रावतपुर कानपुर के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–7बी, 10 एवं 11 पी.डब्लू.डी. सहकारी आवास समिति कानपुर द्वारा विक्रय किए गये भूखण्डों को रि–सेल क्रय कर बेटरमेण्ट शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय योजना संख्या–1 कानपुर के पत्रांक–104/सं0प्र0 दिनांक 18.01.18

के.वी.एस इन्फ्रास्ट्रक्चर, 3 हरजेन्दर नगर कानपुर के पत्र दिनांक 11.01.18

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा–51 के अन्तर्गत बोर्ड बैठक 179वी व 190वीं बैठक के अनुपालन में आदेशानुसार असुधार शुल्क वित्तीय वर्ष 2003–04 की दर की गणना पर शुल्क जमा कराये जाने का आदेश दिया जाता है।

योजना संख्या–1 कानपुर की भूमि दर — रू0 3400.00 प्रति वर्ग मीटर का 20.00%

अर्थात रू0 680.00 प्रति वर्ग मीटर

ब्याज दि0 01.04.03 से 31.01.18 तक (5472 दिन) 16% की दर से रू0 1631.10 प्रति वर्ग मीटर

कुल रू0 680.00 + 1631.10 = रू0 2311.10 प्रति वर्ग मीटर

1–क्षेत्रफल 2242.342 वर्ग मीटर × रू0 2311.10 प्रति वर्ग मीटर = रू0 5182289.00

2–ग्रुप हाउसिंग की 1½% की दर से पूर्ववत जमा है अतएव कामर्शियल रेट 2 प्रतिशत की दर से अन्तर (0.50%)की धनराशि = रू0 2591144.00

3– नगर अधिभार

(2242.342 वर्ग मीटर × रू0 300.00प्रति वर्ग मीटर) = रू0 672403.00

कुल योग :– = रू0 32,63,848.00

अर्थात रू0 32,63,850.00

वरिष्ठ सहायक सम्पत्ति प्रबन्ध	*लेखाकार सम्पत्ति प्रबन्ध*	*अवर अभियन्ता*	*सहायक अभियन्ता*	*सम्पत्ति प्रबन्धक*	*अधिशासी अभियन्ता*

26/3/18 IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक,
आफिस काम्पलेक्स केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर

E-Mail Address :- emoy1knp@upavp.com

पत्रांक / सं0प्र0 / दिनांकः

क्रमांक 50
डायरी सं0 1140
फाइल सं0 W-32
दिनांक 28-3-2018

सेवा में,

वित्त नियंत्रक (म0),
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

विषयः **योजना संख्या–1, कानपुर के अन्तर्गत अधिग्रहीत अराजी संख्या–41 ग्राम रावतपुर कानपुर के अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 आवास समिति कानपुर द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों रि–सेल क्रय कर बेटरमेन्ट शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–17, कानपुर ने अपने पत्रॉक 921/डब्लू–32/46 दिनांक 26.03.2018 द्वारा रूपया 3263850.00 का डी0डी0 संख्या 026811 दिनांक 23.03.2018 संलग्न करते हुए परिषद संग्रह खाते में जमा कराकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया है।

उक्त क्रम में प्रश्नगत डी0डी0 आज दिनांक 27.03.2018 को परिषद द्वारा संचालित आन्ध्रा बैंक शाखा कल्यानपुर, कानपुर के संग्रह खाते में जमा करा दिया गया है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

A-E-I SW Am'l Sorkar

(केशव राम)
सम्पत्ति प्रबन्धक

पृ0सं0 740 / सं0प्र0 / दिनांकः 27-3-18

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
2. उप आवास आयुक्त (भूमि अर्जन) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
3. उप आवास आयुक्त (कानपुर जोन) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (चतुर्थ वृत्त) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
5. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उनके पत्रॉक 921/डब्लू–32/46 दिनांक 26.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ।

सम्पत्ति प्रबन्धक

मदसं. 246/20
वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषय भवन सं0–सी0 651 इंदिरानगर लखनऊ का भू उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।

कृपया मा0 परिषद निदेशक मण्डल को अवगत कराना है कि श्री राकेश कुमार मिश्रा द्वारा पत्र दिनांक 27.06.2017 (अनुलग्नक–1) के माध्यम से भूखण्ड सं0–सी–651 इन्दिरानगर लखनऊ के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया है। जिसके सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य, विधान परिषद द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 01.01.2018 (अनुलग्नक–2) द्वारा उक्त भवन को आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन हेतु प्रकरण को परिषद बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत है :–

1. भवन सं0 सी0–651 इंदिरानगर योजना के अंतर्गत संत बीरबलदास चौराहे पर कार्नर में स्थित है। भवन के दोनों तरफ 24 मी0 चौड़ा मार्ग है। दोनों मार्गो पर कई प्रतिष्ठित शोरुम, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं वाणिज्य दुकानें अनाधिकृत रुप से स्थित हैं । स्वीकृत लेआउट में चौराहे के चारों कोनों पर स्थित सम्पत्तियों का मूल स्वरुप आवासीय है।(अनुलग्नक–3)
2. भवन के अगल–बगल सी–649 एवं 653 के भूस्वामियों के द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन हेतु एन0ओ0सी0 प्रस्ताव के साथ संलग्न है।(अनुलग्नक–4)
3. पूर्व में इंदिरानगर योजना लखनऊ में चौराहों एवं मार्गो पर व्यवसायिक गतिविधियों के केंद्रीयकरण हो जाने के फलस्वरुप अधिसूचना दिनांक 28.3.99 जारी की गई थी जिसमें निम्नलिखित चौराहे/मार्गो पर आवासीय से व्यवसायिक भू उपयोग परिवर्तन शर्तो के साथ अनुमन्य किया गया था (अनुलग्नक–5) :–
   - फैजाबाद मार्ग से भूतनाथ मंदिर होते हुए 24 मी0 चौड़े मार्ग को मिलाने वाली 18 मी0 चौड़ी सड़क पर केंद्र रेखा से दोनों ओर 50 मी0 तक स्थित सम्पत्तियाँ।
   - भूखण्ड सं0 बी0–1318 के कार्नर के दोनों साइड पर स्थित 24मी0 चौडे मार्ग से बने चौराहे पर इन दोनो मार्गो की केंद्र रेखा से 50 मी0 की गहराई तक निर्धारित चौकोर क्षेत्र।
   - मुंशीपुलिया के चौराहे से संबंधित 45 मी0 तथा 24मी0 चौड़े मार्गो की केंद्र रेखा से 50 मी0 की अधिकतम गहराई तक प्रभावित चौकोर क्षेत्र।
4. प्रश्नगत भूखण्ड 24 मी0 रोड पर स्थित है। सामान्यतः परिषद योजनाओं में 24 मी0 चौड़े मार्ग पर व्यवसायिक सम्पत्तियों का नियोजन किया जाता है। उपविधि 2008 के प्रस्तर 2.3.2 के अनुसार किसी भी अनावासीय / व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु रोड की न्यूनतम चौड़ाई 12 मी0 आवश्यक है।(अनुलग्नक–6)
5. वर्तमान में भू उपयोग की कार्यवाही भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली–2014 के अनुसार प्रकरण परिषद/बोर्ड की संस्तुति उपरांत धारा–13 की कार्यवाही करते हुए निर्धारित शुल्क जमा के उपरांत किए जाने का प्राविधान है। (अनुलग्नक–7)
6. प्रश्नगत प्रस्ताव में अधिशासी अभियंता नि0खण्ड–2 के पत्रांक 2019 दिनांक 5.9.17 के द्वारा संत बीरबल चौराहे के दोनों तरफ 24 मी0 चौड़ी रोड पर संचालित अनाधिकृत व्यवसायिक गतिविधियों को लेआउट पर मार्क करते हुए प्रेषित किया गया है जिसके अनुसार लगभग 40प्रतिशत सम्पत्तियों पर अनाधिकृत रुप से व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित हैं।संत बीरबल चौराहे के कार्नर पर स्थित चार में से प्रश्नगत सम्पत्ति को छोड़कर अन्य तीन पर अनाधिकृत रुप से व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित हैं। (अनुलग्नक–8)
7. प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वास्तुविद नियोजक के पत्र सं0–486 दि0 27.02.2018 के कम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अपने पत्रांक–239 दि0 09.05.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि "परिषद द्वारा नियोजित एवं विकसित आवासीय भूखण्डों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के शमन के सम्बन्ध में कोई नीति/शासनादेश विचाराधीन नहीं है;
8. वर्तमान में बोर्ड द्वारा (233/26) अंगीकृत भू उपयोग परिवर्तन नियमावली 2014 में किसी क्षेत्र का भू उपयोग परिवर्तन हेतु प्रकिया निर्धारित की गई है जिसमें अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(1) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधनों से भिन्न संशोधनों के लिए प्रकिया बिंदु सं0 5–(3) पर अंकित की गई है। (अनुलग्नक–9)

प्रस्ताव-- अधिशासी अभियंता नि0खण्ड–2 की रिपोर्ट दिनांक 5.9.17 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत चौराहे के चारों तरफ के मार्गों पर लगभग 40 प्रतिशत भवनों में व्यवसायिक गतिविधियॉं चल रही हैं जो निरन्तरता में नहीं है। पूर्व में परिषद में वर्ष 1999 में योजना के दो मुख्य चौराहों को व्यवसायिक उपयोग हेतु चिन्हित किया गया था। जिसमें मुंशीपुलिया व बी–ब्लाक चौराहे पर 50.0 मी0 दूरी तक चिन्हांकिंत भूखण्डों को परिवर्तित करने हेतु अधिसूचित किया था। जिससे यदि व्यवसायिक गतिविधियों को चौराहों पर केंद्रीयकृत किया जाता है तो कनेक्टिंग मुख्य मार्गो पर अनाधिकृत व्यवसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा एवं कालोनियों के आवासीय स्वरुप को यथावत रखने में बल मिलेगा। सामान्यतः व्यवसायिक गतिविधियॉं जो आवासीय परिसर में चल रही है उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। व्यवसायिक अधिष्ठानों की आवश्यकतानुसार व्यवसायिक क्षेत्र अधिसूचित कर भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार किया जाना चाहिए।

उक्त से सहमति की दशा में भूखण्ड सं0 सी0–651को व्यवसायिक में परिवर्तित करने हेतु योजना स्तर पर निम्नानुसार नीति निर्धारण कर निम्न शर्तो पर विचार किया जा सकता है :–

(क) संत बीरबल चौराहे के चारों तरफ रोड पर चौराहे के मध्य से 100 मी0 तक मार्ग के दोनों ओर को व्यवसायिक क्षेत्र अधिसूचित कर आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

(ख) चौराहे पर स्थित सम्पत्तियों के आवासीय से व्यवसायिक भू उपयोग परिवर्तन किए जाने पर यातायात व पार्किंग की समस्या स्वाभाविक है परंतु रोड की चौड़ाई 24 मी0 उपलब्ध होने के कारण भवन /भूखण्डों के अंदर ही समस्त पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की दशा में प्रश्नगत भूखण्ड के भू उपयोग परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है।

(ग) परिवर्तित भूखण्ड/भवन के अग्र सेटबैक में मकैनिक्ल पार्किंग का प्राविधान होगा । जिसके लिए न्यूनतम 6 मी0 चौड़ा सेटबैक छोड़ना होगा। अग्र भाग सैटबैक में बाउण्ड्री वॉल का निर्माण नहीं होगा।

(घ) भू उपयोग परिवर्तन के उपरोक्त मानचित्र में पार्किंग सुनिश्चित होने की दशा में ही परिवर्तित उपयोग/किया की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

अतः उक्त प्रस्ताव परिषद की निदेशक मंडल के समक्ष भू उपयोग नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुरुप अनुमोदनार्थ /आदेशार्थ प्रस्तुत है।

16-7-2018.
(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक

(सुनील चौधरी)
अधीक्षण अभियंता

20/7/18
(ए0के0 शुक्ला)
मुख्य वास्तुविद नियोजक

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

28/6/17 अनुलग्नक -①

भारतीय जनता पार्टी जिन्दाबाद ! भारतीय जनता पार्टी जिन्दाबाद !

भारतीय जनता पार्टी

इं. राकेश कुमार मिश्र
वरिष्ठ भाजपा नेता
महराजगंज, गोरखपुर

निवास
(1) चिउंटहा रोड, निचलौल, जनपद-महराजगंज (उ.प्र.)
(2) सी-651, इंदिरानगर, एस.बी.डी. चौराहा अरावली मार्ग, लखनऊ।
मो.:9415212293,7705825790

पत्रांक....................... 586 सं0......अ0आ0आ0/स्टेनो/दिनांक 27/6/17 दिनांक 27/06/2017

सेवा में,

श्रीमान् आवास आयुक्त जी,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय : **जनपद-लखनऊ के इंदिरा नगर में संतबीरबल चौराहा, अरावली मार्ग पर स्थित सी-ब्लाक मकान नं0-651 को आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सानुरोध, अवगत कराना है कि इंदिरा नगर स्थित सी-ब्लाक के आवास संख्या सी-651 अरावली मार्ग (फैजाबाद से रिंग रोड) एवं चर्च रोड (रिंग रोड से फैजाबाद रोड) के मध्य संतबीरबल चौराहे के कार्नर प्लाट पर स्थित है। उपरोक्त दोनों मार्गों पर कई प्रतिष्ठान, शोरूम, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं वाणिज्यिक दुकानें स्थापित हैं। जिसके कारण इस चौराहे पर 24 घंटे वाहनों का आवागमन एवं जनमानस की भीड़ बनी रहती है। भूखण्ड के दोनों तरफ 24 मीटर का मुख्य मार्ग है, जबकि विकास प्राधिकरण में एक तरफ मात्र 18 मीटर रोड पर स्थित मकान को व्यवसायिक किये जाने का प्राविधान है। आवासीय भूखण्ड के दोनों तरफ की भू-स्वामियों श्री रघुवीर सिंह कोतवाल, आवास संख्या सी-649 एवं श्री डी0पी0 सिंह आवास संख्या-651 से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी पूर्व में दिया जा चुका है।

उक्त भूखण्ड को व्यवसायिक किये जाने सम्बन्ध में हमारे द्वारा पूर्व में भी प्रयास किया गया था, परन्तु जनहित की भावनाओं से अलग सोच होने के कारण लम्बित रहा। व्यक्तिगत तौर पर पूर्व से ही आपकी जनहित में कार्य करने की प्रवृत्तियाँ एवं सच्चाई की अनुभूति के साथ करने की सज्ञानता मुझे है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप द्वारा जनहित में नियमानुसार इस भूखण्ड को आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन करने की कृपा अवश्य करेंगे।

सादर,

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 27/06
(राकेश कुमार मिश्र)
वरिष्ठ भाजपा नेता

सचिव
हे. पत्रावली
प्र. हेतु)
27/6/17
आवास आयुक्त

2013

आ. नि. इकाई-4

सचिव
27-6-17

AAC(A)
28/6/17

अनुलग्नक -(2)

देवेन्द्र प्रताप सिंह
सदस्य
विधान परिषद्
(गोरखपुर-फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)

16/A दारूल शफा, लखनऊ
श्यामकुंज कालोनी, पो0 रेलवे कालोनी ब्रांच
सरकुलर रोड, गोरखपुर।
पिनकोड- 273012
मो:- 9415212124

493

9/1/18

दिनांक 06/01/2018

C.A.P.

3/1/18

वास्तुकला एवं नियोजन
डायरी संख्या 67
दिनांक 08-1-18

आवास आयुक्त

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

कृपया संलग्न पत्र का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिससे हमारे द्वारा इन्दिरा नगर स्थित सी–ब्लाक मकान नं0 651 के दोनो तरफ 24 मी0 मुख्य सड़क मार्ग व अरावली/एस0बी0डी0 चौराहे पर स्थित है, जिसे आवासीय से व्यवसायिक किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव व आपसे अनुरोध किया था। अभी तक आपके विभाग द्वारा हमें पत्र संख्या–3328 दिनांक–15.12.2017 द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि गठित समिति की संस्तुति के आधार पर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु उच्च स्तर पर पत्रावली निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मुझे ज्ञात है कि बोर्ड की बैठक का एजेण्डा आप द्वारा ही अन्तिम रुप दिया जाता है, नियमानुसार व औचित्य पूर्ण की दशा में व विभागीय परीक्षण में भी सही पाने की दशा में ही बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वयं का निर्देश के बाद भी अभी तक लम्बित है। आप जैसे ईमानदार व सक्षम अधिकारी से न्यायोचित निर्णय यथा-शीघ्र अपेक्षित था।

आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रकरण न्यायोचित व नियमानुसार हैं, जिसमें विभागीय हित भी जुड़ा हुआ है, व्यवसायिक किया जाना जनहित में भी है। कृपया सम्बन्धित आवास को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर आवासीय से व्यवसायिक किये जाने हेतु निर्णय करने/कराने का कष्ट करें।

(देवेन्द्र प्रताप सिंह)

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

AP IV
9/1/18

Sh. Alok
11/1/18

Sri R.K. Singh
11.1.18
पत्रावली कमेटी के माध्यम से बोर्ड में प्रस्तुत ... स्तर से विचाराधीन

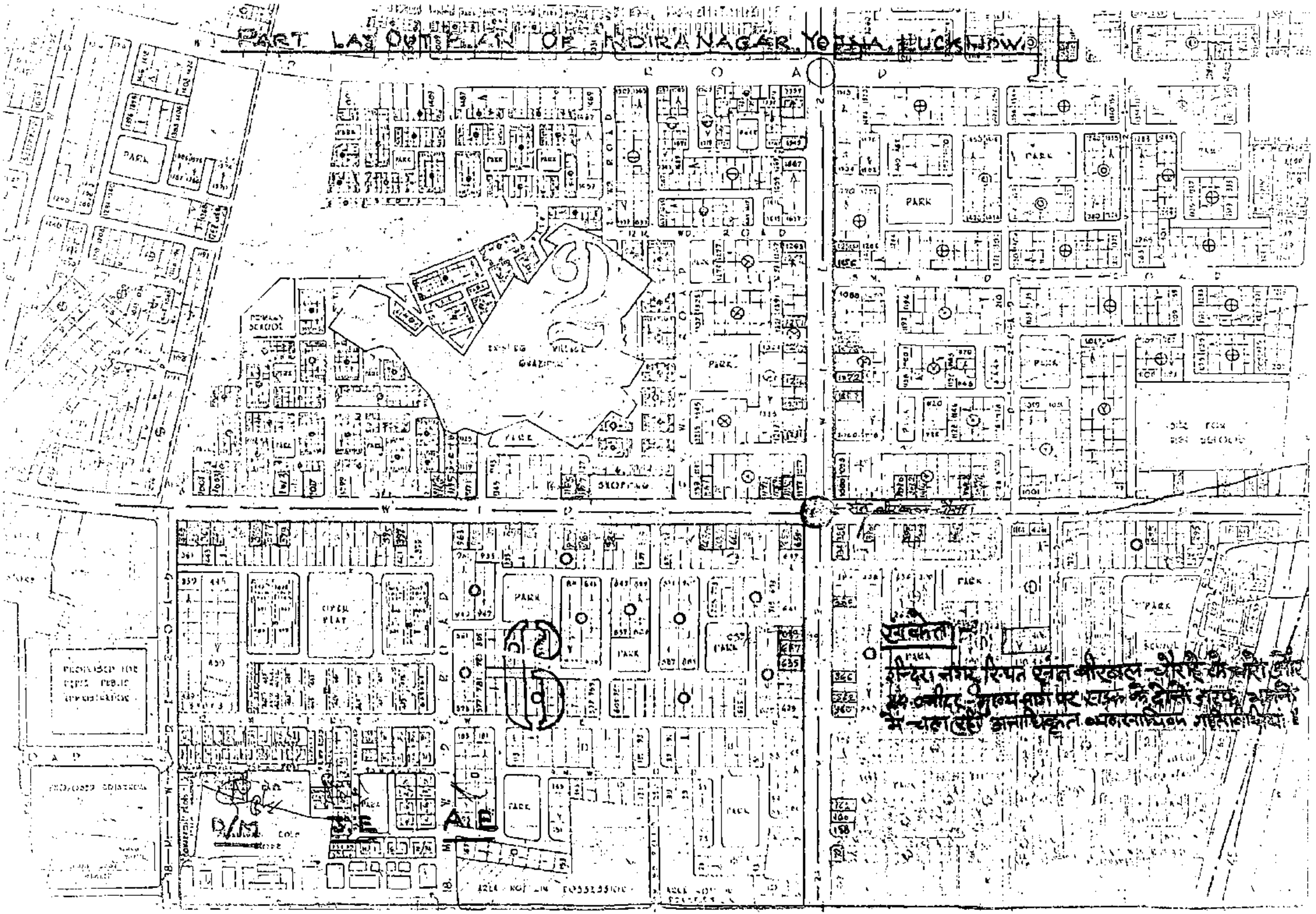
PART LAY OUT PLAN OF INDIRANAGAR YOJNA, LUCKNOW
ROAD
PARK
PRIMARY SCHOOL
EXISTING VILLAGE
SHOPPING
OPEN PLAY
PROVIDED FOR
AREA NOT IN POSSESSION
SCHOOL

अनुलग्नक (5)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
महात्मागांधी मार्ग, लखनऊ।

विषय :– लखनऊ महानगर में आपके विभाग द्वारा इन्दिरानगर में संत बीरबल दास चौराहा पर स्थित प्लाट संख्या–सी0–651 को कामर्शियल भू–खण्ड में परिवर्तित करने संबंधी अनापत्ति देने के संबंध में।

महोदय,

प्रार्थी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में परियोजना प्रबन्धक के पद से सेवा निवृत्त हैं। हमारे प्लाट सी–653 के बगल में संत बीरबल दास चौराहे पर स्थित भूखण्ड संख्या–सी0–651 के दोनो तरफ 24 फिट रोड होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन के साथ–साथ चौराहे पर प्रायः भीड़ बनी रहती है जिस कारणों से यह भूखण्ड आवासीय योग्य नहीं रह गया है। अगर प्लाट संख्या–सी0–651 के भू–स्वामी द्वारा कामर्शियल भू–खण्ड में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया जाता है तो विभाग द्वारा कामर्शियल भू–खण्ड में परिवर्तित करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

सादर।

प्रार्थी,

दिनांकः 24.04.2010

(डी0पी0 सिंह)
सी0–653,
इन्दिरानगर, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(U.P.HOUSING & DEVELOPMENT BOARD)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

अधिसूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के तीन क्षेत्रों में स्थित सम्पत्तियों के प्रयोग परिवर्तन हेतु विज्ञप्ति संख्या 945/एस–14/5 दिनांक 18.4.90 समाचार पत्रो में दिनांक 20.4.98 को प्रकाशित की गयी थी ।

और चूँकि सम्बन्धित व्यक्तियों से उपरोक्त नोटिस के समाचार पत्रो के प्रकाशन के पश्चात दिनांक 15–05–98 को आपत्तियों/सुझाव की सुनवाई की गयी थी" ।

और चूँकि प्रस्तावित संशोधनो के सम्बन्ध में उपर्युक्त नोटिस में निर्धारित समय के भीतर प्राप्त सुझावो अथवा आपत्तियो पर सम्यक रूप से विचार कर परिषद की बैठक दिनांक 18.06.98 में प्रस्तुत किया गया था और चूँकि परिषद के उक्त बैठक में प्रकरण को शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया था। ~~और चूँकि शासनादेश संख्या 238/9–आ–3–98–60 एल0यू0सी0/96 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि महायोजना अथवा जोनल प्लान में बिना कोई संशोधन किये हुए परिषद की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड का प्रयोग परिवर्तन उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम– 1973 की धारा–13 में निहित प्राविधानों के अनुरूप किया जा सकता है।~~ अतएव उपरोक्त शासनादेश एवं परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न क्षेत्रों में आवासीय एवं कार्यालय प्रयोग में आ रही भूमि एवं ऐसी भूमि जो वर्तमान में परिषद के पूर्व निर्णयों के अनुसार कृषि (कोल्ड स्टोरेज के समतुल्य) उपयोग में आ रही हैं, को वर्तमान प्रयोग से व्यवसायिक प्रयोग में इस अधिसूचना में वर्णित शर्तो के अनुसार व्यवसायिक प्रयोग में परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया हैं ।

1. फैजाबाद मार्ग से भूतनाथ मंदिर होते हुए 24 मी0 चौड़े मार्ग को मिलाने वाली 18 मी0 चौड़ी सड़क पर केन्द्र रेखा से दोनो ओर 50 मी0 तक स्थित सम्पत्तियॉं ।
2. भूखण्ड संख्या बी–1318 के कार्नर के दोनो साईड पर स्थित 24 मी0चौडे मार्ग से बने चौराहे पर इन दोनो मार्गो की केन्द्र रेखा से 50 मीटर की गहराई तक निर्धारित चौकोर क्षेत्र ।
3. मुंशी पुलिया के चौराहे से सम्बन्धित 45 मी0 तथा 24 मी0 चौडे मार्गो की केन्द्र रेखा से 50 मी0 की अधिकतम गहराई तक प्रभावित चौकोर क्षेत्र ।

क्रमशः2/–

वास्तुविद नियोजक
इकाई

प्रयोग परिवर्तन हेतु निर्माण पैरामीटर सम्बन्धी शर्ते

1. भू– प्रयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित परिसम्पत्ति का एफ0ए0आर0 एवं भू–आच्छादन अनुमन्य ऊँचाई एवं मंजिलो की संख्या भू उपयोग परिवर्तन होने के पश्चात भी पूर्ववत ही रहेंगे।
2. भू –प्रयोग परिवर्तित होने के पश्चात भवन के फ्रन्ट सैट बैक में निर्मित बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त करना होगा और फन्ट सैट बैक में किसी प्रकार का आरकेड अथवा बरामदा अनुमन्य नहीं होगा ।
3. आवासीय परिसम्पत्ति को व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन करने की दशा में लखनऊ महायोजना के केवल जोनल शॉपिंग अथवा, सैक्टोरल शापिंग के अनुरूप उपयोगो के विकास के लिए ही अनुमति प्रदान की जायेगी ।
4. उपरोक्तानुसार वर्णित तीनों शर्तो के अनुसार प्रयोग परिवर्तन अनुमन्य करने हेतु आवेदको से निम्न दरो से शुल्क प्राप्त होने के पश्चात सम्पत्ति/सम्पत्तियों विशेष के प्रयोग परिवर्तन की अनुमति एवं अंतिम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रो के माध्यम से किया जायेगा ।

प्रयोग परिवर्तन शुल्क की दरें

क्र0सं0	वर्तमान उपयोग	प्रस्तावित उपयोग	भू उपयोग परिवर्तन हेतु दर (वर्तमान आवासीय दर का)
1–	कृषि(कोल्ड स्टोरेज आदि के समतुल्य)	व्यावसायिक	150%
2–	आवासीय	व्यावसायिक	100%
3–	कार्यालय	व्यावसायिक	50%

इस विज्ञप्ति के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्र के समस्त आवंटियों को अवगत कराया जाता हैं कि या तो आवण्टित सम्पत्ति के पूर्व निर्धारित प्रयोजन के अनुसार ही उपयोग सुनिश्चित करें अन्यथा प्रयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान कर प्रयोग परिवर्तन करा लें । ऐसा न करने की दशा में दोषी आवंटियों के विरूद्ध परिषद नियमानुसार कार्यवाही करने पर बाध्य होगी ।

(राकेश कुमार मित्तल)
आवास आयुक्त

दिनांक 28.3.99 को राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना की टंकित प्रति ।

सत्यापित

वास्तुविद नियोजक

[illegible]

अधिसूचना

[illegible] आवास एवं विकास परिषद [illegible] लखनऊ के [illegible] दिनांक [illegible] प्रकाशित की गयी थी।

और चूंकि [illegible] उपयुक्त [illegible] की [illegible]

और चूंकि [illegible] की बैठक दिनांक [illegible] में प्रस्तुत किया गया था।

और चूंकि परिषद की उक्त बैठक में [illegible] का निर्णय लिया गया था। [illegible] योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा [illegible] के अनुरूप किया जा सकता है।

अतएव [illegible] परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप [illegible] अधिसूचना में वर्णित शर्तों के अनुसार [illegible] प्रयोग में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] की अनुमति प्रदान की जायेगी।
4. [illegible] किया जायेगा।

[illegible]

	[illegible]	[illegible]	भू उपयोग परिवर्तन हेतु दर [illegible]
1	[illegible]	[illegible]	150%
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	50%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

राष्ट्रीय सहारा
28.3.99

2.3 सड़कें

2.3.1 **आवासीय भू–उपयोग** आवासीय भू–उपयोग के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत् किया जाएगा :–

(I) 200 मीटर तक लम्बे पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी, तथा 201–400 मीटर तक 12 मीटर, 401–600 मीटर तक 18 मीटर एवं 601–1000 मीटर तक 24 मीटर तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर होगी।

(II) 'लूप–स्ट्रीट' की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर तथा अधिकतम लम्बाई 400 मीटर होगी।

(III) पार्क/खुले स्थल से सटी हुई सर्विस रोड तथा ऐसी सड़क जिसके केवल एक ओर ही भूखण्ड प्रस्तावित हों, की चौडाई 7.5 मीटर रखी जा सकती है, जिसकी अधिकतम लम्बाई 200 मीटर होगी।

(IV) 9 मीटर चौड़ा मार्ग जो सीधा हो तथा एक छोर से बन्द हो (डेड–एण्ड–स्ट्रीट), वहाँ मोड़ के लिए न्यूनतम 7.5 मीटर के अर्द्ध व्यास वाले पर्याप्त क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी और ऐसी सड़क की अधिकतम लम्बाई 100 मीटर होगी। परन्तु 25 मीटर तक लम्बाई की 'डेड–एण्ड–स्ट्रीट' में 'कल–डी–सैक' की आवश्यकता नही होगी।

(V) बल्क सेल के रूप में आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 50 एकड तक होने पर पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24 मी. एवं 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 30 मी. होगी तथा योजनान्तर्गत आन्तरिक मार्गो की न्यूनतम चौडाई 12 मी. होगी।

टिप्पणी: (I) उप–विभाजन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर से कम होने पर पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी।

(II) दुर्बल/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु विशिष्ट आवासीय योजनाओं में उक्त आय वर्गो के आवासों के निर्माण हेतु परिषद द्वारा विकास अनुज्ञा दिए जाने पर वाहनों के उपयोग में आने वाले मार्ग न्यूनतम 6 मीटर चौड़े होंगे। पैदल मार्ग की न्यूनतम चौडाई मार्ग के एक ओर भूखण्ड तथा दूसरी ओर खुला स्थान होने पर 3 मीटर तथा दोनों ओर भूखण्ड होने पर न्यूनतम चौड़ाई 4.5 मीटर होगी। 3 मीटर चौड़े मार्ग की अधिकतम लम्बाई 50 मीटर तथा 4.5 मीटर चौड़े मार्ग की अधिकतम लम्बाई 80 मीटर होगी। कोई भी आवासीय इकाई 9 मीटर चौड़े मार्ग से 150 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगी।

(III) अन्य मार्गो की चौडाई महायोजना/जोनल प्लान में निर्धारित चौड़ाई के अनुसार होगी।

2.3.2 **अनावासीय भू–उपयोग** (I) अनावासीय क्षेत्र यथा व्यवसायिक, कार्यालय एवं औद्योगिक भू–उपयोग में किसी भी सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम नही होगी, जिसकी लम्बाई अधिकतम 200 मीटर होगी। 201 से 400 मीटर लम्बी सड़क की चौड़ाई 18 मीटर होगी और 401 से 1000 मीटर तक लम्बी सड़क की चौड़ाई 24 मीटर होगी तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बी सडक की चौडाई 30 मीटर होगी।

(II) अन्य मार्गो की चौडाई महायोजना/जोनल प्लान में निर्धारित चौड़ाई के अनुसार होगी।

2.3.3 **सड़कों के संगम** (I) यथा सम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेंगी तथा क्रास जंक्शन पर समस्त सडकों की मध्य रेखाओं का 'एलाइन्मेंट' एक सीध में होगा।

(II) 30 डिग्री से कम के कोण पर प्रस्तावित सड़कों की अनुज्ञा तभी दी जाएगी, जब यातायात के परिचालन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो और आवश्यक 'वीविंग लेन्थ' उपलब्ध हो।

(III) सड़कों के जंक्शन्स इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार होंगे।

(IV) 18 मीटर तक चौड़ी सड़कों (मेटल भाग) के मिलन बिन्दु पर न्यूनतम 4.5 मीटर

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–2281/8–3–14–194 विविध/14
लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 38–क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा–55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार	1–(1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 कही जाएगी।
	(2)	यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रकाशित होगी।
	(3)	यह समस्त विकास क्षेत्रों पर लागू होगी।
परिभाषायें	2–(1)	जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–
	(क)	"अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है;
	(ख)	"आवेदक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा–13 के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति से है;
	(ग)	'सर्किल रेट' का तात्पर्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन सम्बन्धित क्षेत्र में भूमि के सव्यवहार पर स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित रेट से है;
	(घ)	"टेलिस्कोपिक आधार" का तात्पर्य नियम–4 के अधीन दिये गये दृष्टांत के अनुसार की गयी गणना से है।
	(2)	इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।
भू–उपयोग परिवर्तन	3–	यदि किसी विकास क्षेत्र में, किसी भूमि विशेष का

शुल्क का उद्ग्रहण (धारा–38क की उप–धारा–1)

भू–उपयोग परिवर्तन अधिनियम की धारा–13 के अधीन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किया जाता है, तो प्राधिकरण संबंधित भू–स्वामी से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, विहित प्रक्रिया के अनुसार और नियम–4 में उल्लिखित रेट पर उद्गृहीत करने का हकदार होगा:

परन्तु यह कि भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क निम्न परिस्थितियों में उद्गृहीत नहीं किया जायेगा:–

(एक) जहां किसी भूमि विशेष का भू–उपयोग परिवर्तन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप हुआ हो;

(दो) जहां भूमि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय की हो।

(तीन) जहां पर पूर्ण या आंशिक रूप से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान को अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है, तो भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क उद्गृहीत नहीं होगा।

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं उसकी दर (धारा–38क की उपधारा–1)

4–(1) भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को उस भूमि विशेष के सर्किल रेट से गुणा करके तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची–"क" में नीचे उल्लिखित गुणांक के आधार पर किया जायेगा:–

भूमि खण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेअर)	गुणांक
0.25 तक	1.0
0.25 से अधिक और 1.0 तक	0.9
1.0 से अधिक और 5.0 तक	0.8
5.0 से अधिक और 10.0 तक	0.7
10.0 से अधिक	0.6

नोट :

(एक) भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना टेलिस्कोपिक आधार पर की जायेगी अर्थात 15.0 हेक्टेयर के भूखण्ड के लिए भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना निम्नवत् की जायेगी:–

{(0.25x1)+(1-0.25)x0.9+(5-1)x0.8+(10-5)x0.7+(15-10)x0.6} x सर्किल रेट x लागू प्रतिशत, जैसा

अनुसूची 'क' में दिया गया है।

(दो) भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर सर्किल रेट में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(2) प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना, प्राधिकरण बोर्ड के अन्तिम विनिश्चय के दिनांक को लागू विद्यमान भू–उपयोग हेतु प्रवृत्त सर्किल रेट को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।

स्पष्टीकरण :

यदि किसी क्षेत्र विशेष में एक से अधिक सर्किल रेट लागू हैं, तब भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना विद्यमान भू–उपयोग के आधार पर किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी क्षेत्र में कृषि एवं आवासीय भूमि का अलग–अलग सर्किल रेट है और विद्यमान भू–उपयोग कृषि है, तब कृषि भूमि का सर्किल रेट लागू होगा। समान रूप से यदि विद्यमान भू–उपयोग आवासीय है तो आवासीय सर्किल रेट लागू होगा। यदि वहां पर केवल एक सर्किल रेट है, तो वही रेट लागू होगा।

(3) यदि निम्नलिखित भू–उपयोग हेतु सर्किल रेट उपलब्ध नहीं है, तो उसकी गणना नीचे दिये गये सूत्र के माध्यम से किया जायेगा:–

भू–उपयोग	सूत्र
(क) सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधायें	0.75xA+0.25xR
(ख) यातायात एवं परिवहन	0.50xA+0.50xR
(ग) औद्योगिक	0.25xA+0.75xR
(घ) कार्यालय	0.50xR+0.50xC
(ड.) मिश्रित उपयोग	0.25xR+0.75xC

जहां :

A – कृषि भूमि का सर्किल रेट है
R – आवासीय भूमि का सर्किल रेट है
C – व्यावसायिक भूमि का सर्किल रेट है

उपयोग परिवर्तन की क्रिया (धारा–13)

5–(1) आवेदक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के समक्ष इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा:–

(क) भूमि का विवरण (जैसा भी हो)

(एक) अविकसित क्षेत्र की स्थिति में, राजस्व ग्राम, तहसील, जिले का नाम, गाटा संख्या, गाटावार क्षेत्रफल और 1:4000 स्केल पर सजरा मैप।

(दो) निर्मित/विकसित क्षेत्र की स्थिति में, प्लाट संख्या, क्षेत्रफल, हेक्टेयर में और स्थानीय क्षेत्र का नाम एवं 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा।

(ख) स्वामित्व/विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति।

(ग) यथास्थिति प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास क्षेत्र में भू-उपयोग।

(घ) परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग।

(ङ.) आवेदन शुल्क रु0 1,000/- प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिए, न्यूनतम रु0 1000/- के अधीन रहते हुए।

(2) आवेदन पत्र की संवीक्षा के पश्चात्, यदि प्राधिकरण की राय में संशोधन अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा:-

(क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को अपने बोर्ड की बैठक में युक्तियुक्त निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा।

(ख) आवेदन पत्र के अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (3) के अनुसार सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की न्यूनतम अवधि सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होगी।

(ग) प्राप्त आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हो, पर उनकी अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति की आख्या और संस्तुति को अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) उप नियम-ग के अधीन अनुमोदन की दशा में,

प्राधिकरण भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना करेगा और उसका भुगतान करने के लिए आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

(3) अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा:-

(क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को युक्तियुक्त निर्णय के लिए अपने बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(ख) अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण प्रस्ताव को अपनी संस्तुति के साथ बोर्ड के निर्णय के दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(ग) राज्य सरकार की सहमति के पश्चात् प्राधिकरण अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) के अनुसार सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की न्यूनतम अवधि सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होगी।

(घ) आपत्तियों और सुझाओं, यदि कोई हो, पर उनकी अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति की आख्या और संस्तुति को अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना।

(ड.) प्राधिकरण अपनी संस्तुति को बोर्ड के निर्णय के दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(च) राज्य सरकार अपने निर्णय के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करेगा और तद्नुसार प्राधिकरण आवेदक को सूचित करेगा।

(छ) उप धारा-(च) के अधीन अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की धनराशि की गणना करेगा और उसका भुगतान

करने के लिए आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान (धारा–38क की उपधारा(1)

6–(1) आवेदक मांग नोटिस जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर भू–उपयोग परिवर्तन की सम्पूर्ण रकम देने का दायी होगा:

परन्तु यह कि प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान की अनुज्ञा चार त्रैमासिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ दे सकता है, जो इस शर्त के अधीन होगी कि आवेदक को एक वर्ष के भीतर पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे भुगतान के लिए एक और वर्ष दे सकता है।

(2) यदि आवेदक यथास्थिति, नियत अवधि या बढ़ायी गयी अवधि के भीतर भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो दी गयी अनुज्ञा व्यपगत समझी जायेगी।

भू–उपयोग परिवर्तन का प्रकाशन (धारा–13 की उपधारा–4)

7– (1) अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकृति के संशोधन के लिए प्राधिकरण आवेदक द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने के पश्चात्, अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(4) के अनुसार उक्त संशोधन को सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और आवेदक को भी सूचित करेगा। प्राधिकरण, राज्य सरकार को ऐसे संशोधन के प्रवृत्त होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर उक्त संशोधन के पूर्ण विवरण की आख्या राज्य सरकार को देगा।

(2) अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(3) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए प्राधिकरण, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक द्वारा जमा किए जाने के पश्चात् उसकी सूचना राज्य सरकार को प्रदान करेगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, राज्य

सरकार अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(4) के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करेगी।

अवस्थापना विकास निधि (धारा–38क की उपधारा–(1))

8– भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी सम्पूर्ण धनराशि एक पृथक बैंक खाते में जमा की जायेगी, जिसे "अवस्थापना विकास निधि" के रूप में जाना जायेगा।

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का वार्षिक विवरण (धारा–38क की उपधारा–(1))

9– प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पूर्ववर्ती वर्ष हेतु भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में एक विवरण प्राधिकरण बोर्ड को उपलब्ध करायेगा, जिसमें प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी कुल धनराशि की सूचना एवं उसके उपयोग से संबंधित ब्यौरे होंगे। यथासंभव, यह विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण बोर्ड की होने वाली प्रथम बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा और इसकी प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जायेगी।

2– प्रदेश में शहरी नियोजन के कार्य हेतु 27 विकास प्राधिकरणों के अतिरिक्त 05 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद (जो वर्तमान में 54 नगरों में कार्यरत है) तथा 74 विनियमित क्षेत्र भी घोषित/गठित हैं, अतः प्रश्नगत नियमावली (अंग्रेजी संस्करण सहित) को उक्त अभिकरणों द्वारा अपने–अपने अधिनियमों के अधीन विहित प्रक्रियानुसार अंगीकृत किया जायेगा।

3– भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत निम्न शासनादेश अवक्रमित समझे जायेंगे:–

(i) शासनादेश सं0–3712/9–8–3–2000–26एल.यू.सी./91, दिनांक 21.8.2001

(ii) शासनादेश सं0–473/9–अ–3–26एल.यू.सी./91, दिनांक 04.02.2002

(iii) शासनादेश सं0–3351/9–अ–3–2004–12 वि./2004, दिनांक 23.08.2004

(iv) शासनादेश सं0–4988/8–3–2006–05 मंहा/2005, दिनांक 18.10.2006

(v) शासनादेश सं0–204/8–3–09–20 एल.यू.सी./91, दिनांक 21.01.2010

(vi) शासनादेश सं0–1735/8–1–2010–38 विविध/10, दिनांक 23.04.2010

संलग्नक : नियम–4 में उल्लिखित अनुसूची 'क'।
नियम–5(1) में उल्लिखित आवेदन पत्र।

सदा कान्त
प्रमुख सचिव

संख्या : ______ (1)/ 8–3–14–194 विविध/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक: दिसम्बर, 2014 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करायें तथा गजट की मुद्रित 01–01 प्रतियां सम्बंधित अधिकारियों एवं शासन को 10 प्रतियां उपलब्ध करायी जाये।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
संयुक्त सचिव

संख्या : 228 (2)/ 8–3–14–194 विविध/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महा निरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार–प्रसार हेतु।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग
मद संख्या–246/21

परिषद हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषय: आवासीय सम्पत्तियों में तलों की अनुमन्यता में स्पष्टता के सम्बन्ध में।

मा0 परिषद को अवगत कराना है कि वास्तुकला अनुभाग में मानचित्र स्वीकृति के प्रकरणों में आवंटी द्वारा भवन को पूर्ण ध्वस्तीकरण प्रस्तावित करते हुए वर्तमान में प्रभावी उपविधि 2008 यथा संशोधित 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रायः B+G+2 तलों की स्वीकृति हेतु आवेदन किया जाता है। वास्तुकला अनुभाग के अन्तर्गत कुछ इकाईयों में बेसमेंट+भूतल+2 तल (B+G+2) तलों तथा स्टिल्ट+3 (S+3) तलों की स्वीकृति उपविधि के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है जबकि कुछ इकाइयों में केवल तीन तल हेतु B+G+1 तलों अथवा भूतल+2 (G+2) तलों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। जिससे वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है तथा आवंटियों के मध्य भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण आवेदकों में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तथा ऑन लाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम(O.B.P.A.S.) में भी मानचित्र रिजेक्शन की संख्या बढ़ रही है।

प्रश्नगत प्रकरण में निम्नवत अवगत कराना है:–

(I) उपविधि–2008 यथासंशोधित 2016 के प्रस्तर 3.4.1 के अनुसार " भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय भवनों में अधिकतम 3 मंजिल निर्माण अनुमन्य होगा जिसकी अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट के साथ 12.50 मीटर तथा स्टिल्ट के बिना 10.50 मीटर होगी।" (अनुलग्नक–1)

<u>सरांश–</u> *बिन्दु संख्या–1 से स्पष्ट है कि भवनों में अधिकतम 3 मंजिल के निर्माण हेतु केवल ऊँचाई की बाध्यता (स्टिल्ट के साथ 12.50 मीटर तथा स्टिल्ट के बिना 10.50 मीटर) है तथा किसी भी भवन की ऊँचाई की माप भूतल से की जाती है जिससे यह स्पष्ट है कि भूखण्डीय विकास में जिन तीन तलों की अनुमन्यता प्रदान की गई है वह भूतल के ऊपर तीन रिहायशी तलों से सम्बन्धित है। स्टिल्ट के साथ 12.50 मीटर ऊँचाई अनुमन्य किये जाने से यह स्पष्ट है कि स्टिल्ट की गणना तलों में नहीं की गई है तथा उक्त नियम में मंजिल से तात्पर्य रिहायशी मंजिलों से है।*

(II) उपविधि–2008 यथासंशोधित 2016 के प्रस्तर 3.9.3(I) के अनुसार 100.00 वर्ग मी0 से अधिक 500.00 वर्ग मी0 तक के आवासीय भवनों में भू–आच्छादन के बराबर तथा वांछित सेटबैक एवं भूखण्ड की सभी सीमाओं से न्यूनतम 2.00 मी0 छोड़कर ही बेसमेंट अनुमन्य किया जा सकता है।(प्रस्तर 3.9.1(III) (अनुलग्नक–2)

(III) उपविधि के प्रस्तर 3.9.3(iv)(क) के अनुसार घरेलू समान, अज्वलनशील पदार्थ या अन्य सामान के भण्डारण हेतु बेसमेंट की गणना F.A.R. में नहीं की जायेगी।

<u>सारांश</u>–*बिन्दु संख्या–2 व 3 से स्पष्ट है कि भवनों में बेसमेंट को भण्डारण हेतु F.A.R. से मुक्त रखा जाता है तथा बेसमेंट रिहायशी तल के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि बेसमेंट रिहायशी उपयोग किया जाता है तो उसकी गणना मंजिल एवं F.A.R. में की जाए।*

(iv) उपविधि में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि बेसमेंट सहित भूतल+2 तलों को स्वीकृत नहीं किया जायेगा, केवल ऊँचाई की बाध्यता(स्टिल्ट के साथ 12.50 मी0/स्टिल्ट के बिना 10.50 मी0) है।

अतः वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग में भूखण्डीय विकास पर आवासीय मानचित्र स्वीकृति के प्रकरणों में समानता की दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

- आवास आयुक्त(म0) की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक–20.04.2018 के कार्यवृत्त (पताका–ग) के अनुसार समिति द्वारा यह मत दिया गया कि "जिस प्रकार आवासीय भूखण्डों में बेसमेंट का प्राविधान पार्किंग एवं स्टोर/भण्डारण हेतु F.A.R से मुक्त एवं 3 मंजिल के अतिरिक्त दिया जाता है, उसी प्रकार बहुआवासीय इकाईयों में भी बेसमेंट का प्राविधान पर्किंग हेतु स्टिल्ट के अतिरिक्त F.A.R से मुक्त प्रदान किया जा सकता है।" (अनुलग्नक–3)

P.T.O.

* आवास आयुक्त(म0) के द्वारा वर्ष 2004 में जारी तकनीकि आदेश संख्या–2494 दिनांक–25.11.2004 (पताका–घ) के अनुसार मंजिल को N.B.C. के अनुसार परिभाषित किया गया है जो कि स्ट्रक्चर डिजाइन के दृष्टिकोण से सही है, परन्तु मानचित्र स्वीकृति में मंजिल से तात्पर्य रिहायशी मंजिलों से है। (अनुलग्नक-5)

अवगत कराना है कि शासन द्वारा निर्धारित उपविधि 2008 यथासंशोधित 2016 परिषद द्वारा अंगीकृत है। ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत की कार्यवाही वर्तमान में लागू उपविधि में निहित प्राविधानों के अनुरूप ही की जानी चाहिए इसी उपविधि में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सभी प्राधिकरणों में भी मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः मानचित्र स्वीकृत में एकरूपता के दृष्टिगत निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है:–

<u>प्रस्तावः–</u>

1. पूर्व में निर्गत परिषद के कार्यालय आदेश संख्या–2494/वि0प्र0–01 दिनांक–25.11.2004 को अतिक्रमित किया जाना है।
2. भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत की कार्यवाही वर्तमान में लागू उपविधि–2008 यथासंशोधित 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत एकल आवासीय भवनों में ऊँचाई की बाध्यता (स्टिल्ट के साथ 12.50 मीटर तथा स्टिल्ट के बिना 10.50 मीटर) के साथ नियमानुसार B+G+2 तलों एवं S+3 तलों में तीन रिहायशी तलों के साथ स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव निदेशक मंडल के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ ~~एवं मुख्य आदेशार्थ~~ प्रस्तुत है।

30/7/18
(अजीत दुबे)
वास्तुविद नियोजक

30/7/18
(ए.के. शुक्ला)
मुख्य वास्तुविद नियोजक

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

3.4 सैट–बैक

3.4.1 आवासीय भवन — भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय भवनों में अधिकतम तीन मंजिल निर्माण अनुमन्य होगा जिसकी अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट के साथ 12.5 मीटर तथा स्टिल्ट के बिना 10.5 मीटर होगी एवं सैट–बैक निम्नवत् होंगे :–

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सैट–बैक (मीटर)			
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व–1	पार्श्व–2
(क) रो–हाउसिंग				
50 तक	1.0	–	–	–
50 से अधिक 100 तक	1.5	1.5	–	–
100 से अधिक 150 तक	2.0	2.0	–	–
150 से अधिक 300 तक	3.0	3.0	–	–
(ख) सेमी–डिटेच्ड				
300 से अधिक 500 तक	4.5	4.5	3.0	–
(ग) डिटेच्ड				
500 से अधिक 1000 तक	6.0	6.0	3.0	1.5
1000 से अधिक 1500 तक	9.0	6.0	4.5	3.0
1500 से अधिक 2000 तक	9.0	6.0	6.0	6.0

(I) पृष्ठ सेट–बैक के 40 प्रतिशत भाग पर अधिकतम 7.0 मीटर की ऊँचाई तक कुल आच्छादन के अन्तर्गत निर्माण अनुमन्य होगा। परन्तु कोने के भूखण्ड में उक्त आच्छादन पार्श्व सैट बैक छोड़ने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा। स्टिल्ट फ्लोर केवल डिटेच्ड भवनों में अनुमन्य होगा, परन्तु ऐसे भवनों में पीछे के सेट–बैक के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

(II) नये सब–डिवीजन में कोने के भूखण्ड में पार्श्व का सैट–बैक सम्बन्धित भूखण्ड के फ्रन्ट सैट–बैक के समान होगा। अन्य क्षेत्रों में यदि ले–आउट प्लान के अन्तर्गत सेट–बैक निर्धारित नहीं है, तो समस्त प्रकृति के निर्माण में 300 वर्गमीटर तक के कोने के भूखण्डों में पार्श्व का न्यूनतम सैट–बैक 1.5 मीटर तथा 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के कोने के भूखण्डों में पार्श्व सैट–बैक उपर्युक्त तालिका के अनुसार होगा।

(III) किसी ब्लाक में भूखण्डों की संख्या विषम होने पर 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्ड में दोनों पार्श्व में सेट बैक छोड़े जाने की आवश्यकता को देखते हुए कोने के भूखण्ड की चौड़ाई तदनुसार अधिक रखी जायेगी। कोने के भूखण्ड हेतु अग्र एवं पृष्ठ भाग के सेट–बैक वही रहेंगे जो उस स्कीम के अन्य भूखण्डों हेतु निर्धारित हैं ताकि 'बिल्डिंग ब्लाक' में एकरूपता रहे।

(IV) नियोजित रूप से विकसित क्षेत्र/योजना में किसी भूखण्ड का सब–डिवीजन अनुमन्य होने की दशा में उप–विभाजित भूखण्डों में सैट–बैक मूल भूखण्ड के अनुरूप होंगे।

(V) विशेष परिस्थिति में कोने के भूखण्ड के साईड सैट–बैक में परिषद बोर्ड द्वारा शिथिलता दी जा सकेगी।

नोट -इटैलिक फौंट, लाल रंग एवं नीले रंग में अंकित पंक्तियाँ क्रमशः २०११,२०१६,२०१७ में जारी संशोधन के अनुसार प्रतिस्थापित।

Prabhavati Suri
A.A.P-6

AAP (Unit-4)
(Alok Verma)

Scanned by CamScanner

3.9 भूगर्भ (बेसमेन्ट)

3.9.1 बेसमेन्ट के प्राविधान

क्र. सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भू–उपयोग की प्रकृति	बेसमेन्ट के प्राविधान
1.	100 तक	1.1 आवासीय / अन्य गैर–व्यवसायिक	अनुमन्य नही
		1.2 कार्यालय एवं व्यवसायिक	भू–आच्छादन का 50 प्रतिशत
2.	101 से अधिक परन्तु 2000 से कम	2.1 आवासीय	भू–आच्छादन का 20 प्रतिशत
		2.2 गैर–आवासीय	भू–आच्छादन के बराबर
3.	2000 एवं अधिक	3.1 ग्रुप हाउसिंग / व्यवसायिक एवं अन्य बहुमंजिले भवन	4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में डबल बेसमेन्ट तथा 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में तीन बेसमेन्ट
		3.2 औद्योगिक	भू–आच्छादन के बराबर, परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ.ए.आर. में होगी
		3.3 सामुदायिक सुविधाएं	'डबल' बेसमेन्ट

बेसमेन्ट के प्राविधान

क्र. सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भू–उपयोग की प्रकृति	बेसमेन्ट के प्राविधान
1.	100 तक	1.1 आवासीय / अन्य गैर–व्यवसायिक	अनुमन्य नही
		1.2 कार्यालय एवं व्यवसायिक	भू–आच्छादन का 50 प्रतिशत
2.	100 से अधिक परन्तु 500 तक	2.1 आवासीय	भू–आच्छादन का 20 प्रतिशत
		2.2 गैर–आवासीय	भू–आच्छादन के बराबर
3.	500 से अधिक परन्तु 1000 तक	3.1 आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्प लाइन तक एक बेसमेन्ट
		3.2 गैर–आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्प लाइन तक दो बेसमेन्ट
4.	1000 से अधिक	3.1 आवासीय / ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, कार्यालय, सामुदायिक सुविधाएं एवं अन्य बहुमंजिले भवन	1000–2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में डबल बेसमेन्ट, 2000–10,000 तक 4 बेसमेन्ट तथा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक में कोई प्रतिबन्ध नही।
		3.2 औद्योगिक	अनुमन्य भू–आच्छादन के बराबर, परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ.ए.आर. में होगी

9.3(IV)	उपरोक्त तालिका के क्रमांक–3 में उल्लिखित समस्त प्रकृति के भू–उपयोगों / भवनों में प्राविधानित बेसमेन्ट को केवल पार्किंग के ही उपयोग में लाया जाएगा, अन्य कोई भी उपयोग निषिद्ध होगा।	प्रस्तर–3.9.1(IV) के प्राविधानों से विरोधाभास होने के कारण इस प्रस्तर को डिलीट किया जाना प्रस्तावित है।

3.9 भू–गेह (बेसमेन्ट)

3.9.1 संरचना/प्रयोजन

(I) बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोईघर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

(II) आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेंट का निर्माण अनुमन्य होगा।

(III) "बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए बगल की सम्पत्तियों से न्यूनतम 2 मी. की दूरी पर अनुमन्य होगा"।

(IV) बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा, अनुमन्य से भिन्न प्रयोजन होने पर बेसमेन्ट की गणना तल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर.) में की जाएगी:–

(क) घरेलू सामान, अज्वलनशील पदार्थ या अन्य सामान का भण्डारण,

(ख) आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डार्करूम, कोषकक्ष, बैंक संलर, आदि,

(ग) वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनें जो भवन की अनिवार्य संरक्षा के लिए लगाई जाएं,

(घ) पार्किंग स्थल और गैराज,

(च) पुस्तकालयों के अज्वलनशील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रुम),

(छ) वातानुकूल होने पर कार्यालय और वाणिज्यिक प्रयोजन, परन्तु इसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी।

3.9.2 बेसमेन्ट के लिए अपेक्षाएं

(I) बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग फर्श से सीलिंग तक न्यूनतम 2.4 मीटर तथा अधिकतम 4.0 मीटर ऊँचा होगा। बेसमेन्ट की ऊँचाई, निर्धारित ऊँचाई से अधिक होने की दशा में बेसमेन्ट के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी।

(II) बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जाएगा। संवातन की कमी यान्त्रिक संवातन द्वारा पूरी की जाएगी और इसके लिए ब्लोअर, एक्जास्ट पंखे अथवा वातानुकूलन प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।

(III) बेसमेन्ट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्यूनतम 0.9 मीटर तथा अधिकतम 1.2 मीटर ऊपर होगी।

(IV) सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाए, इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

(V) आस–पास की मिट्टी और नमी को ध्यान में रखते हुए नमीरोधी उपचार की भी व्यवस्था करनी होगी।

(VI) कार्यालय और वाणिज्यिक उपयोग हेतु बेसमेन्ट में पर्याप्त संख्या में द्वारों का प्राविधान करना होगा ताकि 15 मीटर से अधिक न चलना पड़े।

(VII) स्टिल्ट फलोर के नीचे यदि पार्किंग हेतु बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है अथवा भवन के बाहर पार्किंग हेतु एक्सटेन्डिड बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है, तो बेसमेन्ट की छत भूतल के लेविल में होगी और उसमें मैकेनिकल वैन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी तथा स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन, आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होंगे।

अनुलग्नक -3

अनुलग्नक-2

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011) में संशोधन 2016 के प्रस्तर–26.1 (ii) में निहित प्रविधानों के अंतर्गत परिषद योजनाओं के चिन्हांकन के संबंध में मा0 परिषद की 244वीं बैठक के मद सं0–244/6 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 20.04.2018 का कार्यवृत्त :–

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011) में संशोधन 2016 के प्रस्तर–26.1 (ii) में निहित प्रविधानों के अंतर्गत परिषद योजनाओं के चिन्हांकन के संबंध में मा0 परिषद की 244वीं बैठक के मद सं0–244/6 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 20.04.2018 को आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित थे :–

1. श्री इश्तियाक अहमद : मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
2. श्री ए0के0 शुक्ला : मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. श्री बसंत लाल : निदेशक, गुण नियंत्रण एवं परिकल्पना वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
4. श्री नितिन मित्तल : मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
5. श्री ए0के0 मिश्रा : नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग।
6. श्री ज्योति प्रसाद : नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण।
7. श्री टी0पी0 सिंह : नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
8. श्री विनोद कुमार उटा : संयुक्त नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर।
9. श्री अजीत कुमार दुबे : वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
10. श्री अरविन्द देव : वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
11. श्री आर0वी0 सिंह : सहा0 अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ।
12. श्रीमती रेखा दीक्षित : सहा0 वा0 नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
13. श्री आलोक कुमार वर्मा : सहा0 वा0 नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

बैठक में विषयांकित प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुगी। गहन विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा यह मत स्थिर किया गया कि परिषद योजनाओं में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011) में संशोधन 2016 के अध्याय–26 में निहित प्राविधानों में निम्न आंशिक संशोधनों सहित अंगीकृत किया जाना उचित होगा :–

क्रमांक	योजना की स्थिति	प्रस्तावित संशोधन
1	विकसित/निर्मित योजनाएँ	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300.0 व0मी0 एवं भूखण्ड के सम्मुख स्थित सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मी0 होना अनिवार्य है।
2	अविकसित योजनाएँ	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011) संशोधन 2016 में निहित प्राविधानों को यथावत रखते हुए भूखण्ड के सम्मुख स्थित सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मी0 होना अनिवार्य है।

..........2

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय 3.4 में भूखण्डीय विकास के अंतर्गत आवासीय भवनों में अधिकतम तीन मंजिल निर्माण किए जाने की अनुमन्यता है जिसकी अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट के साथ 12.50 मी0 तथा स्टिल्ट के बिना 10.50 मी0 निर्धारित की गई । बैठक में बहु–आवासीय इकाईयों में बेसमेंट दिए जाने पर चर्चा हुई। समिति द्वारा यह मत दिया गया कि जिस प्रकार आवासीय भूखण्डो में बेसमेंट का प्राविधान पार्किंग व स्टोर/भण्डार हेतु एफ0ए0आर0 से मुक्त एवं तीन मंजिल के अतिरिक्त दिया जाता है, उसी प्रकार बहु–आवासीय इकाईयों में भी बेसमेंट का प्राविधान पार्किंग हेतु स्टिल्ट के अतिरिक्त एफ0ए0आर0 से मुक्त प्रदान किया जा सकता है।

उपरोक्त के साथ बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरविन्द देव)
नोडल अधिकारी/वास्तुविद नियोजक
इकाई–3, 7

(ए0के0 शुक्ला)
मुख्य वास्तुविद नियोजक

(धीरज साहू)
आवास आयुक्त

अनुलग्नक -5

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

(U.P. HOUSING & DEVELOPMENT BOARD)

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

पत्र सं0 2494/नि0प्र0-1 दि0 25.11.04

<u>तकनीकी सर्कुलर</u>

भवन निर्माण उपविधि 2000 के अनुसार एकल आवासीय भवनों हेतु अधिकतम तीन मंजिल अनुमन्य है तथा इसी आधार पर कार्यालय आदेश सं0 2710/नि0प्र0-1/2001 दिनांक 15.10.01 जारी किया गया था जिसमें यह उल्लिखित है कि यदि किसी भवन में बेसमेंट प्रस्तावित किया जाता है तो बेसमेंट के ऊपर भूतल व प्रथम तल ही अनुमन्य होगा एवं बरसाती तल अनुमन्य नहीं होगा।

कतिपय आवंटियों के द्वारा बेसमेंट व स्टिल्ट को ' मंजिल ' न मानते हुए इस निर्माण को तीन मंजिल के अतिरिक्त अनुमन्य किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि नेशनल बिल्डिंग कोड-83 में मंजिल (स्टोरी) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

The portion of a building included between the surface of any floor and the surface of the floor next above it, or if there be no floor above it, then the space between any floor and the ceiling next above it.

इसके अतिरिक्त बेसमेंट को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

The lower storey of a building below or partly below ground level.

उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बेसमेंट तथा स्टिल्ट ' मंजिल ' की श्रेणी में आता है एवं तदनुसार दि0 15.10.01 को जारी कार्यालय आदेश भवन निर्माण उपविधि-2000 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप है।

उपरोक्तानुसार बेसमेंट तथा स्टिल्ट को ' मंजिल ' मानते हुए कुल मंजिलों की गणना करते हुए मानचित्र स्वीकृति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(विद्यानन्द गर्ग)
आवास आयुक्त

पृ0सं0 2494 / . तद दिनांक 25/11/04

प्रतिलिपि :

1 अपर आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव।
2 मुख्य अभियंता।
3 वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक/समस्त अधीक्षण अभियंता।
4 समस्त वास्तुविद नियोजक/प्रभारी अधिकारी।
5 तकनीकी कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(सुबोध शंकर)
मुख्य वास्तुविद नियोजक

मद संख्या–**246/22**

<u>वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग</u>

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषय –भूखण्ड संख्या–सी–678, प्रहलादपुरी योजना, (नगेहटा रोड़) हरदोई का भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक मे परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

कृपया माननीय परिषद निदेशक मण्डल को अवगत कराना है कि श्री नरेश अग्रवाल पुत्र श्रीश चन्द्र अग्रवाल द्वारा पत्र दिनांक 12.07.2018 (अनुलग्नक–1) के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि *"मुझे आवास विकास परिषद से प्रहलादपुरी योजना हरदोई में आवासीय भूखण्ड सं0–सी–678, आवंटित है जिसका कुल क्षेत्रफल–377.0 वर्गमी0 है जो 18.00 मीटर चौडी सड़क पर स्थित है।*

उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मेरे उक्त भूखण्ड के आस–पास कई व्यवसायिक दुकाने/शोरूम पहले से ही अवैध तरीके से चल रही है। मैने अपने निजी व्यवसाय चलाने हेतु उक्त भूखण्ड को सरकारी नियमों के अनुसार देय फीस आदि चुकाने के उपरान्त व्यसायिक भू–उपयोग में परिवर्तित कराना चाहता हूँ। उक्त के लिए जो भी शुल्क, निमय–शर्ते होगी उसका पालन करने हेतु सहमति देता हूँ।

उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि कृपया आवासीय भूखण्ड का भू–उपयोग व्यवसायिक में परिवर्तित कराने की अग्रिम कार्यवाही शीघ्र कराने का कष्ट करे जिसके लिए परिषद की सभी नियम शर्ते मुझे मान्य होगी।"

भूखण्ड संख्या–सी–678, प्रहलादपुरी योजना हरदोई का भू–उपयोग आवासीय में व्यवसायिक करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

1. भूखण्ड संख्या–सी–678, प्रहलादपुरी योजना के अन्तर्गत नगेहटा रोड़ पर स्थित है। भूखण्ड कार्नर का है जिसमें भूखण्ड का फ्रन्ट (स्वीकृत ले–आउट के अनुसार) के नगेहटा रोड 45.0 मी0 चौड़ी तथा दाहिने हाथ पर 12.0 मी0 चौड़ी सड़क है।
2. प्रश्नगत भूखण्ड स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार 45.0 मी0 चौड़ी सड़क पर स्थित है। समान्यतः परिषद योजनाओं में 24.0 मी0 चौड़े मार्ग पर व्यवसायिक सम्पत्तियों का नियोजन किया जाता है। उपविधि–2008 के प्रस्तर 2.3.2 के अनुसार किसी भी अनावासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु रोड की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मी0 आवश्यक है।(अनुलग्नक–2)
3. वार्तमान में भू–उपयोग की कार्यवाही भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली–2014 के अनुसार प्रकरण परिषद/बोर्ड की संस्तुति उपरान्त धारा–13

की कार्यवाही करते हुए निर्धारित शुल्क जमा के उपरान्त किए जाने का प्राविधान है। (अनुलग्नक–3)

4. वर्तमान में बोर्ड द्वारा (233/26) अंगीकृत भू उपयोग परिवर्तन नियमावली 2014 में किसी क्षेत्र का भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसमें अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(1) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधनों से भिन्न संशोधनों के लिए प्रक्रिया बिन्दु सं0–5 (3) पर अंकित की गई है।(अनुलग्नक–4)

<u>प्रस्ताव :–</u>

1. प्रश्नगत भूखण्ड संख्या–सी–678 मुख्य नगेहटा सड़क जो कि स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार 45.0 मी0 चौड़ी सड़क पर स्थित होने के कारण, उसका स्वरूप आवासीय से परिवर्तित कर व्यवसायिक किए जाने पर विचार किया जा सकता है।
2. प्रश्नगत भूखण्ड को आवासीय से व्यवसायिक किए जाने में यातायात एवं पार्किंग की समस्या के दृष्टिगत स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार 45.0 मी0 चौड़ी सड़क पर भूखण्ड का फ्रन्ट होने के कारण यातायात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उपविधि 2008 याथसंशोधित–2011 में संशोधन 2016 के नियमानुसार भूखण्ड में पार्किंग देय होगी।
3. परिवर्तित भूखण्ड के फ्रन्ट में 9.1 मी0 सेट बैक छोडना सुनिश्चित किया जाना होगा तथा भूखण्ड के अग्रभाग में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
4. भू–उपयोग परिवर्तन इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जा सकता है कि भूखण्ड पर व्यवसायिक गतिविधियॉ स्वीकृत करने के लिए नियमानुसार उपविधि–2008 याथसंशोधित–2011 में संशोधन 2016 लागू होगा।

अतः प्रस्ताव यह है कि प्रश्नगत प्रकरण में निदेशक मण्डल की वीं बैठक में उपरोक्त शर्तो के अधीन परिषद की प्रहलादपुरी योजना, (नगेहटा रोड) हरदोई में स्थित भूखण्ड संख्या–सी0–678 का अनुमन्य भू–उपयोग आवासीय के स्थान पर व्यवसायिक अनुमन्य किये के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहें। अतः विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

16/8/18
(गोपाल कुमार गर्ग)
वास्तुविद नियोजक
ईकाई–6

20/8/18
(ए0के0 शुक्ला)
मुख्य वास्तुविद नियोजक

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

NARESH AGRAWAL
MEMBER OF PARLIAMENT
(RAJYA SABHA)
Member : Standing Committee Finance.
Member : Consultative Committee Steel.
Member : Consultative Committee Railway.

सत्यमेव जयते

6 - Tuglak Lane
New Delhi
Tel. : 011-23795224, 23795225

Date 12/7

R-680
03/08/18

CAP
pl. do the needful as per existing norms
30/7/18

आवास आयुक्त,
उत्तर-प्रदेश आवास विकास परिषद,
104, महात्मा गांधी मार्ग,
लखनऊ।

विषयः-भूखण्ड संख्या सी-978, प्रहलाद पुरी योजना हरदोई का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बधं में। आवास आयुक्त

12474

महोदय,

उपरोक्त निवेदन करना है कि मुझे आवास विकास परिषद से प्रहलाद पुरी योजना हरदोई में आवासीय भूखण्ड संख्या-सी-678, आवंटित है जिसका कुल क्षेत्रफल 377.00 व0मी0 है जो 18.00 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है।

चूंकी मेरे उक्त भूखण्ड के आस-पास कई व्यवसायिक दुकानें/शेरूम पहले से ही अवैध तरीके से चल रही है। मै अपने निजी व्यवसाय चलाने हेतु उक्त भूखण्ड को सरकारी नियमों के अनुसार देय फीस आदि चुकाने के उपरान्त व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित कराना चाहता हूँ। उक्त के लिए जो भी शुल्क, नियम-शर्ते होंगी उसका पालन करने हेतु सहमति देता हूँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आवसीय भूखण्ड का भू-व्यवसायिक में परिवर्तित कराने की अग्रिम कार्यवाही शीघ्र कराने का कष्ट करें जिसके लिए परिषद की सभी नियम नियम शर्ते मुझे मान्य होगी।

संलग्नकः-उपरोक्त
दिनांकः12 जुलाई2018

(नरेश अग्रवाल)
पुत्र श्रीश चन्द्र अग्रवाल
बी-988, सेक्टर-ए,
महानगर, लखनऊ ।

AP-6
1/8/18

AAP
6/8/18

Scanned by CamScanner

2.3 सड़कें

2.3.1 आवासीय भू–उपयोग

आवासीय भू उपयोग के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत किया जाएगा :

(I) 200 मीटर तक लम्बे पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी, तथा 201-400 मीटर तक 12 मीटर, 401–600 मीटर तक 18 मीटर एवं 601–1000 मीटर तक 24 मीटर तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर होगी।

(II) 'लूप–स्ट्रीट' की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर तथा अधिकतम लम्बाई 400 मीटर होगी।

(III) पार्क/खुले स्थल से सटी हुई सर्विस रोड तथा ऐसी सड़क जिसके केवल एक ओर ही भूखण्ड प्रस्तावित हों की चौड़ाई 7.5 मीटर रखी जा सकती है, जिसकी अधिकतम लम्बाई 200 मीटर होगी।

(IV) 9 मीटर चौड़ा मार्ग जो सीधा हो तथा एक छोर से बन्द हो (डेड–एण्ड–स्ट्रीट), वहाँ मोड़ के लिए न्यूनतम 7.5 मीटर के अर्द्ध व्यास वाले पर्याप्त क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी और ऐसी सड़क की अधिकतम लम्बाई 100 मीटर होगी। परन्तु 25 मीटर तक लम्बाई की 'डेड-एण्ड-स्ट्रीट' में 'कल-डी-सैक' की आवश्यकता नहीं होगी।

(V) बल्क सेल के रूप में आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 50 एकड़ तक होने पर पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24 मी. एवं 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 30 मी. होगी तथा योजनान्तर्गत आन्तरिक मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मी. होगी।

टिप्पणी:

(I) उप–विभाजन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर से कम होने पर पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी।

(II) दुर्बल/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु विशिष्ट आवासीय योजनाओं में उक्त आय वर्गों के आवासों के निर्माण हेतु परिषद द्वारा विकास अनुज्ञा दिए जाने पर वाहनों के उपयोग में आने वाले मार्ग न्यूनतम 6 मीटर चौड़े होंगे। पैदल मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मार्ग के एक ओर भूखण्ड तथा दूसरी ओर खुला स्थान होने पर 3 मीटर तथा दोनों ओर भूखण्ड होने पर न्यूनतम चौड़ाई 4.5 मीटर होगी। 3 मीटर चौड़े मार्ग की अधिकतम लम्बाई 50 मीटर तथा 4.5 मीटर चौड़े मार्ग की अधिकतम लम्बाई 80 मीटर होगी। कोई भी आवासीय इकाई 9 मीटर चौड़े मार्ग से 150 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगी।

(III) अन्य मार्गों की चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान में निर्धारित चौड़ाई के अनुसार होगी।

2.3.2 अनावासीय भू–उपयोग

(I) अनावासीय क्षेत्र यथा व्यवसायिक, कार्यालय एवं औद्योगिक भू–उपयोग में किसी भी सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी, जिसकी लम्बाई अधिकतम 200 मीटर होगी। 201 से 400 मीटर लम्बी सड़क की चौड़ाई 18 मीटर होगी और 401 से 1000 मीटर तक लम्बी सड़क की चौड़ाई 24 मीटर होगी तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बी सड़क की चौड़ाई 30 मीटर होगी।

(II) अन्य मार्गों की चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान में निर्धारित चौड़ाई के अनुसार होगी।

2.3.3 सड़कों के संगम

(I) यथा सम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेंगी तथा क्रास जंक्शन पर समस्त सड़कों की मध्य रेखाओं का 'एलाइन्मेंट' एक सीध में होगा।

(II) 30 डिग्री से कम के कोण पर प्रस्तावित सड़कों की अनुज्ञा तभी दी जाएगी, जब यातायात के परिचालन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो और आवश्यक 'वीविंग लेन्थ' उपलब्ध हो।

(III) सड़कों के जंक्शन्स इण्डियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार होंगे।

(IV) 18 मीटर तक चौड़ी सड़कों (मेटल भाग) के मिलन बिन्दु पर न्यूनतम 4.5 मीटर

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–2281/8–3–14–194 विविध/14
लखनऊ : दिनांक 11 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 38–क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा–55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रकाशित होगी।

(3) यह समस्त विकास क्षेत्रों पर लागू होगी।

परिभाषायें

2–(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है;

(ख) "आवेदक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा–13 के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति से है;

(ग) 'सर्किल रेट' का तात्पर्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन सम्बन्धित क्षेत्र में भूमि के सव्यवहार पर स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित रेट से है;

(घ) "टेलिस्कोपिक आधार" का तात्पर्य नियम–4 के अधीन दिये गये दृष्टांत के अनुसार की गयी गणना से है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

भू–उपयोग परिवर्तन

3– यदि किसी विकास क्षेत्र में, किसी भूमि विशेष का

शुल्क का उद्ग्रहण (धारा–38क की उप–धारा–1)

भू–उपयोग परिवर्तन अधिनियम की धारा–13 के अधीन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किया जाता है, तो प्राधिकरण संबंधित भू–स्वामी से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, विहित प्रक्रिया के अनुसार और नियम–4 में उल्लिखित रेट पर उद्गृहीत करने का हकदार होगा:

परन्तु यह कि भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क निम्न परिस्थितियों में उद्गृहीत नहीं किया जायेगा:–

(एक) जहां किसी भूमि विशेष का भू–उपयोग परिवर्तन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप हुआ हो;

(दो) जहां भूमि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय की हो।

(तीन) जहां पर पूर्ण या आंशिक रूप से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान को अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है, तो भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क उद्गृहीत नहीं होगा।

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं उसकी दर (धारा–38क की उपधारा–1)

4–(1) भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को उस भूमि विशेष के सर्किल रेट से गुणा करके तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची–"क" में नीचे उल्लिखित गुणांक के आधार पर किया जायेगा:–

भूमि खण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेअर)	गुणांक
0.25 तक	1.0
0.25 से अधिक और 1.0 तक	0.9
1.0 से अधिक और 5.0 तक	0.8
5.0 से अधिक और 10.0 तक	0.7
10.0 से अधिक	0.6

नोट :

(एक) भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना टेलिस्कोपिक आधार पर की जायेगी अर्थात 15.0 हेक्टेयर के भूखण्ड के लिए भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना निम्नवत् की जायेगी:–

((0.25x1)+(1-0.25)x0.9+(5-1)x0.8+(10-5)x0.7+(15-10)x0.6) x सर्किल रेट x लागू प्रतिशत, जैसा

अनुसूची 'क' में दिया गया है।

(दो) भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर सर्किल रेट में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(2) प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना, प्राधिकरण बोर्ड के अन्तिम विनिश्चय के दिनांक को लागू विद्यमान भू–उपयोग हेतु प्रवृत्त सर्किल रेट को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।

<u>स्पष्टीकरण :</u>

यदि किसी क्षेत्र विशेष में एक से अधिक सर्किल रेट लागू हैं, तब भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना विद्यमान भू–उपयोग के आधार पर किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी क्षेत्र में कृषि एवं आवासीय भूमि का अलग–अलग सर्किल रेट है और विद्यमान भू–उपयोग कृषि है, तब कृषि भूमि का सर्किल रेट लागू होगा। समान रूप से यदि विद्यमान भू–उपयोग आवासीय है तो आवासीय सर्किल रेट लागू होगा। यदि वहां पर केवल एक सर्किल रेट है, तो वही रेट लागू होगा।

(3) यदि निम्नलिखित भू–उपयोग हेतु सर्किल रेट उपलब्ध नहीं है, तो उसकी गणना नीचे दिये गये सूत्र के माध्यम से किया जायेगा:–

भू–उपयोग	सूत्र
(क) सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधायें	0.75xA+0.25xR
(ख) यातायात एवं परिवहन	0.50xA+0.50xR
(ग) औद्योगिक	0.25xA+0.75xR
(घ) कार्यालय	0.50xR+0.50xC
(ड.) मिश्रित उपयोग	0.25xR+0.75xC

जहां :

A – कृषि भूमि का सर्किल रेट है
R – आवासीय भूमि का सर्किल रेट है
C – व्यावसायिक भूमि का सर्किल रेट है

पयोग परिवर्तन की य (धारा—13)

5–(1) आवेदक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के समक्ष इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा:–

(क) भूमि का विवरण (जैसा भी हो)

(एक) अविकसित क्षेत्र की स्थिति में, राजस्व ग्राम, तहसील, जिले का नाम, गाटा संख्या, गाटावार क्षेत्रफल और 1:4000 स्केल पर सजरा मैप।

(दो) निर्मित/विकसित क्षेत्र की स्थिति में, प्लाट संख्या, क्षेत्रफल, हेक्टेयर में और स्थानीय क्षेत्र का नाम एवं 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा।

(ख) स्वामित्व/विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति।

(ग) यथास्थिति प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास क्षेत्र में भू-उपयोग।

(घ) परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग।

(ड.) आवेदन शुल्क रु0 1,000/- प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिए, न्यूनतम रु0 1000/- के अधीन रहते हुए।

(2) आवेदन पत्र की संवीक्षा के पश्चात्, यदि प्राधिकरण की राय में संशोधन अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा:-

(क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को अपने बोर्ड की बैठक में युक्तियुक्त निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा।

(ख) आवेदन पत्र के अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (3) के अनुसार सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की न्यूनतम अवधि सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होगी।

(ग) प्राप्त आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हो, पर उनकी अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति की आख्या और संस्तुति को अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) उप नियम-ग के अधीन अनुमोदन की दशा में,

प्राधिकरण भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना करेगा और उसका भुगतान करने के लिए आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

(3) अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा:-

(क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को युक्तियुक्त निर्णय के लिए अपने बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(ख) अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण प्रस्ताव को अपनी संस्तुति के साथ बोर्ड के निर्णय के दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(ग) राज्य सरकार की सहमति के पश्चात् प्राधिकरण अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) के अनुसार सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की न्यूनतम अवधि सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होगी।

(घ) आपत्तियों और सुझाओं, यदि कोई हो, पर उनकी अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति की आख्या और संस्तुति को अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना।

(ङ.) प्राधिकरण अपनी संस्तुति को बोर्ड के निर्णय के दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(च) राज्य सरकार अपने निर्णय के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करेगा और तद्नुसार प्राधिकरण आवेदक को सूचित करेगा।

(छ) उप धारा-(च) के अधीन अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की धनराशि की गणना करेगा और उसका भुगतान

करने के लिए आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान (धारा–38 क की उपधारा(1)

6–(1) आवेदक मांग नोटिस जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर भू–उपयोग परिवर्तन की सम्पूर्ण रकम देने का दायी होगा:

परन्तु यह कि प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान की अनुज्ञा चार त्रैमासिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ दे सकता है, जो इस शर्त के अधीन होगी कि आवेदक को एक वर्ष के भीतर पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे भुगतान के लिए एक और वर्ष दे सकता है।

(2) यदि आवेदक यथास्थिति, नियत अवधि या बढ़ायी गयी अवधि के भीतर भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो दी गयी अनुज्ञा व्यपगत समझी जायेगी।

भू–उपयोग परिवर्तन का प्रकाशन (धारा–13 की उपधारा–4)

7– (1) अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकृति के संशोधन के लिए प्राधिकरण आवेदक द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने के पश्चात्, अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(4) के अनुसार उक्त संशोधन को सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और आवेदक को भी सूचित करेगा। प्राधिकरण, राज्य सरकार को ऐसे संशोधन के प्रवृत्त होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर उक्त संशोधन के पूर्ण विवरण की आख्या राज्य सरकार को देगा।

(2) अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(3) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए प्राधिकरण, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक द्वारा जमा किए जाने के पश्चात् उसकी सूचना राज्य सरकार को प्रदान करेगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, राज्य

सरकार अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(4) के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करेगी।

अवस्थापना विकास निधि (धारा–38क की उपधारा–(1))	8–	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी सम्पूर्ण धनराशि एक पृथक बैंक खाते में जमा की जायेगी, जिसे ''अवस्थापना विकास निधि'' के रूप में जाना जायेगा।
भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का वार्षिक विवरण (धारा–38क की उपधारा–(1))	9–	प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पूर्ववर्ती वर्ष हेतु भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में एक विवरण प्राधिकरण बोर्ड को उपलब्ध करायेगा, जिसमें प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी कुल धनराशि की सूचना एवं उसके उपयोग से संबंधित ब्यौरे होंगे। यथासंभव, यह विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण बोर्ड की होने वाली प्रथम बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा और इसकी प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जायेगी।

2– प्रदेश में शहरी नियोजन के कार्य हेतु 27 विकास प्राधिकरणों के अतिरिक्त 05 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद (जो वर्तमान में 54 नगरों में कार्यरत है) तथा 74 विनियमित क्षेत्र भी घोषित/गठित हैं, अतः प्रश्नगत नियमावली (अंग्रेजी संस्करण सहित) को उक्त अभिकरणों द्वारा अपने–अपने अधिनियमों के अधीन विहित प्रक्रियानुसार अंगीकृत किया जायेगा।

3– भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत निम्न शासनादेश अवक्रमित समझे जायेंगे:–

(i) शासनादेश सं0–3712/9–8–3–2000–26एल.यू.सी./91, दिनांक 21.8.2001
(ii) शासनादेश सं0–473/9–अ–3–26एल.यू.सी./91, दिनांक 04.02.2002
(iii) शासनादेश सं0–3351/9–अ–3–2004–12 वि./2004, दिनांक 23.08.2004
(iv) शासनादेश सं0–4988/8–3–2006–05 महा/2005, दिनांक 18.10.2006
(v) शासनादेश सं0–204/8–3–09–20 एल.यू.सी./91, दिनांक 21.01.2010
(vi) शासनादेश सं0–1735/8–1–2010–38 विविध/10, दिनांक 23.04.2010

संलग्नक : नियम–4 में उल्लिखित अनुसूची 'क'।
नियम–5(1) में उल्लिखित आवेदन पत्र।

सदा कान्त
प्रमुख सचिव

संख्या : (1)/ 8–3–14–194 विविध/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट मे दिनांक: दिसम्बर, 2014 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करायें तथा गजट की मुद्रित 01–01 प्रतियां सम्बंधित अधिकारियों एवं शासन को 10 प्रतियां उपलब्ध करायी जाये।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
संयुक्त सचिव

संख्या : 2781 (2)/ 8–3–14–194 विविध/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महा निरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार–प्रसार हेतु।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव

अनुसूची 'क'
(नियम–4 देखें)

क्र. सं.	विद्यमान भू–उपयोग	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, सर्किल रेट के प्रतिशत के रूप में					
		प्रस्तावित भू–उपयोग					
		सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन भी हैं।	औद्योगिक	आवासीय	कार्यालय	मिश्रित	व्यावसायिक
	1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि, पार्क, खुले स्थान एवं ग्रीन बेल्ट	20%	35%	50%	100%	125%	150%
2.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन	कुछ नहीं	20%	40%	75%	100%	125%
3.	औद्योगिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%	75%	90%	110%
4.	आवासीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	50%	75%	100%
5.	कार्यालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	30%	50%
6.	मिश्रित	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%
7.	व्यावसायिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन

नियम–5(1)

[redacted]वा में,

उपाध्यक्ष,

[redacted] ....विकास प्राधिकरण,

....

[redacted]य: भू–उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन।

[redacted] मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा...(प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना में भू–उपयोग) से भूखण्ड/गाटा के...(प्रस्तावित [redacted]उपयोग परिवर्तन) के रूप में उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसके साथ दिये [redacted]ये विवरण निम्नवत् हैं:--

[redacted] राजस्व ग्राम/तहसील और जिले का नाम..

[redacted] भूमि का विवरण :–

क्र.सं.	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1		
2		
3		
4		
5		
	कुल क्षेत्रफल	

1:4000 स्केल पर सजरा मैप, जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित गाटा संख्या प्रदर्शित हो या 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि प्रदर्शित हो, जो भी लागू हो (सजरा मैप/स्थल नक्शा की प्रति संलग्न करें)

मूल नक्शा, जिसमें प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित स्थल की अवस्थिति और विद्यमान भू–उपयोग प्रदर्शित हो (प्रति संलग्न करें)

डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..........................दिनांक..............................को.................................... (बैंक का नाम) पर रुपये........................(रुपये..मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में आहरित।

[redacted] (रुपये 1000/– हेक्टेयर या उसके भाग के लिए न्यूनतम रुपये 1000/– के अधीन रहते हुए)

(च) विक्रय विलेख की छायाप्रति (संलग्न करें)।

[redacted]) कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो।

[redacted] मैं/हम एतद्द्वारा लागू नियमों के अनुसार प्राधिकरण को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता हूं/करते हैं।

[redacted]लग्नक–

[redacted]

(2)

[redacted]

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

....

....

हस्ताक्षर एवं दिनांक

(सदा कान्त)

प्रमुख सचिव

RY/Land Use Conversion Niyamavali

R- 709
20/08/18

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–12
ऑफिस काम्पलेक्स–द्वितीय तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
email – cd12lko@upavp.com

पत्र सं0– 2186/ A-10 / 123 दिनांक– 16-8-18

सेवा में,

वास्तुविद नियोजक,
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–6,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

विषयः **भूखण्ड सं0 सी–678, प्रहलादपुरी योजना हरदोई का आवासीय से व्यवसायिक के परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 2101/वा0नि0–6 दिनांक 6.8.2018 द्वारा वांछित बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:–

1. आवासीय भूखण्ड सं0 सी–678, प्रहलादपुरी योजना हरदोई की स्थिति ले आउट लान पर अंकित कर संलग्न प्रेषित है।
2. प्रश्नगत भूखण्ड के सन्निकट परिषद के भूखण्डों पर व्यवसायिक गतिविधियॉ नहीं चल रही है। प्रश्नगत भूखण्ड योजना के बाहरी किनारे पर स्थित है जिसके आसपास पुरानी आबादी है, जिनमें कुछ का व्यवसायिक उपयोग हो रहा है।
3. प्रश्नगत भूखण्ड कार्नर भूखण्ड है जिसके सामने 45.00 मीटर चौड़ी नगेहटा रोड जो रेलवे स्टेशन से जिन्दवीर चौराहा होते हुए सिनेमा चौराहे को जाती है, स्थिति है तथा किनारे 12.00 मी0 चौड़ी सड़क है। इसके बगल में भूखण्ड अनिर्मित है।
4. प्रश्नगत भूखण्ड की स्थिति बिन्दु सं0–1 के अनुसार ले आउट प्लान पर अंकित है। हरदोई महायोजना–2011 में यह क्षेत्र आवासीय(आर–2) अंकित है। (मास्टर प्लान मानचित्र की प्रति संलग्न है)

उपरोक्त के दृष्टिगत सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार व्यवसायिक भू–उपयोग परिवर्तन में कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(इं0 एच0एस0शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

AP-6
20/8/18

पृ0सं0: / / दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. सहायक अभियन्ता, उपखण्ड–हरदोई/श्री नरेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड–12, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता

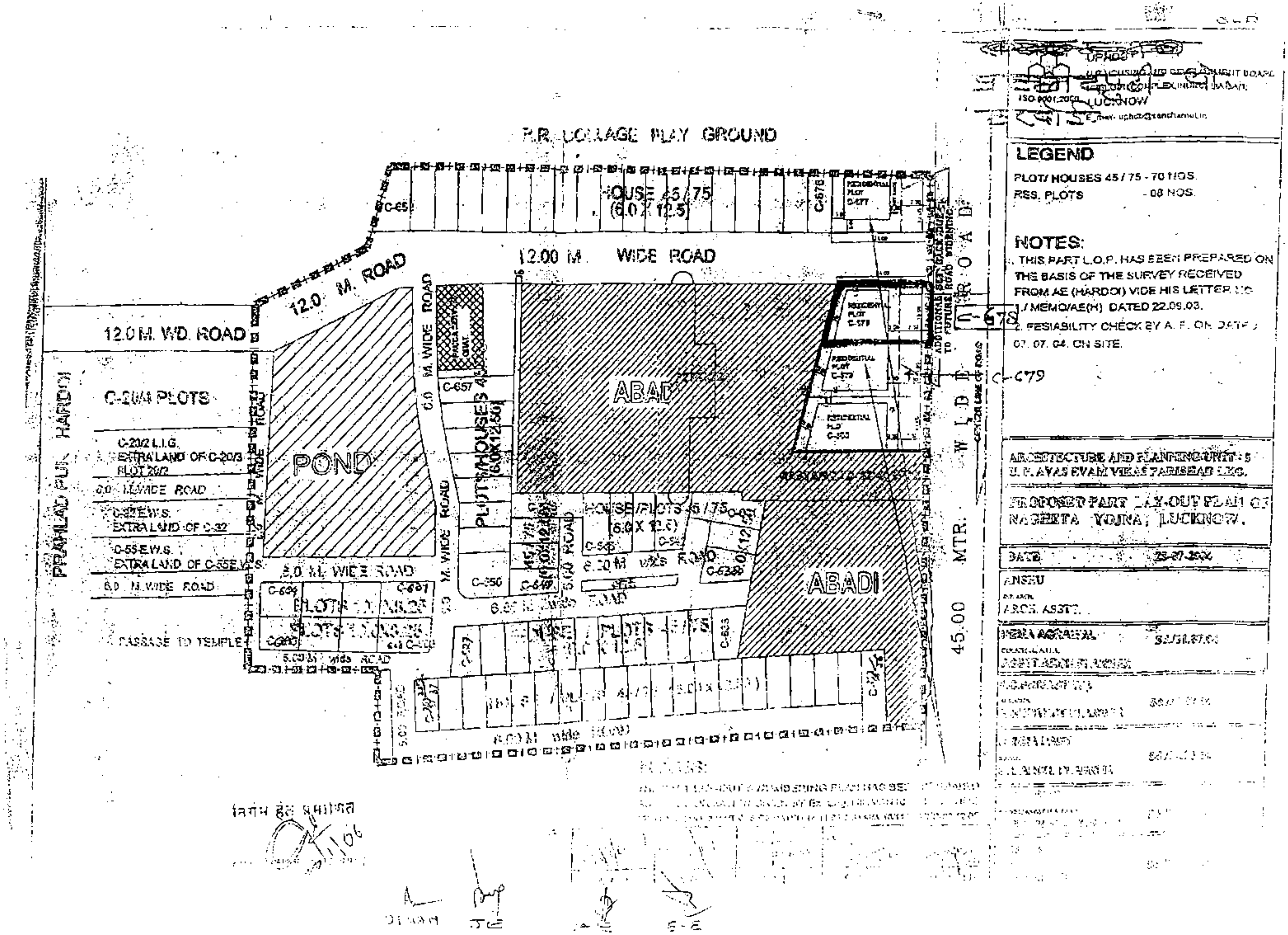

UPHDB
LUCKNOW
LEGEND
PLOT/ HOUSES 45 / 75 - 70 NOS.
RES. PLOTS - 08 NOS.
NOTES:
1. THIS PART L.O.P. HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF THE SURVEY RECEIVED FROM AE (HARDOI) VIDE HIS LETTER NO. 1 / MEMO/AE(H) DATED 22.09.03.
2. FESIABILITY CHECK BY A. E. ON DATE 07. 07. 04. ON SITE.
ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT - 5
U. P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LKO.
PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF NAGEETA YOJNA, LUCKNOW.
DATE
ANSHU
ARCH. ASSTT.
P.R. COLLAGE PLAY GROUND
HOUSE 45 / 75 (6.0 X 12.5)
12.00 M. WIDE ROAD
12.0 M. ROAD
12.0 M. WD. ROAD
PRAHLAD PUR HARDOI
C-20/4 PLOTS
C-20/2 L.I.G.
EXTRA LAND OF C-20/3
PLOT 20/2
6.0 M. WIDE ROAD
C-32 E.W.S.
EXTRA LAND OF C-32
C-55 E.W.S.
EXTRA LAND OF C-55 E.W.S.
6.0 M. WIDE ROAD
PASSAGE TO TEMPLE
POND
ABADI
ABADI
6.0 M. WIDE ROAD
PLOTS/HOUSES 45/75 (6.0X12.50)
HOUSE/PLOTS 45 / 75 (6.0 X 12.5)
6.00 M. WIDE ROAD
5.00 M. wide ROAD
6.00 M. wide ROAD
45.00 MTR. WIDE ROAD
C-657
C-650
C-649
C-678
C-679
C-694
C-691
C-690
C-627
C-633
निर्णय हेतु प्रस्तावित
JE

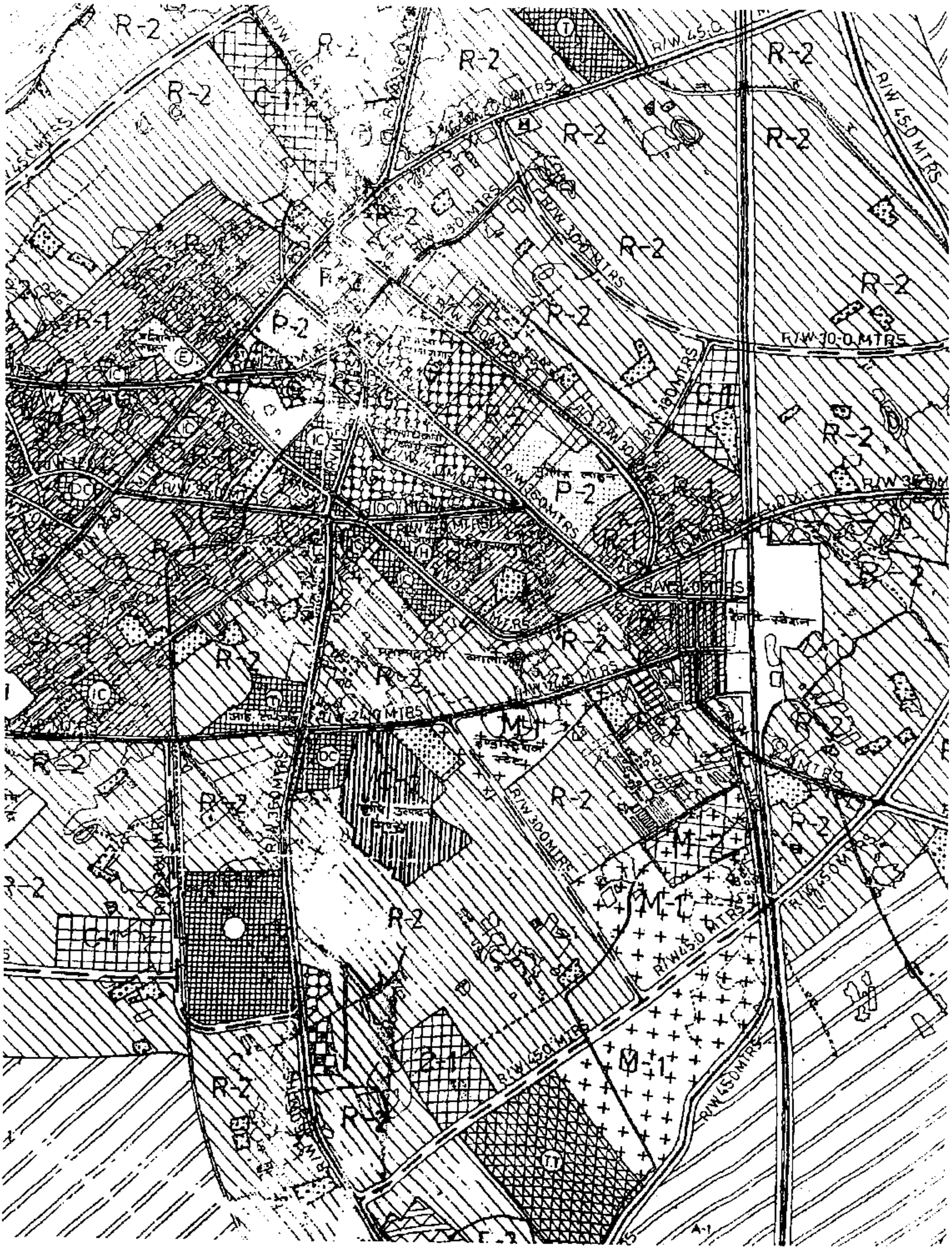

Scanned by CamScanner

मद संख्या 246/23
विधि अनुभाग

परिषद हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषय : **अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 82 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**

परिषद के विकास क्षेत्रों में परिषद की बिना अनुमति के अनाधिकृत निर्माण कर लिये जाते है। यद्यपि आवस एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा–82 के अधीन कार्यवाही करके उनके ध्वस्तीकरण का प्रयास किया जाता है परन्तु पर्याप्त मात्रा में अनाधिकृत निर्माण हो जाने के पश्चात उसके ध्वस्तीकरण करने में व्यवहारिक कठिनाई आती है एवं प्रभावित व्यक्तियों द्वारा व्यवधान डालने के साथ मा0 न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाते हैं जिसके कारण अनाधिकृत निर्माण को हटाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परिषद अधिनियम की धारा–84 में मात्र इन्ट्री का अधिकार दिया गया है। यदि अनाधिकृत निर्माण होने के साथ ही उक्त निर्माण को सीलबन्द कर दिया जाये तो ऐसी दशा में आगे अनाधिकृत निर्माण होने की संभावना क्षीर्ण हो जायेगी। उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 में अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द किये जाने हेतु कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

अतः परिषद की आवश्यकता को देखते हुए उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा–82 में अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द करने के सम्बन्ध में संशोधन का प्रस्ताव परिषद की 222वीं बैठक दिनांक 6.2.2013 में प्रस्तुत किया गया। परिषद बैठक दिनांक 6.2.2013 में उक्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

बोर्ड द्वारा स्वीकृत उक्त प्रस्ताव में विधिक राय के अनुरूप कतिपय संशोधन प्रस्तावित किये गये है जिससे भविष्य में अनाधिकृत/अतिक्रमण को हटाये जाने/सीलबन्द किये जाने में कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न न हो ।

उक्त के कम में आवास आयुक्त (म0) के आदेशान्तर्गत उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा–82 में अनाधिकृत निर्माण को गिराने/सीलबन्द किये जाने तथा परिषद भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में निम्न संशोधन किया जाना प्रस्तावित है :–

Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam

(AMENDMENT) Bill- 2018

A BILL further to amend the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965.

IT is HEREBY enacted in the 69th Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title & commencement

(1) This Act may be called U.P. Avas Evam Vikas Parishad (Amendment) Bill, 2018.

(2) The Act shall come into force on...........

2. In the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam. 1965 (hereinafter referred to as the 'Principal Act'), Section 82 shall be substituted as under :

Amended Section 82 of UTTER PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD ADHINIYAM, 1965

Section 82 - POWER to direct removal of unauthorized erections

(1) The Housing Commissioner may by notice

i. Require the owner of a building referred to in Section-73 or

ii. Require the owner of any property, in contravention of any conditions subject to which permission, approval or sanction has been granted, or

iii. Require any person/owner who has raised any development in terms of section 2(e) of U.P. Urban Planning Development Act, 1973 without any permission or appropriate permission or permission by competent authority; in relation to the comprised scheme (which includes exempted land or land which is affected due to scheme of Board) and in respect of which notice under section 28 has been published.

To stop further work on such building or land and to alter and demolish the same in such manner and within such time as may be specified in the notice.

2. Where the notice under sub-section (1) is not complied with, the Housing Commissioner may cause the building or any portion thereof to be altered or demolished, as the case may be, and he may recover the expense incurred in doing so from the owner in such manner as may be prescribed.

3. Where such development is not discontinued in pursuance of the order under sub section (1), the Commissioner or the officer empowered by the Commissioner may require any police officer to remove the person by whom the development has been commenced and all his assistants and workmen from the place of development within such time as may be specified in the requisition, and such police officer shall comply with the requisition accordingly.

4. After the requisition under sub section (3) has been complied, the Commissioner or the said empowered officer may depute by a written order a police officer or an officer or an employee of the Board to watch the place in order to ensure that the development is not continued.
5. Notwithstanding anything contained in Sub Section-2 it shall be lawful for the Housing commissioner or the officer empowered by him in this behalf, as the case may be, at any time before or after making an order to stop further work of any building and to alter or demolish the unauthorized erection or construction. order directing the sealing of such unauthorized erection or construction in such manner as may be prescribed for the purpose of carrying out the provisions of this Act.
6. Where any unauthorized erection or construction has been sealed, the Housing Commissioner or the officer empowered by him in this behalf, as the case may be, for the purpose of removing unauthorized erection or construction order the seal to be removed.
7. No person shall remove such seal except under an order made under sub section (6) by the Housing Commissioner or the officer empowered by him in this behalf.
8. Any person aggrieved by an order made under any or all of Sub sections 1, 2, 3 and 5, appeal to the **Board** against that order within 30 (thirty) days from the date thereof and the **Board** may after hearing the parties to the appeal allow or dismiss the appeal or modify the order passed under sub section (1) or (2) or (3) or (5).
9. The decision of **Board** shall be final.

3. Insertion of new section 82A:

Section 82A : Board may, without notice, remove any construction erected or deposited in contraventions of Adhiniyam:

The Housing Commissioner or an officer empowered by him in this behalf may, without notice, cause to be removed -

(a) Any encroachment on any land not being private Property affecting the scheme of the board.

(b) Any wall, fence, rail, post, step, booth or other structure whether fixed or movable and whether of a permanent or a temporary nature or any fixture which shall be erected, or set up in or upon or over any street or upon or over any open channel, drain, well or tank contrary to the provisions of this Adhiniyam;

(c) Any stall, chair, bench, box, ladder, bale, board or shelf or any other thing whatever placed, deposited, projected, attached or suspended in, upon, from or to any place in contravention of this Adhiniyam.

4. **Validation of proceedings commenced prior to this Amendment Adhiniyam**:-

Any proceedings commenced, or initiated or pending or concluded and any action taken in furtherance thereof prior to the enforcement of this Adhiniyam due to contravention of any provision of the 'Principal Adhiniyam' or violation of any scheme of the board or violation of layout of the board or violation of land use or any other violation related to this matter shall be deemed to have been taken exercising the powers by the competent authority under the newly substituted section 82, 82A and such proceedings or actions shall not get invalidated.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

When more than four decades back the U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965. (U.P. Act no. 1 of 1966) was enacted to promote the housing schemes as well as to regulate the building operations, although ample powers were conferred upon the Housing and Development Board (herein after referred to as Board) for removal of unauthorised construction and also for the entry to enforce and implement its building operations, yet no provision with regard to the demolition of the unauthorised construction after possession of property and encroachment on parishad land and sealing of unauthorised constructions was made in the Parishad Adhiniyam 1965 section 82.

Over the year an alarming increase in the number of illegal constructions has visibly resulted into unplanned growth in the Schemes of the Board. The maintain the planned development of the Schemes it is expedient to introduce provisions for sealing of the unauthorised constructions which necessitates amendment of section 82 of the Act.

The Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad (Amendment) Bill 2018 is introduced accordingly.

उक्त के परिप्रेक्ष्य में Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad (Amendment) Bill 2018 का हिन्दी रूपान्तर परिशिष्ट–अ पर एवं अंग्रेजी रूपान्तर परिशिष्ट–ब पर संलग्न है। अतः अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द करने के सम्बन्ध में उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा–82 में उपरोक्त संशोधन करने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(हेतम पाल सिंह) सम्पत्ति प्रबन्धक(विधि)	(महेन्द्र कुमार) अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	(अजय चौहान) आवास आयुक्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम,

(संशोधन) विधेयक 2018

एक बिल जिसके द्वारा अग्रेतर उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 को संधोधित किया जाना है।

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के 69वें वर्ष में अधिनियमित किया जाता है।

1. **संक्षिप्त नाम व कियान्वयन** :–

(1) यह अधिनियम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) विधेयक–2018 कहा जायेगा।

(2) यह अधिनियम दिनांक ....से लागू होगा।

2. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (जिसे एतदद्वारा 'मूल अधिनियम' से उद्धृत किया जायेगा), में धारा–82 निम्नप्रकार से प्रतिस्थापित होगा।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की संशोधित धारा–82
82 अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए निदेश देने का अधिकार	82 अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए निदेश देने का अधिकार
(1) आवास आयुक्त नोटिस देकर धारा–73 के अभिदिष्ट भवन के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे भवन का आगे निर्माण करना रोक दे और उसमें ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किये जायें, परिवर्तन करे या उसे गिरा दे।	1. आवास आयुक्त सूचना द्वारा i भवन स्वामी से अपेक्षा कर सकता है, जैसा कि धारा 73 में वर्णित है या ii किसी अनुज्ञा, अनुमोदन या अनुशास्ति (मंजूरी) दी गयी हो, में किन्ही शर्तो के उल्लंघन के फलस्वरूप किसी सम्पत्ति के मालिक से अपेक्षा कर सकता है या iii किसी व्यक्ति या भू–स्वामी, जिसने उ0प्र0 शहरी नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 2(ई) के अन्तर्गत अनुज्ञा या समुचित अनुज्ञा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि में कोई ऐसा विकास कर लिया हो जो उस समाविष्ट योजना (जिसमें अवमुक्त भूमि या वह भूमि जो परिषद की योजना के कारण प्रभावित हो, सम्मिलित है) और जिसके परिपेक्ष्य में धारा–28 की नोटिस प्रकाशित की गयी है। से उस भवन या भूमि में अग्रेतर कार्य रोकने और उसमें परिवर्तन या उसे ध्वस्त करने के लिए उस प्रकार से और उतने समय में जैसा कि उस सूचना में वर्णित हो, की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस का पालन न किया जाये तो आवास आयुक्त भवन अथवा उसके किसी भाग में, यथास्थिति, परिवर्तन करा सकता है अथवा उसे गिरवा सकता है और ऐसा करने में जो व्यय हुआ हो उसे वह उसके स्वामी से ऐसी रीति से वसूल कर सकता है जो नियत की जाये।	2. यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस का पालन न किया जाये तो आवास आयुक्त भवन अथवा उसके किसी भाग में, यथास्थिति, परिवर्तन करा सकता है अथवा उसे गिरवा सकता है और ऐसा करने में जो व्यय हुआ हो उसे वह उसके स्वामी से ऐसी रीति से वसूल कर सकता है जो नियत की जाये।
	3. जहाँ उपधारा (1) में पारित आदेश के परिपालन में उक्त विकास कार्य रोका न गया हो, आवास आयुक्त या आयुक्त द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह उस निर्माण अथवा सम्पादन को आदिष्ट अथवा कार्यान्वित करने वाले किसी व्यक्ति को, पुलिस पदाधिकारी द्वारा, उस विकास वाले स्थान से उस समय सीमा के भीतर जैसा कि अध्यपेक्षा में वर्णित हो, हटाने की अपेक्षा कर सकता है। और ऐसा पुलिस अधिकारी तदनुसार अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा।
	4. उपधारा–3 के अन्तर्गत अध्यपेक्षा के अनुपालन होने के उपरान्त, आयुक्त या उक्त सशक्त अधिकारी लिखित आदेश के द्वारा पुलिस अधिकारी या किसी अधिकारी या बोर्ड के किसी कर्मचारी को उस स्थान की देखभाल के लिए नियुक्त कर सकता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास कार्य जारी नहीं है।
	5. उपधारा 2 में वर्णित प्राविधानों के होते हुए भी, आवास आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा इस कार्य के लिए सशक्त अधिकारी, जैसी की स्थिति हो, द्वारा यह विधियुक्त होगा कि वह किसी भी समय किसी भी भवन में अग्रेतर कार्य को रोकने और उसे परिवर्तित करने या अनाधिकृत परिनिर्माण या निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश पारित करने से पहले या बाद में ऐसे अनाधिकृत परिनिर्माण या निर्माण को सीलबन्द करने के लिए इस प्रकार जैसा कि इस अधिनियम के प्राविधानों की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित किया गया हो का आदेश पारित कर सकता है।

	6. जहाँ कोई अनाधिकृत परिनिर्माण या निर्माण सीलबन्द किया गया है, आवास आयुक्त या उनकी ओर से उसके द्वारा इस कार्य के लिए सशक्त अधिकारी, जैसी की स्थिति हो, उक्त अनाधिकृत परिनिर्माण या निर्माण को हटाने के उद्देश्य से सील हटाने का आदेश कर सकता है।
	7. कोई भी व्यक्ति उक्त सील को धारा (6) के अन्तर्गत आवास आयुक्त या उनकी ओर से उसके द्वारा इस कार्य के लिए सशक्त अधिकारी के आदेश के अतिरिक्त नही हटायेगा।
	8. कोई भी व्यक्ति उपधारा 1, 2, 3 और 5 के किसी या सभी में पारित आदेश से व्यथित होने पर उस आदेश के विरूद्ध 30 दिन के भीतर बोर्ड में अपील दाखिल कर सकता है और बोर्ड अपील के पक्षों को सुनकर अपील को स्वीकार या खारिज या उक्त उपधारा (1) या (2) या (3) या (5) में पारित आदेश को परिवर्तित कर सकती है।
	9. बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

3. नई धारा–82ए का अन्तःस्थापन

82A	**82A बोर्ड बिना किसी सूचना के अधिनियम के उल्लंघन में बनाये गये किसी निर्माण परिनिर्माण या निक्षेप को हटा सकता है:–**
	आवास आयुक्त या उनकी ओर से उनके द्वारा इस कार्य के लिए सशक्त अधिकारी, बिना किसी सूचना के, हटवाने की कार्यवाही कर सकता है–
	(अ) बोर्ड की योजना को प्रभावित करने वाला किसी भी जमीन पर किया गया कोई अतिक्रमण जो व्यक्तिगत सम्पत्ति न हो।

	(ब) अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत निर्मित कोई दीवार, बाड़, पटरी, चौकी, सीढियाँ, कुटी या अन्य संरचना चाहे स्थिर या चलाएमान हो और चाहे स्थायी या अस्थायी प्रकृति का हो या कोई स्थावर सम्पत्ति खड़ी की गयी हो जो किसी लोक मार्ग पर या किसी जलसंरणी, नाली, कुंआ या तालाब पर हो:
	(स) कोई स्टाल, कुर्सी, बेंच, बॉक्स, सीढी गठ्ठर, बोर्ड या अलमारी या कोई वस्तु जो अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत रखी गयी, जमा की गयी, लटकायी गयी, बाँधी गयी या किसी भी जगह में, ऊपर से फंसाई गयी हो

4. **इस संशोधित अधिनियम से पहले शुरू हुई कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण :–**

इस अधिनियम के प्रभावी होने से पहले मुख्य अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत या बोर्ड की किसी योजना के उल्लंघन होने या बोर्ड के ले–आउट के उल्लंघन होने या भू–उपयोगिता के उल्लंघन या किसी और उल्लंघन जो इस मामले से सम्बन्धित हो में शुरू की गयी किसी प्रकिया या कार्यवाही या लम्बित या निस्तारित और उपरोक्त के अनुक्रम में की गयी कोई कार्यवाही यह मानी जायेगी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाही नई प्रतिस्थापित धारा–82 या 82ए के अन्तर्गत की गयी है और ऐसी कार्यवाही या कारवाई अविधिक नही होगी।

(हेतम पाल सिंह)	(महेन्द्र कुमार)	(अजय चौहान)
सम्पत्ति प्रबन्धक(विधि)	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	आवास आयुक्त

Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam

(AMENDMENT) Bill- 2018

A BILL further to amend the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965.

IT is HEREBY enacted in the 69th Year of the Republic of India as follows :-

1. Short title & commencement

(1) This Act may be called U.P. Avas Evam Vikas Parishad (Amendment) Bill. 2018.

(2) The Act shall come into force on...........

2. In the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (hereinafter referred to as the 'Principal Act'), Section 82 shall be substituted as under:

UTTER PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD ADHINIYAM, 1965	Amended Section 82 of UTTER PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD ADHINIYAM, 1965
82. POWER to direct removal of unauthorized erections	**82. POWER to direct removal of unauthorized erections**
(1) The Housing Commissioner may by notice required the owner of a building referred to in Section-73 to stop further work on such building and to alter or demolish the same in such manner and within such time as may be specified in the notice.	(1) The Housing Commissioner may by notice i. require the owner of a building referred to in Section-73 or ii. require the owner of any property, in contravention of any conditions subject to which permission, approval or sanction has been granted, or iii. require any person/owner who has raised any development in terms of section 2(e) of U.P. Urban Planning Development Act, 1973 without any permission or appropriate permission or permission by competent authority; in relation to the comprised scheme (which includes exempted land or land which is affected due to scheme of Board) and in respect of which notice under section 28 has been published. To stop further work on such building or land and to alter and demolish the same in such manner and within such time as may be specified in the notice.

(2) Where the notice under sub-section (1) is not complied with, the Housing Commissioner may cause the building or any portion thereof to be altered or demolished, as the case may be , and he may recover the expense incurred in so doing from the owner in such manner as may be prescribed.	2. Where the notice under sub-section (1) is not complied with, the Housing Commissioner may cause the building or any portion thereof to be altered or demolished, as the case may be, and he may recover the expense incurred in doing so from the owner in such manner as may be prescribed.
	3.Where such development is not discontinued in pursuance of the order under sub section (1), the Commissioner or the officer empowered by the Commissioner may require any police officer to remove the person by whom the development has been commenced and all his assistants and workmen from the place of development within such time as may be specified in the requisition , and such police officer shall comply with the requisition accordingly.
	4. After the requisition under sub section (3) has been complied, the Commissioner or the said empowered officer may depute by a written order a police officer or an officer or an employee of the Board to watch the place in order to ensure that the development is not continued.
	5. Notwithstanding anything contained in Sub Section-2 it shall be lawful for the Housing commissioner or the officer empowered by him in this behalf, as the case may be, at any time before or after making an order to stop further work of any building and to alter or demolish the unauthorized erection or construction, order directing the sealing of such unauthorized erection or construction in such manner as may be prescribed for the purpose of carrying out the provisions of this Act.

	6. Where any unauthorized erection or construction has been sealed, the Housing Commissioner or the officer empowered by him in this behalf, as the case may be, for the purpose of removing unauthorized erection or construction order the seal to be removed.
	7. No person shall remove such seal except under an order made under sub section (6) by the Housing Commissioner or the officer empowered by him in this behalf.
	8. Any person aggrieved by an order made under any or all of Sub sections 1, 2, 3 and 5, appeal to the **Board** against that order within 30 (thirty) days from the date thereof and the **Board** may after hearing the parties to the appeal allow or dismiss the appeal or modify the order passed under sub section (1) or (2) or(3) or (5).
	(9) The decision of **Board** shall be final.

3. Insertion of new section 82A:

82 A	**82A : Board may, without notice, remove any construction erected or deposited in contraventions of Adhiniyam:**
	The Housing Commissioner or an officer empowered by him in this behalf may, without notice, cause to be removed-
	(a) Any encroachment on any land not being private Property affecting the scheme of the board.
	(b) Any wall, fence, rail, post, step, booth or other structure whether fixed or movable and whether of a permanent or a temporary nature or any fixture which shall be erected, or set up in or upon or over any street or upon or over any open channel, drain, well or tank contrary to the provisions of this Adhiniyam;

	(c) Any stall, chair, bench, box, ladder, bale, board or shelf or any other thing whatever placed, deposited, projected, attached or suspended in, upon, from or to any place in contravention of this Adhiniyam.

4. **Validation of proceedings commenced prior to this Amendment Adhiniyam:-**

Any proceedings commenced, or initiated or pending or concluded and any action taken in furtherance thereof prior to the enforcement of this Adhiniyam due to contravention of any provision of the 'Principal Adhiniyam' or violation of any scheme of the board or violation of layout of the board or violation of land use or any other violation related to this matter shall be deemed to have been taken exercising the powers by the competent authority under the newly substituted section 82, 82A and such proceedings or actions shall not get invalidated.

(Hetam Pal Singh) **Estate Manager (Legal)**	**(Mahendra Kumar)** **Additional Housing Commissioner & Secretary**	**(Ajay Chauhan)** **Housing Commissioner**

मद संख्या 246/24
वित्त एवं लेखानुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

सिद्धार्थ विहार, ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव के SFS के 216 नग भवनों में GST के सम्बन्ध में

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में ब्रहमपुत्र एन्क्लेव में निर्मित एवं आवंटित फ्लैट्स में अनुमानित मूल्यांकन के आधार पर निर्गत मॉग पत्र में अंतिम किश्त की तिथि अक्टूबर–15 तक जमा की जानी थी। तत्समय तक नियमानुसार देय सर्विस टैक्स के अनुसार आवंटियों द्वारा भुगतान किया गया है। अंतिम मूल्यांकन स्वीकृत होने के उपरान्त आवंटियों को प्रदेशन–पत्र माह फरवरी, 2018 में निर्गत किये गये है। जिसमें अनुमानित मूल्यांकन एवं अंतिम मूल्यांकन में हुई वृद्वि के कारण बढ़ी हुई धनराशि पर 18% जी0एस0टी0 दर में 1/3 भूमि मूल्य समायोजन करते हुए 12% की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि की मॉग की गई है। साथ ही आवंटन पत्र में विविध शुल्क की मदों में जी0एस0टी0 की दर 18% लगाई गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–16/27, गाजियाबाद, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड–2, गाजियाबाद, सम्पत्ति प्रबन्धक, गाजियाबाद, उप आवास आयुक्त(सं0प्र0), मुख्यालय, संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ जोन तथा परिषद की ओर से जी0एस0टी0 कार्यो हेतु नियोजित चार्टेड एकाउण्टेंट, ज्वाय मुखर्जी एण्ड एसोसिएट्स, लखनऊ के साथ ब्रहमपुत्र के आवंटियों द्वारा किये गये धरना–प्रदर्शन एवं दिये गये ज्ञापनों में जी0एस0टी0 की दर सी0जी0एस0टी0 विभाग द्वारा दिनांक 25.01.2018 को किये गये नोटिफिकेशन के अनुसार जी0एस0टी0 की संशोधित दर 12% में से 1/3 भूमि मूल्य समायोजन के कारण 8% जी0एस0टी0 लिये जाने सम्बन्धी ज्ञापन पर विचार विमर्श में यह निर्णय लिया गया कि परिषद में जी0एस0टी0 विभाग से सम्बन्धित कोई विशेषज्ञ न होने के कारण निम्न बिन्दुओं पर जी0एस0टी0 विभाग से स्पष्टीकरण (Clarification) प्राप्त कर लिया जाये।

1) अंतिम कास्टिंग के बाद बढ़ी हुई लागत को Composit Supply of Work Contract माना जायेगा, जिसके अनुसार एक तिहाई भाग को भूमि मूल्य मानकर घटाया जाना है कि नही ?
2) विविध शुल्क (मदवार) जो कि आवंटियों से ली जाती है उस पर जी0एस0टी0 की दर क्या होगी? उसको Composit Supply of Work Contract में शामिल किया जायेगा या उसकी दरें अलग से देय होंगी।

उपरोक्त प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(जनार्दन प्रसाद पाण्डेय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(धर्मेन्द्र वर्मा)
वित्त नियंत्रक

(उदय राज)
अपर आवास आयुक्त

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

मद सं0 246/25
वित्त एवं लेखानुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः–आयकर अधिनियम 1961 की धारा–10 के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा वॉछित फार्म–10 दाखिल किये जाने हेतु अधिकृत करने के संबंध में।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(2) के अनुसार यदि किसी भी वित्तीय वर्ष की आय का उपयोग 85 प्रतिशत या उससे अधिक चैरिटेबिल (जनसामान्य उपयोग) हेतु नही हो पाता है तो इस प्रकार अवशेष सरप्लस राशि को अगले पांच वित्तीय वर्षो में जनसामान्य उपयोगी कार्यो हेतु उपयोग कर सकते है, परन्तु आयकर के फार्म सं0–10 के माध्यम् से नोटिस आयकर विभाग में देना रहता है। यद्यपि परिषद की आय का जनसामान्य उपयोग प्रति वर्ष फार्म सं0–10बी में प्रस्तुत विवरण के अनुसार 85 प्रतिशत से अधिक है। किन्तु उप आयकर आयुक्त (छूट) द्वारा किये गये एसेसमेन्ट के अनुसार यह राशि 85 प्रतिशत से कम हो सकती है। कर निर्धारण वर्ष 2017–18 का प्रकरण आयकर विभाग में विचाराधीन है। आयकर के प्राविधानों के अनुपालन में इस सन्दर्भ में परिषद के बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में निम्नांकित प्रस्ताव मा0 परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–

" Resolved that the income of the institution at the end of each previous year for the F.Y 2016-17 shall be accumulated or set apart and utilized in next five years reckon from the end of each financial year for attaining the purposes as enshrined in UP Awas Evam Vikas Parishad 1965 and that the Housing Commissioner or Finance Controller or Principal Officer are hereby authorized to sign the Form 10 for each year as per u/s 11 (2) of income Tax Act 1961"

(धर्मेन्द्र वर्मा)
वित्त नियंत्रक

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

मद संख्या– 246/26
सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग–
पत्रावली सं०–1617/2017

मा० परिषद के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी

सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद मे स्व वित्त पोषित योजना 2013 के अर्न्तगत ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव मे निर्मित 2016 नग भवनो के आवंटियो को परियोजना के मूल्य वृद्धि के संबंध में।

परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के ब्रहमपुत्र एन्क्लेव के आवंटियों द्वारा दिनांक 18.08.2018 को किये गये धरना प्रदर्शन एवं दिये गये ज्ञापनो मे आवंटियो द्वारा पूर्व में परिषद के इस प्रोजेक्ट मे हुई देरी के कारण परिषद से ब्याज की माँग की जा रही है तथा अन्तिम माँग पत्र मे देय दिनांक 31.03.2018 तक परिषद द्वारा माँगी गयी धनराशि की अदायगी के लिये, बिना ब्याज 6 माह का समय देने की माँग की गयी है, साथ ही साथ बढ़ी हुई कीमते वापस लेने एवं निर्माण मे हुये विलम्ब पर परिषद से 13.5% की दर से ब्याज की माँग की गयी है।

परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7 एवं 10 स्थित ब्रहमपुत्र एन्कलेव के फ्लैटों के मूल्यांकन के संबंध मे परिषद की 224वीं बैठक दिनांक 30.03.2013 के मद संख्या–224/8 में यह निर्णय लिया गया है–

"स्व–वित्त योजना के अर्न्तगत पंजीकृत आवेदको के मध्य किये जाने वाले पात्रता चयन हेतु लाटरी–ड्रा की तिथि को प्रभावी भूमि दर के अनुसार भवनो का मूल्य निर्धारित किया जाये"। (परिशिष्ट–1)

परिषद की 244वीं बैठक में मद संख्या 244/13 मे लिये गये निर्णय अनुसार फ्लैटो के मूल्यांकन मे आवंटन तिथि(नम्बरिंग ड्रा) की तिथि को प्रभावी तिथि मानी गयी, जिसके फलस्वरूप पात्रता ड्रा की तिथि पर प्रचलित भूमि दर रू0 28000.00 प्रति वर्ग0मी0 के स्थान पर प्रश्नगत फ्लैटो के मूल्यांकन मे आवंटन तिथि(नबरिंग ड्रा) को मूल्यांकन हेतु प्रभावी तिथि मानते हुये तद्समय प्रभावी दर रू0 32500.00 प्रति वर्ग0मी0 की दरे आंगणित की गयी है। (परिशिष्ट–2)

संयुक्त आवास आयुक्त (मेरठ जोन) द्वारा निम्नवत संस्तुतियाँ प्रेषित की गई थी।

1. फ्लैटों के निर्माण/विकास कार्य तथा अन्तिम मूल्यांकन मे अपेक्षाकृत अधिक धनराशि के भुगतान की तिथि को देखते हुए भुगतान एवं कब्जे की निर्धारित तिथि 31.03.2018 को दिनांक 30.06.2018 तक बिना ब्याज बढ़ा दिया जायें।
2. पंजीकरण पुस्तिका के पृष्ठ–12 के बिन्दु–7 के अनुसार सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य पात्रता ड्रा की तिथि तक लागू भूमि दर के आधार पर आगणित नहीं होगा, अपितु आवंटन की तिथि पर प्रचलित दर के आधार पर मूल्य आगणित किया जायेगा, जिसके आधार पर स्वीकृत मूल्यांकन नम्बरिंग ड्रा की तिथि पर भूमि दर रू0 32500.00 लिया गया है।

उक्त के कम में निम्नवत् संज्ञान में लाया जाना उचित होगा। (परिशिष्ट–3)

(अ) वित्त नियन्त्रक के पत्रांक 117 दिनांक 18.01.2006 के अनुसार भविष्य में परिषद की सभी एस0एफ0एस0 योजनाओं में भी लाटरी द्वारा आवंटन की तिथि को प्रचलित भूमि दर लिया जाये, का उल्लेख है। (परिशिष्ट–4)

(ब) लाटरी द्वारा आवंटन की तिथि पर भ्रम होने के कारण अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के पत्रांक–532 दिनांक 20.04.2013 में यह स्पष्ट किया गया कि पत्र संख्या–117/मूल्यांकन/दिनांक 18.01.2006 से उत्पन्न भ्रम एवं विसगंतियों के निराकरण करने तथा मा0 परिषद के पूर्व निर्णय की भावना को स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन निर्देशिका के प्राविधान प्रस्तर–10 के अनुसार ही स्व वित्त पोषित योजना के भवनों का मूल्यांकन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में मा0 परिषद की 224वीं बैठक दिनांक 30.03.2013 की मद संख्या–224/8 पर प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त मा0 परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों के मध्य किये जाने वाले पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि को प्रभावी भूमि दर के अनुसार ही भवनों का मूल्य निर्धारित किया जायें। परिषद के इस आदेश के तहत ब्रह्पुत्र योजना में पात्रता ड्रा की तिथि पर प्रचलित भूमिदर रू0–28000.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से मूल्यांकन

प्रस्ताव के अनुसार ब्रहम्पुत्र एन्क्लेव की पंजीकरण पुस्तिका के पृष्ठ 12 के बिन्दु संख्या–7 के अनुसार (आवंटन तिथि का भूमि मूल्य लिया जाना था जो रू0 32500 प्रति वर्ग0मी0 थी। इसी आधार पर मूल्यांकन करते हुये अंतिम मूल्यांकन रू0 32500 प्रति वर्ग0मी0 की भूमि दर से किया गया है।) मा0 परिषद की 224वीं बैठक दिनांक 30.03.2013 की मद संख्या–224/8 पर प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों के मध्य किये जाने वाले पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि को प्रभावी भूमि दर के अनुसार ही भवनों का मूल्य निर्धारित किया जायें। परिषद के निर्णय के अर्न्तगत ब्रह्मपुत्र योजना में पात्रता ड्रा की तिथि पर प्रचलित भूमिदर रू0–28000.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए था, परन्तु मा0 निदेशक मण्डल की 244वी बैठक के मद संख्या 244/13 दिनांक 11.12.2017 पर लिये गये निर्णय के कम मे ब्रहमपुत्र एन्क्लेव के फ्लैटो के मूल्यांकन में आवंटन तिथि(नम्बरिंग ड्रा) की तिथि को लागू भूमि दर को मूल्यांकन हेतु प्रचलित भूमि दर मानते हुए रू0 32500.00 प्रति वर्ग मीटर लगाई गई है, उपरोक्त स्थिति मे दोनो निर्णय एक दूसरे के विरोधाभाषी हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि आवंटन पत्र के अनुसार मार्च 2013 मे रू0 1,40,000.00, जनवरी 2014 मे 1,30,000.00, अप्रैल 2014 मे 1,60,000.00 जुलाई 2014 मे 1,60,000.00, अक्टूबर 2014 मे रू0 1,60,000.00, इस प्रकार कुल रू0 7,50,000.00 की धनराशि माह अक्टूबर 2014 तक आवंटियो से वसूल की जा चुकी है। अधीक्षण अभियन्ता सप्तम वृत्त गाजियाबाद के पत्र संख्या–1446 दिनांक 11.04.2016 मे दी गई आख्या के अनुसार परियोजना आरम्भ करने के उपरान्त स्थल पर विस्थापित किसानो, भूस्वामियो द्वारा अपनी विभिन्न माँगो एंव मुआवजा न मिलने के कारण कार्यो मे व्यवधान उत्पन्न रहा जिसके कारण परियोजना पर वास्तविक रूप से कार्य दिनांक 25.10.2014 को प्रारम्भ हो पाया। इस प्रकार कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एक भवन मे निहित भूमि को भूमि दर रू0 28000.00 प्रति वर्ग0मी0 के आधार पर आंगणित भूमि मूल्य रू0 5,47,000.00 की पूर्ण वसूली की जा चुकी थी।

उक्त के संबंध मे मा0 निदेशक मण्डल की 224वी बैठक दिनांक 30.03.2013 के निर्णय के कम मे ब्रहमपुत्र एन्क्लेव परियोजना के स्व वित्त पोषित भवनों के मूल्यांकन हेतु भूमि दर पात्रता ड्रा की तिथि दिनांक 17.12.2013 को लागू भूमि दर रू0 28000.00 प्रति वर्ग0मी0 लिये जाने के बिन्दु पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(लक्ष्मण प्रसाद)
उप आवास आयुक्त

(अरूण कुमार शुक्ला)
मुख्य अभियन्ता

(धर्मेन्द्र वर्मा)
वित्त नियंत्रक

(उदय राज सिंह)
अपर आवास आयुक्त

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

(सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग) (1)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्र संख्या:- 539 / स0प्र0-3 / 625 / 2008 / 2725 परि-01 दिनांक 25 / 04 / 2013

विशेष कार्याधिकारी (स0को0)
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
मुख्यालय लखनऊ ।

विषय:-परिषद की 224वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2013 के कार्यवृत्त के अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

मा0 परिषद की 224वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2013 पर अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

मद स0	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
224/7	परिषद परियोजनाओं में व्यवसायिक सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य के विरूद्व प्राप्त उच्चतम बोलियों के स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रतिनिधायन।	परिषद द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक सम्पत्यिों के आरक्षित मूल्य के आधार पर प्रतिनिधायनित अधिकार को मूल्य-वृद्वि के दृष्टिगत व्यवसायिक बनाया जाना प्रसांगिक है। अतः रू0 1.00 करोड तक जोनल उप/संयुक्त/अपर आवास आयुक्त स्तर, रू0 1.00 करोड से 3.00 करोड तक अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के स्तर तथा रू0 3.00 करोड से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्तियों की उच्चतम बोलियों को स्वीकृत करने का अधिकार आवास आयुक्त को प्रतिनिधायनित किया गया है।	निर्णय के अनुपालन में सम्पत्ति अनुभाग मुख्यालय के कार्यालय आदेश संख्या-533/ स0प्र0-3/124/01 (भाग-2)/76 दिनांक 20.04.2013 जारी किया जाचुका है।
224/8	स्व वित्त पोषित योजना एवं आंशिक स्व वित्त पोषित योजना की सम्पत्तियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।	परिषद द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से तथ्यों को संज्ञान में लिया गया यह निर्णय लिया गया कि स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवंटी के मध्य किये जाने वाले " पात्रता चयन हेतु लाटरी-ड्रा" की तिथि को प्रभावी दर के अनुसार भवनों का मूल्य निर्धारित किया जाये।	निर्णय के अनुपालन में सम्पत्ति अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या-532/स0प्र0-3 /825/09 दिनांक 20.04.2013 जारी किया जाचुका है।

संलग्नक :-निर्णय सम्बन्धी कार्यालय आदेश
की छयाप्रति संलग्न है।

(रजनीश त्रिवेदी)
उप आवास आयुक्त

	निर्णय	सर्वसम्मति से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया [illegible] सम्पत्तियों पर कब्जा करने वालों के विरूद्ध स्थानीय थाना में संगत [illegible] गत प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफ0आई0आर0) दर्ज करायी जाए तथा सक्षम न्या[illegible] में बेदखली की कार्यवाही के लिए वाद भी योजित किया जाय। उक्त योजनाओं में सम्पत्तियों का निस्तारण तलपट मानचित्र में स्वीकृत भू-उपयोग के अनुरुप ही किये जाने के प्रयास किये जाए।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

224/7	विषय	परिषद परियोजनाओं में व्यावसायिक सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य के विरुद्ध प्राप्त उच्चतम बोलियों के स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में अधिकारों का प्रतिनिधायन
	विचार विमर्श	परिषद के संज्ञान में लाया गया कि परिषद योजनाओं में विकसित व्यावसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण में गति लाये जाने के उद्देश्य से सम्पत्तियों के आर्थिक मूल्य के आधार पर परिषद के कार्यालय आदेश संख्या-1269/सं0प्र0-3 दिनांक 07.01.2003 द्वारा व्यावसायिक सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य के विरुद्ध प्राप्त उच्चतम बोलियों की स्वीकृति का अधिकार रू0 50 लाख तक जोनल संयुक्त आवास आयुक्त स्तर, 1.00 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्तियों हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव स्तर तथा 1.00 करोड़ से ऊपर आवास आयुक्त स्तर के प्रतिनिधायित थे। विगत 10 वर्षों के अन्तराल में मूल्य सूचकांक एवं मुद्रास्फीति के कारण परिषद की योजनाओं में व्यावसायिक सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। फलस्वरूप अधिकार सीमा में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है।
	निर्णय	परिषद द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि व्यावसायिक सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य के आधार पर प्रतिनिधायोजित अधिकार को मूल्य-वृद्धि के दृष्टिगत व्यवहारिक बनाया जाना प्रासंगिक है। अतः रू0 1.00 करोड़ तक जोनल उप/संयुक्त/अपर आवास आयुक्त स्तर, 1.00 करोड़ से 3.00 करोड़ तक अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के स्तर तथा रू0 3.00 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्तियों की उच्चतम बोलियों को स्वीकृत करने का अधिकार आवास आयुक्त को प्रतिनिधायनित किया गया।
224/8	विषय	स्व वित्त पोषित योजना एवं आंशिक स्व वित्त पोषित योजना की सम्पत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में।
	विचार विमर्श	परिषद के संज्ञान में लाया गया कि परिषद में दो प्रकार की परियोजनाओं के अन्तर्गत भवनों का निर्माण किया जाता है, सामान्य परियोजना जिसमें भवनों का निर्माण परिषद फन्ड से कर देने एवं भवन विशेष की संख्या निश्चित हो जाने के उपरान्त सामान्य पंजीकरण खोल कर प्राप्त आवेदकों के मध्य भवन संख्यावार लाटरी द्वारा सफल आवेदक एवं आवंटित भवन संख्या के आधार पर भवन आवंटित किया जाता है एवं आवंटन की तिथि को प्रभावी भूमि मूल्य के अनुसार आवंटियों से भवन का मूल्य नियमानुसार ब्याज सहित 10 वर्ष अथवा 12 वर्ष की मासिक किश्तों में प्राप्त किया जाता है। दूसरी ओर स्व-वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों के सापेक्ष पंजीकरण खोल कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। स्व-वित्त पोषित योजना के भवनों का निर्माण आवेदकों से प्राप्त धनराशि के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम पात्रता चयन हेतु लाटरी-ड्रा से सफल आवेदकों (जिन्हें भवन आवंटित होना सुनिश्चित है) को

पत्र संख्या : 75 / सम0अनु0–एक(बोर्ड बैठक : 244 / 11.12.17)   दिनांक : 12-01-18

		स्वीकृति हेतु आवेदन ही नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि याची का मौके पर निर्माण कार्य कराने का आशय ही नहीं है। इसलिए यह कहना औचित्यपूर्ण नहीं है कि किसान आंदोलन के कारण याची को निर्माण कार्य कराने में कोई बाधा रही हो। उक्त के दृष्टिगत याची/फर्म को किसी प्रकार का अनुतोष दिये जाने हेतु पात्र नहीं पाया गया। याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण आदेश निर्गमन हेतु मा0 निदेशक मण्डल द्वारा परिषद के अपर आवास आयुक्त एवं सचिव को अधिकृत किया गया।
244/13	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में स्वयं वित्त पोषित (जी+3) परियोजना–2013 के निर्मित 2016 नग फ्लैटो/भवनों के मूल्यांकन में भूमि दर लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
244/23	ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
244/24	परिषद में अनिस्तारित परिसम्पत्तियों के निस्तारण के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत एवं सुविचारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
244/25	आवंटन/नीलामी समिति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कृपया उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन करते हुए उसकी आख्या समयबद्ध एवं शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समन्वय अनुभाग, मुख्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12.1.18

(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव.

2/1

244वीं बैठक (6)

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषय :— सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में स्वयं वित्त पोषित (जी+3) परियोजना –2013 के निर्मित 2016 नग फ्लैटो/भवनों के मूल्यांकन में भूमि दर लिये जाने के सम्बन्ध में।

सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में स्वंय वित्त पोषित (जी+3) परियोजना 2013 "ब्रहमपुत्र एन्क्लैव" के 2000 फ्लैटो/भवनों हेतु पंजीकरण 11 मार्च 2013 से 11 अप्रैल 2013 तक सुपर एरिया 47.73 व0मी0 एवं निर्मित क्षेत्रफल 41.54 व0मी0 हेतु विक्रय मूल्य भू–तल 13.92 लाख, प्रथम तल 11.94 लाख , द्वितीय तल 11.72 लाख एवं तृतीय तल 11.75 लाख हेतु औसत विक्रय मूल्य रू0 13.90 लाख प्रति फ्लैट/भवन अनुमानित धनराशि जमा करायी गयी है। प्रस्तावित 2000 नग फ्लैटों के सापेक्ष 24000 आवेदको ने पंजीकरण कराया जिसके उपरान्त लाट्री ड्रा द्वारा 2016 नग आवेदको का पात्रता चयन हुआ। प्रत्येक आवंटी से रू0 13,90,000.00 प्रति भवन की वसूली परिषद द्वारा मांग पत्र निर्गत करके प्राप्त कर ली गयी है।

परिषद द्वारा मुद्रित पंजीकरण पुस्तिका के पृष्ठ–12 के प्रस्तर–7 में निम्नलिखित प्राविधान आवेदको की सुविधा हेतु रखा गया है :–

" किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गाजियाबाद होगा। सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य पात्रता ड्रा की तिथि पर लागू भूमि दर के आधार पर आगणित नही होगा अपितु आवंटन की तिथि पर प्रचलित दर के आधार पर मूल्य आगणित किया जायेगा सम्पत्ति के तल के अनुसार अधिकतम अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि होने पर वृद्धि सम्भावित है। पुस्तिका में सूचित अनुमानित मूल्य का 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।"

पंजीकरण पुस्तिका का उक्त प्राविधान परिषद एवं आवंटी दोनो के लिए एक सहमति प्रपत्र है। अतः "ब्रहमपुत्र एन्क्लेव" के स्व0 वित्त पोषित (जी+3) परियोजना 2013 के अन्तर्गत निर्मित किये गये फ्लैटो/भवनों के संख्या कुल 2016 नग है। फ्लैटो/भवनो के मूल्यांकन में उपर्युक्तानुसार आवंटन की तिथि (नम्बरिंग ड्रा) दिनांक 11.03.2016 को सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद की प्रचलित सामान्य विकसित भूमि दर रू0 32500.00 प्र0व0मी0 है जो मुख्यालय के आदेश संख्या 1004/मूल्यांकन अनु0 (लेखा)भूमि दर2015–16 दिनांक 29.09.2015 द्वारा दिनांक 01.10.2015 से 31.03.2016 तक प्रभावी/निर्धारित/प्रचलित की गयी थी।

अतः उक्त परियोजना के 2016 नग फ्लैटो/भवनों के मूल्यांकन में भूमि दर रू0 32500.00 प्र0व0मी0 लिए जाने की औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रकरण माननीय परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(डॉ0 अनिल कुमार)
उप आवास आयुक्त

(इं0एस0के0 रायतानी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

(आर0बी0राय)
मुख्य विधि परामर्शी

(इं0 सलीम अहमद)
मुख्य अभियन्ता

(धर्मेन्द्र वर्मा)
वित्त नियंत्रक

(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(धीरज साहू)
आवास आयुक्त

परि-3

(2)

असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल ... माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट चैक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

2 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 24 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

3 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

4 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू0–50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। ततपश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं हैं। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय–विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगें।

2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्टस की सामुदायिक सेवाओ हेतु उपलब्ध रहेगा।

3 यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण /फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।

4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होगें।

5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तो के विषय में सम्बन्धित शासनादेशो व परिषद के प्राविधान प्रभावी होगें।

6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणो से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।

7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गाजियाबाद होगा। सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य पात्रता ड्रा की तिथि पर लागू भूमि दर के आधार पर आगणित नहीं होगा अपितु आवंटन की तिथि पर प्रचलित दर के आधार पर मूल्य आगणित किया जायेगा सम्पत्ति के तल के अनुसार अधिकतम अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि होने पर वृद्धि सम्भावित है। पुस्तिका में सूचित अनुमानित अधिकतम मूल्य का 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

8. सम्पत्ति/पंजीकरण के निरस्तीकरण हेतु कोई भी आवेदन उप आवास आयुक्त उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर–16–ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स गाजियाबाद में ही दिया जाना होगा।

(4)

परि०-4

(17)

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
(मूल्यांकन अनुभाग),
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक- 117 / मूल्यां० / दिनांक- 18.1.2006

1795
2/1/06

सेवा में,

समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
.... आगरा

विषय:-निर्णय संशोधित करने के सम्बन्ध में।

सिकन्दरा योजना आगरा में स्व वित्त पोषित योजना-2002 द्वितीय चरण के अन्तर्गत भवनों के मूल्य में हुई विसंगतियों के सम्बन्ध में परिषद की 191वीं बैठक दि0 17.6.2005 मद संख्या-191/55 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है कि:-

"भविष्य में परिषद की सभी एस0एफ0एस0 योजनाओं में भी लाटरी द्वारा आवंटन की तिथि को प्रचलित भूमि दर ही ली जाये।"

अतः कृपया परिषद के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एच0डी0सिंह)
वित्त नियंत्रक

पृ0सं0- /उक्त तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष/आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव महोदय के, स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
2. मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुविद नियोजक।
3. समस्त संयुक्त आवास आयुक्त/जोनल उप आवास आयुक्त
4. समस्त अधीक्षण अभियंता.......वृत्त/अधिशासी अभियंता........खण्ड।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/सहायक अभियंता(मू0)।
6. समस्त सहायक आवास आयुक्त
7. मुख्यालय के समस्त अनुभागाध्यक्ष।
8. मूल्यांकन गार्ड फाईल।

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
गाजियाबाद
28/1/06

वित्त नियंत्रक

पृ० सं० 585
प्रतिलिपि:- उपरोक्त पत्र सं० 117/मूल्यांकन दि० 18.01.06 की प्रति समस्त लेखाकारों/सम्पत्ति सहायकों/कनिष्ठ लेखाधिकारियों को अनुपालनार्थ।

(एस० बी० सिंह)
सहायक आवास आ०

(6)

परि -5

(8)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

समन्वय अनुभाग

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001

सेवोत्तम प्रमाणित

समयबद्ध एवं शीर्ष प्राथमिकता

पत्र संख्या : 5266/समoअनु0–एक(बोर्ड बैठक : 245/14.05.18) दिनांक : 21/5/18

उप आवास आयुक्त(सम्पत्ति),
सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग,
मुख्यालय

परिषद के मा0 निदेशक मण्डल की 245वीं बैठक दिनांक 14 मई, 2018 में भूमि अर्जन अनुभाग से सम्बन्धित प्रस्तावों के निम्नांकित निर्णय आपके अनुपालनार्थ यहाँ अंकित किया जा रहा है :

245/2	परिषद की 244वीं बैठक दिनांक 11.12.17 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 244वीं बैठक दि0 11.12.17 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। परिषद द्वारा निम्नवत निर्देश भी दिये गये– (i) वित्त नियंत्रक से अपेक्षा की गयी कि पूर्व वर्षों के लेखे मा0 सदन के पटल पर शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें। लम्बित बैलेन्सशीट तथा उस पर शासन के अनुमोदन की स्थिति से अवगत कराया जाय। (ii) ई.डब्लू.एस. एण्ड एल.आई.जी. वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नीति में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश दिनाँकित 24.10.2016 में की गई व्यवस्थानुसार 10.00 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में आवासीय ईकाई की सीलिंग कास्ट 20 प्रतिशत अधिक हो सकती है। इस प्राविधान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में ए.एच.पी. कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों के सीलिंग कास्ट पर पुनर्विचार हेतु शासन से अनुरोध करने के निर्देश मुख्य अभियन्ता को दिये गये। (iii) परिषद की अनिस्तारित सम्पत्तियों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रस्तुतीकरण करने की अपेक्षा की गयी।
245/13	परिषद योजनाओं में भवनों/भूखण्डों से लगी अतिरिक्त भूमि के निस्तारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया किया गया।
245/14	परिषद योजनाओं में आवंटित शैक्षिक भूखण्डों के आवंटन के पश्चात् आवंटी संस्था द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने के अनुरोध पर परिषद द्वारा जब्त की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को संदर्भित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया।
245/15	आम्रपाली योजना, लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 ई–2/काम–2ए (पेट्रोल पम्प) से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या–27463/2017 सूरज श्रीवास्तव व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य प्रमुख सचिव आवास, उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 15.11.2017 के अनुपालन में मा0 निदेशक मण्डल की बैठक दिनाँक 11.12.2017 में यह प्रस्ताव हुआ कि :– योजना में किसानों द्वारा बीच–बीच में छुट–पुट प्रदर्शन किये जाते थे परन्तु याचीगणों द्वारा यह कहना कि उनके द्वारा निर्माण प्रारम्भ करने का प्रयास किया गया और उन्हें निर्माण कार्य करने से रोका गया, निराधार है क्योंकि याचीगणों के द्वारा

(5)
8

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास
समन्वय अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

समयबद्ध एवं शीर्ष प्राथमिकता

पत्र संख्या : ..../ सम0अनु0–एक(बोर्ड बैठक : 245/14.05.18) दिनांक : ....

		नियमानुसार भुगतान करने एवं मानचित्र स्वीकृति कराने की स्थिति में पेट्रोल पम्प संचालन के लिए नाले पर आवागमन की सुविधा हेतु पुलिया का निर्माण परिषद द्वारा कराया जायेगा। मा0 परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 27463/2017 श्री सूरज श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनाँक 15.11.2017 के समादर में याचीगणों का प्रत्यावेदन उपरोक्तानुसार निस्तारण हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव को अधिकृत किया जाता है।
245/16	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड राज्य में स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
245/22	परिषद योजनाओं में आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों के नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदक से बैंक ड्राफ्ट/एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि प्राप्त किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/23	परिषद की स्ववित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निर्मित फ्लैट के परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस अभ्युक्ति के साथ कि वांछित एन्क्लेव/तल परिवर्तन हेतु अन्तर की धनराशि, आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि पर फ्लैट के मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाय तथा प्रार्थना–पत्र प्राप्ति के एक माह की समय–सीमा में निर्णय किये जाने के साथ अनुमोदित किया गया।
245/24	परिषद योजनाओं में 03 वर्ष से अनिस्तारित अनावासीय/ग्रुप हाउसिंग सम्पत्तियां जिनका मूल्य रु0 5.00 करोड़ तक या उससे अधिक की सम्पत्तियों का निस्तारण ई–टेंडरिंग के माध्यम से निस्तारण हेतु परिषद एवं एम.एस.टी.सी. के मध्य होने वाले एम0ओ0यू0 के सापेक्ष निस्तारण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/42	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7 एवं 10 स्थित ब्रम्हपुत्र एन्क्लेव के स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित 2016 नग भवनों के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस अभ्युक्ति के साथ अनुमोदित किया गया कि आवेदकों से दोनों विकल्प में से किसी एक पर सहमति मांगकर कार्यवाही की जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन करते हुए उसकी आख्या समयबद्ध एवं शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समन्वय अनुभाग, मुख्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

-5.18
(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

परि– 6

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में स्व वित्त पोषित योजना 2013 के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र इन्कलेव में निर्मित 2016 नग भवनों के आवंटियों को परियोजना के मूल्य वृद्धि में राहत दिये जाने हेतु दिनांक 23.8.2018 का संयुक्त प्रस्ताव

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर--7 एवं 10 में ब्रह्मपुत्र इन्कलेव के अन्तर्गत 2016 नग 4 मंजिले अल्प आय वर्ग भवनों हेतु दिनांक 11.03.2013 से 11.04.2013 तक पंजीकरण खोला गया था। उक्त भवनों हेतु सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा दिनांक 26.12.2013 को मांग पत्र जारी किया गया था, जिसमें प्रथम किश्त जनवरी, 2014 को तथा द्वितीय किश्त अप्रैल, 2014 में जमा की जानी थी।उक्त योजना की निविदाएं दिनांक 07.11.2013 को आमंत्रित की गयी थी। लेकिन दरें काफी अधिक आने के कारण निविदाएं निरस्त कर दी गयी थी तथा पुनः समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कराते हुये निविदाएं आमन्त्रित की गयी एवं कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 03.03.2014 दी गयी। उक्त भवनों हेतु 20000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुये, जिनके मध्य सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा पात्रता ड्रा दिनांक 17.12.2013 को सम्पादित किया गया।उक्त समय भूमि दर रू0 28000.00 प्रति वर्ग मी0 थी। उक्त कार्य हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या–3274/ए–7/278 दिनांक 30.08.2013 द्वारा रू0 13957.94 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। इन भवनों का नम्बरिंग ड्रा दिनांक 11.03.2016 को सम्पन्न हुआ। उस समय भूमि दर रू0 32500.00 प्रति वर्ग मी0 थी। उक्त भवनों की पंजीकरण पुस्तिका के पृष्ठ 12 पर बिन्दु संख्या–7 पर अंकित है कि "सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य, पात्रता ड्रॉ की तिथि पर लागू भूमि दर के आधार पर आगणित नहीं होगा, अपितु आवंटन की तिथि पर प्रचलित दर के आधार पर मूल्य आगणित किया जायेगा एवं उसी के आधार पर रू0 32500.00 प्रति वर्ग मी0 की दर लगाते हुए, उक्त भवनों का मूल्यांकन वृत्त कार्यालय के पत्र संख्या–1414/एफ0एण्ड0ए0–8/35 दिनांक 08.05.2017 द्वारा स्वीकृत किया गया है।"

यहाँ यह भी संज्ञान में लाना है कि सम्पत्ति प्रबन्धक, गाजियाबाद, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–16, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–27, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड–02, अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, गाजियाबाद एवं संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ के संयुक्त हस्ताक्षर से पात्रता ड्रा की दिनांक 17.12.2013 को लागू भूमि दर (रू0 28000.00 प्रति वर्ग मी0) लगाने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव, संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ के पत्र संख्या–19/मेरठ जोन/ब्रह्मपुत्र/दिनांक 24.04.2018 द्वारा आवास आयुक्त (म0) को प्रेषित किया गया था।

ब्रह्मपुत्र इन्कलेव परियोजना के लिए पंजीकरण दिनांक 11.3.2013 से 11.4.2013 को खोला गया था। मा0 परिषद की 224वीं बैठक दिनांक 30.3.2013 के मद सं0–224/8 पर टिप्पणी प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि स्व वित्त पोषित परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित (निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व) भवनों के सापेक्ष पंजीकरण खोलकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदकों में से निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या के समतुल्य सफल आवेदकों का चयन लाटरी द्वारा पात्रता चयन ड्रॉ आयोजित करके किया जाता है। इस पात्रता चयन ड्रॉ के पश्चात सफल आवेदक को परियोजना में भवन आवंटित होना सुनिश्चित हो जाता है एवं उनसे निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन का मूल्य छः समान त्रैमासिक किश्तों में अग्रिम रूप से प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार भवन का सम्पूर्ण मूल्य अग्रिम प्राप्त हो जाने तथा भवन का निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात भवनों की सम्पत्ति संख्या आवंटित करते हुए पूर्व चयनित सफल आवेदकों के मध्य भवनों की संख्या के निर्धारण हेतु पुनः लाटरी आयोजित की जाती है। इस प्रकार स्व वित्त पोषित परियोजनाओं में आवेदकों हेतु दो बार लाटरी आयोजित की जाती है, जिसमें प्रथम लाटरी मे सफल आवेदकों का पंजीकरण अनुमोदित होकर भवन का आवंटन होना सुनिश्चित हो जाता है, जबकि द्वितीय लाटरी द्वारा मात्र भवन संख्या का निर्धारण किया जाता है।

अतः मा0 परिषद द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय की भावना को स्पष्ट करते हुए निर्गत कार्यालय आदेश सं0–117/मूल्यांकन, दिनांक 18.01.2006(परिशिष्ट–4) को स्व वित्त पोषित योजना में भवनों का पंजीकरण अनुमोदित करने हेतु आयोजित पात्रता चयन ड्रॉ की तिथि को प्रभावी भूमि दर के अनुसार भवनों का मूल्य निर्धारित किये जाने की सीमा तक विनियम/मूल्यांकन निर्देशिका संशोधित किये जाने की अनुमति हेतु प्रकरण मा0 परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है" जो अनुमोदित होकर अपर आवास

आयुक्त एवं सचिव के पत्र सं0—532/सं0प्र0—3/825/09 दिनांक 20.4.2013 के द्वारा मुख्यालय से आदेश निर्गत किया गया:—

"सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि "स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों के मध्य किये जाने वाले पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रॉ की तिथि को प्रभावी भूमि दर के अनुसार भवनों का मूल्य निर्धारण किया जाये।"

इस प्रकार ब्रहमपुत्र इन्कलेव परियोजना हेतु पात्रता चयन से पूर्व ही मा0 परिषद द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका था कि मूल्यांकन में पात्रता चयन की तिथि पर लागू भूमि दर लिया जाये। ब्रहमपुत्र इन्कलेव की पंजीकरण पुस्तिका इससे पूर्व ही छप चुकी थी, जिसमें भूमि दर के बारे में यह उल्लेख किया गया था कि "सम्पत्ति का अंतिम मूल्य पात्रता ड्रा की तिथि पर लागू भूमि दर के आधार पर आगणित नही होगा अपितु आवंटन की तिथि पर प्रचलित दर के आधार पर मूल्य आगणित किया जायेगा।" (छायाप्रति संलग्न) ऐसा ही प्राविधान शिखर इन्कलेव की पंजीकरण पुस्तिका(संलग्न) में भी किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि "सम्पत्ति का अंतिम मूल्य पात्रता ड्रा की तिथि पर लागू भूमि दर के आधार पर आगणित नही होगा अपितु आवंटन की तिथि पर प्रचलित दर के आधार पर मूल्य आगणित किया जायेगा", जिसका मूल्यांकन 29.6.2016 को स्वीकृत किया गया था, किन्तु इसमें भी भूमि दर प्रथम पात्रता चयन की तिथि पर लागू भूमि दर लिया गया था। इसी प्रकार स्व वित्त पोषित

परियोजना सपना, आसरा, गंगा यमुना हिण्डन इन्कलेव के मूल्यांकन में भी पात्रता चयन की तिथि पर लागू भूमि दर को लिया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

सम्पत्ति का प्रकार	पात्रता दिनांक	पात्रता के दिनांक को भूमि दरें	नम्बरिंग ड्रॉ की तिथि	नम्बरिंग की दिनांक की दरें	प्रथम किश्त का दिनांक	प्रथम किश्त की दिनांक को भूमि दर	स्वीकृत मूल्यांकन में ली गई भूमि दर प्रति वर्ग मी0	स्वीकृतकर्ता अधिकारी
मण्डोला विहार								
आसरा टाइप—1	जुलाई, 2012	12000.00	16.7.2014, 17.7.2014	23000.00	31.8.2012	12000.00	12000.00	अधी0 अभि0, मण्डोला वृत्त।
आसरा टाइप—2	जुलाई, 2012	12000.00	16.7.2014, 17.7.2014	23000.00	31.8.2012	12000.00	12000.00	अधी0 अभि0, मण्डोला वृत्त।
सपना टाइप—1	जुलाई, 2012	12000.00	16.7.2014, 17.7.2014	23000.00	31.8.2012	12000.00	12000.00	अधी0 अभि0, मण्डोला वृत्त।
सपना टाइप—2	जुलाई, 2012	12000.00	16.7.2014, 17.7.2014	23000.00	31.8.2012	12000.00	12000.00	अधी0 अभि0, मण्डोला वृत्त।
शिखर एन्कलेव								
2 BHK एवं 3 BHK	7.6.11	20000.00	25.3.2013	32000.00	30.10.2011	20000.00	20000.00	अधी0 अभि0, मण्डोला वृत्त।
सिद्धार्थ विहार								
गंगा, यमुना, हिण्डन	30.6.12	23050.00	25.3.2013	23050.00	30.10.2012	23050.00	23050.00	अधी0 अभि0, सप्तम वृत्त।
ब्रहमपुत्र एन्कलेव	17.12.13	28000.00	11.3.2016	32500.00	जनवरी, 2014	28000.00	32500.00	अधी0 अभि0, सप्तम वृत्त।

इस प्रकार ब्रहमपुत्र इन्कलेव परियोजना के मूल्यांकन में भी पात्रता ड्रॉ की तिथि पर लागू भूमि दर लिया जाना चाहिए था, किन्तु पंजीकरण पुस्तिका के प्राविधान के आधार पर इसका मूल्यांकन स्वीकृत किया गया। इसके सम्बन्ध में मा0 परिषद के निर्णायक मण्डल के 244वीं बैठक दिनांक 11.12.2017 में प्रस्तुत प्रस्ताव मे उल्लेख किया गया था कि "पंजीकरण पुस्तिका का उक्त प्राविधान परिषद एवं आंवटी दोनो के लिए एक सहमति प्रपत्र है। "ब्रहमपुत्र इन्कलेव" के स्व वित्त पोषित (G+3) परियोजना 2013 के अन्तर्गत निर्मित किये गये फ्लैटों/भवनों के संख्या कुल 2016 नग है। फ्लैटों/भवनों के

मूल्यांकन में उपर्युक्तानुसार आवंटन की तिथि (नम्बरिंग ड्रॉ) दिनांक 11.3.2016 को सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद की प्रचलित सामान्य विकसित भूमि दर रू0 32500.00 प्र0व0मी0 है, जो मुख्यालय के आदेश सं0--1004 / मूल्यांकन अनुभाग(लेखा) भूमि दर 2015-16 / दिनांक 29.9.2015 द्वारा दिनांक 01.10.2015 से 31.3.2016 तक प्रभावी / निर्धारित / प्रचलित की गयी थी।

अतः उक्त परियोजना के 2016 नग फ्लैटों / भवनों के मूल्यांकन में भूमि दर रू0 32500.00 प्र0व0मी0 लिये जाने की औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रकरण मा0 परिषद के समक्ष विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत है", जिसको मा0 परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। पुनः परिषद की मा0 निर्णायक मण्डल की 245वीं बैठक में टिप्पणी प्रस्तुत करते समय यह उल्लेख किया गया कि "मा0 निदेशक मण्डल 244वीं बैठक के मद सं0-244 / 13 में लिये गये निर्णय के अनुसार फ्लैटों के मूल्यांकन में आवंटन तिथि(नम्बरिंग ड्रॉ) की तिथि को प्रभावी तिथि मानी गयी, जिसके फलस्वरूप पात्रता ड्रा की तिथि पर प्रचलित भूमि दर रू0 28000.00 प्र0व0मी0 के स्थान पर इन फ्लैटों के मूल्यांकन में आवंटन तिथि (नम्बरिंग ड्रॉ) का मूल्यांकन हेतु प्रभावी तिथि मानते हुए तत्समय प्रभावी दर रू0 32500.00 प्र0व0मी0 की दरें मूल्यांकन में ली गयी है, पर ही सहमति व्यक्त की गयी है।"

इस प्रकार मा0 परिषद की 244वीं एवं 245वीं बैठक में प्रस्तुत टिप्पणी में मूल्यांकन हेतु पात्रता तिथि पर लागू भूमि दर को लिये जाने के सम्बन्ध में 224वीं बोर्ड बैठक पूर्व में ही निर्णय लिये जा चुके एवं तद्क्रम में अपर आवास आयुक्त एवं सचिव महोदय के पत्र सं0-532 / सं0प्र0-3 / 825 / 09 दिनांक 20.4.2013 तथा स्व वित्त पोषित परियोजना के फ्लैटों के मूल्यांकन में पात्रता तिथि को सपना, आसरा, गंगा यमुना हिण्डन इन्कलेव, शिखर इन्कलेव के मूल्यांकन में लगाये गये पात्रता ड्रॉ की तिथि पर लागू भूमि दर के तथ्य को पूरी तरह से प्रस्तुत नही किया जा सका। मूल्यांकन निर्देशिका-1986 यथासंशोधित 2001 के प्रस्तर-10 पर भी प्राविधान है कि स्वयं वित्त पोषित योजना एवं आंशिक स्व वित्त पोषित योजना की सम्पत्तियों के मूल्यांकन में वह विकसित भूमि दर लगायी जायेगी, जो विकसित भूमि दर पंजीकरण के उपरांत प्रथम किश्त जमा करने की निर्धारित तिथि / माह को स्वीकृत / प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी विनियम यथासंशोधित 2016 के प्रस्तर-31 के अनुसार "स्व वित्त पोषित भवनों हेतु भूमि दर पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रॉ की तिथि को प्रभावी भूमि दर होगी, के तथ्य को भी पिछली मा0 परिषद की दो बैठकों में नही रखा जा सका था, जिसके कारण फ्लैटों के आवंटन की तिथि पर लागू भूमि दर के सम्बन्ध में मा0 परिषद द्वारा निर्णय लिया गया।

अतः इस सम्बन्ध में मूल्यांकन निर्देशिका के प्राविधानों एवं पूर्व में मा0 परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में ब्रहमपुत्र इन्कलेव परियोजना स्व वित्त पोषित भवनों के मूल्यांकन हेतु भूमि दर पात्रता ड्रॉ की तिथि दिनांक 17.12.2013 को लागू भूमि दर 28000.00 प्र0व0मी0 लिये जाने की संस्तुति की जाती है।

(पी0के0 उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
गाजियाबाद।

(एल0एम0 पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-16, गाजियाबाद।

(भोला नाथ)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-27,
गाजियाबाद।

(के0ए0 सिंहल)
अधीक्षण अभियन्ता,
सप्तम वृत्त, गाजियाबाद।

(महेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त आवास आयुक्त
मेरठ जोन, मेरठ

मद संख्या 246/27
सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग
पत्रावली सं0 1061/2011/मेरठ/316(भाग-2)

परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः— जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या—11,मेरठ में निर्मित फ्लैट्स के आवंटियों का विलम्ब शुल्क में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

संयुक्त आवास आयुक्त मेरठ के पत्र संख्या—1284/मेरठ जोन/ दिनांक 01.06.2018 द्वारा सम्पत्ति प्रबन्धक मेरठ, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—8 मेरठ, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—5 मेरठ, अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त मेरठ, के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव दिनांक 29.01.2018 **(परिशिष्ट—01)** द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद की जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या—11 मेरठ में **"स्व0 वित्त पोषित योजना वर्ष—2012"** में एफ—32 प्रकार के 384 नग फ्लैट एवं एफ-64 प्रकार के 160 नग फ्लैट अर्थात कुल 544 नग फ्लैटों तथा वर्ष 2014 में एफ—32 प्रकार के 64 नग फ्लैट एवं एफ—64 प्रकार के 32 नग अर्थात कुल 96 नग फ्लैटों का पंजीकरण खोला गया था, उक्त फ्लैटों के सापेक्ष मे वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के 408 नग फ्लैट पंजीकृत/आवंटित है, जिन्हें अन्तिम मूल्यांकन के अनुसार आवंटन-पत्र जारी किये जाने पर आवंटियों द्वारा माह दिसम्बर 2017 तक दण्डब्याज एवं विलम्ब शुल्क मे शिथिलता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

संयुक्त आवास आयुक्त मेरठ जोन मेरठ, द्वारा "स्व0 वित्त पोषित योजना वर्ष—2012 में एफ—32 प्रकार एफ—64 प्रकार के फ्लैटों तथा वर्ष 2014 मे एफ-32 प्रकार एवं एफ—64 प्रकार के खोले गये पंजीकरण फ्लैटों के निर्माण कार्य स्थल पर पूर्व में किसानों द्वारा प्रतिकर दर में वृद्धि किये जाने की मॉग आदि समस्याओं के कारण निर्माण/विकास कार्य में विलम्ब हुआ है,तथा मूलभूत सुविधायें माह दिसम्बर—2017 तक विकसित हो पायी है, अतः आवंटियों से दण्डब्याज एंव विलम्ब शुल्क दिसम्बर—2017 तक लिये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है, सम्पत्ति प्रबन्ध, अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता का प्रस्ताव दिनांक 29.01.2018 को औचित्यपूर्ण है, की संस्तुति की गयी है।

उपर्युक्त संयुक्त प्रस्ताव एवं संस्तुति पर आवास आयुक्त द्वारा वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में समिति गठित कर आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये है, वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता मे गठित समिति की बैठक दिनांक 24.07.2018 को सम्पन्न हुई, समिति की संस्तुति **(परिशिष्ट—02)** पर संलग्न है, जिसके अनुसार जागृति विहार योजना संख्या—11 मेरठ में निर्मित बहुमंजिले फ्लैटों का पंजीकरण वर्ष 2012 एवं वर्ष 2014 में पंजीकरण खोला गया था, पंजीकरण पुस्तिका में आवश्यक विवरण के अनुसार प्रस्तावित निर्माण 4 मंजिलें 24 माह एवं 10 मंजिले हेतु 30 माह में किया जाना था। अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त मेरठ द्वारा वर्ष 2012 में खोले गये पंजीकरण के विरूद्व एफ—32 प्रकार के भवनों का मूल्यांकन दिनांक 09.12.2016 एवं एफ—64 प्रकार के फ्लैटों का मूल्यांकन दिनांक 10.11.2016 तथा वर्ष 2014 में खोले गये पंजीकरण के विरूद्व एफ—32 प्रकार के फ्लैटों का मूल्यांकन दिनांक 24.11.2017 तथा एफ—64 प्रकार के भवनों का मूल्यांकन दिनांक 03.06.2017 को स्वीकृत कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय को प्रेषित किया गया।

संयुक्त आवास आयुक्त मेरठ जोन द्वारा अपने पत्र संख्या—2330/मेरठ जोन/ दिनांक 07.09.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2012 के एफ-32 प्रकार के 233 नग फ्लैट, एफ—64 प्रकार के 107 नग फ्लैट, तथा वर्ष 2014 के एफ 64 प्रकार के फ्लैट 14 नग फ्लैटों के आवंटियों पर आवंटन पत्र के अनुसार वर्ष 2012 एवं वर्ष 2014 के फ्लैटों के आवंटियों द्वारा कब्जा समय से प्राप्त न करने पर रू0 50/-प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय है—

क0सं0	फ्लैट निर्मित का वर्ष	फ्लैट का प्रकार	फ्लैटों की संख्या जिस पर विलम्ब शुल्क देय है।	अवधि	दिनों की संख्या	कुल देय विलम्ब शुल्क
01.	2012	एफ—32	233	दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.12.2017	275	3203750.00
02.	2012	एफ—64	107	दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.12.2017	275	1471250.00
03.	2014	एफ 64	14	दिनांक 01.09.2017 से दिनांक 31.12.2017	122	85400.00
					कुल योग	**4760400.00**

फ्लैटों पर देय विलम्ब शुल्क रू0 47,60,400.00(सैतालिस लाख साठ हजार चार सौ) यदि परिषद द्वारा माफ किया जाता है, तो वित्तीय भार परिषद को वहन करना पड़ेगा।

प्रश्नगत फ्लैटों के निर्गत आवंटन—पत्र में देय तिथि के बाद विलम्ब से धनराशि जमा किये जाने पर कब्जे हेतु औपचारिकतायें निर्धारित अवधि में पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब शुल्क न लिये जाने का औचित्य है, क्योंकि स्थल पर फ्लैटों की मूलभूत सुविधायें विकसित करने मे विलम्ब हुआ है, बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता,द्वितीय वृत्त मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत फ्लैटों में मूलभूत सुविधायें माह दिसम्बर 2017 तक विकसित हो पायी है।

अतएव फ्लैटों के अन्तिम मूल्यांकन के उपरान्त निर्गत प्रदेशन—पत्र की तिथि से मूलभूत सुविधायें न होने की दिनांक 31.12.2017 तक विलम्ब शुल्क न लिया जाय, किन्तु जिन आवंटियों द्वारा इस मद में धनराशि जमा कराई जा चुकी है, उन्हें पुर्नउद्घघाटित नहीं किया जायेगा।

उक्त आख्या मा0परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(लक्ष्मण प्रसाद)
उप आवास आयुक्त

(उदय राज सिंह)
अपर आवास आयुक्त

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त,
मेरठ जोन, मेरठ।
meerut.zone8@gmail.com

परिशिष्ट-01

पत्र सं0– 1284 / मेरठ जोन / Y-11 / 84 दिनांक 01/6/18

सेवा में,

उप आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,
104–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

सम्पत्ति अनुभाग
डायरी सं0 2762
दिनांक 15/6/2018

विषयः– *जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या–11 मेरठ में निर्मित बहुमंजिले फ्लैटों के आवंटियों को दण्ड ब्याज/विलम्ब शुल्क में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक कृपया सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग मुख्यालय का पत्रांक 432/स0प्र0--31061/मेरठ/3161 दिनांक 06.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेजिसमें अवगत कराया गया है किजागृति विहार योजना सख्या–11 मेरठ में स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012 में एफ–32 प्रकार के 384 नग फ्लैट, एफ–64 प्रकार के 160 नग फ्लैट तथा वर्ष 2014 में एफ–32 प्रकार के 64 नग एवं एफ--64 प्रकार के 32 नग फ्लैटों का पंजीकरण खोला गया था जिसके विरुद्ध वर्तमान में कमशः 251नग, 110नग, 30 नग एवं 17 नग पंजीकृत आवंटित है जिन्हें अन्तिम मूल्यांकन स्वीकृति के उपरान्त आवंटन पत्र निर्गत किये जा चुके है। अतः स्व0 वित्त पोषित योजना–2012 एव 2014 के अन्तर्गत आवंटित एफ--32 नग फ्लैट व एफ–64 प्रकार के आवंटित फ्लैटों के आवंटियों को माह दिसम्बर–2017 तक दण्ड ब्याज एवं विलम्ब शुल्क में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड–8 मेरठ एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–5 मेरठ एवं अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त मेरठ द्वारा संस्तुति सहित संयुक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में आप द्वारा कोई संस्तुति/आख्या नहीं दी गयी है। सम्पत्ति प्रबन्धक मेरठ द्वारा प्रेषित सयुक्त प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड--5,8, इंचार्ज सम्पत्ति प्रबन्धक एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त मेरठ के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2012 में एफ–32एवं एफ–64 तथा वर्ष 2014 मे एफ–32 व एफ–64 फ्लैटों के निर्माण कार्य में स्थल पर पूर्व में किसानों द्वारा प्रतिकर दर में वृद्धि किये जाने की मांग आदि समस्याओं के कारण निर्माण/विकास कार्य में विलम्बत हुआ है तथा मूल भूत सुविधाये माह दिसम्बर–2017 तक विकसित हो पायी है।

चूंकि अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता की आख्या के अनुसार समस्त मूलभूत सुविधायें माह दिसम्बर–2017 तक विकसित हो पायी है। अतः आवंटियों से दण्ड ब्याज एवं विकास शुल्क दिसम्बर--2017 तक लिये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः सम्पत्ति प्रबन्धक,अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता का प्रस्ताव दिनांक 29.01.2018 औचित्यपूर्ण है।

भवदीय,

(महेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त आवास आयुक्त

15/6/2018

5700:2005

दूरभाष : 0121-2762011

सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
ऑफिस काम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्रीनगर, मेरठ।

भारतीय मानक ब्यूरो IS SQMS

पत्रांक /स.प्र. मेरठ/ दिनांक 31-5-18

सम्पत्ति अनुभाग
डायरी सं0 2643
दिनांक 8-6-2018

सेवा में

संयुक्त आवास आयुक्त मेरठ जोन,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
शास्त्रीनगर, मेरठ।

विषयः **जागृति विहार (विस्तार), योजना संख्या–11, मेरठ में निर्मित बहुमंजिलें फ्लैटों के आवंटियों को दण्ड ब्याज/विलम्ब शुल्क में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मुख्यालय के पत्रांक 432/स0प्र0–3/1061/मेरठ/3161 दिनांक 06.04.2018 पर पृष्ठांकित आपके कार्यालय के पत्रांक 798/वाई–11/61 दिनांक 09.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि परिषद द्वारा संचालित जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या–11, मेरठ में स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012 में एफ–32 प्रकार के 384 नग फ्लैट, एफ–64 प्रकार के 160 नग फ्लैट तथा वर्ष 2014 में एफ–32 प्रकार के 64 नग एवं एफ–64 प्रकार के 32 नग फ्लैटो का पंजीकरण खोला गया था। जिसके विरूद्ध वर्तमान में क्रमशः 233 नग, 107 नग, 23 नग तथा 14 नग पंजीकृत आवंटी उपलब्ध हैं, जिन्हें अन्तिम मूल्यांकन स्वीकृति के उपरान्त आवंटन पत्र निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्नगत फ्लैटों के निर्गत आवंटन पत्र में देय तिथि के बाद परिषद नियमानुसार विलम्ब से धनराशि जमा किये जाने पर दण्ड ब्याज एवं कब्जे हेतु औपचारिकतायें निर्धारित अवधि में पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब शुल्क लगाये जाने का प्राविधान किया गया है। जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित आवंटियों का कहना है कि स्थल पर फ्लैटों में मूलभूत सुविधायें पूर्णतः विकसित करने में परिषद द्वारा विलम्ब हुआ है। अतः उक्त विलम्बित अवधि का उनसे दण्ड ब्याज एवं विलम्ब शुल्क न लिया जाये।

उल्लेखनीय है कि स्थल पर पूर्व में किसानों द्वारा प्रतिकर दर में वृद्धि किये जाने की मांग आदि समस्याओं के कारण निर्माण/विकास कार्य में विलम्ब हुआ है तथा समस्त मूलभूत सुविधायें माह–दिसम्बर–2017 तक विकसित हो पायी हैं। स्व वित्त पोषित योजना–2012 एवं 2014 के अन्तर्गत आवंटित एफ–32 व एफ–64 प्रकार के आवंटित फ्लैटों के आवंटियों को माह–दिसम्बर–2017 तक दण्ड ब्याज एवं विलम्ब शुल्क शिथिलता प्रदान किये जाने का संयुक्त प्रस्ताव संस्तुति सहित संलग्न कर इस कार्यालय के पत्रांक 641 दिनांक 06.02.2018 द्वारा मुख्यालयप्रेषित किया गया था, जिसकी प्रति मेरठ जोन, मेरठ को भी प्रेषित की गयी थी किन्तु मुख्यालय द्वारा संयुक्त प्रस्ताव पर मेरठ जोन की संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि स्व वित्त पोषित योजना–2012 एवं 2014 के अन्तर्गत आवंटित एफ–32 व एफ–64 प्रकार के फ्लैटों के आवंटियों को माह–दिसम्बर–2017 तक दण्ड ब्याज एवं विलम्ब शुल्क शिथिलता प्रदान किये जाने का संयुक्त प्रस्ताव पर संस्तुति सहित प्रकरण मुख्यालय, लखनऊ को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(लक्ष्मण प्रसाद)
उप आवास आयुक्त
8/06/18

भवदीय

(नरेश बाबू)
सम्पत्ति प्रबन्धक

पृ0सं0 2038 /उक्त/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः उप आवास आयुक्त स0प्र0, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31.05.18

सम्पत्ति प्रबन्धक

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या–11 मेरठ में निर्मित बहुमंजिले फलैटों के आवंटियों को दण्ड ब्याज/ विलम्ब शुल्क में शिथिलता प्रदान करने हेतु संयुक्त प्रस्ताव

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ–गढमुक्तेश्वर मार्ग पर संचालित जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या–11 मेरठ में स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वर्ष–2012 में एफ–32 प्रकार के 384 नग, एफ–64 प्रकार के 160 नग, एवं वर्ष–2014 में एफ–32 प्रकार के 64 नग एवं एफ–64 प्रकार के 32 नग फलैटों का पंजीकरण खोला गया था जिसके विरूद्ध वर्तमान में कमशः 251 नग, 110 नग, 30 नग व 17 नग पंजीकृत आवटी उपलब्ध है जिन्हें अन्तिम मूल्यांकन स्वीकृति के उपरान्त आवंटन पत्र निर्गत किये जा चुके है।

प्रश्नगत फलैटों के निर्गत आवंटन पत्र में देय तिथि के बाद विलम्ब से धनराशि जमा किये जाने पर दण्ड ब्याज एवं कब्जे हेतु औपचारिकतायें निर्धारित अवधि में पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब शुल्क लगाये जाने का नियमानुसार प्राविधान किया गया है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित आवंटियों का कहना है कि स्थल पर फलैटों में मूल भूत सुविधाये पूर्ण से विकसित करने में विलम्ब हुआ है तथा अनुरोध किया जा रहा है कि उक्त विलम्बित अवधि का उनसें दण्ड ब्याज एवं विलम्ब शुल्क न लिया जाय।

उल्लेखनीय है कि स्थल पर पूर्व में किसानों द्वारा प्रतिकर दर में वृद्धि किये जाने की मांग आदि समस्याओं के कारण निर्माण/ विकास कार्य में विलम्ब हुआ है तथा समस्त मूल भूत सुविधायें माह दिसम्बर–2017 तक विकसित हो पायी हैं।

अतः उपरोक्त के आलोक में स्वयं वित्त पोषित योजना–2012 एवं 2014 के अन्तर्गत आवंटित एफ–32 एवं एफ–64 प्रकार के आवंटित फलैटों के आवंटियों को माह दिसम्बर–2017 तक दण्ड ब्याज एवं विलम्ब शुल्क में शिथिलता प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।

29.01.18		
(नरेश बाबू)	(डी0 के0 गुप्ता)	(प्रमोद कुमार)
सम्पत्ति प्रबन्धक, मेरठ	अधिशासी अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
	निर्माण खण्ड–3 मेरठ	निर्माण खण्ड–5 मेरठ

(एस0 पी0 एन0 सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त
मेरठ

परिशिष्ट-2

परिषद की जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11 मेरठ में निर्मित बहुमंजिले फ्लैटों के आवंटियो का दण्डब्याज/विलम्ब शुल्क में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक दिनांक 24.07.2018 का

कार्यवृत्त

परिषद की जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11 मेरठ में स्व0 वित्त पोषित योजना वर्ष-2012 में एफ-32 प्रकार के 384 नग फ्लैट एवं एफ-64 प्रकार के 160 नग फ्लैट अर्थात कुल 544 नग फ्लैट तथा वर्ष 2014 में एफ-32 प्रकार के 64 नग फ्लैट एवं एफ-64 नग प्रकार के 32 नग अर्थात कुल 96 नग फ्लैटों का पंजीकरण खोला गया था। उक्त फ्लैटों के सापेक्ष में वर्तमान में 408 नग फ्लैट आवंटित है, जिन्हें अन्तिम मूल्यांकन के अनुसार आवंटन-पत्र जारी किये जाने पर आवंटियों द्वारा माह दिसम्बर-2017 तक दण्डब्याज एवं विलम्ब शुल्क में शिथिलता प्रदान करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5/8 एवं अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त मेरठ की संस्तुति सहित संयुक्त प्रस्ताव पर आवास आयुक्त (म0) द्वारा वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए 07 दिन में आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में अपर आवास आयुक्त एवं सचिव महोदय द्वारा निम्न समिति नामित की गयी है।

1. अधीक्षण अभियन्ता,वरिष्ठ स्टाफ आफीसर,(श्री एस0के0 रायतानी) सदस्य
2. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड-8 मेरठ सदस्य
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5 मेरठ सदस्य
4. उप आवास आयुक्त, भूमि अर्जन अनुभाग मुख्यालय सदस्य
5. उप आवास आयुक्त, भू0अ0/स0प्र0 अनुभाग मुख्यालय सदस्य

तद्रक्रम में वित्त नियंत्रक महोदय की अध्यक्षता में समिति की बैठक दिनांक 24.07.2018 को अपरान्ह समय 4.00 बजे कार्यालय कक्ष में आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए।

1. श्री एस0के0 रायतानी,अधीक्षण अभियन्ता,वरिष्ठ स्टाफ आफीसर मुख्यालय।
2. श्री एस0पी0एन0 सिहं, अधीक्षण अभियन्ता,द्वितीय वृत्त मेरठ।
3. श्री प्रमोद कुमार,अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5 मेरठ।
4. श्री अरविन्द कुमार, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-6 मेरठ।
5. श्री लक्ष्मण प्रसाद, उप आवास आयुक्त, भू0अ0/स0प्र0 अनुभाग मुख्यालय।
6. श्री एस0बी0सिंह,उप आवास आयुक्त,भूमि अर्जन अनुभाग मुख्यालय।

परिषद की जागृति विहार योजना संख्या-11 मेरठ में निर्मित बहुमंजिले फ्लैटों का पंजीकरण वर्ष 2012 एवं वर्ष 2014 में पंजीकरण खोला गया था, पंजीकरण पुस्तिका में आवश्यक विवरण के बिन्दु संख्या-01 पर अंकित था कि प्रस्तावित निर्माण 4 मंजिलें 24 माह एवं 10 मंजिले हेतु 30 माह में किया जाना है। अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त मेरठ द्वारा वर्ष 2012 में खोले गये पंजीकरण के विरूद्व एफ-32 प्रकार के भवनों का मूल्यांकन दिनांक 09.12.2016 एवं एफ-64 प्रकार के फ्लैटों का मूल्यांकन दिनांक 10.11.2016 तथा वर्ष 2014 में

क्रमशः................2

खोले गये पंजीकरण के विरूद्व एफ–32 प्रकार के फ्लैटों का मूल्यांकन दिनांक 24.11.2017 तथा एफ–64 प्रकार के भवनों का मूल्यांकन दिनांक 03.06.2017 को स्वीकृत कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय को प्रेषित किया गया।

प्रश्नगत फ्लैटों के निर्गत आवंटन–पत्र में देय तिथि के बाद विलम्ब से धनराशि जमा किये जाने पर दण्डब्याज एवं कब्जे हेतु औपचारिकतायें निर्धारित अवधि में पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब शुल्क न लिये जाने हेतु संबंधित फ्लैटों के आवंटियों द्वारा अनुरोध किया जा रहा है,क्योंकि स्थल पर फ्लैटों की मूलभूत सुविधायें विकसित करने में विलम्ब हुआ है।

सम्पत्ति प्रबन्धक, मेरठ, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8 मेरठ, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5 मेरठ,अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त मेरठ ने अपने संयुक्त प्रस्ताव दिनांक 29.01.2018 द्वारा अवगत कराया है कि स्थल पर पूर्व में किसानों द्वारा प्रतिकर में वृद्वि किये जाने की माँग आदि समस्याओं के कारण निर्माण/विकास कार्य में विलम्ब हुआ है, तथा समस्त मूलभूत सुविधायें माह दिसम्बर 2017 तक विकसित हो पाई है।

बैठक में उपस्थिति संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत फ्लैटों में मूलभूत सुविधायें माह दिसम्बर 2017 तक विकसित हो पायी है।

अतः बैठक में यह मत स्थिर हुआ कि अन्तिम मूल्यांकन के उपरान्त निर्गत प्रदेशन–पत्र में दिनांक 31.12.2017 तक विलम्ब शुल्क न लिया जाय, किन्तु जिन आवंटियों द्वारा इस मद में धनराशि जमा कराई जा चुकी है, उन्हें पुर्नउद्वघाटित नहीं किया जायेगा।

(प्रमोद कुमार) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–5 मेरठ	(अरविन्द कुमार) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–6 मेरठ	(लक्ष्मण प्रसाद) उप आवास आयुक्त (भू0अ0/स0प्र0)
(एस0बी0 सिंह) उप आवास आयुक्त(भूमि)	(एस0के0रायतानी) अधीक्षण अभियन्ता, वरिष्ठ स्टाफ आफीसर	(एस0पी0एन0सिंह) अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त मेरठ

(धर्मेन्द्र वर्मा)
वित्त नियन्त्रक

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

मद संख्या 246/28
समन्वय अनुभाग

विषयः परिषद के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

परिषद के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन की भांति सेवानैवृत्तिक लाभों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी/पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि की सुविधा अनुमन्य है। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा काफी समय से सेवानिवृत्त कर्मियों को नियमित कर्मियों की भांति चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। शासन के सेवानिवृत्त कार्मिकों को उ0प्र0 सरकार के चिकित्सा अनुभाग–6 के गजट नोटिफिकेशन संख्या–2275/5–6–11–1082–87 दि0 20.09.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 की शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य है।

परिषद की 222वीं बैठक दि0 06.02.2013 में उ0प्र0 सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–2367/पाँच–6–11–1082/87 दिनांक 10.10.2011 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली–2011 को परिषद में सेवारत कार्मिकों के चिकित्सा परिचर्या हेतु परिषद में लागू करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मद संख्या–222/32 के निर्णय के अनुसार सम्बन्धित शासनादेश सं0–2367/पाँच–6–11–1082/87 दिनांक 10.10.2011 द्वारा अंगीकृत किया गया है। तदक्रम में कार्यालय आदेश सं0–2337/सम0अनु0/दि0 23.02.2013 द्वारा परिषद कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को की बीमारियों से उपचार से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों का शासनादेश की व्यवस्थानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश है।

वर्तमान में शासन के पत्र संख्या–1034/आठ–2–78–03एच0बी0(156)/2018 दिनांक 30.08.2018 (परि0–01) द्वारा यह आदेश/निर्देश दिया गया है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होनी है। इस नियमावली के नियम–3(अ) के अनुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिक उक्त नियमावली से आच्छादित नहीं है। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 08.11.1988, 01.03.1992, 31.05.1996 एवं 13.02.2014 जारी किये गये है। सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को शासकीय कर्मियों की भांति चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कोई शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है। परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में परिषद में सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु पेंशन की व्यवस्था लागू नही थी। कार्यालय आदेश सं0–169/पेंशन/दि0 13.05.2015 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा निर्णीत रिट याचिका संख्या–582(एस.बी.) /2000 में पारित निर्णय दि0 16.01.2009 के अनुपालन में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिकों की भांति परिषद के नोटिफिकेशन सं0–889/पेंशन/ दि0 19.05.2009 द्वारा निर्णय सी0पी0एफ0 योजना के स्थान पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन योजना (राशिकरण को छोड़कर) दि0 01.01.1996 से अनुमन्य किये जाने के आदेश दिये गये है। मा0 न्यायालय के आदेशों के समादर में शासनादेश सं0–1111/आठ–2–15–01 एस0एल0पी0/09, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 दि0 15.05.2015 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों को पेंशनरी बेनीफिट्स अनुमन्य कराये जाने के आदेश वर्तमान में निर्गत है।

अतएव परिषद के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें पेंशनरी बेनीफिट्स देय है, को राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भांति चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(उदय राज सिंह)
अपर आवास आयुक्त

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

पार्ट संदर्भ सं०-

पार्ट-(1)

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

समन्वय
डायरी सं० 2537
दिनांक 6/9/2018

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2018

विषय--परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों का शासकीय कर्मियों की भाँति चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषद के पत्र संख्या-1351/UPHDB/CS दिनांक 15-09-2017 एवं अर्द्धशा०पत्र संख्या-783, दिनांक 07-05-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है। इस नियमावली के नियम-3 (ग) के अनुसार उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिक उक्त नियमावली से आच्छादित नहीं हैं। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 08-11-1988, 11-03-1992, 31-05-1996 एवं 13-02-2014 जारी किये गये हैं। सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को शासकीय कर्मियों की भाँति चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कोई शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है।

कृपया तदानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Urgent
AHC (M)
बिंदु (3) पर आख्या दें
31.8.2018
आवास आयुक्त

श्री दुबे - Admn. off.
SPO

सचिव
6/9/18

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

पी०एस०यू०पी०-18 R.P.(80)

निदेशक मण्डल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 246वीं बैठक
दिनांक 10 सितम्बर, 2018

पटल पर प्रस्तुत विषय सूची

प्रशासन अनुभाग

246/29	सहायक अभियन्ता पद पर भर्ती के संबंध में।

भूमि अर्जन अनुभाग

246/30	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–3 लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा सं0 1544 मि0 में प्रस्तावित 30 मी0 चौड़ी सड़क पर बने अवैध निर्माण के समायोजन के संबंध में।
246/31	वृन्दावन योजना से संबंधित किसानों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि दिये जाने तथा वर्ष 2002 से पूर्व के स्थित निर्माणों के समायोजन के संबंध में।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

246/32	परिषद योजनाओं में रिक्त/उपलब्ध आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का E-Auction/ E-Tender के माध्यम से निस्तारण के सम्बन्ध में।
246/33	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।

मद संख्या 246/29
प्रशासन अनुभाग

परिषद् के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः— सहायक अभियन्ता पद पर भर्ती के सबंध में।

"विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0—1521/आठ—2—18—03एच0बी0 (188)/12 दिनांक 12 जुलाई, 2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद के पत्र सं0—02/प्रशा0—एक दिनांक 03.01.2018 का संदर्भ देते हुए अवगत कराया गया है, कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के सीधी भर्ती के 36 रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से चयन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या—173/18/1/डीआर/एस—10/2018—19 दिनांक 12.06.2018 द्वारा सहमति भी प्रदान कर दी गई है। अतः सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के सीधी भर्ती के 36 रिक्त पदों पर चयन कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को निर्धारित प्रारूप पर अधियाचन/प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2. उल्लेखनीय है, कि शासन के पत्र दिनांक 29.06.2016 द्वारा 27 पदों पर भर्ती किए जाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है परन्तु भर्ती वर्ष 2017—18 में सहायक अभियन्ता के 10 और पद रिक्त हुए हैं। अतः परिषद के पत्र स0—110/प्रशा0—एक दिनांक 09.10.2017 द्वारा सहायक अभियन्ता के रिक्त और 10 पदों पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु शासकीय अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

परिषद में सहायक अभियन्ता के 187 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 93 पद सीधी भर्ती के एवं 94 पद प्रोन्नति के हैं। वर्तमान में सहायक अभियन्ता के सीधी भर्ती के 37 पद रिक्त हैं, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा 36 पदों पर भर्ती किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

3. उल्लेखनीय है, मा0 निदेशक मण्डल के 245वीं बैठक दिनांक 14.05.2018 को मद संख्या—245/9 में सहायक अभियन्ता के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को टी0सी0एस0 के स्थान पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती कराये जाने हेतु सहायक अभियन्ता की सेवा नियमावली में संशोधन का निर्णय मा0 परिषद द्वारा लिया गया। तदक्रम में सहायक अभियन्ता की संशोधित सेवा नियमावली गजट में प्रकाशित कराने हेतु समन्वय कोष्ठ को भेजा गया है, जिसका गजट में प्रकाशन दिनांक 07 जुलाई, 2018 को हो चुका है।

4. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965(अधिनियम संख्या—1सन् 1966) की धारा—95 की उप धारा—1(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अपनी अधिकार सीमा में, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में प्रभावी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद असिस्टेन्ट इंजीनियर्स सर्विस रेगुलेशन्स—1973 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन हेतु परिषद की 245वीं बैठक दिनांक 14.05.2018 के मद सं0—245/9 में विभिन्न विनियमों में संशोधन हेतु निर्णय लिया गया है, जिसमें *नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों का मा0 परिषद की अनुमति लेकर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने हेतु सक्षम है"* का *प्राविधान है।*

5. प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0—1521/आठ—2—18—03एच0बी0 (188)/12 दिनांक 12 जुलाई, 2018 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के सीधी भर्ती के 36 रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से चयन कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

6. अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में शासन द्वारा सहायक अभियन्ता के 36 पदों पर भर्ती हेतु प्रदान की गई अनुमति एवं परिषद की 245वीं बैठक दिनांक 14.05.2018 के मद सं0–245/9 में सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग से कराने के सम्बन्ध में विनियम में संशोधन हेतु प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में सहायक अभियन्ता के 36 पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित करने के सम्बन्ध में मा0 परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।"

7. अतः कृपया प्रकरण में मा0 परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

(नीलम)	(महेन्द्र कुमार)	(अजय चौहान)
उप आवास आयुक्त	सचिव	आवास आयुक्त

महत्वपूर्ण/आवश्यक

संख्या–1521/आठ–2–18–03एच0बी0(188)/12

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2018

विषय–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषद के पत्र संख्या–02/प्रशा0–एक दिनांक 03–01–2018 एवं पत्र संख्या–22/प्रशा0–एक दिनांक 31–01–2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के सीधी भर्ती के 36 रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से चयन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या–173/19–1/डीआर/एस–10/2018–19 दिनांक 12–6–2018(प्रति संलग्न) में सहमति भी प्रदान कर दी गयी है।

3– अतएव कृपया परिषद में सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के सीधी भर्ती के 36 रिक्त पदों पर चयन कराये जाने हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के निर्धारित प्रारूप पर अधियाचन/प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

F. No. 3 H.B. (188)/12

संख्या–173/18/01/डी.आर./एस–10/2018–19

प्रेषक,

सत्य प्रकाश,
उप सचिव,
उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

इलाहाबाद: दिनांक 19 जून, 2018

विषय–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के सीधी भर्ती के 30 रिक्त पदों पर चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराये जाने पर परामर्श/सहमति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1030/आठ–2–18–03 एच0बी0 (133)/12, दिनांक 09.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत) के सीधी भर्ती के 30 पदों का चयन उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2014 के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से कराये जाने हेतु शासन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मा0 आयोग द्वारा सम्यक् रूपेण विचार किया गया। तदनुसार मा0 आयोग द्वारा उपर्युक्त पदों पर चयन उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2014 के आलोक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से कराये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश)
उप सचिव

(नितेन्द्र स्वरूप ...)
... आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(राजेश कुमार ...)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0 प्र0 शासन

रजिस्टर्ड नं०-एल०डब्लू०-4
लाइसेन्स नं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 7 जुलाई, 2018 ई० (आषाढ़ 16, 1940 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज़-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद् बिसवां, जनपद सीतापुर

22 जून, 2018 ई०

सं0 673/A-7--प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190-ढ़ि0रा0दि0आ0/4, दिनांक 18 मार्च, 2011, शासनादेश संख्या 408/नौ-9-10-65ज/95टी0सी0, दिनांक 22 फरवरी, 2010 जिसे नगरपालिका परिषद, बिसवां ने नगर सीमा में स्थित भवनों/भूखण्डों पर स्वतः करो को निर्धारित किया जाना स्वीकार किया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 विधान मण्डल द्वारा उ0प्र0 नगरपालिका संशोधित अधिनियम संख्या 08 सन् 2011 एवं न0पा0अधि0, 1916 की धारा 128 यथा संशोधित में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद् बिसवां अपनी सीमा/निकट भविष्य में विस्तार होने वाली सीमा के अन्तर्गत स्थित भवनों/भूखण्डों अथवा दोनों पर जलकर, गृहकर अधिरोपण एवं उसकी वसूली हेतु नियमावली/उपविधियां निम्नवत् प्रख्यापित करते हुए इस नियमावली का प्रकाशन दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 को दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन कराकर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। पुनः नवीन बोर्ड गठित होने के उपरान्त उक्त नियमावली दिनांक 22 जून, 2018 को प्रस्तुत की गयी। बोर्ड द्वारा प्राप्त सुझावो को सम्मिलित करते हुये प्रस्ताव संख्या 7 पारित किया गया, जनहित में नियमावली को सार्वजनिक करने हेतु 02 दैनिक हिन्दी समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है। जो नियमावली उपविधियां सरकारी गजट में प्रकाशन के बाद तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी।

नियमावली

1–नियमावली/उपविधियों का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बिसवां, जलकर, गृहकर अधिरोपण एवं वसूली नियमावली/उपविधियां, 2011 व अधिनियम संख्या 08 सन् 2011 उपरोक्त से है।

2–अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य निर्वाचित अध्यक्ष नगरपालिका/जिलाधिकारी अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत, प्राधिकारी प्रशासक अथवा प्रभारी अधिकारी कहलायेगा जैसी स्थिति हो।

3–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बिसवां से है, जो कि अधिनियम संख्या-08 के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी होगा। अधिशासी अधिकारी कर निर्धारण की शक्तियां अधीनस्थ को प्रतिनिहित करके करों का अधिरोपण भी करा सकेगा।

क्र0सं0	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
	(3) प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्बन्धित पाठ्यक्रम तथा नियम आवास आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे।	(3) प्रतियोगितात्मक परीक्षा होने पर उसमें प्राप्त अंक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर योग्यता फल सूची चयन समिति द्वारा तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किये हो या लिखित परीक्षा होने पर उसमें अधिक अंक पाने वाले व्यक्ति को तथा लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर अथवा लिखित परीक्षा न होने पर, अधिक आयु वाले व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान किया जायेगा। यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेज दी जायेगी।
	(4) प्रतियोगितात्मक परीक्षा होने पर उसमें प्राप्त अंक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर योग्यता फल सूची चयन समिति द्वारा तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किये हों या लिखित परीक्षा होने पर उसमें अधिक अंक पाने वाले व्यक्ति को तथा लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर अथवा लिखित परीक्षा न होने पर, अधिक आयु वाले व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान किया जायेगा। यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेज दी जायेगी।	

3–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सम्पत्ति प्रबन्धन सेवा विनियमावली, 1984 (यथा संशोधित 2013) के उक्त विनियमों में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

धीरज साहू,
आवास आयुक्त।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[प्रशासन अनुभाग]

संख्या 1814/प्रशा0-एक

13 जून, 2018 ई0

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) की धारा 95 की उपधारा (1)(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 आवास एवं वकास परिषद् अपनी अधिकार सीमा में, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में प्रभावी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद असिस्टेन्ट इंजीनियर्स सर्विस रेगुलेशन्स, 1973 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन हेतु परिषद् की 245वीं बैठक दिनांक 14 मई, 2018 के मद संख्या 245/9 में विभिन्न विनियमों में संशोधन हेतु निर्णय लिया गया है।

2–अतः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद असिस्टेन्ट इंजीनियर्स सर्विस रेगुलेशन्स, 1973 (यथा संशोधित) के निम्न विनियमों में संशोधन निम्नवत् किया जाता है–

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
Appointing Authority–The appointing authority of the member of the Service shall be the Housing Commissioner or such other officer as may be appointed by the board.	नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों का मा0 परिषद की अनुमति लेकर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से भर्ती कराने हेतु सक्षम होंगे।

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
5. Source of recruitment–(1) Recruitment–(1) Recruitment to the Service, in any year, shall be made as follows :-	5. Source of recruitment–(1) Recruitment– (1) Recruitment to the Service, in any year, shall be made as follows :-
(i) By direct Recruitment in accordance with the procedure laid down in Appendix 'A' *Appendix 'A'*	(i) By direct Recruitment in accordance with the procedure as given below :-
1.(1) The appointing authority will announce the number of candidates to be recruited in the leading newspapers of the State and invite the candidates to make applications within such time as may be specified in the announcement.	(*a*) The Uttar Pradesh Public Service Commission will announce the number of candidates to be recruited in the leading newspapers of the State and invite the candidates to make applications within such time as may be specified in the announcement.
(2) The vacancies shall be notified to the local employement exchange also.	
2. The applications shall be submitted on the prescribed form which may be obtained from the office of the Board on the payment of a fee of Rs. 10.	(*b*) The applications shall be submitted on the prescribed form which may be obtained from the office of Uttar Pradesh Public Service Commission.
NOTE–Only Postal Ordrs for the above amount will be accepted.	
3. The selection shall be made on the basis of a test and/or interview, as may be decided by the appointing authority.	(*c*) The selection shall be made on the basis of a written test and interview, which will carry the weightage of 90% and 10% of the total marks. respectively.
(1) Whenever a test is held the marks obtained by the candidates in the test shall be compiled and such of the candidates as obtain the minimum qualifiying marks in the aggregate as may be prescribed by the appointing authority will be called for interview.	(*d*) Whenever a test is held the marks obtained by the candidates in the test shall be compiled and such of the candidates as obtain the minimum qualifiying marks in the aggregate as may be prescribed by the Uttar Pradesh Public Service Commission will be called for interview.
(2) The interview shall be held by a Selection Committee as may be constituted by the appointing authority from time to time.	(*e*) The interview shall be held by a Selection Committee as may be constituted by the Uttar Pradesh Public Service Commission from time to time.
(3) After the interview is held the marks obtained by each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written test and a consolidated list of candidates prepared in order of merit. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate. their names shall be arranged in the list on the basis of the total marks obtained by them in the written test and if the marks obtained by them in the written test.	(*f*) After the interview is held the marks obtained by each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written test and a consolidated list of candidates prepared in order of merit. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, their names shall be arranged in the list on the basis of the total marks obtained by them in the written test.
(4) The list will show the names of general candidates and Schedule Caste/ Schedule Tribes candidates seperately.	(*g*) The list will show the names of general candidates and Schedule Caste/ Schedule Tribes candidates seperately.

3-अतः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् असिस्टेन्ट इंजीनियर्स सर्विस रेगुलेशन्स, 1973 (यथा संशोधित) के उक्त विनियमों में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

धीरज साहू,
आवास आयुक्त।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभिलाय अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001

शीघ्र एवं शीर्ष प्राथमिकता

पत्र संख्या : ...[illegible]... / उ०अनु०-एक(बोर्ड बैठक 245/14.05.18)

दिनांक : 21/5/18

उप आवास आयुक्त (प्रशासन),
प्रशासन अनुभाग,
मुख्यालय

परिषद के मा० निदेशक मण्डल की 245वीं बैठक दिनांक 14 मई, 2018 में आपके अनुभाग से सम्बन्धित प्रस्तावों के निम्नांकित निर्णय आपके अनुपालनार्थ यहाँ अंकित किया जा रहा है :

245/4	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में विधि परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साक्षात्कार हेतु आवास आयुक्त की अध्यक्षता में वित्त नियंत्रक एवं सचिव की समिति गठित की जाये। विधि परामर्शदाता के अनुभव में सेवा में रहते हुए परामर्शी के रुप में किये गये कार्य को भी सम्मिलित किया जाय।
245/5	परिषद कार्मिकों को दिनांक 01.07.2017 से 5% तथा दिनांक 01.01.2018 से 7% बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/6	सीधी भर्ती उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने हेतु सम्पत्ति प्रबन्ध सेवा विनियमावली-1984(यथा संशोधित 2013) में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि विनियम 14 का प्रस्तर-4 भी संशोधित नियम में सम्मिलित किया जाय।
245/7	परिषद के पेंशनरों को दिनांक 01.07.2017 से देय वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग का 139% प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/8	सहायक अभियन्ता पद पर सीधी भर्ती के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आवेदकों का आवेदन शुल्क वापस किये जाने का निर्णय लिया गया और टी0सी0एस0 के भुगतान के संबंध में पूर्व में परिषद व टी0सी0एस0 के बीच निष्पादित अनुबन्ध पर विधिक राय लेते हुए प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
245/9	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स सर्विस रेगुलेशन्स-1973 (यथा संशोधित के भाग-III एवं भाग-V में संशोधन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/36	परिषद में कार्यरत वाहन चालकों को षष्टम् वेतनमान के अनुसार एक माह के मूलवेतन के बराबर अनुमन्य मानदेय की भाँति सप्तम् वेतन मैट्रिक्स की संस्तुतियों के अनुरूप	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

समन्वय अनुभाग

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

समयबद्ध एवं शीर्ष प्राथमिकता

पत्र संख्या [illegible] /समन्वय-अनु0-एक(बोर्ड बैठक 245/14.05.18) दिनांक [illegible]

	निर्धारित मूलवेतन के अनुसार मानदेय अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	
245/37	परिषद के पेंशनरों को दिनांक 01.01.2018 से देय वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग का 142% मंहगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कृपया उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन करते हुए उसकी आख्या समयबद्ध एवं शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समन्वय अनुभाग, मुख्यालय को पूर्ण अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(महेन्द्र कुमार)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

मद सं0 : 246/30
भूमि अर्जन अनुभाग

परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–3 लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा सं0 1544 मि0 में प्रस्तावित 30 मी0 चौड़ी सड़क पर बने अवैध निर्माण के समायोजन के संबंध में।

परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–3 लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा सं0 1544 मि0 में प्रस्तावित 30.00 मी0 चौड़ी सड़क की एक लेन पर श्री अभिषेक गुप्ता पुत्र स्व0 डी0पी0 गुप्ता का अवैध निर्माण स्थित है जोकि वर्ष 2002 से पूर्व का है।

प्रश्नगत सड़क के निर्माण हेतु विधानसभा के द्वितीय सत्र 2015 में अतारांकित प्रश्न संख्या–28 के उत्तरालेख पर आश्वासन सं0–212/2015, 38/2017 एवं 166/2017 लम्बित है, जिसमें निम्नवत रूप से मा0 आश्वासन समिति को स्थिति से अवगत कराया गया है।

"वृन्दावन योजना, लखनऊ में अधिग्रहीत ग्राम बरौली खलीलाबाद के खाता संख्या–114, खसरा सं0–1544/1, 1544मि0 पर स्थित निर्माण (30.00 मी0 चौड़ी पेरीफेरियल सड़क के द्वितीय लेन पर) के समायोजन हेतु परिषद के पत्र संख्या 2205/पी–7/93 दिनांक 23.11.2016 द्वारा संबंधित काश्तकार को वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने/सहमति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में संबंधित काश्तकार द्वारा वांछित औपचारिकताएं/सहमति खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि भूमि के समायोजन की कार्यवाही उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में बोर्ड द्वारा की जाती है। अतः प्रश्नगत प्रकरण के समायोजन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर निर्णय लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।"

उक्त प्रकरण मा0 परिषद निदेशक मण्डल की 242वीं बैठक दिनांक 06.07.2017 को मद सं0–13 पर रखा गया था जिसमें मूल काश्तकार की 30.00 वर्गमी0 भूमि समायोजित करने हेतु निर्णय लिया गया था ताकि 30.00 मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण पूर्ण कराया जा सके।

चूंकि मूल काश्तकार की मृत्यु हो चुकी थी तथा उत्तराधिकार प्रपत्रों संबंधी आदि औपचारिकताएं दिनांक 27.08.2018 को पूर्ण हुयी है, अतः तदसमय उक्त समायोजन के सापेक्ष भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही नही की जा सकी।

परिषद की उपरोक्त बैठक में काश्तकार की अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत विकसित भूखण्ड का प्रकरण भी रखा गया था, जिस पर कोई निर्णय न होने के कारण प्रकरण के निस्तारण में असुविधा हो रही है। उक्त के प्रकाश में पत्रावली का पुर्नमूल्यांकन किया गया तथा स्थिति निम्नानुसार है:–

1. प्रकरण में वृन्दावन योजना में हितबद्ध काश्तकारों को दिये जा रहे 5 प्रतिशत भूखण्डों के सापेक्ष देयता का आंकलन (परिशिष्ट–1) पर संलग्न सूची के अनुसार होगा। सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बरौली खलीलाबाद के विभिन्न खसरों में अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष काश्तकार को कुल 250.00 वर्गमी0 भूमि की देयता आकलित होती है।
2. परिषद की 242वीं बैठक दिनांक 06.07.2017 के मद सं0–13 पर मूल काश्तकार की सड़क पर आ रही 30.00 वर्गमी0 भूमि के समायोजन का प्रस्ताव स्वीकृत है जिसे उपरोक्त भूमि अर्थात 250.00 वर्गमी0 में समायोजित किया जाना विचारणीय है।
3. देयता का आकलनः–

अ)	काश्तकार को बिन्दु सं0–1 के सापेक्ष आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल		250.00 वर्गमी0
ब)	बिन्दु सं0–2 के सापेक्ष समायोजित करने योग्य भूमि	(–)	30.00 वर्गमी0
स)	काश्तकार की नेट देयता (अ–ब)		220.00 वर्गमी0

4. उपरोक्त से स्पष्ट है कि काश्तकार को 250.00 वर्गमी० के आकार का भूखण्ड आवंटित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 30.00 वर्गमी० भूमि को समायोजित करने के उपरान्त अर्थात 220.00 वर्गमी० भूमि पर प्रथम आवंटन दर के 20 प्रतिशत आसुधार शुल्क देय होगा। शर्त यह रहेगी कि काश्तकार आवंटित भूखण्ड को कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 10 वर्ष तक विक्रय नहीं कर सकेगा। यदि उसके द्वारा 10 वर्ष के भीतर विक्रय की सूचना मिलती है तो प्रश्नगत क्रय/विक्रय अवैध माना जायेगा तथा उक्त आवंटित भूखण्ड की भूमि परिषद के स्वामित्व में निहित हो जायेगी।

अतः समिति द्वारा की गयी उपर्युक्त संस्तुतियों एवं मा० विधानसभा में लम्बित आश्वासन के दृष्टिगत उपर्युक्त प्रकरण मा० परिषद के निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(दिनेश कुमार)	(नीलम)	(उत्कर्ष राज सिंह)	(अजय चौहान)
अधीक्षण अभियन्ता	उप आवास आयुक्त(भूमि)	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	आवास आयुक्त

श्री जगत नरायन को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष
5 प्रतिशत भूमि का विवरण

क.सं.	खाता सं0	ग्राम का नाम	खसरा सं0	रकबा (हे0)	रकबा (एकड़)	स्वामित्व का अंश	क्षेत्रफल (एकड़)	
1	114	बरौली खलीलाबाद	1544mi	0.250	0.6178	का सम्पूर्ण भाग	0.6178	
2	114	बरौली खलीलाबाद	1554/1	0.076	0.1878	का सम्पूर्ण भाग	0.1878	
3	105	बरौली खलीलाबाद	1544	0.240	0.5940	का सम्पूर्ण भाग	0.5940	
				0.5660	**1.3996**	**कुल योग**	**1.3996**	**Acre**
						अर्थात	5663.118	Sqm
				5 प्रतिशत भूमि का आकलन			**283.16**	**Sqm**
				मानक भूखण्ड के अनुसार देयता			**250.00**	Sqm

6/9/18
(राजेश कुमार गौतम)
अधि० अभि०
निर्माण खण्ड-19

6.9.18
दिनेश कुमार
अधीक्षण अभियन्ता
वृंदावन वृत्त

मद सं0 : 246/31
भूमि अर्जन अनुभाग

परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषय: वृन्दावन योजना से संबंधित किसानों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि दिये जाने तथा वर्ष 2002 से पूर्व के स्थित निर्माणों के समायोजन के संबंध में।

वृन्दावन योजना सं0-1, 2, 3 व 4 लखनऊ के हितबद्ध किसानों को उनकी अधिग्रहीत की गई भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने एवं वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माणों के समायोजन हेतु किसान यूनियन द्वारा की गयी माँग के कम में अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त (नोडल अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-3129/वाई 46/336/दिनांक-14.08.2018 **(परिशिष्ट-1)** द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

वृन्दावन योजना के अनेक हितबद्ध किसानों को उनकी अधिग्रहीत की गई भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत विकसित भूमि के भूखण्ड दिये गये तथा वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माण समायोजित किये गये तथा यह सिलसिला वर्ष 2015 तक चला। कुछ किसानों के वर्ष 2002 से पूर्व भूमि समायोजन के प्रकरण मा0 परिषद की 235वीं बैठक दिनांक 12.04.2016 को मद सं0 49 पर रखे गये। किन्तु सभी प्रकरण "सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया" टिप्पणी के साथ निर्णीत होकर निरस्त हो गये जिसके सापेक्ष अपर आवास आयुक्त एवं सचिव द्वारा उनके पत्र सं0 276 /एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 17.05.2016 के माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त को निर्देश दिये गये कि "संदर्भित प्रकरणों के संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई हो तो उसे तत्काल स्थगित कर दिया जाये"।

किसानों के प्रश्नगत प्रकरणों के निस्तारण की अवधि मा0 परिषद बैठकों के माध्यम से 1-1 वर्ष के लिए बढायी जाती रही है। मा0 निदेशक मण्डल की 235वीं बैठक दिनांक-12.04.2016 के मद सं0 235/7 **(परिशिष्ट-2)** पर किसानों के विषयगत प्रकरणों पर समयावधि दिनांक-31.12.2016 तक बढाये जाने का प्रस्ताव इस शर्त के अधीन कि जिन खण्डों के अन्तर्गत अधिग्रहण व आवंटन एवं वर्ष-2002 से पूर्व बने निर्माणों के समायोजन की कार्यवाही की जा रही है, खण्ड स्तर से समस्त प्रभावित काश्तकारों के प्रकरण 03 माह के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित कर दिये जाये तथा शेष 09 माह में आवंटन सम्बंधी कार्यवाही करा दी जाये, अन्यथा की स्थिति में विलम्ब हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विलम्ब का स्पष्ट कारण अंकित करते हुए अतिरिक्त समय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया गया था कि दिनांक-31.12.2016 के पश्चात किसी भी दशा में समयावधि नही बढायी जायेगी, जिससे यह प्रकिया अनन्त काल तक न चलानी पडे। उक्त प्रस्ताव मा0 निदेशक मण्डल द्वारा **"सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।"** उक्त आदेश के कम में किसानों के प्रकरणों के संबंध में समयावधि दिनांक-31.12.2016 तक बढ़ायी गयी, इसके पश्चात समयावधि नही बढ़ायी गयी।

स्पष्ट है कि मा0 निदेशक मण्डल की 235वीं बैठक के मद सं0 49 पर लिये गये निर्णय तथा किसानों के प्रकरणों में दिनांक 31.12.2016 के पश्चात कोई तिथि न बढ़ाये जाने के कारण किसानों के प्रकरण यथास्थिति में है तथा विगत डेढ़ वर्षो में उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विभिन्न किसान यूनियनों द्वारा उनके अनिस्तारित प्रकरण के निस्तारण हेतु बराबर दबाव बनाया जा रहा है। किसानों के प्रकरणों के नोडल अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त द्वारा किसानों के प्रकरणों के संदर्भ में निम्नानुसार स्थिति से अवगत कराया गया:-

1.	कुल प्रकरणों की संख्या	1357 नग
2.	वृत्त/खण्ड स्तर से निस्तारित प्रकरण	622 नग
3.	अनिस्तारित प्रकरणों की संख्या	735 नग
4.	वृत्त/खण्ड स्तर से निस्तारित 622 नग के सापेक्ष आवंटित भूखण्डों की संख्या	478 नग
5.	अनावंटित आवेदकों की संख्या	144 नग (622-478)
6.	उपलब्ध भूखण्डों की संख्या	34 नग

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि काफी अधिक संख्या में किसानों के प्रकरण अनिस्तारित है जबकि उक्त अनिस्तारित प्रकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर ही जमा हो चुके है, किन्तु उनके आवेदन के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में भूमि/भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। अतः किसानों के विषयगत प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त (नोडल अधिकारी), लखनऊ द्वारा निम्न शर्तो/विकल्पों के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

अ) **हितबद्ध किसानों को 5 प्रतिशत भूमि दिया जाना:–** पात्र हितबद्ध किसानों को निम्न 3 विकल्पो मे से कोई एक विकल्प का चुनाव करना होगा–

विकल्प सं0–1: दिये जाने वाली भूमि का आवंटन परिषद अधिनियम के अनुसार 20 प्रतिशत आसुधार शुल्क योजना के आवंटन की प्रथम दर पर किया जायेगा किन्तु लाभान्वित किसान की भूमि 10 वर्ष तक विक्रय किये जाने की कार्यवाही से प्रतिबन्धित रहेगी यदि लाभान्वित किसानों के द्वारा 10 वर्ष के अन्दर भूमि विकय की जाती है तो ऐसी स्थिति मे कय विकय अवैध माना जायेगा और विकित भूखण्ड परिषद के स्वामित्व में निहित हो जायेगा।

अथवा

विकल्प सं0–2: दिये जाने वाली भूमि का आवंटन वर्तमान भूमि दर पर किया जायेगा तथा इस विकल्प मे भूमि विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

अथवा

विकल्प सं0–3: दिये जाने वाली भूमि के सापेक्ष आवेदक किसान को योजना के प्रथम आवंटन दर के 20 प्रतिशत के बराबर धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

ब) **किसानों के वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों का समायोजन:–** किसानों के वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों के प्रस्ताव परिषद की 235वीं बैठक के मद सं0 235/49 पर विचारोपरान्त निरस्त कर दिये गये। अतः पूर्व शर्तो पर इन प्रकरणों पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। किसान अपनी विभिन्न यूनियनों के माध्यम से इस बिन्दु के पुर्नविचार का दबाव बना रहे हैं। परिषद कार्यहित में ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है।

संशोधित प्रस्ताव:– पात्र हितबद्ध किसानों के वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों का समायोजन वर्तमान भूमि दर पर किया जायेगा।

कार्य योजना:–

1. किसानों से कोई नये आवेदन नहीं लिये जायेंगे। मात्र सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अनिस्तारित 144 नग तथा विभिन्न खण्ड स्तर पर अनिस्तारित 735 नग आवेदनों पर अर्थात कुल 879 नग आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। किसानों के आवेदनों का निस्तारण चरणवार समय सारिणी द्वारा किया जायेगा।

2. **प्रथम चरण:–** इस चरण में सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय (वृंदावन योजना) में अनिस्तारित 144 नग आवेदन तथा विभिन्न खण्डों में अनिस्तारित 735 नग आवेदनों की पुनः छटनी का कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक कार्यालय द्वारा एक तालिका सूची तैयार की जायेगी जिसमें काश्तकार का नाम, उसकी अर्जित भूमि का विवरण/देयता तथा पूर्व आवेदन निस्तारित न होने का संक्षिप्त विवरण अंकित किया जायेगा। यह चरण प्रत्येक दशा में दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

3. **द्वितीय चरण:–** इस चरण में विभिन्न खण्डों/सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय (वृंदावन योजना) द्वारा तैयार की गई तालिका सूचियों का प्रकाशन वृंदावन आफिस काम्पलेक्स कार्यालय तथा परिषद वैब साइट पर किया जायेगा। उक्त आशय की एक संक्षिप्त विज्ञप्ति समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी।यह चरण 15 दिनों की अवधि में दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

4. **तृतीय चरण:–** इस चरण में आवेदन पत्रों की आपत्तियों के निराकरण हेतु किसानों को समय दिया जायेगा तथा किसानों को उपरोक्त तीन विकल्पों को वरियता क्रम के अनुसार चुनने का अवसर दिया जायेगा। यह चरण दो माह की अवधि अर्थात दिनांक 31दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उक्त तिथि के पश्चात किसानों से कोई आपत्ति निराकरण /विकल्प प्रपत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5. **चतुर्थ चरण:–** इस चरण में किसानों से प्राप्त आपत्ति निराकरण प्रपत्रों/विकल्प वरियता क्रम को गहनता से परीक्षण किया जायेगा तथा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये पात्र/ अपात्र किसानों की अलग–अलग सूचियां सम्बन्धित खण्डों/संपत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा तैयार की जायेंगी। इस प्रकार तैयार सूचियां परिषद की वैब साइट पर प्रकाशित की जायेगी। यह चरण एक माह की अवधि अर्थात दिनांक 31जनवरी 2019 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

6. **पंचम चरण:–** इस चरण में पात्र पाये गये किसानों की सूची तथा उनके द्वारा चयनित विकल्प वरियता के आधार पर माह फरवरी 2019 के सामान्य आवंटन ड्रा के माध्यम से किसानों को भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

7. सूच्य है कि किसानों को आंवटन किये जाने योग्य मात्र 34 नग ही भूखण्ड उपलब्ध हैं। विकल्प सं0–2 चुनने वाले किसानों को वरियता दी जायेगी। यदि विकल्प सं0–2 द्वारा आवंटन करने के उपरान्त आवेदन अवशेष रहते हैं तो उन्हें विकल्प सं0 1 के अनुसार भूखण्ड आवंटित किया जायेगा। उपलब्ध भूखण्डों की संख्या शून्य होने पर किसानों के आवदनों का निस्तारण विकल्प स0–3 के अनुसार किया जायेगा।

8. किसानों के विषयगत प्रकरणों में समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जायेगा तथा समस्त प्रक्रिया फरवरी 2019 तक पूर्ण कर ली जायेगी। यदि किसी भी स्तर से शिथिलता परिलक्षित होती है तो सम्बन्धित का उत्तर दायित्व का निर्धारण करते हुये अनुशसनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(दिनेश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त
/नोडल अधिकारी

(नीलम)
उप आवास आयुक्त(भूमि)

(उदय राज सिंह)
अपर आवास आयुक्त

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

परिशिष्ट – 1

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त
ऑफिस काम्पलेक्स–पंचम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
circlevrinda@upavp.com

संगीतम प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्र सं0– 3129 / 4-46 / 336 दिनांक– 14-8-18

सेवा में,

अपर आवास आयुक्त
(भूमि अर्जन अनुभाग)
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

विषयः **<u>वृन्दावन योजना सं0–1, 2, 3 व 4 लखनऊ के हितबद्ध काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि दिये जाने एवं वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों के समायोजन हेतु समयावधि बढाये जाने के संबंध में।</u>**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0 893/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 13.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रकरण में समयावधि बढाये जाने के संबंध में मा0 परिषद बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने संबंधी प्रस्ताव की अपेक्षा की गई है।

उपरोक्त के क्रम में मा0 परिषद निदेशक मण्डल के समक्ष आगामी परिषद बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव का आलेख आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
(दिनेश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2– उप आवास आयुक्त (भूमि), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3– उप आवास आयुक्त (लखनऊ जोन), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

अधीक्षण अभियन्ता

श्री पंकज
(हस्ताक्षर)
अनु० अ० (भूमि III)
2018

– अर्जेन्ट –

मद सं0 :
भूमि अर्जन अनुभाग

परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः वृन्दावन योजना से संबंधित किसानों के प्रकरणों पर 5 प्रतिशत भूमि दिये जाने तथा वर्ष 2002 से पूर्व के स्थित निर्माणों के समायोजन के संबंध में।

वृन्दावन योजना सं0–1, 2, 3 व 4 लखनऊ के हितबद्ध किसानों द्वारा उनकी अधिग्रहीत की गई भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि का विकसित भूखण्ड दिये जाने एवं वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माणों के समायोजन हेतु की गई मांग के क्रम में प्रकरण मा0 परिषद की 218वीं बैठक दिनांक 29.10.2011 में विचारार्थ किया गया था, जिसका अनुमोदन मा0 परिषद द्वारा मद सं0 218/6 पर किया गया। मा0 परिषद के उक्त निर्णय के अनुपालन की अवधि 1 वर्ष अर्थात 03.11.2012 तक रखी गई।

उपरोक्त अनुमोदन के अनुपालन में वृन्दावन योजना के अनेक हितबद्ध किसानों को उनकी अधिग्रहीत की गई भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत विकसित भूमि के भूखण्ड दिये गये तथा वर्ष 2002 से पूर्व के निर्माण समायोजित किये गये तथा यह सिलसिला वर्ष 2015 तक चला। कुछ किसानों के वर्ष 2002 से पूर्व भूमि समायोजन के प्रकरण मा0 परिषद की 235वीं बैठक दिनांक 12.04.2016 को मद सं0 49 पर रखे गये। किन्तु सभी प्रकरण "सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया" टिप्पणी के साथ निर्णीत होकर निरस्त हो गये जिसके सापेक्ष अपर आवास आयुक्त एवं सचिव द्वारा उनके पत्र सं0 276/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 17.05.2016 के माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त को निर्देश दिये गये कि "संदर्भित प्रकरणों के संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई हो तो उसे तत्काल स्थगित कर दिया जाये"।

किसानों के प्रश्नगत प्रकरणों के निस्तारण की अवधि मा0 परिषद बैठकों के माध्यम से 1–1 वर्ष करते हुए बढ़ाई गई। मा0 निदेशक मण्डल की 235वी बैठक दिनांक 12.04.2016 के मद सं0 235/7 पर किसानों के विषयगत प्रकरणों पर समयावधि दिनांक 31.12.2016 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव दिया गया था जोकि "सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।" टिप्पणी के साथ अनुमोदित हुआ। उक्त आदेशों के तहत किसानों के प्रकरणों की तिथि दिनांक 31.12.2016 तक बढ़ाई गई तथा इसके पश्चात प्रकरणों में कोई तिथि आगे नहीं बढ़ाई गई।

स्पष्ट है कि मा0 निदेशक मण्डल की 235वीं बैठक के मद सं0 49 पर लिये गये निर्णय तथा किसानों के प्रकरणों में दिनांक 31.12.2016 के पश्चात कोई तिथि न बढ़ाये जाने के कारण किसानों के प्रकरण यथास्थिति में है तथा विगत 1½ वर्षो में उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विभिन्न किसान यूनियनों द्वारा उनके अनिस्तारित प्रकरण के निस्तारण हेतु बराबर दबाव बनाया जा रहा है। किसानों के प्रकरणों के अध्यक्ष एवं नोडल अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त द्वारा किसानों के प्रकरणों के संदर्भ में निम्नानुसार स्थिति अवगत कराई गई:–

1.	कुल प्रकरणों की संख्या	1357 नग
2.	वृत्त/खण्ड स्तर से निस्तारित प्रकरण	622 नग
3.	अनिस्तारित प्रकरणों की संख्या	735 नग
4.	वृत्त/खण्ड स्तर से निस्तारित 622 नग के सापेक्ष आवंटित भूखण्डों की संख्या	478 नग
5.	अनावंटित आवेदकों की संख्या	144 नग (622–478)
6.	उपलब्ध भूखण्डों की संख्या	34 नग

RSumar

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि काफी अधिक संख्या में किसानों के प्रकरण अनिस्तारित है किन्तु उनके सापेक्ष पर्याप्त संख्या में भूमि/भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। अतः किसानों के विषयगत प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

अ) <u>हितबद्ध किसानों को 5 प्रतिशत भूमि दिया जानाः–</u> पात्र हितबद्ध किसानों को निम्न 3 विकल्पों में से कोई एक विकल्प का चुनाव करना होगा–

<u>विकल्प सं0–1:</u> दिये जाने वाली भूमि का आवंटन परिषद अधिनियम के अनुसार 20 प्रतिशत आसुधार शुल्क योजना के आवंटन की प्रथम दर पर किया जायेगा किन्तु लाभान्वित किसान की भूमि 30 वर्ष तक विक्रय की कार्यवाही से प्रतिबन्धित रहेगी।

अथवा

<u>विकल्प सं0–2:</u> दिये जाने वाली भूमि का आवंटन वर्तमान भूमि पर किया जायेगा तथा इस विकल्प में भूमि विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

अथवा

<u>विकल्प सं0–3:</u> दिये जाने वाली भूमि के सापेक्ष आवेदक किसान को योजना के प्रथम आवंटन दर के 20 प्रतिशत के बराबर धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

ब) <u>किसानों के वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों का समायोजनः–</u> किसानों के वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों के प्रस्ताव परिषद की 235वीं बैठक के मद सं0 235/49 पर विचारोपरान्त निरस्त कर दिये गये। अतः पूर्व शर्तो पर इन प्रकरणों पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। किसान अपनी विभिन्न यूनियनों के माध्यम से इस बिन्दु के पुर्नविचार का दबाव बना रहे हैं। परिषद कार्यहित में ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है।

<u>संशोधित प्रस्तावः–</u> पात्र हितबद्ध किसानों के वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों का समायोजन वर्तमान भूमि दर पर किया जायेगा।

<u>नियम एवं शर्तेः–</u>

1. किसानों से कोई नये आवेदन नहीं लिये जायेंगे। मात्र सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अनिस्तारित 144 नग तथा विभिन्न खण्ड स्तर पर अनिस्तारित 735 नग प्रार्थना पत्रों पर ही विचार किया जायेगा।
2. सर्वप्रथम सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अनिस्तारित 144 नग प्रत्यावेदनों पर विचार किया जायेगा। पात्र पाये गये प्रकरणों में किसानों से विकल्प मांगे जायेगें। यदि उपलब्ध भूखण्डों के विरूद्ध किसान उपरोक्त विकल्प सं0–1 अथवा विकल्प सं0–2 के सापेक्ष भूखण्ड आवंटन का विकल्प अधिक संख्या में चुनते हैं तो भूखण्ड लाटरी द्वारा आवंटित कर दिये जायेगें तथा अवशेष किसानों को प्रथम आवंटन की दर के बराबर 20 प्रतिशत के बराबर धनराशि का भुगतान के पात्र होंगे। यह चरण दिनांक 31.10.2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
3. अगले चरण में किसानों के शेष 735 नग अनिस्तारित आवेदनों पर विचार किया जायेगा तथा समस्त कार्यवाही क्रमांक–2 के अनुसार की जायेगी। यह चरण दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रमांक–2 व 3 के विरूद्ध किसानों के आवेदन में यदि कोई आपत्ति अथवा कमी है तो उसके ~~निस्तारण~~ निराकरण हेतु किसानों को लिखित सूचना दी जायेगी तथा आपत्ति/कमी के निराकरण हेतु 15 दिनों की समयावधि दी जायेगी। दी गई अवधि में यदि किसान आपत्ति/कमी का निराकरण करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

5. क्रमांक–2 व 3 के विरूद्ध निरस्त आवेदनों के सापेक्ष निस्तारण आदेश सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण का कारण अवगत कराते हुए संबंधित किसानों को दी जायेगी।

6. क्रमांक–2 व 3 में उल्लिखित समयावधि का कड़ाई से पालन किया जायेगा तथा निर्धारित समयावधि किसी भी दशा में आगे बढ़ाई नहीं जायेगी। हितबद्ध किसानों के प्रकरणों से संबंधित समस्त खण्ड/सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी तथा भूमि अर्जन अनुभाग मुख्यालय सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य करेंगे तथा किसी स्तर से शिथिलता बरती जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा।

अतः प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

EE

AKumar
SE(V)

सम्न्वय अनुभाग

...../स0 अनु0–एजेण्डा बैठक 235/2015

	प्रसाद के पक्ष में आवंटित किये जाने के संबंध में।	
235/7	मा0 निदेशक मण्डल की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 के मद संख्या–232/28 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वृन्दावन योजना संख्या–1, 2, 3 व 4 के हितबद्ध काश्तकारों को 5% भूमि दिये जाने एवं वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों के समायोजन हेतु समयावधि बढाये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235/8	जनपद सीतापुर में आवास विकास की पंचवटी योजना के अन्तर्गत 80 साल पुराने मकान को आवंटित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235/9	इन्दिरानगर विस्तार योजना, लखनऊ के अन्तर्गत स्थित ग्राम समीउद्दीनपुर के खसरा संख्या 427 के कुल भूमि 0–12–0 बीघा भूमि पर निर्मित धारा–28 से पूर्व बने मकान, टयूबवैल शिव मन्दिर की भूमि का क्षेत्रफल 46.93 वर्गमीटर का वर्तमान दर का आसुधार शुल्क लेने एवं अवशेष 1518.00 वर्गमीटर भूमि को वर्तमान दर पर आवंटित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235/10	परिषद की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–गाजीपुर, सुईदुलनिशा के खसरा सं0–563 व 564 भूमि में से 511.15 वर्ग मी0 भूमि को वर्तमान दर पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।
235/11	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा के अन्तर्गत स्थित खसरा संख्या–727/1 मौजा बोदला, तहसील – सदर, जनपद–आगरा पर बनी हुयी आबादी लगभग 439.94 वर्गमीटर के भूखण्ड को वर्तमान आवासीय दर पर श्री ज्योति प्रसाद के पक्ष में	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त, समिति की संस्तुति पर आवेदक का मंतव्य प्राप्त कर, आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
समन्वय अनुभाग
[illegible] लखनऊ-22[illegible]

समयबद्ध एवं
शीर्ष प्राथमिकता

पत्र संख्या .... / स0 अनु0-एजेण्डे बैठक 235 / 12.04.16. दिनांक 13/04/16

	विहार योजना, लखनऊ एवं मै0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, लखनऊ द्वारा विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप हेतु ग्राम बरौना की 74.876 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में।	संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित। शासन को सुविचारित प्रस्ताव भेजने तथा देय धनराशि को मै0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, लखनऊ से किश्तों में वसूली का सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।
235/65	परिषद की महोली गृहस्थान योजना संख्या-2 मथुरा की मौजा पाली खेड़ा तहसील व जिला मथुरा के खसरा सं0 1 तथा 14 की 3.51 एकड़ भूमि का विकास शुल्क लेकर योजना में समायोजित/आवंटित किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कृपया उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन करते हुए उसकी आख्या समयबद्ध एवं शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समन्वय अनुभाग, मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13/4

(रुद्र प्रताप सिंह)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

प0 सं0 235/7
भूमि अर्जन अनुभाग

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः– मा0 निदेशक मण्डल की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 के मद संख्या–232/28 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में वृन्दावन योजना संख्या– 1, 2, 3 व 4 के हितवद्ध काश्तकारों को 5 प्रतिशत भूमि दिये जाने एव वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों के समायोजन हेतु समयावधि बढाये जाने के संबंध में।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना संख्या– 1, 2, 3 व 4 लखनऊ के हितवद्ध काश्तकारों को 5 प्रतिशत भूमि दिये जाने एवं वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों के समायोजन हेतु दिनांक 31.12.2015 तक समयावधि बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 के मद संख्या–232/28 में प्रस्तुति किया गया था, जिसे मा0 निदेशक मण्डल द्वारा सर्व सम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मा0 निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय को संयुक्त आवास आयुक्त, लखनऊ जोन व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को पत्रांक–63/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 13.04.2015 द्वारा आदेश दिया गया था कि दिनांक 31.12.2015 तक उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय परन्तु अपरिहार्य करणों से समयान्तर्गत आवंटन/ समायोजन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी है।

अतः वृन्दावन योजना संख्या– 1, 2, 3 व 4 लखनऊ के हितवद्ध काश्तकारों को 5 प्रतिशत भूमि दिये जाने एवं वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों के समायोजन हेतु दिनांक 31.12.2016 तक समयावधि बढाये जाने हेतु इस शर्त के अधीन प्रस्ताव है कि जिन खण्डों के अन्तर्गत अधिग्रहण व आवंटन एवं वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों के समायोजन की कार्यवाही की जा रही है। खण्ड स्तर से समस्त प्रभावित काश्तकारों के प्रकरण तीन माह के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित कर दिये जायें तथा शेष 09 माह में आवंटन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करा दी जाय अन्यथा की स्थिति में विलम्ब हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विलम्ब का स्पष्ट कारण अंकित करते हुए अतिरिक्त समय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 31.12.2016 के पश्चात किसी भी दशा में समयावधि नहीं बढायी जायेगी जिससे यह प्रकिया अनन्तकाल तक न चलाना पडे। अतः प्रकरण मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(के0सी0 श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता (भूमि)

(रुद्र प्रताप सिंह)
सचिव/आवास आयुक्त

मद संख्या 246/32
सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग
पत्रावली संख्या–/स0प्र0–3/E-Auction/E-Tender

परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषयः–परिषद योजनाओं में रिक्त/उपलब्ध आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का E-Auction/E-Tender **के माध्यम से निस्तारण के सम्बन्ध में।**

1–प्रस्तावनाः– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 की उप धारा (1)के खण्ड–3(उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1, 1966) के अधीन, अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अपनी योजनाओं में विकसित/निर्मित अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्तियों आदि का निस्तारण करने के संबंध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय सम्पत्तियो के निस्तारण सम्बन्धी विनियम 1980 (यथासंशोधित फरवरी 1993, पुनः संशोधित मार्च, 2016 के अन्तर्गत) आवासीय सम्पत्ति के निस्तारण संबंधी विनियम–1979(यथासंशोधित 1986 पुनः संशोधित मार्च 2016) परिषद की अनावासीय/आवासीय सम्पत्तियों को E-Auction/E-Tender के माध्यम से कराये जाने हेतु अधिनियम की व्यवस्थाओं में नियमानुसार समावेश किया जाना समीचीन होगा।

2. कार्य का नामः–
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रदेश की आवासिकी की शीर्ष संस्था है, जो जन–सामान्य की आवासीय समस्याओं के निराकरण हेतु आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों को सृजित,निर्मित एवं विकसित करते हुए योजनान्तर्गत आवंटित करने का कार्य पिछले 52 वर्षो से करती आ रही है। वर्तमान में पंजीकरण के अभाव में परिषद की विभिन्न प्रकार की यथा आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियाँ निस्तारण हेतु अवशेष है, जिससे परिषद की अत्याधिक धनराशि अवरूद्ध है। सम्पत्तियों के निस्तारण की व्यवस्था हेतु अवशेष सम्पत्तियों को E-Auction/E-Tender के माध्यम से निस्तारित किये जाने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया है।

3–प्रस्ताव प्राप्ति का संदर्भः–

(अ) **वाइस प्रेसीडेन्ट, एण्ड स्टेट हेड यू0पी0 एण्ड यू0के0 गवर्नमेन्ट बैंकिग ग्रुप इंडसइंड बैंक लिमिटेड,** द्वारा पत्र दिनांक 31.07.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में अवगत कराया गया है कि इंडसइंड बैंक न केवल बैकिंग समाधान प्रदान कर रहा है बल्कि एक तकनीकी साझेदार नीलामी को संभालने में विशेषज्ञता है। बैंक पहले से ही इस मंच के साथ एकीकृत है और इसमें पूरी प्रक्रिया को बिना किसी समय के उपभोग करने की क्षमता सेवा प्रदान करने वाला एकमात्र बैंक सीओ... से मुक्त है। इंडसइंड बैंक प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए UPAVP उत्तर प्रदेश से **कुछ भी** चार्ज नहीं है, अंत करने के लिए अंत इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। आईबीएल विभागों द्वारा शुरू की गई वापसी के लिए कुछ **चार्ज** भी नहीं लेगा, आईबीएल द्वारा कोई सेट अप शुल्क और वार्षिक **रखरखाव लागत(एएमसी) और कोई** अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लेगा।**(परिशिष्ट–1)**

4. **प्रस्ताव का आधारः–**वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा एवं तकनीक का है, कोई भी संस्था तभी गतिमान होती है जब समय, तकनीक, गुणवत्ता एवं मूल्य जनसामान्य की अपेक्षानुसार रहे। समय, परिस्थितियों एवं चुनौतियों का ऑकलन करके जो संस्था वर्तमान में तकनीक संरचना पर विचार करेगी वही प्रगति के नवीन सोपन रचेगी। अतः उक्त के दृष्टिगत ही देश की व्यवस्थायें डिटिलाइजेशन की ओर अग्रसर है, इंडसइंड बैंक, लिमिटेड एक समर्पित प्रशिक्षित इन–हाउस संसाधन के माध्यम से असफल बोलीदाताओं को धनराशि वापसी तक बोलीदाता के पंजीकरण से संबंधित आपत्ति प्रबंधित करता है। ...सेवाएं: IBL ऑनलाइन बोली लगाने आपत्ति के समाधान के लिए एक 24x7 **समर्पित हेल्पलाइन** ... प्रदान करने का प्रस्ताव ई–नीलामी/ईएमडी प्रबंधन (बिक्री/कार्यान्वयन/सेवा) के लिए समर्पित टी...

समाधान पूरी तरह से ऑनलाइन है और कहीं भी बैठे किसी के द्वारा पहुँचा जा सकता है। यह शाखा नेटवर्क पर निर्भरता को समाप्त करती है। बैंक का दृष्टिकोण न केवल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित है, बल्कि एंड–टू–एंड सेवा प्रदाता के रूप में प्रतिबंधित है। इंडसइंड बैंक ई–नीलामी की कॉम्प्लेक्सिट वाई और संवेदनशीलता को समझता है और टॉप–डाउन दृष्टिकोण रखती है। नीलामी सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी है। प्रौदयोगिकी साथी समय प्रमाणपत्र के लिए विभिन्न समय प्राप्त और एक पूर्ण प्रमाण प्रणालियों के अधिकारी है। यह अग्रणी ई–नीलामी प्रौद्योगिकी प्रदाता में से एक है जिसकी अपना डेटाबेस है, जो सुनिश्चित करती है कि डेटाबेस सुरक्षित है।

(ब) सर्किल हेड, एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, प्रनव टावर्स, 38, दरबारी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ के पत्र दिनांक 09.08.2018 (परिशिष्ट–2)में परिषद द्वारा विकसित/निर्मित सम्पत्तियों के E-Auction/E-Tender प्रणाली के माध्यम से निस्तारण हेतु प्राप्त प्रस्ताव निम्नवत् है:–

एच0डी0एफ0सी0 बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में आरबीआई के पत्र संख्या–डीजीवीए जीएडी संख्या–219/42.01.001/2003–04 सभी केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संबंध में सभी प्रकार के सरकारी व्यवसाय का संचालन करता है। बैंक 10.02.1996 की भारतीय अधिकारिक अधिसूचना में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। बैंक के पास बिजनेस ग्रोथ, ग्राहक सेवा और ग्राहक प्रसन्नता में उत्कृष्टता का एक प्रसिद्ध ट्रैक रिकार्ड हैं। वर्तमान में 2505 से अधिक स्थानों पर 4800 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से काम करते हैं और निकट भविष्य में अधिक शहरों में बैंक खोलने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में बैंक की 275 शहरों में 469 शाखाओं की उपस्थित है, जिनमें से 60% शाखाएं शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण केंन्द्रों में हैं। शाखाओं का हमारा विस्तृत नेटवर्क हमें आपको अधिक स्थानों पर फंड संग्रह और स्थानान्तरण की बेहद कम लागत का लाभ प्रदान करने की अनुमति देता है।

बैंक के पास दो रेटिंग एजेंसियों–केडिट विश्लेषण और अनुसंधान लिमिटेड द्वारा मूल्यांकन किए गए अपने जमा कार्यक्रम है, और फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंक के सावधि जमा कार्यक्रम को केयर एएए (एफडी) ट्रिपल ए रेट किया गया है, जो सर्वोत्तम गुणवत्ता का नगण्य निवेश जोखिम ले जाने वाले उपकरणों का प्रतिनिधित्व करता है।

<u>ई–टेंडरिग</u>

बोलीदाता ऑनलाइन निविदा/बोली हेतु आवेदन कर सकता है, डी0डी0 प्राप्ति की तुलना में धन को तेजी से परिषद के खाते में इलेक्ट्रानिक रूप से अन्तरित किया जायेगा, असफल बोलीदाताओं को धन की वापसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करेगा, जिसकी सूचना परिषद को भी प्रेषित करेगा, जिसे किसी भी समय किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन देखा जा सकेगा, जो नीलामी प्रकिया में अधिक पारदर्शिता लाने में सहयोग करेगा।

उल्लेखनीय है कि उप शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0, लिमिटेड, आफिस लखनऊ, जी–25/6,1टी.एन. रोड, तेज कुमार प्लाजा, हजरतगंज लखनऊ के पत्रांक **MSTC/ LKO/ NEWBUS/16-17/07Date 25-07-2017 (परिशिष्ट–3)** द्वारा परिषद की अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु अपनी सेवाओं से अवगत कराये जाने पर, परिषद की अनावासीय सम्पत्तियों एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जो पिछले तीन वर्षो से अनिस्तारित है, जिनका मूल्य रू0 5.00 करोड़ अथवा इससे अधिक है, एम0एस0टी0सी0, लि0 से ई–ऑक्शन के माध्यम से कराने पर पारदर्शित, निष्पक्षता, मूल्य आधारिकता एवं समयान्तर्गत निस्तारण हेतु निदेशक मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृत/अनुमोदन हेतु प्रस्ताव मा0 परिषद की 243वीं बैठक के मद संख्या–243/26 पर प्रस्तुत किया गया। मा0 निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया।

परिषद के विभिन्न जोनों के अन्तर्गत रिक्त/अवशेष आवासीय/अनावासीय/फ्लैटों का विवरण निम्नवत् है:–

क0 सं0	जोन का नाम	आवासीय सम्पत्तियों की संख्या	मूल्य लाख में	अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या	मूल्य रूपया लाख में	फ्लैटों की संख्या	मूल्य रूपया लाख में	कुल सम्पत्तियों की संख्या	कुल मूल्य रूपया लाख में
1.	लखनऊ जोन	87	2010.77	172	94207.88	2760	1,20,143.01	3019	2,16,361.66
2.	मेरठ जोन	266	11167.15	525	4,03,923.90	8362	2,16,860.71	9153	6,31,951.76
3.	आगरा जोन	113	3348.34	114	15664.85	78	3348.00	305	22,361.19
4.	कानपुर जोन	216	6637.83	61	40,893.25	285	14,590.00	562	62121.08
5	वाराणसी जोन	91	1344.24	22	735.89	–	–	113	2080.13

6.	बरेली जोन	267	4102.09	109	32205.69	107	2036.72	483	38,344.50
	योग	**1040**	**28059.17**	**1003**	**587631.46**	**11592**	**357729.69**	**13635**	**973420.32**

इस प्रकार परिषद के विभिन्न जोनों में 13635 नग आवासीय/अनावासीय/फ्लैट के रूप में सम्पत्तियाँ निस्तारण हेतु अवशेष हैं, जिसमें रू0 9,73,420.32 लाख की धनराशि अवरूद्ध है।**(परिशिष्ट–4)**

परिषद की आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों के ऑन लाइन निस्तारण हेतु एम0एस0टी0सी0 द्वारा प्राप्त MOU को परिषद अधिवक्ता से विधिक्षित कराते हुए मा0 निदेशक मण्डल की 245वीं बैठक के मद संख्या–245/24 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे मा0 परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त के अनुपालन में पत्र संख्या–1277/स0प्र0–3/EAUCTION दिनांक 25.07.2018 द्वारा महाप्रबन्धक, बिजनेस आपरेशन जी–25/26,1–टी.एन.रोड, तेज कुमार प्लाजा, हजरतगंज, लखनऊ को MOU आदि तैयार कर यथाशीघ्र समन्वय स्थापित करने हेतु प्रेषित किया गया। [redacted] परन्तु कम्पनी की ओर से तद्दिनांक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

वाइस प्रेसीडेन्ट, एण्ड स्टेट हेड यू0पी0 एण्ड यू0के0 गवर्नमेन्ट बैंकिग ग्रुप इंडसइंड बैंक लिमिटेड, के पत्र दिनांक 03 जुलाई 2018 एवं सर्किल हेड, एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, प्रनव टावर्स, 38, दरबारी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ के पत्र दिनांक 10.08.2018 द्वारा परिषद की अनावासीय/आवासीय सम्पत्तियों का निस्तारण E-Auction/E-Tender **प्रणाली के माध्यम से करने हेतु प्रस्तावों को मा0 परिषद के निदेशक मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन तथा एम0एस0टी0सी0 के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने हेतु मा0 परिषद के समक्ष** अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(लक्ष्मण प्रसाद)	**(उदय राज सिंह)**	**(अजय चौहान)**
उप आवास आयुक्त	**अपर आवास आयुक्त**	**आवास आयुक्त**

परिशिष्ट--1

IndusInd Bank

No. 187
Date 4/7/18

3105
0517.12

To,
The Housing Commissioner
UP Housing and Development Board
104 Mahatma Gandhi Road,
Lucknow Uttar Pradesh- 226001

July 3, 2018

Reference: **Our presentation dated 2nd July 2018**
Subject: **Proposal for E Auction & EMD Settlement Banker**

Dear Sir,

With reference to our meeting dated 2nd July, 2018, we would like to convey our **sincere thanks** for sparing good amount of time with us & allowing us to discuss various Cash Management Services (CMS) Opportunities.

IndusInd Bank Ltd is a new age generation private sector scheduled commercial bank, which had commenced its operations in 1994. It caters to the need of both consumer and corporate customers through its technology platform which supports multi-channel delivery capabilities. The Bank believes in driving its business through technology.

It is important to mention that the bank operates through a well spread out network in India comprising over 1400+ branches that span 584 geographic locations including all major centres in the country and with over 2200+ ATMs across India (as of March, 2018). The bank also has representative offices in London and Dubai.

It gives us tremendous pleasure to share that **IndusInd Bank** has won numerous accolades, to a name a few:

[redacted]

- ✓ Business Today's Best CEO Award The Best CEO Award to Mr. Romesh Sobti, Managing Director and CEO
- ✓ TransUnion CIBIL Data Quality Award 2018 Best Data Quality Commercial Bureau Amongst Private Banks
- ✓ Abby Awards 2017 # The Other Men In Bue Campaign
    - o Silver - Cause Marketing
    - o Silver - Digital and Mobile Games Online
    - o Bronze - Integrated Marketing
- ✓ The INFHRA's FM Excellence Conference & Award 2017-18 For Outstanding demonstration in Safety & Security

We would like to inform your good self that the solution proposed is **completely LIVE** & can be implemented without consuming much of time.

Assuring you of our best services at all time.

Sincerely Yours,

Pallavi

For IndusInd Bank Ltd.
PALLAVI SINGH
Vice President
State Head UP&UK
Government Banking Group
IndusInd Bank Ltd.
Lucknow

THE PROPOSAL

CASH MANAGEMENT SERVICES

Through Cash Management Services (the *"CMS"*), the Bank is capable of supporting the **UPAVP** with a host of Collection and Payment services in order to manage the Cash flows in a most organized and speedy manner.

We have a team of experienced professionals to structure the most appropriate solution with an assurance of complete confidentiality in all transactions.

To cater to the requirements of the **UPAVP** the Bank has articulated a **"customized online based solutions"** in the form of **"structured product"**. IndusInd Bank has designed a structured product keeping in mind the requirement of **UPAVP** and the limitation of the existing system of collection and reconciliation using state of the art banking technology.
This solution shall help **UPAVP** to collect various payments online in a timely & an upgraded method. It not only provides a technology platform to automate the collection but also enables seamless transaction. It will enable management to focus on core activity and strategic inputs.

Structured Product Brief

As of now all the auctions conducted by **UPAVP** are offline. IBL through its technology partner proposes to make the entire auctioning process online which includes the following:

a) **Online E auction** : The bidders would participate online in the bidding process

b) **Online Collection of EMD**

  a. **Payment Gateway (Debit Card , Credit Card and Net Banking)**

  b. **RTGS/NEFT**

c) **Online Refund of EMD to the unsuccessful bidders.**

d) **Online collection of the various call money / drawdowns to be paid by the H1 bidder post** award of the contract.

Structured Product – Detailed

a) **Online E auction**: The same would be provided by our technology partner.

b) **Online Collection of EMD - Payment Gateway (Debit Card , Credit Card and Net Banking)**

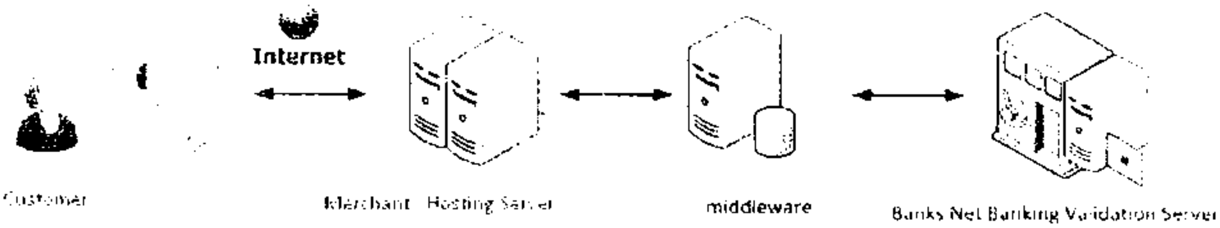

Process Flow for E-auction EMD Collection through Payment Gateway

- Bidder visits the auction system and requests for submission of the payment through Internet Payment Gateway
- The bidder will be presented with an option to pay online, on selection, bidder will be redirected to Payment option page
- Bidder will select his Bank name for transferring funds and confirms
- Bidders may select Credit card/Debit card / IMPS or Net banking
- Bidder is re - directed to the Bank's website where he Enters the Net Banking "User ID" and "Password" followed by Transaction Password (already known to the him)
- Respective Bank confirms the transaction & a payment receipt gets generated on successful transaction. Customer can take the print out of the receipt. The status of the transaction will be posted on the website on real-time basis.
- The bidder on selecting credit /debit card, it will be redirected to Visa/Master card site where bidder need to key in the data. On confirmation of the payment the status of the transaction will be posted

Security Features & Standards

- Customers place their Bank account details directly onto the secure web page provided by the respective Banks.
- The IPG-Net Banking server is behind security firewalls to ensure maximum protection of the customer/s information. This guarantees that the information is inaccessible to any third party.

Schematic Diagram of Internet Payment Gateway

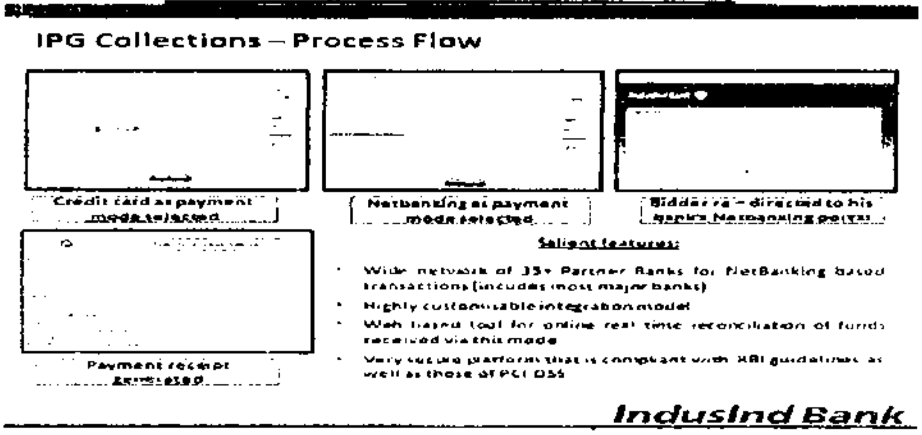

c) Online Collection of EMD - RTGS / NEFT

As per market trend and end user comfort, collection has increasingly become electronic in nature for all corporates. With its inherent advantage of near real time credits, the electronic collection also makes it difficult for receivers to identify the remitter details. To address this concern IndusInd Bank offers to you a dynamic and integrated model of collection which offers below advantages –

1. Once the Bidder confirm payments online, system will populate an advice with the account details for paying through RTGS/NEFT
2. A unique account number will be generated having 18 alpha numeric characters. The account number will have two parts:
    a. IBL generated unique code for UPAVP i.e. **ZUPAVPEMD**
    b. Unique reference number i.e **12345678900**

    E.g. for Account Number – **ZUPAVPEMD123456789**

3. UPAVP bidder to approach their bank and effect the payments through RTGS/NEFT
4. IndusInd Bank identifies the credit basis the code allotted and credits UPAVP Escrow Account
5. Host to Host Integrated model with direct upload of inward MIS and reconciliation in your system

d) Refund of EMD

IndusInd Bank is offering a Corporate Host-to-Host channel for seamless and secure data transmission. It is aimed at providing a highly secure platform for exchanging payment files, reverse files and account statement files between both the parties.

- Customizable solution offering integration between the Technology Partner system and Banks's Core System for automated & secure exchange of information.
- Reduction in TAT in the overall transaction lifecycle
- Single interface facilitating all kinds of payments and payment methods
- Encryption of data files to prevent data manipulation
- Very efficient and easy to use Interface for extracting files for online payments
- Increase in productivity with minimal user intervention
- End-to-end monitoring of the entire process, reverse feed and enhanced 2 way communication
- End to End Integrated Process
- Automatic Payment run and transaction processing
- Secured data transmission between the 2 systems
- Data Integrity, Authenticity & Confidentiality
- In built checks and controls to modulate the transaction flow

e) **Online collection of the various call money / drawdowns to be paid by the H1 bidder post** award of the contract.

IBL proposes the collect the same online through RTGS/NEFT

f) **The comparison chart of an offline process v/s online process is given below:**

Offline Auction vs. Online Auction- Comparison

Offline Auction

- ✓ No market research , affects start price.
- ✓ Secrecy of bidder participation gets compromised.
- ✓ Goods can be seen before auction.
- ✓ Mostly attracts local bidders.
- ✓ Results in a lot of paper work & documentation.
- ✓ Time Consuming.
- ✓ Bidder and Seller physical presence required.
- ✓ Low participation and hence optimal prices not realised.

Online Auction

- ✓ Price discovery.
- ✓ Transparency in auction process.
- ✓ Quality checks and controls by approved agencies.
- ✓ No Geographical constraints leads to higher participation.
- ✓ Online Auction process leverages technology and is more convenient.
- ✓ Multiple lots can be auctioned simultaneously.
- ✓ Cost of participation gets minimised.
- ✓ Multiple buyers leverages the price in favour of the seller.

Key advantages to the Stakeholders

UPAVP

- ✓ High price realisation.
- ✓ Faster conversion of ground inventory to cash.
- ✓ Removal of expensive intermediaries.
- ✓ Convenient- Saves cost , management bandwidth & time.
- ✓ Lower transaction costs.
- ✓ Transparency- Fair business practices.

Bidder

- ✓ Lower / Competive Prices.
- ✓ Convenient.
- ✓ No geographical restrictions.
- ✓ Saves on cost.

परिशिष्ट-2

We understand your world

Pranay Towers, 38,
Darbari Lal Sharma Marg,
Lucknow - 226 001.

Thursday, August 09, 2018

To,

The Commissioner,
UP Awas Vikas Parishad,
Lucknow.

Dear Sir,

Sub: Proposal for Customized Digital Solutions and Banking Services for e-auction

Firstly, we would like to thank you for the courtesies extended to us for giving the opportunity for putting up the proposal.

As a Scheduled commercial Bank HDFC Bank has been authorized by RBI letter no. DGBA GAD NO 219/42.01.001/2003-04 conduct all type of Government Business in respect of all central Government ministries/departments. Also attached along with relevant circulars issued by RBI, Ministry of Finance, Govt of India and the various States / UT's.

HDFC Bank Ltd. is a Scheduled Commercial Bank as notified by Reserve Bank of India in their official notification dated 10th February, 1996. Our Bank has a proven track record of excellence in Business Growth, Customer Service and Customer Delight.

Presently we operate through a network of over 4800+ branches spread across over +2505 locations and proposing to open up in more cities in the near future. In Uttar Pradesh, Bank has a Presence of 469 Branches in 275+ Cities of which more than 60% of the Branches are in Urban, Semi Urban and Rural Centres. Our wide network of branches allows us to give you the benefit of extremely low costs of fund collections & transfers at more locations.

MILESTONE: HDFC Bank signs MoU with Government of India to offer world-class banking products in 2 lakh villages

We are extremely delighted to share that HDFC Bank has done Pan India Tie-up with the CSC e-Governance Services India Ltd. to offer world-class financial experience (products and services) to people in close to 2 lakh villages. These services would be disseminated with the help of CSC's 3 lakh village-level entrepreneurs, who will operate as Banking Correspondents of HDFC Bank.

CSC e-Governance Services India Limited is a Special Purpose Vehicle (CSC SPV) incorporated under the Companies Act, 1956 by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India, to monitor the implementation of the Common Services Centers Scheme. It provides a centralized collaborative framework for delivery of services to citizens through CSCs.

The financials of the Bank are enclosed below:

1. **Net Profit:**

   FY (17-18): Rs. 17,486 Crores
   FY (16-17): Rs. 14,549 Crores
   FY (15-16): Rs. 12,296 Crores

2. **Balance Sheet** : Total balance sheet size as of March 31, 2018 was 1,063,934 crore

3. **Capital Adequacy Ratio:** The Banks CAR as on 31-03-2017 stood at 14.6% as against the regulatory minimum of 9.00%

4. NPA: Portfolio quality as of March 31, 2017 remained healthy with gross non-performing assets at 1.05% and net non-performing assets at 0.30% of total net advances.

Authorization for Government Business:

Reserve Bank of India has authorized us to conduct Central as well as State Government Business; we have been approved to carry out the following activities:

1. GST Collections
2. Collection of Direct & Indirect Taxes
3. Disbursement of Central Government Pension for Civil and Non-civil Ministries
4. Accounts & Expenditure Related Payments for Railways, Defence, Telecom, Post

HDFC Bank is also authorized under Public Financial Management System (PFMS) to handle accounts of Implementing Agencies/Autonomous bodies/Societies vide their circular No.S-11012/3(1)/Bank/Ref. Case/2010/RBD/1688-1772 date 10th Nov 2016

Some of Major Government sector bodies banking with our Bank at different branches in UP along with many others which include Trusts and organizations.

- Nodal Account for Housing for All
- Lucknow Metro Rail Corporation
- Nivesh Mitra – Single Window for Fees Collection from New Industries
- Nagar Nigams : Lucknow Nagar Nigam , Kanpur Nagar Nigam, Varanasi Nagar Nigam, Allahabad Nagar Nigam, Ghaziabad Nagar Nigam, Moradabad Nagar Nigam & Nagar Palika Parishads for most of the towns.
- UP Awas Vikas Parishad
- Yamuna Expressway Industrial Development Authority(YEIDA)
- Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation (UPSIDC)
- Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA)
- NOIDA & GNOIDA Industrial Authorities
- Uttar Pradesh Pradesik Cooperative Federation(PCF)

- UP State Food and Essential Commodities Corporation Ltd
- Development Authorities: LDA, KDA, ADA, VDA, MDA, Ghaizabad, Gorakhpur, Raibareili, Faizabad etc.
- UP Forest Corporation,
- Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam
- Uttar Pradesh State Bridge Corporation Ltd.
- Uttar Pradesh State Welfare Association
- UP Processing and Construction Co-operative Federation Ltd. (PACCFED)
- UP State Agro Corporation Ltd.
- Food & Civil Supplies Deptt-State Wheat & Paddy Purchase Accounts.
- E-suvidha
- PICUP EPF Trust, UP Bridge Corporation EPF Trust, UP State Agro EPF Trust.
- Zila Parishad's Allahabad ,Kanpur, Etc
- Uttar Pradesh Samaj kalyan Nirman Nigam Ltd
- UP Purva Sainik Kalyan Nigam Ltd.

We offer products & services that are designed specially to cater to the banking needs of Departments like yours.

We offer the following for your esteemed organization:

- Digital platform for e-auction at No Charges
- Zero balance account Settlement Account
- Payable at Par Cheque Book Free of issuance charge
- Customized Cheque Writing Facility for Payments
- Free Demand Drafts on HDFC Bank locations
- Free Outstation Cheque Collection at HDFC Bank locations
- Free Cheque Pick up / Delivery facility
- Free RTGS / NEFT for Payment and Collections.
- Bulk RTGS / NEFT for Vendor Payments

HDFC BANK PROPOSAL FOR E-Tendering / E Auctioning

Features:

- In House Product For Government Department (Like Tally or SAP)
- Generic Version Ready to use- Plug and Play (Only hosting to be done on Government Department Server)
- Maker- Checker Concept so Multiple branches of one Government office can upload Tendering
- Tendering release rights with Super Admin – so monitoring of Tendering easier
- Data Encryption possible so financial bids visible to Super Admin only post cutoff date/time.(optional)
- Financial Bid can be submitted online, Technical Bid to be submitted offline.
- The e-Tendering will be linked to HDFC Bank Payment Gateway- Tendering Purchase and EMD Deposit can be done online. (increases client stickiness)
- Offline Deposit @ HDFC Bank Branch possible-One click entry for branch
- Easy/Auto refund post Tendering Award.

Timelines:

- Generic Version can be made live within 5 working days of existing PG clients.
- For New PG Set up we can go live within 10-12 working days post signing off PG Documents and order for processing.

Modules in system:

- User Management
- Department Management
- Tender
- Vendor
- Bank

HDFC Bank's Value Addition: E-tendering

- ✓ The bidder can purchase and apply for a tender bid online
- ✓ The money can be liquidated into Department's account electronically in a faster way, as compared to DD realisation
- ✓ MIS can be provided on a daily basis
- ✓ The refund of earnest money to unsuccessful bidders can go through electronic mode
- ✓ Refund report with transaction reference no.s will be provided to Department for reconciliation.
- ✓ Reports can be viewed online by Department officials
- ✓ It would help in bringing more transparency in the bidding process

E-Auction Platform

1. **Property Display**
   - - Property Details
   - - Available Documents
   - - Property Images
   - - Dimensional Videos

2. **Selection Process**

   - Residential
   FIFO, EMD
   - Commercial
   FIFO

3. **Payments**
   - - All Collection modes
   - - Easy refunds

4. **Admin Panel**
   - - Inventory
   - - Property allotment confirmation
   - - Future payment option – SMS, Email
   - - Customization option available

ENet for Vendor / Beneficiary / Land Acquisition Payments

1. Real time, Secured, Online Banking solution for salary upload / vendor payments from your office
2. Will enable you to upload salary from the comfort of your office without the need to issue even a single cheque
3. Provision for creating separate inputter / authoriser logins to enable Maker-Checker concept
4. Provision to set a future value date for the transaction in case the salary date happens to be a holiday
5. Convenient, just like uploading a file
6. Can also be used for vendor payments even if they do not have an account with HDFC Bank (through RTGS)

ADVANTAGES

- Salary processing time 5-10 mins
- Online Account View & Statement Download facility also available
- No additional cost
  for salary account customers
- Availability after banking hours up to 9.30 pm & on most Bank Holidays

Please find the Check List to start the Project:

1. Scheme name, location, type, availability, Unit number, photograph, etc related to property to be
   E - auctioned

2. Bidders Registration Form – Fields required and any other details

3. Bidder EMD Amount, etc

4. Mode – Bidding or First in First Serve

5. Users to see the bidders Information and approval authority

6. Bid start Amount, if any, etc

7. Zero Balance Dedicated Settlement Bank account account

8. Any Other Information which needs to be displayed like terms & conditions, etc

We look forward to your acceptance of the above offer. We believe that we will have a long and mutually beneficial relationship.

Please feel free to contact undersigned @ 7499986270 for any clarifications and assistance required in your transactions.

Assuring you the best of services at all times.

Warm regards,
For HDFC Bank Ltd,

Anuj Raj
Circle Head

nderstand your world

RESIDENT INDIVIDUALS ... filled by applicant only

Application Date | Tatkal | Non Tatkal (For bank Use)

Please open my / our: Savings | Savings Max | ... Salary | Salary & Reimbursement | Current | Kids Advantage Account | BSBDA | KGC SB ...

FD | RD | PPF A/C | Sukanya Samriddhi A/C | In your Branch Code | Branch Name ______

(A) PERSONAL DETAILS: APPLICANT NAME

PREFIX | FIRST NAME | MIDDLE NAME | SURNAME

In case the applicant is a minor, please write parent/guardian name (as an applicant) below the Minor's Name

	* NATIONALITY	*PAN NO (If not available, attach Form 60)	Form 60	Exempt
1st Applicant				
2nd Applicant				

	*DATE OF BIRTH	AGE PROOF	* Male / Female Third Gender	*MOTHER'S MAIDEN NAME
1st Applicant				
2nd Applicant				

Sr. Citizen Yes No

(B) OPERATING INSTRUCTION Single | Either or Survivor | Jointly (Debit/ATM Card not issued) | Former or survivor | Minor under Guardian

(C) CUSTOMER ID (Mandatory for Existing Customers) | **AADHAAR CARD NO**

1st Applicant

2nd Applicant

(D) MAILING ADDRESS - 1st APPLICANT *(For existing customers, address given below will be updated for the primary applicant in all accounts held with the bank)*

*Company Name / Flat No & Bldg Name

*Road No./Name

*Landmark

"Please mention a prominent landmark to ensure that the deliverables reach you"

*City | *PIN Code

*State | Country

PERMANENT ADDRESS 1st APPLICANT

Flat No & Bldg Name

*Road No./Name

*Landmark

*City | *PIN Code

*State | Country

MAILING ADDRESS - 2nd APPLICANT

Please tick if same as 1st applicant mailing address

*Company name / *Flat No & Bldg Name

*Road No./Name

*Landmark

"Please mention a prominent landmark to ensure that the deliverables reach you"

*City | *PIN Code

*State | Country

PERMANENT ADDRESS 2nd APPLICANT

Please tick in case permanent address is the same ...

*Flat No & Bldg Name

*Road No./Name

*Landmark

*City | *PIN Code

*State | Country

(E) CONTACT DETAILS : ... fields marked * are Mandatory

1st Appl.	* Tel (R)	* Tel (O)	Ext	
	* Email ID			
	* Mobile 91	Service Provider	Insta Alert	Please ( ) If Email ID is Not Available
2nd Appl.	* Email ID			
	* Mobile 91	Service Provider	Insta Alert	Please ( ) If Email ID is Not Available

IMPORTANT Please furnish your correct email ID. You will receive free monthly account statements at this email ID for all accounts linked to the customer ID of the 1st applicant. You will be registered for SMS Alerts-Credit/Debit transaction greater than Rs. 5000/- and Salary Credit Alert (Salary Account Only). You can register for Bill Pay facility for the following service providers. Vodafone, Airtel, BSNL - Cell One, Docomo, Idea.

I authorize HDFC Bank to set Standing Instruction on my Debit Card to make payment of utility bills on my behalf for bill pay request as given in this form. Terms and Condition apply.

CUSTOMER PROFILE DETAILS # - 1st APPLICANT

Occupation	Salaried	Self-employed	Retired	Self employed prof.	Housewife	Politician	Student	Others ________	
Salaried employed with	Private ltd	Partnership	Proprietorship	Listed	Public sector	Government	Multinational	Others ________	
Self Employed since	Years	Months							
Nature of Business	Manufacturing	Service Provider	Agriculture	Gold/Jewellery	Stock Broker	Real Estate	Trader	Money Lender	Others ________
Date of incorporation									
Type of Company/Firm	Sole Proprietorship	Partnership		Private Ltd Co				Others ________	
Self Employed Professional	Doctor	CA/CS		Architect	IT Consultant			Others ________	
Source of funds	Salary	Business Income	Agriculture	Investment Income				Others ________	
Gross Annual income	< 50,000	50 K-1 lac	1 - 3 lac	3 - 5 lac	5 - 7.5 lac	7.5 - 10 lac	10 - 15 lac	15 - 25 lac	25 - 50 lac / 50 lac - 1CR / > 1 CR
Residence type	Owned	Rented/Leased		Company provided					

CUSTOMER PROFILE DETAILS # - 2nd APPLICANT

Occupation	Salaried	Self-employed	Retired	Self employed prof.	Housewife	Politician	Student	Others ________	
Salaried employed with	Private ltd	Partnership	Proprietorship	Listed	Public sector	Government	Multinational	Others ________	
Self Employed since	Years	Months							
Nature of Business	Manufacturing	Service Provider	Agriculture	Gold/Jewellery	Stock Broker	Real Estate	Trader	Money Lender	Others ________
Date of incorporation									
Type of Company/Firm	Sole Proprietorship	Partnership	Co	Private Ltd Co				Others ________	
Self Employed Professional	Doctor	CA/CS		Architect	IT Consultant			Others ________	
Source of funds	Salary	Business Income	Agriculture	Investment Income				Others ________	
Gross Annual income	< 50,000	50 K-1 lac	1 - 3 lac	3 - 5 lac	5 - 7.5 lac	7.5 - 10 lac	10 - 15 lac	15 - 25 lac	25 - 50 lac / 50 lac - 1CR / > 1 CR
Residence type	Owned	Rented/Leased		Company provided					

INTRODUCTION DETAILS

Introducer Name

Customer Id　　　A/C Opening Date

I confirm that I am an account holder with HDFC Bank Ltd for over six months. I confirm that I personally know the applicant detailed above for more than 6 months and confirm his/her identity, occupation and address.

Date

Name, Designation, Sign & Company Seal for Salary A/C Introduction

Signature of introducer

A/C > 6 months　　Sign verified

PB Signature ________

PB Code

PAYMENT DETAILS : Payment done by below mode (tick one)

Cheque　　HDFC Bank A/C Transfer　　Cash　(To open account with cash, customer must deposit the cash in person in a/c opening branch only)

Total Amount (Rs)	Cheque No. / Account No. for FD/RD	Cheque Date	Bank Name	Branch

Cheque should be crossed A/c payee and drawn payable to **"HDFC Bank Ltd A/c <Applicant's Name>"**

Amount (Rs) for SB account　　Amount (Rs) for FD/RD account　　Amount (Rs) for PPF account　　Amount (Rs) for SSA account

ATM CARD / DEBIT CARD

Existing Card Linkage: Customer can mention their Card No. to which they want to link this account

(Please note this facility is available for operating instruction: Single, Either or Survivor only)

1st Card No. XXXXXX

2nd Card No. XXXXXX

New Card Request

	ATM Card	Debit Card (Charges Applicable)		
1st		Regular	Platinum	Others
2nd		Regular	Platinum	Others

Your CHIP Debit Card is activated for international & Domestic Usage.
Deactivation of International usage on Debit Card can be done through NetBanking / PhoneBanking

If Other mention Card Code
To be filled by Bank Staff Only

If Other mention Card Code
To be filled by Bank Staff Only

INSTRUCTION FOR FIXED DEPOSIT / RECURRING DEPOSIT

I/We wish to open Fixed deposit / Recurring deposit as ticked below

Holding Pattern for FD / RD		Operating Instruction		
1st Applicant only	2nd Applicant only	Single	Either or Survivor	Jointly / Former or survivor
1st & 2nd Applicant only	2nd & 1st Applicant	Minor under Guardian		

FD advice will be received at your mailing address within 7-8 working days of account opening. Customers registered for email statement will receive FD advice through email.
In the event of death of the depositor, premature liquidation of the term deposit/s will be allowed. Such premature liquidation will not attract any penal charge. In the event of death of one of the Joint account holders, the right to the deposit proceeds is not automatically devolve on the surviving joint deposit account holder, unless there is a survivorship clause. We agree that in case of Joint Fixed Deposit with survivorship clause the bank shall be discharged by paying the fixed deposit proceeds prematurely to survivor/s, on request, in the event of death of one or more joint depositor.

FD / RD Tenure		Rate of Interest %	Interest Payment			Maturity Instruction (Not Applicable For Recurring Deposit)			Tick anyone	
Months	Days		Monthly	Quarterly	Maturity	Renew Principal & Interest	Renew Principal & Pay Interest	Do not Renew	Super Saver	Sweep In

Please Debit　　New a/c / Existing a/c no.　　for RD

installments / FD booking and also credit the maturity / interest in the same account. I/We understand that Super Saver or Sweep-in Facility, if requested will be activated in the same account.

I/We wish to have the maturity/interest payout through manager's cheque at my mailing address for the above FD/RD

*Convert to Fixed Deposit for tenure of 1 year 1 day　　Only Principal　　Principal + Interest　　*Deposit will be reinvestment of interest with maturity instruction as Renew Principal and Interest

*TDS Details for FD/RD: Deduct TDS (if applicable)　　Yes　　No, I/We attach　　Form 15G/H　　Income Tax exemption letter　　Waiver marked on cust ID

TRUCTION (SI) : I / We hereby request you to maintain a Standing Instruction from my/our

A/c (hereinafter referred as "funding a/c") for the amount Rs (Min Rs 1000

by way of **Monthly Funds Transfer** to the account of the minor / till the maturity of the PPF account

of Funding Account Holder(s) ________________

* Next SI Date * SI End Date

Date of next SI to fund the account Date of last SI to fund the account

ATM Card for Minor : Please issue ATM Card International ... Card (with ATM Facility) to the minor. (Issued only if kid is in between 7-18 years) (not applicable for PPF account)

Type of Guardian : Father Mother Court Appointed

Minor Declaration : I hereby declare that the date of birth of the minor who is my ______ ______ is ____dd______mm______yyyy and I am his / her natural and lawful guardian / guardian appointed by court order dated _____dd______mm______yyyy (copy enclosed). I shall represent the said minor in all future transactions of any description in the above account until the said minor attains majority. I declare that the amounts withdrawn from this account by me will be used for the benefit of the minor. I indemnify the bank against the claim of the above minor for any withdrawal / transactions made by me in his / her account.

INSTRUCTION FOR SAVINGS MAX / KIDS ADVANTAGE ... WOMENS SAVINGS ACCOUNT

SWEEP - OUT INSTRUCTIONS I / We wish to avail sweep-out facility on this Savings Max / Kids advantage account / Womens Savings Account.

NOMINATION DETAILS (please fill separate nomination form if you wish to add a different nominee in any of the above accounts)

Yes, I/ We wish to nominate (as per details below) No, I/We declare that I do not wish to make a nomination in my/our account.

Nomination under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in the respect of Bank deposits.

I/We nominate the following person to whom in the event of my/our/minor's death the amount of the above opened Account / Fixed Deposits / Recurring Deposits, may be returned by ...C BANK Ltd. by the account opening branch. This Nomination will be applicable for Savings / Current / Fixed Deposit / Recurring Deposit / KGC SB & CA / SSA.

Nominee Name

& Bldg Name

Road No./Name

Landmark

***City** ***PIN Code**

***State** **Country**

***Tel (R)** **Relationship with Depositor, if any**

Date of Birth of Nominee **Mobile** 91

Please tick if mailing address is same as of the applicant

Application for nomination under the Public Provident Fund ... (please fill separate nomination form if you wish to add multiple nominees)

Yes, I wish to nominate the person mentioned below to whom to the exclusion of all other persons in the event of my death, the amount standing to my credit in the PPF account at the time of my death would be payable (not applicable for minor account)

No, I declare that I do not wish to make a nomination in my account

Nominee Name

& Bldg Name

Road No./Name

Landmark

***City** ***PIN Code**

***State** **Country**

***Tel (R)** **Relationship with Depositor, if any**

Date of Birth of Nominee **Mobile** 91

Please tick if mailing address is same as of the applicant

(To be filled if nominee is minor for DA1 / Form E)

Name

Address

Nominee is a minor on this, I appoint ______ to receive the amount of the deposit in the account on behalf of the nominee in the event of my/minor's death during the minority of the nominee.

Personal Details of the Witnesses

Witness 1 Name ________________ Signature ________

Address ________________ Place ________ Date ________

Witness 2 Name ________________ Signature ________

Address ________________ Place ________ Date ________

RELATIVE DECLARATION (To be filled by the applicant if ... any address proof)

I hereby confirm that Mr./Ms. *(* Applicant Name)* ________________ who is desirous of opening an account with your Bank is my (* Relationship) ________ He / She is residing with me since ________(*Month) ________ (*Year) at the below mentioned address.

Building Name ________________ * City ________

State ________ *Country ________ * PIN Code ________ *Telephone Number ________

The applicant does not hold a documentary address proof in his /her independent name. Since the applicant is residing with me, the address proof in my name is being provided to the bank for the purpose of address verification. I have no objection towards receiving any correspondence from the bank in the name of applicant at my above-mentioned address.

I enclose herewith the below:

1. **Self-attested (*Document Name)** ________________ **as Identity Proof**
2. **Self-attested (*Document Name)** ________________ **as Address Proof**

Name of the Declarant ________________ Cust ID (if an existing customer) ________________

[redacted] KIT ACKNOWLEDGMENT (If Applicable)

I/We confirm having received the Welcome Kit in an untampered / sealed condition and confirm that the below deliverable have been received by me.

1) Chequebook with 10 Cheque Leaves 2) Debit Card Pin 3) NetBanking Pin 4) Phone banking 5) International Debit Card 6) T & C booklet 7) Passbook

[redacted] DECLARATION FOR REQUIRED BALANCE

Average Monthly / Quarterly / Half Yearly Balance required to be maintained for this account is Rs. Product: ____________________

I/We have understood that non-maintenance of the above Average Monthly / Quarterly / Half Yearly Balance will attract charges . These charges have been explained to me for the respective Product [redacted] understand the detailed charging structure for non-maintenance and the same is available on HDFC bank's Website and Service charges and fees brochure.

[redacted] DECLARATION

I/We have read and understood the Terms & Conditions governing the opening of an account with HDFC Bank and those relating to various services including but not limited to (A) ATMs, (B) PhoneBanking, Debit Cards, (D) MobileBanking, (E) NetBanking, (F) BillPay facility, (G) InstaAlert facility, (H) Email Statement. I/We accept and agree to be bound by the said Terms & Conditions including th [redacted] regarding/limiting the Bank's liability. I/We understand that the Bank may, at its sole discretion, amend any of the services completely or partially with atleast 30 days notice and/or provide an option to switc [redacted] services to me. I/We agree that the Bank may debit my account for the service charges applicable from time to time. I/We confirm that I/We am/are resident of India. I/We authorise the bank to disclose, [redacted] any information relating to my/our savings account to any parent/subsidiary, affiliate and associate of HDFC Bank, and to third parties engaged by the Bank, for purposes as detailed in the Term Conditions Booklet. I/We confirm that I/We am/are in possession of and have read the Terms and Conditions booklet which details the rules governing account operations, the Service charges and Fees Broc which specifies the charges applicable from time to time for various services and the tear away Customer copy detailing the Instructions and account opening rules. Netbanking and SMS Banking Services w available to the customer upon opening of account with the bank without requiring completion of any formalities for activation of such services Notwithstanding the documentation and account opening provided, the bank reserves the right to accept / reject your application. The Bank decision in this regard would be final. In case of change of address due to relocation or any other reason, I/We would intimate [redacted] address to the bank within two weeks of such a change with a valid address proof.

[redacted] interested in buying insurance policy/ies and would like to make enquiries for the same. I hereby consent to receive information / services through Telephone / Mobile / SMS / E-mail / any other mod [redacted] munication from the Bank.

DO NOT CALL REGISTRY : I understand that in case I do not wish to receive promotional information through telephone calls / email / sms on products and services not currently availed by me, I can register Do Not Call " service through the Bank's website www.hdfcbank.com or other channels that the Bank may offer. I agree that this service will not apply to receipt of advice and information regarding products services currently availed by me, to help me in fully realising the benefits of the range of financial solutions designed to make my banking relationship value added and more convenient.

PPF: I agree to abide by the provisions of the Public Provident Fund Scheme, 1968 and amendments issued thereto from time to time. I declare that I do not maintain any other Public Provident Fund Accou [redacted] other Bank or Post Office. Minimum amount of subscription / deposit for a financial year is Rs. 500 and maximum amount is Rs. 1,50,000. Maximum of 12 subscriptions / deposits can be done in a finan [redacted] Tenure of the account is 15 years. For further details refer terms and conditions available on the website.

[redacted] haar: "I hereby give my consent to HDFC Bank, to obtain my Aadhaar number, Name and Fingerprint / Iris for authentication with UIDAI. HDFC Bank has informed me that my identity information would be used for KYC and also informed that my biometrics will not be stored / shared and will be submitted to CIDR only for that purpose of authentication."

Please paste latest Passport Size photo of the 1st Applicant. Photo to be signed across	Do not sign this form if it is BLANK, please ensure all relevant sections and columns are complete filled to your satisfaction and then only sign the form	Please paste latest Passport Size photo of the 2nd Applicant. Photo to be signed across.

1st Applicant Signature

2nd Applicant Signature / Guardian signature in case of minor

Name: ____________________ Date: __________ Name: ____________________ Date: __________

I/We confirm that I/we have read and understood the above Declaration, and that the details provided on the form are correct. I/We also confirm that my account been opened by Bank officer Mr./Ms. ____________________ and I / we have signed in his/her presence.

FOR BANK USE ONLY

	Product Code	Account Number	Promo Code
CASA A/C			
Reimbursement A/C / KGC CA			ROI ______ + Variance ______ = NI ______
RD / PPF / SSA			

	Customer ID	Customer Category	Document Submitted					Branch Codes
Applicant			ID Proof	Add Proof	Photo	No cheque book to be Issued	CPV Initiated	Sourcing
Applicant			ID Proof	Add Proof	Photo	Talkal Kit Issued for Existing customer		Servicing

Group ID | Portfolio Code | Program to be raised to

Service ID / Emp.Code ^	Company Code	LG CODE	LC CODE	MIS Code

^ (For Defence Accounts Only)

Date | Funds Parked A/C No. | UDN

UDF 2

[redacted] CUSTOMER SIGNED IN MY PRESENCE	Emp Name		Signature	TELE CONFIRMATION DONE	Emp Name		Signature
	Emp Code				Emp Code		

Branch Stamp with Date

CPU Stamp with Date

DVU Signature & Date

FCU Signature & Date

परिशिष्ट-3

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001

संगठन प्रमाणित

पत्र संख्याः-841/स0प्र0-3/124-2001(भाग-3)/76/95ए दिनांकः- 06/06/2018

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
(Business Operations) MSTC Ltd,
पंजीकृत कार्यालय-225--सी,आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,
कोलकाता-700020, (पश्चिम बंगाल)

Sub:- Proposal for providing E-Commerce Services for E-Auction of Residential and Commerecial Properties.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-MSTC/ LKO/BD/16-17/ दिनांक 02.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एमएसटीसी लिमिटेड, भारत सरकार इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन मिनरल श्रेणी-1, सार्वजनिक क्षेत्र का उपकम उल्लेख करते हुए, उ0प्र0 आवास एवं विकास पारिषद की अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु अपनी सेवाओं के संबंध में अवगत कराया गया है। उक्त के कम में श्री अनिल वर्मा, कम्पनी के प्रतिनिधि एमएसटीसी, जी-25/26, 1-टी.एन.रोड, तेज कुमार प्लाजा, हजरतगंज, लखनऊ के पत्र संख्या-MSTC/ LKO/NEW BUS/16-17/07 दिनांक 25.07.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव मा0 निदेशक मण्डल की 243वीं बैठक के मद संख्या-243/26 पर प्रस्तुत किया गया, जिसे मा0 निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है**(छायाप्रति संलग्न-01**

श्री नितिन आनन्द, प्रतिनिधि एमएसटीसी, लिमिटेड, द्वितीय तल, सेंटर कोर्ट बिल्डिंग, 3/सी, 5 पार्क रोड, सिविल, अस्पताल के सामने, हजरतगंज लखनऊ के पत्र संख्या-MSTC/ LKO/NEW BUS/18-19/4390 दिनांक 03.04.2018 प्रेषित MOU पर विधिक अभिमत प्राप्त किया गया, तद्कम में MSTC के प्रतिनिधि को प्रेषित करते हुए, उनकी सहमति प्राप्त की गयी, प्राप्त सहमति के आधार पर MOU को परीक्षणोपरान्त मा0 निदेशक मण्डल की 245वीं बैठक के मद संख्या-245/24 पर प्रस्तुत किया गया, जिसे मा0 निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।**(छायाप्रति संलग्न-02**

कम्पनी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं MOU को मा0 निदेशक मण्डल की स्वीकृति उपरान्त परिषद की अनावासीय/व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग सम्पत्तियाँ जिनका आरक्षित मूल्य रू0 5.00 करोड़ या उससे अधिक है, तथा जो विगत 03 वर्षो से अनिस्तारित है, का निस्तारण E-Tender-cum-E-Auction प्रकिया के संचालन हेतु MOU पर हस्ताक्षर करने हेतु, सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त अधिकारी नामित करते हुए, अग्रेतर कार्यवाही हेतु यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-

भवदीय

(उदय राज सिंह)
अपर आवास आयुक्त

पृ0सं0:-841 /उक्त दिनांक 06/6/2018

प्रतिलिपिः-श्री नितिन आनन्द, द्वारा एमएसटीसी, लिमिटेड, द्वितीय तल, सेंटर कोर्ट बिल्डिंग, 3/सी, 5 पार्क रोड, सिविल, अस्पताल के सामने, हजरतगंज लखनऊ।

अपर आवास आयुक्त

MSTC

MEMORUNDUM of UNDERSTANDING

1.0 THIS AGREEMENT made this day of 2018 BETWEEN **UTTAR PRADESH ....BOARD** a body corporate created by the Uttar Pradesh Govt. having its registered office at ________________________________ called **"PRINCIPAL"** (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include its Successors and Assigns) on the ONE PART;

AND

MSTC LTD. ,a Govt. of India Enterprise registered under the Companies Act, 1956 and having its Registered Office at 225-C, Acharya Jagdish Bose Road, Kolkata-700 020 and having its Lucknow Branch Office at 2nd Floor, Centre Court Building, Park Road, Hazratganj. Lucknow - 226001 hereinafter called **"MSTC"** (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include its Successors and Assigns) on the OTHER PART:

2.0 WHEREAS MSTC has approached the PRINCIPAL with a request to engage MSTC as Selling Agent for sale of Commercial Immovable Properties available for sale on ***"as is where is"*** basis through MSTC's E-Tender-cum-E-Auction Website www.mstcecommerce.com .

3.0 AND WHEREAS the PRINCIPAL has agreed to engage MSTC as Selling Agent for the purpose on the terms and conditions mentioned hereinafter.

4.0 Now it is hereby agreed and declared by the Parties hereto as follows:

4.1 This Agreement covers sale of Commercial Immovable Properties mentioned in Clause – 2.0 hereinabove in the indigenous market on behalf of the PRINCIPAL by way of **E-Tender-cum-E-Auction** or any other manner as may be mutually agreed between the Parties hereto. In addition to the above, any other items may be added so as to be covered by the Agreement as may be mutually agreed.

5.0 **DURATION OF AGREEMENT:**

This Agreement will remain valid for two years from the date hereof , with option to renew the same for such further duration/s and on such terms & conditions as the parties hereto may

mutually agree upon. Either party can terminate the agreement by giving notice of 3 (Three) months to the other party.

6.0 <u>NATURE & SCOPE OF SERVICE AND RESPONSIBILITY OF MSTC</u>

6.1 MSTC shall arrange the sale directly and primarily through **E-Tender-cum-E-Auction** on the Internet through MSTC's Website www.mstcecommerce.com.

6.2 MSTC will act on receipt of list of Saleable properties alongwith applicable rates of Duties & Taxes from the PRINCIPAL. MSTC will offer guidance in regard to grouping / description / making of suitable lots from the list of properties if required.

6.3 Since **E-Tender-cum-E-Auction**, is a Web based system, all publicity of the sale will be made by MSTC through MSTC's Website and other Internet Tools and no press advertisement will be required. MSTC will provide a workshop for parishad employees regarding first hand knowledge and functioning of e-auction website of MSTC i.e. www.mstcecommerce.com . Individual Sale Notices will be sent by MSTC by email to all registered Customers of MSTC on all India basis. MSTC will take sincere steps to add on local bidders and customers in its data base. In case of **E-Tender-cum-E-Auction** if the PRINCIPAL desires publicity through any newspaper or a particular local / Indian publication or media or through any foreign publication or media, the PRINCIPAL exerts its rights to do so on its own costs.

6.4 All sale/s will be subject to Reserve Prices of the saleable properties as may be fixed by the PRINCIPAL. In case of **E-Tender-cum-E-Auction**, Reserve Prices will be posted online on the Website by the MSTC at least two working days before the Starting Date of **E-Tender-cum-E-Auction**, failing which **E-Tender-cum-E-Auction** will not be activated for those lots for which online Reserve Prices are not posted on the Website. MSTC will coordinate with the PRINCIPAL accordingly and activate the **E-Tender-cum-E-Auction** one working day prior to the scheduled Starting Date.

6.5 In case of **E-Tender-cum-E-Auction, highest bids received shall be pending and Subject to Approval** by the PRINCIPAL irrespective of whether the highest bid is greater than or less than or equal to the Reserve Price. The result of the e-tender-cum-e-auction shall be communicated via e-mail to the concerned zonal commissioner after with copy to nodal officer of the PRINCIPAL immediately after the closing of the bid. The PRINCIPAL shall post the final

approval or rejection online on the Website within 7 (seven) **working days of closing of E-Tender-cum-E-Auction** and accordingly MSTC web portal will issue Acceptance Letter to the successful bidders on reciept of such approval/acceptance letter from PRINCIPAL.

6.6 MSTC shall accept sale price / bid money from the Bidders vide e-Payment Gateway for onward submission to the PRINCIPAL.

6.7 MSTC shall provide draft standard terms and conditions of sale of properties to PRINCIPAL. Necessary modifications may be made in the said terms and conditions of sale by PRINCIPAL. as may be mutually agreed, without affecting the technical architecture of MSTC's Website. Terms and Conditions of sale shall be finally vetted by the PRINCIPAL.

6.8 GST or any other Govt. Levies / taxes / charges chargeable on the service charges of MSTC or any other statutory charge /levy / duty /tax which is statutorily not recoverable from the Buyer. will be payable by the PRINCIPAL.

6.9 MSTC will act as per written instructionof the Principal, in case MSTC seeks any Clarification/Modification. He may inform in writing to the Principal of the same and, Principal will also clarify/modify the same in writing to MSTC. Also the instructions issued by the Principal from time to time will be binding on the MSTC provided that the instructions shall not disturb the technical architecture.

6.10 Principal may issue comments to MSTC at the completion of the Auction proceeding and short commings , if any, will be removed by the MSTC.

7.0 **NATURE & SCOPE OF RESPONSIBILITY OF THE PRINCIPAL** :

7.1 The PRINCIPAL shall provide MSTC with the list of immoveable properties, free from any encumbrances, with detailed specifications and descriptions, location and address, applicable rates of Duties and Taxes, photographs if available and special remarks if any, for sale. For sale through E-Tender-cum-E-Auction, the Property List will be sent by the PRINCIPAL to MSTC by e-mail.

7.2 The Sale Program/s shall be finalized between MSTC and PRINCIPAL as per mutual convenience. Inspection of the properties shall be allowed by the PRINCIPAL to the intending Bidders.

7.3 In case of E-Tender-cum-E-Auction, the Reserve Prices shall be posted online by the PRINCIPAL on the Website at least two working days before the Starting Date of the E-Tender-

cum-E-Auction to enable MSTC to activate the **E-Tender-cum-E-Auction** one working day before the Starting Date of **E-Tender-cum-E-Auction.** As all the highest bids received shall be kept under pending status. , the PRINCIPAL shall endevour to post his approval or rejection online on the Website within 7 (seven) working days from the date of closing of **E-Tender-cum-E-Auction**.

7.4 The PRINCIPAL shall advise MSTC about the applicability or otherwise of Taxes and other statutory levies alongwith their applicable rates wherever applicable, alongwith the list of saleable properties and MSTC shall collect the same from the successful Bidders / Buyers for onward submission to the PRINCIPAL.

7.5 In case of successful sale, the PRINCIPAL shall be entering into Sale Contract/s with the buyer/s and shall also execute or cause to be executed necessary deed of sale/conveyance/s for transfer of title and delivery of possession of the property/ies in favour of the successful bidder/s for getting the same registered in accordance with laws , at costs of the buyer/s , wherein MSTC shall not be a party to any such Sale Contracts/deed of sale/conveyance/s..

8.0 **SERVICE CHARGE :**

8.1 For rendering its services, MSTC shall be entitled to Service Charges from PRINCIPAL as per following details:-

Type of Property	Service charges
Commercial Properties	For a Commercial Property with Reserve Price **upto Rs 10 Crores,** minimum service charges: Rs 30,000/- plus 2% of the differential amount of the Reserve Price and Actual Sale Value, subject to a maximum amount of Rs 3 lakhs. GST applicable on Service Charges will be payable by PRINCIPAL.
	For a Commercial Property with Reserve Price **more than Rs 10 Crores,** minimum service charges: Rs 30,000/- plus 2% of the differential amount of the Reserve Price and Actual Sale Value, subject to a maximum amount of Rs 5 lakhs. GST applicable on Service Charges will be payable by PRINCIPAL.

8.2 Service charges will be charged by MSTC only for successful bids finally approved by the PRINCIPAL.

8.3 Service Charge will be calculated on the amount realized excluding taxes and duties. GST or any other Govt. levies / taxes / charges chargeable on the Service charges of MSTC will be payable by the Principal.

8.4 At the time of forwarding the Sale Value collected by MSTC from the successful Buyers to the Principal, MSTC shall adjust / recover the Service Charges. The details of sale effected and service charges earned / adjusted by MSTC will be monthly reconciled between MSTC and PRINCIPAL including all cases of non-billing / excess billing of service charges by MSTC if any and necessary adjustment / refunds will be made by MSTC to the Principal.

9.0 **STANDING COMMITTEE FOR IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT :**

9.1 The PRINCIPAL and MSTC will nominate one official each for dealing with all matters relating to this Agreement. The working arrangements for implementing the provisions of the Agreement shall be mutually discussed and decided upon.

10.0 **EXECUTION OF SALE CONTRACT :**

10.1 Sale Contract(s) of the PRINCIPAL existing at the time of execution of this Agreement will continue to operate and will not come under the purview of this Agreement. Similarly, at the expiry of this Agreement, the Orders booked by MSTC will continue to operate as if this Agreement continues till the execution of those Orders.

11.0 **HANDLING OF SUITS :**

The Principal shall deal with all disputes, litigations and legal cases, if any with bidders/buyer in connection with sale/s to be made under this Agreement arising out of the discharge of the obligations of the Principal. Since MSTC will be acting as selling agent o f the Principal, the Principal shall pay to MSTC all the legal expenses, on actual basis, incurred by MSTC for defending any litigation arising out of any sale or any process for sale, under this Agreement. In case the litigation has arisen due to any fault on the part of MSTC while discharging their obligations, during its conduct of sale or process for sale on behalf of the Principal, then MSTC shall be responsible for defending such case at its own expenses. MSTC shall take prior written permission of the Principal for instituting any case in any Court of Law in the matters arising out of under this agreement, and the Principal shall pay to MSTC the legal expenses including Court fees in advance.

12.0 **FORCE MAJEURE :**

For the purpose of this Agreement, "Force Majeure" means any event or circumstance or combination of such events or circumstances beyond the reasonable control of either Party to this Agreement thereby preventing performance of either Party to this Agreement and includes:

i) Acts of God and nature including:

- typhoon, flood, earthquake, fire, drought, landslide, unusually severe weather condition or other natural disaster; and
- plague or epidemic or quarantine conditions arising there from;

ii) Air crash, shipwreck, train wrecks or failures or delays of transportation;

iii) Strikes, lock-outs, work-to-rule actions, go-slows or similar labour difficulties:

iv) Legislation, Govt. rules , regulations , change of laws other than Governmental Force Majeure that in any way have effect on the performance of either Party under this Agreement.

13.0 **TERMINATION :**

This Agreement is subject to termination, if any with clear 3 (three) calendar months prior notice in writing from either side before the expiry of the contract.

14.0 **ARBITRATION CLAUSE:**

14.1 All disputes or differences, which could not be resolved through mutual discussion, shall be referred by either party for arbitration by a Sole Arbitrator . The award of the Sole Arbitrator shall be final and binding upon both the parties.

14.2 The expenses of the Arbitrator shall be borne by both the parties equally.

14.3 The arbitration shall be carried out as per the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended). The arbitration shall be held at Lucknow, Uttar Pradesh.

15.0 **INTEGRITY PACT :**

The provisions of the Integrity Pact as available on the website : www.mstcecommerce.com of MSTC are deemed to be incorporated herein by reference and the parties hereto agree to be bound by the same.

16.0 **APPLICABILITY OF LAWS :**

The Agreement shall be governed by the Indian laws for the time being in force.

IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have subscribed their respective hands on the date mentioned on the first page of the agreement.

Signed and delivered
For and on behalf of...............

(Signature):

(Designation):

In presence of:

(Name & Designation): (Signature)

Signed and delivered
For and on behalf of **MSTC LTD**

(Signature):

(Designation):

In presence of:

(Name & Designation) (Signature)

माह जुलाई 2018 तक परिषद के विभिन्न जोनों के अन्तर्गत रिक्त/अवशेष आवासीय/अनावासीय/फ्लैटों का विवरण निम्नवत् है:–

क0 सं0	जोन का नाम	आवासीय सम्पत्तियों की संख्या	मूल्य लाख में	अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या	मूल्य रुपया लाख में	फ्लैटों की संख्या	मूल्य रुपया लाख में	कुल सम्पत्तियों की संख्या	कुल मूल्य रुपया लाख में
1.	लखनऊ जोन	87	2010.77	172	94207.88	2760	1,20,143.01	3019	2,16,361.66
2.	मेरठ जोन	266	11167.15	525	4,03,923.90	8362	2,16,860.71	9153	6,31,951.76
3.	आगरा जोन	113	3348.34	114	15864.85	78	3348.00	305	22,561.19
4.	कानपुर जोन	216	6837.83	61	40,693.25	285	14,590.00	562	62121.08
5	वाराणसी जोन	91	1344.24	22	735.89	–	–	113	2080.13
6.	बरेली जोन	267	4102.09	109	32205.69	107	2036.72	483	38,344.50
	योग	1040	28059.17	1003	587631.46	11592	357729.69	13635	973420.32